"मुस्लिम महिलाओं में प्रजननता की विभिन्नतायें तथा पारिवारिक आकार के सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण"

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी को
समाजशास्त्र में पी–एच०डी० उपाधि हेतु
प्रस्तुत

शोध–प्रबन्ध

1995
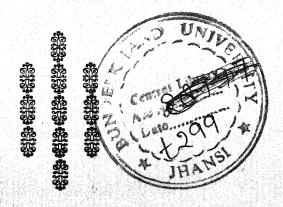
निर्देशक :
डॉ० एस० बी० सिंह परमार
अध्यक्ष–समाजशास्त्र विभाग
अतर्रा स्नाकोत्तर महाविद्यालय
अतर्रा, बांदा (उ०प्र०)

प्रस्तुतकर्त्री :
श्रीमती सबीहा रहमानी

**** प्रमाण-पत्र ****

प्रमाणित किया जाता है कि शोध प्रबन्ध " **मुस्लिम महिलाओं में प्रजननता की विभिन्नतायें तथा पारिवारिक आकार के सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण"** श्रीमती सबीहा रहमानी द्वारा समाजशास्त्र में "डॉ0 ऑफ फिलास्फी" उपाधि हेतु प्रस्तुत है। यह शोध-प्रबन्ध बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी के नियमानुसार एवं इसे 200 दिन में पूर्ण किया गया है। शोध-प्रबन्ध श्रीमती सबीहा रहमानी की मौलिक कृति है।

(डॉ0 शीलभद्र सिंह परमार)
अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग
अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, अतर्रा (बांदा)

प्राक्कथन

किसी भी देश में प्रजननता का सम्बन्ध उस देश की प्रगति, समृद्धि एवं सामाजिक आर्थिक विकास से होता है । विश्व में एवं विशेष रूप से भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या का मुख्य कारण प्रजनन-दर है । भारत की जनसंख्या का इतिहास इस तथ्य को उद्घोषित करता है कि यहाँ की आबादी अविराम गति से प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है । इसका मुख्य कारण है लगातार मृत्यु-दर में कमी एवं बढ़ती हुई जन्म-दर ।

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म स्तर पर उच्च प्रजनन-दर के लिये उत्तरदायी कारकों एवं प्रजननता सम्बन्धी विभिन्नताओं की खोज करना है । प्रजननता के सन्दर्भ में जब भारत के विभिन्न साँस्कृतिक समूहों की प्रजनन-दर पर किये गये अन्वेषणों पर दृष्टिपात किया जाता है तो इस तथ्य का पता चलता है कि हिन्दुओं की तुलना में मुसलमानों एवं ईसाइयों में प्रजनन-दर अधिक है । यह समस्या मुस्लिम दम्पत्तियों के कट्टर भाग्यवादी होने तथा परिवार नियोजन के साधनों को स्वीकार न करने के कारण है । अतः इस पर गहनता से वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता है ।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से मुस्लिम महिलाओं में उच्च प्रजनन-दर के कारणों की खोज करना एक दिलचस्प विषय होगा । सांख्यकीय कारकों से भी प्रजनन व्यवहार का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है । क्योंकि भारत सहित विश्व के अनेक विकासशील देशों में जन्मों के रजिस्ट्रेशन की विकसित व्यवस्था नहीं है । ऐसी स्थिति में सूक्ष्म स्तरीय अध्ययन अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं । वर्तमान अध्ययन उक्त सन्दर्भ में किया गया एक प्रयास है ।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध को प्रस्तुत करने में श्रृद्धेय डा0 एस0बी0 सिंह परमार का ऊर्जस्त्र प्रेरणा एवं मार्गदर्शन प्राप्त हुआ साथ ही, शोध कार्य के दौरान आई कठिनाइयों का सामना करने के लिये मुझे सक्षम बनाया, मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ ।

मैं अतर्रा महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के प्रवक्ता डा0 अवधेश चन्द्र मिश्रा की आभारी हूँ, जिन्होंने समय-समय पर मुझे प्रोत्साहन देकर मेरे आत्मबल को बढ़ाया व अनेक कठिनाइयों का समाधान कर अध्ययन को सरल बनाया ।

इस अध्ययन में आई कठिनाइयों का समाधान करने वाले पं0 जे0एन0कालेज, बाँदा के डा0 जे0पी0 नाग व राजकीय महिला महाविद्यालय की श्रीमती डा0 प्रेमलता मिश्रा के प्रति आभार प्रकट करती हूँ ।

प्रस्तुत शोध से सम्बन्धित नगर क्षेत्र बाँदा की उत्तरदाताओं के प्रति आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर सहयोग किया, साथ ही जिला सूचना अधिकारी कार्यालय एवं जिला संख्याधिकारी कार्यालय सहायकों के सहयोग को भी भुलाया नहीं जा सकता ।

मैं अपने पिता श्री फैय्याजुद्दीन रहमानी व श्वसुर पीरबक्स के प्रति कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मुझे इस कार्य को पूर्ण करने में सतत् प्रेरणा प्रदान की । साथ ही, मैं अग्रज श्री फजलउद्दीन रहमानी व श्री मुईनउद्दीन रहमानी की वात्सल्य की छाया में यह शोध प्रबन्ध प्रस्तुत कर सकी । अपनी माँ श्रीमती शमशादी खानम बहिन शाहिदा रहमानी व शहलारहमानी की विशेष आभारी हूँ, यह कृति उनकी दुआयों का प्रतिफल है ।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध इस रूप में दिखाई नहीं पड़ता यदि पति श्री अकील अहमद खान का अविस्मरणीय सहयोग प्राप्त न हुआ होता । जिन्होंने मुझे शोध कार्य के दौरान पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त रखते हुये हर प्रकार से सहयोग दिया उन्हें धन्यवाद देने से सम्बन्धों को औपचारिक बनाना है । मैं श्री शकील अहमद, श्री जमील अहमद एवं अनुज मुजीब खान के प्रति विशेष आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस शोध कार्य में सहयोग प्रदान किया ।

इस शोध कार्य को अत्यधिक अल्प समय में टाइप करने के लिये दिनेश श्रीवास्तव की भी आभारी हूँ ।

अन्त में उन सभी विद्वानों जिनकी रचनाओं से शोध प्रबन्ध को पूरा करने में सहायता मिली हैं मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ ।

अनुक्रमणिका

अध्याय-3

अध्याय-4

अध्याय-5

अध्याय-6

क्र0सं0	सारणी विवरण	पेज नं0

अध्याय-4

अध्याय-5

अध्याय-6

अध्याय - 1

प्रस्तावना

किसी भी देश में प्रजननता का सम्बन्ध उस देश की प्रगति, समृद्वता और सामाजिक-आर्थिक विकास से होता है । सभी देशों में प्रजनन आयु-वितरण, विवाह-दर, मनुष्यों के आचरण, परिवार-नियोजन की सुविधाओं तथा आर्थिक-स्थिति का प्रतिफल है । प्रजननता एक जीव वैज्ञानिक-प्रक्रिया है । जनसंख्या अध्ययन में प्रजननता विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि जन्म के फलस्वरूप ही विश्व व सभी देशों की जनसंख्या में अनेकों परिवर्तन होते हैं । प्रजननता का अर्थ वास्तविक जन्मों की संख्या से है, जबकि जनन-क्षमता का तात्पर्य बच्चे पैदा करने की शारीरिक क्षमता है । अतः प्रजननता किसी सीमा तक स्वयं की जनन-क्षमता पर निर्भर करती है । प्रजननता किसी भी व्यक्ति, परिवार तथा देश के लिये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है । प्रजननता प्रारम्भ से ही एक महत्वपूर्ण विषय रही है । प्राचीनकाल में यज्ञ आदि के अवसर पर औरतों में प्रजननता का संचार किया जाता था, किन्तु जब किसी भी प्रकार प्रजननता को स्थिर नहीं रखा जा सका तो अनेक रीतिरिवाजों द्वारा ऐसा मोड़ दिया गया कि वंश चलता रहे, जैसे- विधवा विवाह, बहुपत्नी विवाह आदि। जब प्रजननता अत्याधिक बढ़ने लगी तो सामाजिक रीतिरिवाजों में फिर परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया जैसे- गर्भपात, देर से विवाह, विवाह उपरान्त भी अलगाव, अधिक समय तक बच्चे को दूध पिलाना और यहाँ तक कि शिशु हत्या[1] ।

विश्व में एवं विशेष रूप से भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या का मुख्य कारण प्रजनन-दर है । अधिकांश देशों में जनसंख्या वृद्धि पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि मृत्युदर के कम और प्रजनन संख्या में वृद्धि होने का है । अतः विकास कार्यो में लगे वैज्ञानिक ऐसी खोज में लगे हुये हैं जिससे कि बढ़ती हुई प्रजनन दर घट सके तथा विकास कार्य सफल हो सकें ।

विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि की समस्या गम्भीर है क्योंकि कम विकसित देशों में प्रजनन-दर अधिक है । विश्व में चीन के पश्चात भारत ही दूसरा

---

(1) 1-थाम्पसन, डब्लू0, एस0 "पापुलेशन प्राब्लम्स" न्यूयार्क, 1942 (चैप्टर x)

2-वयूजन्सकी आर0, आर0 "दि बैलेन्स आफ बर्थ एण्ड डेथ" वाल्यूम 1, न्यूयार्क, 1928 वाल्यूम 11, वाशिंगटन, 1931.

3-क्यूजन्सकी आर0आर0 "दि इन्टरनेशनल डिक्लाइन आफ फर्टिलिटी" इन पालिटिकल अर्थमैटिक, लन्दन 1938, पृष्ठ 47-72 ।

विकासशील देश है जहाँ जनसंख्या वृद्धि तीव्र रूप से हो रही है[2] । उक्त वृद्धि विविध वर्षों के आँकड़ों से परिलक्षित होती है जिसे तालिका 1.1 में प्रस्तुत किया गया है ।

सारणी 1.1

भारत की जनसंख्या 1901-1991

वर्ष	सम्पूर्ण जनसंख्या (करोड़ में)	जनसंख्या वृद्धि-दर (प्रतिशत में)
1901	23.84	.56
1911	25.21	.03
1921	25.13	1.04
1931	27.90	1.33
1941	31.87	1.25
1951	36.11	1.96
1961	43.92	2.20
1971	54.82	2.22
1981	68.33	2.11
1991	84.39	-

स्रोतः- पापुलेशन रिफरेन्स ब्यूरो द्वारा प्रकाशित- वर्ल्ड पापुलेशन डाटा शीट, 1987.

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 1901 से 1991 तक लगातार भारत की जनसंख्या बढ़ती गई । भारत की जनसंख्या का इतिहास इस तथ्य को उद्घोषित करता है कि यहाँ की आबादी तीव्र एवं अविराम गति से प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है और आज तक के अथक प्रयास के बावजूद वृद्धिदर में कोई विशेष कमी नहीं लाई जा सकी है । अतः यह जानना आवश्यक है कि इतनी तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं ? जनसंख्या वृद्धि केक्र लिये मुख्यतः जनांकिकी की चार

---

(2) पापुलेशन रिफरेन्स ब्यूरो द्वारा प्रकाशित- वर्ल्ड पापुलेशन डाटा शीट, 1987

घटनाएं उत्तरदायी हैं :-

1- जन्मदर, 2- मृत्युदर, 3- जनसंख्या प्रवास, 4- जनसंख्या अप्रवास

भारत में जनसंख्या वृद्धि से जो समस्या पैदा हुई है उसके मुख्य कारण हैं लगातार मृत्युदर में कमी एवं बढ़ती हुई जन्मदर[3]। जैसा कि जन्मदर तथा मृत्युदर से सम्बंधित विविध वर्षो के आँकड़ों से परिलक्षित होता है जिसे तालिका 1.2 मे प्रस्तुत किया गया है ।

सारणी नं0 1.2

भारतवर्ष में विभिन्न वर्षो में जन्म एवं मृत्यु दरें

वर्ष	जन्मदर	मृत्युदर
1901	-	-
1911	49.2	42.6
1921	48.1	48.6
1931	46.4	36.2
1941	45.9	31.2
1951	39.9	27.4
1961	41.7	22.8
1971	41.2	19.0
1981	37.2	15.0
1991	33.8	12.5

स्रोतः- डिपार्टमेंट आफ स्टेटस्टिक्सि, 1963, गवर्नमेंट आफ इण्डिया ।

---

(3) 1- भारत राष्ट्रीय विवरण, इन्टरनेशनल कान्फ्रेन्स आन पापुलेशन मैक्सिको सिटी, अगस्त, 1984 ।

2- फेमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इण्डिया, <u>ईयरबुक,</u> 1984-85, गवर्नमेंट आफ इण्डिया ।

भारत में जन्मदर सम्बन्धी आँकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि आज भी यहाँ जन्मदर बहुत अधिक है और लगभग स्थिर सी बनी है । जन्म एक जैवकीय एवं परम व्यक्तिगत प्रक्रिया का फल है, किन्तु यह मनुष्य के ऊपर पड़ने वाले सभी प्रकार के जैवकीय, प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक प्रभावों से प्रभावित होता है । मानव की प्रजननता पर उसकी सन्तानोत्पादक क्षमता, स्वास्थ्य-स्तर, स्थान विशेष की जलवायु, व्यवसाय आर्थिक स्तर, विवाह की उम्र, जीवन-स्तर, विवाह प्रथा, ग्रामीण एवं शहरी परिवेश, शिक्षा, सन्तान की मान्यता, पुत्र की अनिवार्यता तथा परिवार नियोजन विधियों के प्रति सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण इत्यादि ऐसे तमाम कारणों का प्रभाव पड़ता है, जिससे जन्मदर का निर्धारण होता है । भारत में उच्च जन्मदर के मुख्यतया निम्न कारण हैं :-

1- भारतवर्ष में विवाह एक सामाजिक-धार्मिक आवश्यक संस्था है । यहाँ लगभग 95.00 प्रतिशत स्त्री एवं पुरूष विवाह अवश्य करते हैं जबकि अन्य विकसित देशों में यह प्रतिशत बहुत कम है ।

2- स्त्रियों की विवाह की उम्र का प्रजननता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है । ऐसा माना जाता है कि स्त्रियाँ 15-45 वर्ष की आयु के बीच में ही पुनरूत्पादन के योग्य होती हैं । अतः जिन लड़कियों का विवाह 15 वर्ष की आयु में होता है तो उन्हें लगभग 30 वर्ष का लम्बा समय बच्चे पैदा करने के लिये मिलता है । भारत में विवाह की औसत आयु एवं प्रजननता के अन्र्तसम्बन्धों को जानने हेतु किये गये विभिन्न सर्वेक्षणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि विवाह की आयु और कुल प्रजननदर में व्युतक्रमी सम्बन्धी होता है ।

वर्तमान जनसंख्या नीति के अनुसार विवाह की आयु लड़कों के लिये 21 वर्ष एवं लड़कियों के लिये 18 वर्ष निर्धारित की गई है । ये निर्धारित आयु अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भ में अभी भी अन्य देशों से कम है । विकसित देशों जैसे नार्वे, पूर्व जर्मनी, फ्राँस, जापान, डेनमार्क, अमेरिका, स्विटजरलैण्ड आदि ऐसे कई देश हैं जहाँ विवाह की औसत आयु 23 वर्ष के बीच की है[4] । भारत में विवाह की औसत आयु को विविध वर्षो के आधार पर सारणी 1.3 में प्रस्तुत किया गया है -

---

(4) श्रीवास्तव, ओ0एस0, 1981, "आर्थिक एवं सामाजिक जनांनकिशास्त्र" रंजन प्रकाशनगृह, नई दिल्ली, पेज नं0 161-65 ।

सारणी 1.3

भारत में विभिन्न वर्षो में विवाह की औसत आयु

वर्ष	विवाह की औसत आयु
1901-1911	13.2
1911-21	13.6
1921-31	12.6
1931-41	15.0
1941-51	15.4
1951-61	16.0
1961-71	17.2
1971-81	18.3

स्रोतः- डिपार्टमेंट आफ स्टेटस्टिक्स, गवर्नमेंट आफ इण्डिया ।

3- प्रजनन दर को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में निम्न आर्थिक स्तर सबसे महत्वपूर्ण है । अनेक अध्ययनों से यह प्रमाणित हो चुका है कि जिनका जीवन एवं रहन स्तर उच्चकोटि का है उनमें प्रजनन दर कम होती है जबकि निम्न आर्थिक स्थिति वाले परिवारों में अधिक बच्चे पैदा होते हैं । भारत में आज भी आधे से अधिक जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत कर रही है । यह स्थिति प्रजनन दर को बढ़ाने में काफी सहायक होती है ।

4- प्रजनन-दर शिक्षा के स्तर से भी प्रभावित होती है । यह पूर्व स्थापित सत्य है कि अशिक्षित व्यक्तियों के बच्चे अधिक होते हैं तथा शिक्षित व्यक्तियों के कम होते हैं ।

5- जहाँ शिशु मृत्यु-दर अधिक होती है वहाँ प्रजनन-दर भी अधिक होती है, क्योंकि व्यक्ति मृत शिशु की कमी एक नये जन्म से पूरी करना चाहता है ।

6- भारतीय परिवारों की यह सामाजिक एवं धार्मिक मान्यता है कि पुत्र वंश को आगे बढ़ाने वाला एवं श्राद्ध के द्वारा पिता को स्वर्ग तक ले जाता है । अतः जब तक परिवार में दो या तीन पुत्र जन्म नहीं ले लेते तब तक वह परिवार का आकार बढ़ाते जाते हैं । इस प्रकार पुत्र-प्राप्ति के सन्दर्भ में भारतीय सामाजिक-धार्मिक व्यवस्था उच्च प्रजनन-दर के लिये उत्तरदायी है ।

7- परिवार-नियोजन प्रजनन-दर को कम करने का प्रभावी तरीका है, परन्तु आज भी भारत में लगभग 70.00 प्रतिशत लोग परिवार नियोजन के साधनों को नहीं अपनाते जबकि विकसित देशों में इनका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, इसीलिये वहाँ की प्रजनन-दर भारत की अपेक्षा कम है ।

सामान्यतया प्रजननता एक जैवकीय प्रक्रिया है, फिर भी भारत के विभिन्न वर्गों की प्रजनन-दर में पर्याप्त अन्तर दिखाई देता है । यह अन्तर मुख्यतया जैविक, शारीरिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारणों से होते हैं । शारीरिक कारणों में जैसे बीमारियाँ एवं शारीरिक अयोग्यता, सामाजिक में वैद्यव्यता व पति से अलग रहना एवं सांस्कृतिक कारणों में बच्चों को दूध पिलाने की अवधि और रजस्वला होने पर सम्भोग करने या न करने के रीतिरिवाज इसके अन्तर्गत हैं ।

भारत के लगभग सभी समूह के लोगों में प्रसव के उपरान्त यौनिक सम्बन्धों को प्रतिबन्धित करने वाले पोस्टपार्टम निषेध का पालन इस बात का प्रमाण है कि सामाजिक-साँस्कृतिक कारक मानव प्रजननता को प्रभावित करते हैं । इसी प्रकार हिन्दुओं में बहुत सारे पवित्र अवसरों पर पत्नी के साथ सहवास निषिद्ध[5] है ।

भारत में सापेक्षिक प्रजनन-दर के सन्दर्भ में यू0एन0ओ0 द्वारा प्रकाशित "दि डिटरमिनेन्टस एण्ड कान्सीक्वेन्सेस आफ पापुलेशन ट्रेण्डस" में विभिन्न धर्मो की भारतीय महिलाओं में सापेक्षिक प्रजनन-दर सम्बन्धी आँकड़ों को स्पष्ट किया गया है जिसके अनुसार "भारत में पारसी स्त्रियों की प्रजनन-दर सबसे कम हैं । रोमन कैथोलिक धर्म के ईसाई तथा मुसलमान परिवार नियोजन को धर्म विरूद्ध मानते हैं एवं परिवार नियोजन के साधनों का प्रयोग करके परिवार को सीमित रखने की बजाय अपने बच्चों की संख्या बढ़ाने में लगे रहते हैं । शिक्षित एवं विवेकशील व्यक्ति ही परिवार नियोजन के साधन अपनाकर परिवार को सीमित रखते हैं । इससे परिलक्षित होता है कि

---

(5) 1- ओपलर, मोरिस ई0, 1964 'इन फैक्ट एण्ड थियरी इन सोशल साइंस, एडिटेड बाई ई0डब्लू0 काउंण्ट एण्ड गार्डन बाउल्स, पेज नं0 218

2- मैसूर, 1961,'दि मैसूरपापुलेशन स्टडी,' न्यूयार्क, यूनाइटेड नेशन्स, पेज नं0 120

3- नाग, मोनी, 1965, फेमिली टाइप एण्ड फर्टिलिटी, वर्ल्ड पापुलेशन कान्फ्रेन्स, बेलग्रेड अगस्त-20, सितम्बर 10, नई दिल्ली-आफिस आफ दि रजिस्ट्रार जनरल, पेज नं0 131-38 ।

सीमित परिवार का प्रचलन जन-सामान्य में विशेषकर निर्धनवर्ग में नहीं है[6]।

1911 से 39 वर्ष की एक हजार स्त्रियों के 0-4 वर्ष के बच्चों का अनुपात 1911 से 1931 के बीच इस प्रकार था-

जनजातियों की - 1000 स्त्रियों के - 808 बच्चे

मुसलमानों की- 1000 स्त्रियों के - 770 बच्चे

हिन्दुओं की- 1000 स्त्रियों के - 678 बच्चे

जनजातियों तथा मुसलमानों में अधिक प्रजनन-दर, उनमें विधवा-पुनर्विवाह के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण थी । 1961-71 में जहाँ हिन्दुओं की दशक वृद्धि 23.7 थी, वहाँ मुसलमानों में 30.9 व ईसाइयों में 32.6 व सिक्खों में 32.3 थी[7अ]।

डा0 इशरत हुसैन द्वारा लखनऊ शहर में 1954-56 की अवधि में विभिन्न आधारों पर किये गये सर्वेक्षण से जो परिणाम प्राप्त हुये हैं वे इस प्रकार हैं[7ब]।

1- जाति एवं धर्म -

जाति एवं धर्म के आधार पर सिक्खों में प्रजनन-दर 44 प्रति हजार, हिन्दुओं में 36 एवं मुसलमानों तथा ईसाइयों में यह क्रमशः 29 एवं 24 प्रति हजार थी । साथ ही हिन्दुओं की निम्न जातियों में यह और भी अधिक पायी गई है ।

2- शिक्षा -

शिक्षा के आधार पर यह स्पष्ट है कि जैसे-जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता जाता है, प्रजनन-दर में कमी होती जाती है । यह निरक्षर में 45 प्रति हजार, प्राथमिक शिक्षा एवं हाईस्कूल से कम शिक्षा प्राप्त महिलाओं में 33-34 और हाईस्कूल व उससे उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं में 23-24 प्रति हजार पायी गई ।

---

(6) 1- राव, भास्कर, 1976, 'फेमिली प्लानिंग इन इण्डिया,' नई दिल्ली, विकास पब्लिशिंग हाउस, प्रा0लि0, पेज -18 ।

2- सिद्ध, के0के0, 1974 'फेमिली प्लानिंग दि रिलीजियस फैक्टर,' नईदिल्ली- अभिनव पब्लिकेशन्स, पेजन-236 ।

(7) अ- मित्रा, ए0 'फार एवरेज साइज फार डिफेरेन्सियल फर्टिलिटी, पेज 73-74 यह तर्क पुस्तक "आर्थिक व सामाजिक जनांनकिकी शास्त्र" लेखक, ओ0एस0श्रीवास्तव (रंजन प्रकाशन) पेज 320 से उद्धत है ।

ब-फर्टिलिटी इन लखनऊ सिटी, ए रिपोर्ट बाई डा0 (मिस) आई0जेड0हुसैन, डेमोग्राफिक रिसर्च सेन्टर, एक्नोमिक्स डिपार्टमेंट, लखनऊ यूनीवर्सिटी, लखनऊ पेज 38-54 ।

3- आय -

आय के आधार पर भी प्रजनन-दर में पर्याप्त भिन्नता पायी गई है । उच्च पदों पर कार्यरत व्यक्तियों में प्रजनन-दर श्रमिकों की प्रजनन-दर की अपेक्षा बहुत कम थी । जहाँ तक 1500 से कम आय वाले व्यक्तियों में 47 प्रति हजार रही वहीं 1500 से अधिक आय वाले परिवारों में यह 12 से 15 प्रतिहजार पायी गई । इस सन्दर्भ में विशेषतया यह उल्लेखनीय है कि 1991 तक इस प्रजनन-दर में कोई परिवर्तन नहीं आया ।

4- संयुक्त परिवार -

परिवार का आकार भी उच्च प्रजनन-दर का प्रभावी कारक है । एकाकी परिवारों की अपेक्षा संयुक्त परिवारों में यह अधिक पायी जाती है । एस0एन0अग्रवाल ने अपने अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि एक पीढ़ी वाले परिवार में प्रजनन-दर 29, दो या तीन पीढ़ी वाले परिवारों में यह क्रमशः 31 व 40 एवं चार व उससे अधिक पीढ़ी वाले परिवारों में यह 54 प्रति हजार पायी गई[8] । स्पष्ट है कि जैसे-जैसे परिवारों की संयुक्तता बढ़ती है, प्रजनन-दर भी बढ़ती जाती है ।

5- विवाह की आयु -

विवाह की आयु प्रजनन-दर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है । मैसूर की जनसंख्या का संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किये गये अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों से स्पष्ट है कि जहाँ 14-17 वैवाहिक आयु वर्ग की विवाहित महिलायें औसतन 5-9 बच्चों को जन्म देती हैं वहीं 18-27 वर्ष आयु के मध्य विवाहित महिलायें 4-7 बच्चों को जन्म देती हैं[9] । इस प्रकार सामान्यतया भारत की स्त्रियों की प्रजनन क्षमता 6-8 बच्चों को जन्म देने की है । जिसमें से हिन्दू स्त्रियों में यह दर 6-7 एवं मुस्लिम महिलाओं के लिये यह लगभग 8 है ।

भारत में तीव्र रूप से बढ़ती हुई इस जनसंख्या वृद्धि की स्त्रियों की प्रजनन-दर को कम करके रोका जा सकता है । हाल ही के कुछ दशकों में इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयत्न देखने को मिले हैं । अवांछित जन्मों को रोकने के लिये शल्य-क्रिया तथा आधुनिक औषधियों का प्रयोग प्रारम्भ हो चुका है । गर्भ-निरोध के कृत्रिम साधनों का विकास तथा उनका प्रसार भी उक्त दिशा में एक प्रयत्न है ।

---

(8) अग्रवाल, एस0एन0, 'पापुलेशन' चैप्टर : नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया आन डिफरेन्सियल फर्टिलिटी ।

(9) अग्रवाल, एस0एन0 'पापुलेशन' चैप्टर : पूर्वोक्त ।

स्वतन्त्रता के पश्चात 1952 में भारत में परिवार-नियोजन कार्यक्रमों का सूत्रपाल हुआ लेकिन सीमित परिवार की मान्यता, मध्यम वर्गीय मान्यता बनकर रह गई ।

निर्धन वर्गीय परिवारों की मान्यता है कि बड़े परिवार अर्थात अधिक बच्चे आर्थिक आय का साधन है क्योंकि वे कम उम्र में ही बाहर से पैसा कमाकर लाते हैं[10] ।

प्रजननता के सन्दर्भ में जब भारत के विभिन्न सांस्कृतिक समूहों की प्रजनन दर पर किये गये अन्वेषणों पर दृष्टिपात किया जाता है तो इस तथ्य का पता चलता है कि हिन्दुओं की तुलना में मुसलमानों एवं ईसाइयों में प्रजनन दर अधिक है । अनेक विद्वान जैसे महादेव और सिद्ध के अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि हिन्दुओं की तुलना में मुसलमानों में उच्च प्रजनन-दर का प्रचलन है । सिद्ध द्वारा जयपुर नगर में किये गये अध्ययनों से भी यह निष्कर्ष निकलता है कि हिन्दुओं की तुलना में मुसलमान बड़े परिवार के पक्षधर हैं[11] । उत्तर प्रदेश में परिवार-नियोजन

---

(10) 1- ममदानी, महमूद, 1972, स्मिथ आफ पापुलेशन कण्ट्रोल फेमिली, कास्ट एण्ड क्लास इन इण्डियन विलेज, न्यूयार्क, मन्य रिव्यू प्रेस ।

2- ब्लमवर्ग, आर0एल, 1976, फेयरीटेल्स एण्ड फैक्ट्स, इकानामी फेमिली, एडिटेड, टिंकर एण्ड ब्रामसेव वाशिंगटन, डी0सी0, सोवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल, पेज नं0 12-21 ।

(11) 1- महादेवन, के0, 1982, सोशियोलाजी आफ पापुलेशन स्टडीज, इक्जिसटिंग गैप्स एण्ड इमर्जिंग ट्रेण्डस इन सोशियोलाजी इन इण्डिया- एडिटेड, पी0के0नायर दिल्ली पेज नं0 34 ।

2- सिद्ध, के0के0, 1974 फेमिली प्लानिंग दि रिलीजियस फैक्टर नई दिल्ली, अभिनव पब्लिकेशन्स, पेज नं0 163 ।

3- रामकुमार, आर0, 1979,'इन डेमोग्राफी इण्डिया,' वाल्यूम 8 नं0 1 तथा 2 पेज-66 ।

4- कृष्णनन, पी0, यंग, डब्लू0मे0, 1985,'फर्टिलिटी डिफरेन्सियल बाई रिलीजियस इन इण्डिया, 1971 पापुलेशन रिप्रिजेन्ट्स नं0 73, डिपार्टमेन्ट आफ सोशियोलाजी यूनीवर्सिटी आफ अलबर्टा, पेज- 61 ।

5- काल्डवेल, जे0सी0 रेड्डी, 1984, 'काजेज आफ फर्टिलिटी डिक्लाइन इन इण्डिया' न्यूयार्क पापुलेशन काउन्सिल, पेज- 10 ।

6- दास, एन0 तथा पाण्डेय डी, 1985, फर्टिलिटी डिफरेन्सियल बाई रिलीजन इन इण्डिया, बैनेडियल स्टडीज इन पापुलेशन, वाल्यूम- 12 पेजन- 19-35 ।

सर्वेक्षण ने इस तथ्य को उद्घाटित किया है कि मुसलमानों में हिन्दुओं की अपेक्षा उच्च प्रजनन-दर का प्रचलन है[12]।

मुस्लिम सम्प्रदाय की महिलाओं में प्रचलित उच्च प्रजनन-दर के उक्त निष्कर्ष सोचने के लिये विवश करते हैं कि उनमें ऐसा किन कारणों से है, क्योंकि मात्र भारतीय मुस्लिम महिलाओं में ही प्रजननता की ऐसी प्रवृत्ति नहीं है वरन् यूगोस्लाविया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी ऐसी सामान्य प्रवृत्ति देखने को मिलती है[13]। जनसंख्या में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के सन्दर्भ में मुस्लिम महिलाओं की अन्य सम्प्रदायों की तुलना में उच्च प्रजनन-दर अधिक महत्व की हो जाती है। यह समस्या मुस्लिम दम्पत्तियों के कट्टर भाग्यवादी होने तथा परिवार-नियोजन के साधनों को न स्वीकार करने के कारण भी जटिल हो जाती है[14]। इस दृष्टिकोण के पीछे कौन से कारण हैं इस पर गहनता से वैज्ञानिक अनुसंधान की आवश्यकता है ।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से मुस्लिम महिलाओं में उच्च प्रजनन-दर के कारणों की खोज करना एक दिलचस्प विषय होगा । यह परिकल्पित है कि विविध सामाजिक-सांस्कृतिक कारक प्रजनन-दर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं ।

सांख्यकीय कारकों से भी प्रजनन व्यवहार का अध्ययन महत्वपूर्ण प्रतीत होता है । उन विकसित देशों में जहाँ जन्मों के रजिस्ट्रेशन की व्यापक व्यवस्था है, प्रजनन-दर का विभिन्न वर्षों में प्रत्यक्ष निर्धारण सम्भव है परन्तु भारत सहित विश्व के अनेक विकासशील देशों में जहाँ जन्मों के रजिस्ट्रेशन की विकसित व्यवस्था नहीं है हमारे पास उपयुक्त तथा पर्याप्त आँकड़ों का अभाव है । ऐसी स्थिति में सूक्ष्म-स्तरीय अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं । साथ ही, जनसंख्या से सम्बन्धित विभिन्न तथ्यों के बीच अन्तर्क्रिया की प्रकृति को समझने के लिये यह आवश्यक है कि विभिन्न तथ्यों का सूक्ष्म-स्तर पर अध्ययन किया जाये ।

---

(12) सक्सेना, 1974, "फेमिली प्लानिंग सर्वे इन उत्तर प्रदेश, डेमोग्राफी इण्डिया, 1985 वाल्यूम 14 नं0-2, पेज- 50,36,39 ।

(13) महादेवन, के0, 1982, सोशियोलाजी आफ पापुलेशन स्टडीज, पेज नं0 334 ।

(14) महादेवन, के0, 1982 पेज नं0 35 , पूर्वोक्त ।

प्रस्तावित अध्ययन उक्त उद्देश्यों की पूर्ति का एक प्रयत्न है जिसमें प्रजननता तथा प्रजनन व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारणों की सूक्ष्य स्तर पर अध्ययन करने की योजना है । साथ ही, नीतियों के निर्धारण में उक्त अध्ययन सुझाव भी प्रस्तुत करेगा ।

उद्देश्य -

वर्तमान अध्ययन के प्रमुख रूप से दो उद्देश्य हैं-

1- मुस्लिम महिलाओं में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा जनांकिकीय आधार पर प्रजनन व्यवहार की विभिन्नताओं को ज्ञात करना ।

2- परिवार के आकार अर्थात दम्पत्ति के बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण ज्ञात करना ।

अध्ययन का महत्व -

भारत में प्रजननता एवं प्रजनन-दर विश्व के अन्य विकसित एवं विकासशील देशों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है । भारत में उच्च प्रजनन-दर अशिक्षा, धार्मिक कर्मकाण्ड, निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति एवं उच्च शिशु मृत्यु-दर का परिणाम है । जब तक भारत में शिक्षा, सहिष्णु, धार्मिक विचार एवं सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ नहीं किया जाता एवं तीव्र गति से शिशु मृत्यु-दर का ह्रास नहीं होता, तब तक जनसंख्या वृद्धि में कमी लाना सम्भव नहीं हो सकेगा । अत: प्रजनन व्यवहार को नियंत्रित करने एवं जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने हेतु उक्त तथ्यों का अध्ययन अपेक्षित है ।

भारत में अब तक किये गये अधिकांश अध्ययन देश के विकसित देशों से सम्बन्धित रहे हैं । वर्तमान अध्ययन देश के अत्याधिक पिछड़े व उपेक्षित क्षेत्र में किया गया है । इसके अतिरिक्त भारत जैसे देश में, जहाँ पर क्षेत्रीय तथा सांस्कृतिक विविधताएं हैं, इस प्रकार का सूक्ष्य स्तरीय अध्ययन योजना निर्माताओं तथा जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिये अत्याधिक महत्व का होगा ।

विश्व में चीन के पश्चात भारत ही दूसरा देश है जो कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि से ग्रसित है । 1991 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या 85 करोड़ से भी अधिक है एवं तेजी से बढ़ती जा रही है । अब राष्ट्र के सामने यह अहम प्रश्न है कि इस जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोका जाय । जनसंख्या वृद्धि से सम्बन्धित उच्च प्रजनन-दर एवं उसे प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं उनका गहन अध्ययन जनसंख्या नियंत्रण में विशेष सहायक होगा ।

नीति-निर्धारण के महत्वपूर्ण कार्य में भी वर्तमान अध्ययन सहायक होगा, क्योंकि इससे सूक्ष्म स्तर पर उच्च प्रजनन-दर की वास्तविक स्थिति की जानकारी भी प्राप्त हो सकेगी तथा इसके निर्धारक कारकों का भी पता चल सकेगा ।

पूर्व-अध्ययन -

प्रजनन सम्बन्धी हुये पूर्व अध्ययनों में अधिकतर आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान की सीमा एवं प्रजनन-दर में होने वाले परिवर्तन के अन्तः सम्बन्ध का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है । अट्ठारहवीं शताब्दी में फ्रांस, इंग्लैण्ड एवं अन्य पश्चिमी राष्ट्रों में प्रजनन के अध्ययन में विशेष रूचि ली गई और महत्वपूर्ण समस्याओं जैसे- ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरों में और निर्धन वर्ग की अपेक्षा धनी वर्ग में प्रजनन की अधिकता आदि से सम्बन्धित अध्ययन किये गये । जाति, वर्ग एवं धर्म सम्बन्धी विभिन्नताओं के आधार पर प्रजनन-दर में भिन्नता के कारणों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया । माल्थस के सिद्धान्त के पश्चात, सैडलर, डबलडे एवं स्पेंसर आदि ने अपने मत स्पष्ट किये कि आर्थिक प्रगति के पश्चात प्रजनन में स्वतः नियमितता आ जायेगी । कुछ वैज्ञानिकों का विचार था कि आर्थिक प्रगति के फलस्वरूप व्यक्ति की आकांक्षाएं बढ़ जायेंगी और बच्चे पैदा करने की इच्छा में कमी आ जायेगी । समाजवादी लोगों का विचार था कि जन सामान्य के हित के लिये लोग अपने परिवार को सीमित रखना आरम्भ करेंगे[15]। इस प्रकार स्पष्ट है कि जहाँ की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति उच्च होगी वहाँ की प्रजनन-दर कम एवं जहाँ निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति होगी वहाँ प्रजनन-दर अधिक होगी ।

अधिकांश विद्वानों ने सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रजननता का निर्धारक तत्व माना है, किन्तु कुछ विद्वान प्रजननता के सन्दर्भ में आयु की महत्ता को भी स्वीकार करते हैं । जब कभी जनांकिकीय विभेदों तथा पारिवारिक आकार पर विचार किया जाता है, तो सहज ही स्त्रियों के विवाह की आयु की ओर ध्यान आकृष्ट हो जाता है । वस्तुतः यह एक समाजशास्त्रीय तथ्य है कि कम आयु में विवाहित स्त्रियों की तुलना में अधिक आयु में विवाहित स्त्रियों के अपेक्षाकृत कम बच्चे

---

(15) 1- थाम्प्सन,डब्लू0एस0, "पापुलेशन प्राब्लम्स" न्यूयार्क 1942 (चैप्टर X)

2- क्यूजन्सकी, आर0आर0, "दि बैलेंस आफ बर्थ एण्ड डेथ" वाल्यूम I, न्यूयार्क, 1928 वाल्यूम II, वाशिंगटन 1931

3- क्यूजन्सकी, आर0आर0 "दि इन्टरनेशनल डिक्लाइन आफ फर्टिलिटी" इन पालिटिकल अर्थमैटिक, लन्दन, 1938, पृष्ठ 47-72 ।

पैदा होते हैं[16]।

मानव प्रजननता प्रमुख रूप से तीन कारकों से प्रभावित है -

क- विवाह की आयु

ख- प्रजनन आयु में दाम्पत्य जीवन की अवधि

ग- महिला की प्रजनन क्षमता

ये तीनों कारक अन्य अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होते हैं[17]। सिंह बन्धु स्पष्ट करते हैं कि यद्यपि सिद्धान्त रूप में एक महिला के लिये बड़ी संख्या में बच्चों को जन्म देना सम्भव है परन्तु यह संख्या औसतन 10 से अधिक नहीं होती । भारतीय महिलाओं में उन स्त्रियों के जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जननकाल विवाहित रूप से व्यतीत किया हो, जन्मों की संख्या का औसत छः और सात के बीच ही रहता है । जनांकिकी के अधिकांश विद्वानों ने, जिन्होंने प्रजनन-दर को सामाजिक-आर्थिक तथा सांस्कृतिक कारकों से सम्बन्धित करने का प्रयास किया है, सामाजिक तथा आर्थिक विकास को पारिवारिक आकार को कम करने के लिये उत्तरदायी ठहराया है । इस सन्दर्भ में किये गये अध्ययनों से ज्ञात होता है कि जिन देशों में प्रजनन-दर अधिक है वहाँ विवाह कम उम्र में होता है और सभी लोग विवाह करते हैं । उदाहरण के लिये 1831 में भारत में 49 वर्ष की

---

(16) 1- चन्द्रशेखरन, एस0, 1957, "इण्डियन पापुलेशन प्राब्लेम, पेपर प्रेजेण्टेड एट दि इनाग्रल कान्फ्रेंस आफ दि यूनाइटेड नेशन्स डेमोग्राफिक टीचिंग एण्ड रिसर्च सेण्टर बाम्बे,5 नवम्बर, पेज-9

2-ब्लेक, ज्यूडिथ, 1967, 'पैरेण्टल कण्ट्रोल, डिलेड मैरिज एण्ड पापुलेशन पालिसी,' प्रोसीडिंग्स आफ दि वर्ल्ड पापुलेशन कान्फ्रेंस हेल्ड एट ब्रेलगेड, 1965-न्यूयार्क, यूनाइटेड नेशन्स, पेज- 132

3- बुशफील्ड, जान, 1972,'ऐज एट मैरिज ऐज ए वैरियेबुल इन सोशियो इकोनॉमिक डिफरेन्शियल्स इन फर्टिलिटी,' डेमोग्राफी, वाल्यूम-6 नं0-1, पेज 112,117,134

4- चौधरी, आर0एच0, 1983,"दि इन्फ्लूएन्स आफ फैमिली एजूकेशन लेबरफोर्स पार्टीसिपेशन एण्ड ऐज एट मैरिज आन फर्टिलिटी बिहेवियर इन बांगलादेश, जनसंख्या वाल्यूम-1 नं0-2, पेज नं0 143

5- भाटिया, जे0सी0, 1983. ऐज एट मैरिज एण्ड फर्टिलिटी इन घाना, पेज नं0 89

(17) सिंह, एस0एन0, सिंह, बी0एन0, तथा सिंह आर0बी0, 1985,"सम सोशियो इकोनॉमिक करेक्टरिस्टम्स आफ फर्टिलिटी, डेमोग्राफी इण्डिया, वाल्यूम 14 नं0 2, पेज 204-205

आयु तक केवल एक प्रतिशत महिलाएं ऐसी थीं जिन्होंने कभी विवाह नहीं किया था । इसी प्रकार के आँकड़े श्रीलंका एवं मिस्र के सम्बन्ध में भी पाये गये हैं । यह भी उल्लेखनीय है कि स्त्रियों की विवाह की आयु, परिवार के आकार का ही निर्धारण नहीं करती बल्कि राष्ट्र विशेष की जनसंख्या के आकार को भी निश्चित करती है ।[18]

इस प्रकार भारत में स्त्रियों की विवाह की आयु जनसंख्या वृद्धि का महत्वपूर्ण कारक समझी जाती है । यहाँ स्त्रियों का सामान्य प्रजननकाल 15-45 आयु वर्ष के मध्य माना जाता है । सामान्य प्रजनन-काल के अन्तर्गत स्त्रियों की सन्तान उत्पन्न करने की क्षमता, विवाहित जीवन काल को कम करके घटायी जा सकती है..। विवाह की आयु में एक निश्चित सीमा तक वृद्धि करके प्रजनन-काल को कम करना सम्भव है और इस प्रकार, यह वृद्धि जन्मदर को कम करने में सहायक हो सकती है ।

भारतीय सन्दर्भ में, विवाह की अनिवार्यता तथा कम आयु में विवाह की परम्परा ने उसके महत्व को बढ़ा दिया है । हिन्दु रीति-रिवाज के अनुसार विवाह का अर्थ कन्यादान करना है, जिसमें धार्मिक संस्कार के दृष्टिकोण से कन्या के रजस्वला होने से पूर्व विवाह करना श्रेयस्कर माना जाता था ।[19] के0एम0 कपाड़िया ने भी स्वीकार किया है कि कौमार्य की अत्याधिक प्रशंसा ही एक ऐसा तथ्य है जिसमें सम-सामयिक ब्राम्हणों में कन्याकी वयस्कता से पूर्व ही विवाह की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया[20] । पाराशर द्वारा रजोदर्शन से पूर्व होने वाले विवाहों को धार्मिक तथा सामाजिक

---

(18) 1- अग्रवाल, एस0एन0, 1967, "इफैक्ट आफ ए राइज इन फीमेल एज आन बर्थ रेट्स इन इण्डिया," प्रोसीडिंग्स आफ दि वर्ल्ड पापुलेशन कान्फ्रेन्स, 1965 न्यूयार्क, यूनाइटेड नेशन्स पेज नं0 172

2- बाल्डविन, स्टीफन, 1977, 'नटिसयल्टी एण्ड पापुलेशन पालिसी' न्यूयार्क, दि पापुलेशन काउंसिल पेज नं0 2

3- संयुक्त राष्ट्र संघ, पापुलेशन डिवीजन रिपोर्ट: 1980 सम फैक्टर्स अफेक्टिंग इन डेवलपिंग कण्ट्रीज पेज नं0 4

(19) कपाड़िया, के0एम0, 1963,' भारतवर्ष में विवाह एवं परिवार' दिल्ली, मोतीलाल बनारसीदास, पेज- 146

(20) कपाड़िया, के0एम0, 1963,'भारतवर्ष में विवाह एवं परिवार' पाराशर, पेज नं0 148-149

मान्यता दिये जाने से बाल-विवाहों में बहुत वृद्धि हुई तथा उच्च जातियों में अपनी गहरी जड़ें जमा लीं जैसे-जैसे बाल-विवाह ब्राम्हणों के लिये मान्य, प्रथा बनती गई वैसे-वैसे समस्त समाज इस प्रथा को अपनाता गया । 19वीं शताब्दी के आते-आते बाल-विाह एक सामाजिक नियम तथा कर्तव्य बन गया इसके बढ़ते प्रभाव से भारतीय समाज के अन्य साँस्कृतिक समूह भी प्रभावित होते गये और यहाँ तक कि मुसलमानों में भी कम आयु में विवाह का प्रचलन देखने को मिलता है[21]। बीसवीं शताब्दी में विवाह की आयु बढ़ाने की दिशा में सामाजिक आन्दोलन प्रारम्भ हुये । साथ ही, कानूनी कदम भी उठाये गये जिनके प्रभाव से विवाह की आयु में सीमित वृद्धि भी देखने को मिलती है[22]।

बच्चे का जन्म निश्चित रूप से एक जैविक प्रक्रिया है, किन्तु यह प्रक्रिया किसी भी समाज के सामाजिक-आर्थिक तथा सांस्कृतिक ढ़ाँचे में घटित होती है । अतः यह ढाँचा उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता । विश्व के विकसित तथा औघोगिक देशों में जहाँ, आर्थिक समृद्धि, शिक्षा का व्यापक प्रसार तथा लोगों के रहन-सहन का स्तर उच्च है, प्रजनन-दर का निम्न स्तर देखने को मिलता है, इसके विपरीत, भारत जैसे विकासशील देशों में जहाँ कृषि की प्रधानता, परम्पराओं व रीति-रिवाजों से लगाव, संयुक्त परिवारों का प्रचलन, निर्धनता तथा अशिक्षा का व्यापक प्रभाव है, उच्च प्रजनन-दर पायी जाती है । इस प्रकार स्पष्ट है कि आय, व्यवसाय, जाति, शिक्षा का स्तर, धर्म परिवार का प्रकार एवं उसकी पृष्ठभूमि आदि, ऐसे अनेक सामाजिक-आर्थिक कारक हैं जो प्रजनन-दर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं । किंग्सले डेविस का मत था कि एशिया के अनेक देशों में प्रजनन-दर दैहिक क्षमता के आधार पर चरमसीमा के समीप थी, जबकि कुछ अन्य का मत था कि, प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे रीति-रिवाज होते हैं जो प्रजनन-दर को नियंत्रित करते हैं[23]। जैसे विधवाओं के पुर्नविवाह पर रोक, कुछ निश्चित तिथि व त्योहारों पर सहवास न

---

(21) 1- हुसैन, शेख अबरार, 1978 मैरिज कस्टम्स यंमग मुस्लिम्स इन इण्डिया, नईदिल्ली, स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्रा0लि0, पेज 65, 186-87

2- महादेवन, के0, 1986, फर्टिलिटी एण्ड मार्टिलिटी, नईदिल्ली, रोज प्रकाशन पेज पेज नं0 119

(22) 1- राव, एम0एन0 तथा मैथेन, 1970, रूरल फील्ड स्टडी आफ पापुलेशन कण्ट्रोल, सिंगूर 1957-69, कलकत्ताः नवाना प्रिटिंग वर्क्स, प्रा0लि0 ।

2- सिंह, के0पी0, 1974, वीमेन्स एज एट मैरिज सोशियोलाजिकल बुलेटिन, वाल्यूम 23, नं0 2

(23) डेविस, किंग्सले, "ह्यूमैन सोसाइटी" न्यूयार्क, 1949 पृष्ठ 555-56

न करना, शिशु हत्सा (गर्भपात) आदि ऐसे अनेक कारण हैं जिनसे प्रजनन को नियंत्रित रखा जाता रहा है । इस शताब्दी के वैज्ञानिकों ने इस बात की सम्भावना का पता लगाने का प्रयत्न किया है कि क्या पश्चिमी देशों की भाँति अधिक प्रजनन-शील देशों की प्रजनन-दर में भी गिरावट लाई जा सकती है और इसके लिये क्या किया जाना चाहिए ।[24] स्टाइकास ने अध्ययन के निष्कर्षो के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि सामान्यतया जो परिस्थितियाँ अधिक प्रजनन-दर तथा बड़े आकार के परिवार के लिये अनुकूल मनोवृत्ति को जन्म देती हैं वे हैं- निरक्षरता, कृषि पर अत्याधिक निर्भरता, रहन-सहन का निम्न स्तर इत्यादि । इसके विपरीत धार्मिक रूढ़िवादी विचार, परिवार के संगठन का ढाँचा, अधिक शिशु मृत्यु-दर, बच्चे पैदा करने के लिये किसी आर्थिक प्रलोभन का अभाव, परिवार की आय में बच्चों का योगदान, बच्चों के पालन-पोषण पर कम खर्च आदि कुछ ऐसे कारक हैं जो अधिक प्रजनन के लिये प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा प्रदान करते हैं ।[25]

जनगणनात्मक आँकड़ों के विश्लेषण के आधार पर पाठक एवं मूर्ति का विचार है कि दम्पत्ति की आय उनकी प्रजनन-दर पर नकारात्मक प्रभाव डालती है । साथ ही, उन्होंने महिलाओं के प्रजनन व्यवहार पर शिशु मृत्यु-दर के गहन प्रभावों को भी स्वीकार किया है ।[26]

पटनायक ने पटना नगर के अपने अध्ययन में परिवार के प्रकार, निवास-स्थान, धर्म, जाति शिक्षा आदि का प्रजनन-दर से घनिष्ठ सम्बन्ध स्वीकार किया है । उनके अनुसार संयुक्त-परिवार, ग्रामीण परिवेश, इस्लाम धर्म, जाति का निम्न स्तर तथा अशिक्षा का प्रजनन-दर बढ़ाने में विशेष योगदान है जबकि एकांकी परिवार, नगरीय परिवेश, उच्च जाति स्तर तथा शिक्षा का उच्च स्तर प्रजनन-दर को कम करने में सहायक है । पटनायक ने शिक्षा को प्रजनन व्यवहार के एक

---

(24) डेविस, किंग्सले, "डेमोग्राफिक फैक्ट एण्ड पालिसी इन इण्डिया" दि मिल बैंक ।

(25) स्टाइकास, जे0एम0,"फैमिली फर्टिलिटी इन प्यूर्टोरिको," अमेरिकन सोशलॉजिकल रिव्यू, वाल्यूम-17 नवम्बर 5, अक्टूबर 1952, पृष्ठ 572-80

(26) पाठक, के0बी0, मूर्तिक, पी0के0, 1985, सोशियो इकोनॉमिक डिटरमेंट्स आफ फर्टिलिटी एण्ड मार्टिलिटी डिक्लाइन इन इण्डिया, डेमोग्राफी इण्डिया, वाल्यूम 14 नं0-1, पेज 28

महत्वपूर्ण कारक के रूप में प्रतिष्ठित किया है[27]।

चन्द्रशेखरन कलकत्ता महानगर तथा उसके समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के अध्ययन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में उत्पन्न बच्चों का औसत कम है[28]। इसके विपरीत, पूनानगर तथा उसके समीपवर्ती ग्रामों के अध्ययन से प्रजनन व्यवहार में किसी प्रकार का अन्तर देखने को नहीं मिलता[29]। फिर भी प्रजनन-दर को प्रभावित करने में सामाजिक आर्थिक कारकों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता[30]।

संस्कृति के एक आयाम के रूप में बन्धुत्व संगठन भी विभिन्न प्रकार से प्रजनन व्यवहार को प्रभावित करता है। फ्रीडमैन, डोललारों, गुरूमूर्थी ने एक जनजातीय अध्ययन में यह पाया कि बन्धुत्व संगठन का प्रभाव प्रजनन-दर पर महत्वपूर्ण रूप से पड़ता है और इस प्रकार बच्चो की संख्या का निर्धारण मात्र पति-पत्नी के अधिकार में नहीं है वरन् यह परिवार एवं रक्त सम्बन्धियों

---

(27) पटनायक, एम0एम0, 1985, "फर्टिलिटी विहैवियर" दिल्ली, पेज- 28

(28) चन्द्रशेखरन, सी0, 1954, "फर्टिलिटी ट्रेडस इन इण्डिया," प्रोसीडिंग्स आफ दि वर्ल्ड पापुलेशन कान्फ्रेन्स, रोम पेज- 827-840

(29) डा0 डेकर, वी0एम0 तथा डा0 डेकर, के0, 1963, पापुलेशन ग्रोथ एण्ड इकनामिक डेवलेपमेंट इन लो इनकम कण्ट्रीज, प्रिंसिटेन, एन0जे0, प्रिंसिनटेन यूनीवर्सिटी प्रेस, पेज नं0

(30) 1- महादेवन, के0, 1979, "सोशियोलाजी आफ फर्टिलिटी डिटरमिनेन्टस आफ फर्टिलिटी डिफरेन्शियल्स इन साउथ इण्डिया, स्टर्लिंग पब्लिशर्स नई दिल्ली।

2- यू0एन0ए0, 1961, मैसूर पापुलेशन स्टडी, डिटरमिनेन्टस आफ इकोनामिक एण्ड सोशल एफेयर्स, न्यूयार्क, पेज 73, 81

से भी प्रभावित होता है[31]।

महादेवन ने तीन सांस्कृतिक समूहों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि स्तनपान प्रजननता को कम करने में सहायक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन समूहों में स्तनपान की अवधि अधिक होती है उनमें तुलनात्मक रूप से प्रजनन-दर कम पायी जाती है[32]। इसके विपरीत मूर्ति तथा राव के आन्ध्र प्रदेश की उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर की महिलाओं के अध्ययन के निष्कर्ष प्रजननता तथा औसत स्तनपान अवधि के बीच सकारात्मक सह-सम्बन्ध दर्शाते है[33]।

पूर्व अध्ययनों से स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि भारतीय समाज के विभिन्न सम्प्रदायों में से मुस्लिम सम्प्रदाय की महिलाओं में उच्च प्रजनन-दर का प्रचलन है। यह भी स्पष्ट है कि प्रजननता के सन्दर्भ में जितने भी अध्ययन किये गये हैं उनमें मुस्लिम महिलाओं को लेकर किये गये अध्ययन बहुत ही कम हैं। पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं पर इस प्रकार के अध्ययनों का सर्वथा अभाव है। महादेवन ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि भारत में उक्त प्रकार के अध्ययनों की खास आवश्यकता है। यह अध्ययन ही उन कारकों की खोज कर सकेंगे, जिनके कारण एक सम्प्रदाय विशेष में प्रजनन-दर की अधिकता है[34]।

---

(31) 1- डोनलारो, 1977, ए विलेज पर्सपेक्टिव फ्राम टू कान्टीनेन्टल सम इम्पलीकेशन्स फार डिफरेन्शियल फर्टिलिटी विहेवियर, पेज 729

2- गुरूमूर्थी, जी0, 1985, किन्शिप इण्टर एक्शन्स एण्ड फर्टिलिटी एमंग माण्डीज-ए ट्राइवेल कम्यूनिटी इन साउथ इण्डिया, डेमोग्राफी इण्डिया, वाल्यूम-14 नं0-2, पेज नं0 202

3- फ्रीडमैन, आर0 एण्ड ब्हैलप्टन, पी0के0, "फर्टिलिटी प्लानिंग एण्ड फर्टिलिटी रेट्स बाई रिलीजस इन्टरेस्ट एण्ड डिनामिनेशन, दि मिल बेंक मेमोरियल एण्ड क्वाटरली (यू0एस0ए0) वाल्यूम XXX, नवम्बर 1, जनवरी 1952, पृष्ठ 61-90

(32) महादेवन, के0, 1986, फर्टिलिटी एण्ड मार्टिलिटी, नई दिल्ली, सेज पब्लिकेशन्स, पेज-119

(33) मूर्ति, के0आर0, तथा राव, यन0यू0, 1983 मार्टिलिटी एण्ड फर्टिलिटी: ए स्टडी इन दि इण्डियन कान टेक्स्ट, डेमोग्राफी इण्डिया, वाल्यूम 12 नं0-1, पेज 90

(34) महादेवन, 1982, सोशियोलाजी आफ पापुलेशन स्टडीज, पेज 333

यदि नीति निर्धारण के दृष्टिकोण से देखा जाय तो ऐसे अध्ययनों की नितान्त आवशयकता है और प्रस्तावित अध्ययन इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया है । सभी सम्प्रदायों के लोगों के वास्तविक दृष्टिकोण को समझे बिना जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम सफल नहीं हो सकते ।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि प्रजनन-दर किसी देश या समाज की जन्म-दर एवं मृत्यु-दर को भी प्रभावित करती है । यह प्रजनन-दर ऊँची होती है तो मृत्यु-दर भी ऊँची होगी साथ ही, जन्म दर भी । जहाँ प्रजनन-दर कम होती है वहाँ जन्म-दर एवं मृत्यु-दर भी कम होती है । आज भारत की अहम समस्या अत्याधिक जनसंख्या वृद्धि है जिसका प्रमुख कारण उच्च प्रजनन-दर है क्योंकि प्रजनन-दर ही जनसंख्या वृद्धि का महत्वपूर्ण सूचक है । जब तक इसमें कमी नहीं लाई जाती तब तक जनसंख्या वृद्धि को रोक पाना असम्भव है ।

परिकल्पनायें -

पूर्व अध्ययनों के निष्कर्षों तथा वर्तमान समय में मुस्लिम समाज में प्रचलित दशाओं के परिप्रेक्ष्य में हमारी विशिष्ट परिकल्पनायें निम्नलिखित हैं :-

1- विवाह की आयु का प्रजनन-दर से नकारात्मक सह-सम्बन्ध है ।

2- पति का व्यवसाय पत्नी की प्रजननता को प्रभावित करता है ।

3- शिक्षा का स्तर प्रजनन-दर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ।

4- पत्नी का व्यवसाय में लगा होना उसकी प्रजनन-दर को कम करने में सहायक होता है ।

5- संयुक्त परिवारों की तुलना में एकाकी परिवारों में कम प्रजनन-दर का प्रचलन है ।

6- परिवार की आय में वृद्धि महिलाओं की प्रजनन-दर को कम कर देती हैं ।

7- सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था प्रजनन-दर को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करती है ।

8- पारिवारिक पृष्ठभूमि का प्रजननता से सह-सम्बन्ध है ।

95 शिशु मृत्यु-दर तथा प्रजननता के बीच सकारात्मक सह-सम्बन्ध है ।

10- मुस्लिम महिलाओं का दृष्टिकोण बड़े आकार के परिवार के पक्षम में है ।

मौलिक प्रत्ययों की परिभाषा-

प्रजननता-

प्रजननता का तात्पर्य एक दम्पत्ति द्वारा पूरे प्रजनन-काल में वास्तविक जन्मों की संख्या से है ।[35]

प्रजननता एक जीव-वैज्ञानिक प्रक्रिया है । जनसंख्या अध्ययन में प्रजननता का विशेष महत्व है, क्योंकि जन्म के फलस्वरूप ही जनसंख्या में अनेक परिवर्तन होते हैं । प्रजनन से तात्पर्य वास्तविक जन्मों की संख्या से है जबकि जनन क्षमता का तात्पर्य बच्चे पैदा करने की शारीरिक क्षमता है अतः प्रजननता कुछ न कुछ सीमा तक स्वयं की जनन क्षमता पर निर्भर करती है ।

प्रजननता का अर्थ किसी स्त्री या उसके समूह द्वारा किसी समयाविधि में कुल सजीव जन्में बच्चों की संख्या से है एक ही हुई अवधि में सजीव जन्में बच्चों की बारम्बारता ही प्रजननता की माप है ।

प्रजननता एवं संतानोत्पादकता में अन्तर है । संतानोत्पादकता का अर्थ स्त्रियों की बच्चों को जन्म देने की शक्ति है, चाहे बच्चों को जन्म दिया हो या न दिया हो, परन्तु प्रजननता का अर्थ वास्तव में बच्चों को जन्म देने से है ।

सन्तानोत्पादकता की शक्ति से युक्त स्त्रियों में ही प्रजननता होती है, किन्तु सभी सन्तानोत्पादकता सम्पन्न स्त्रियों में प्रजननता का होना अनिवाय नहीं है क्योंकि प्रजननता के लिये विवाहित होना अनिवार्य है । प्रो0 थाम्पसन लेविस एवं बर्कले का विचार है कि प्रजननता एक जटिल एवं विवादास्पद विषय है । उनके अनुसार--

"प्रजननता का मूलभूत अर्थ जनसंख्या के वास्तविक स्तर एवं उस स्तर द्वारा किसी समय विशेष में जन्मित शिशु संख्या से है जबकि सन्तानोत्पादक क्षमता जनसंख्या की बच्चों को जन्म देने की शक्ति से है । यह क्षमता गर्भधारण करने एवं जन्म देने की शारीरिक क्षमता की माप है । प्रजननताको जन्म के आँकड़ों से मापा जा सकता है, जबकि सन्तानोत्पादक क्षमता की प्रत्यक्ष माप नहीं है ।"

---

(35) भास्कर मिश्र, निर्मल साहनी, शंकरदत्त ओझा, टी0एस0मेहता, जनसंख्या शिक्षा सिद्धान्त एवं तत्व, पेज नं0 43

प्रो0 एल्फ्रेड सौवे का मत है कि सन्तानोत्पादन क्षमता एक जैविक अवयव है जबकि प्रजननता एक सांख्यकीय अवयव है जिसकी सामाजिक सार्थकता है । सन्तानोत्पादन क्षमता की माप केवल जैविकीय जाँच के आधार पर की जा सकती है । यह जीव-विज्ञान का विषय है । प्रजननता की माप का आधार बच्चों की संख्या है जो सांख्यकिकी विषय से सम्बन्धित है । अतः प्रजननता को मापना एक सरल कार्य है जबकि सन्तानोत्पादन शक्ति की कोई प्रत्यक्ष माप नहीं है । प्रजननता जीवित प्रसवों की बारम्बारता है । प्रजननता को समझने के लिये दो बातें उल्लेखनीय है, प्रथम यह कि बच्चों की बारम्बारता किस अवधि से सम्बन्धित है- किसी औरत के पूरे जीवनकाल से या प्रजनन आयु वर्ग से । दूसरी बात यह है कि इस अनुपात को किस जनसंख्या से निकाला जाय- कुल जनसंख्या, कुल विवाहित युगल अथवा कुछ पुनरूत्पादन आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या, सामान्यतया प्रजननता की माप औरतों से ही की जाती है ।

प्रो0 हाउजर एवं डंकन ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका के जनांनकिकीवेत्ता प्रजननता एवं सन्तानोत्पादकता जैसे शब्दों को भ्रामक मानते हैं, अतः वे 'फर्टिलिटी' के स्थान पर 'नटेलिटी' शब्द का प्रयोग करते हैं । प्रो0 हाउजर एवं डंकन प्रजननता को एक अवधि का अध्ययन मानते हैं ।

यद्यपि जन्म एक जैविक प्रक्रिया का परिणाम है किन्तु जन्म दर को सामाजिक परिस्थितियों का फल माना जाता है अतः प्रजननता एक सामाजिक परिस्थिति जन्य स्थिति है । प्रजननता से सम्बन्धित कुछ विशेषताएं निम्नवत् हैं :-

1- एक स्त्री-पुरूष को जीवन में सन्तान उत्पन्न करने के कई अवसर प्राप्त होते हैं, किन्तु जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है सन्तानोत्पत्ति की सम्भावना घटती जाती है ।

2- प्रजननता केवल माँ के अनुपात से निकाली जाती है ।

3- जुड़वाँ बच्चे जन्म दर के परिकलन में समस्या पैदा करते हैं । यह अनुमान है कि प्रत्येक सौ प्रसवों में से एक में जुड़वाँ बच्चे जन्म लेते हैं ।

4- एक नवजात शिशु लड़का हो सकता है या लड़की, जीवित प्रसव हो सकता है अथवा मृत प्रसव, वैधा सन्तान हो सकती है या अवैध ।

5- प्रजननता एवं मृत्यु क्रम में विशेष अन्तर है, जहाँ मृत्यु केवल एक बार होती है

वहीं शिशु जन्म अनेक बार यही तथ्य प्रो0 बर्कले ने स्पष्ट किया है[36]।

6- बच्चों के जन्म के साथ-साथ माता-पिता की मनोवृत्ति में भी अन्तर आने लगता है ।

7- प्रजननता की माप का आधार प्रजनन आयु वर्ग की जनसंख्या है, किन्तु यह भी एक भ्रामक आधार है ।

8- पुरूषों की प्रजनन शक्ति के सम्बन्ध में कोई सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती, जबकि स्त्रियों के सम्बन्ध में रजस्वला से लेकर रजोनिवृत्ति तक ही प्रजनन शक्ति रहती है अतः प्रजननता का अनुमान लगाने में स्त्रियों का ही आधार माना जाता है ।

9- प्रजननता का सम्बन्ध व्यक्तियों की मनोवृत्तियों से हैं । मनोवृत्तियों में अन्तर होने के कारण विभिन्न स्थानों एवं समयों में प्रजननता में भी अन्तर रहता है । इस प्रकार सामाजिक जीवन व मनोवृत्तियों में परिवर्तन होने से प्रजननता में भी परिवर्तन हो जाता है[37]।

अपने प्रयोजन के लिये हमारा प्रजननता से आशय किसी स्त्री द्वारा जनित उन जन्मों से होता है जो वैधानिक सहवास की परिणति होते हैं ।

प्रजनन-दर-

साधारणतया प्रजननता को किसी जनसंख्या में होने वाले जन्मों की संख्या के आधार पर मापा जाता है परन्तु किसी भी विधि के द्वारा प्रजननता को शत-प्रतिशत शुद्धता के साथ नहीं मापा जा सकता । जनसंख्या में जन्मों की संख्या का वर्गीकरण एवं विभाजन एक सा नहीं होता जिसके फलस्वरूप मुख्यतः निम्नप्रकार की समस्याएं जन्म लेतीं हैं -

---

(36) थाम्पसन, प्रो0 बर्कले, डंकन, हाउजर आदि सभी के तर्क पुस्तक "जनसंख्या एक समाज वैज्ञानिक अध्ययन" लेखक- अशोक कुमार (हिन्दी ग्रन्थ अकादमी प्रभाग, लखनऊ) से उद्धृत है ।

(37) अशोक कुमार 'जनसंख्या एक समाज वैज्ञानिक अध्ययन' पेज- 60-61 पूर्वोक्त ।

1- जनसंख्या का जो भाग बच्चे के जन्म की सम्भावना से प्रभावित रहता है उसके एक बार माता-पिता बन जाने के बाद दुबारा माता-पिता बनने की सम्भावना समाप्त नहीं हो जाती । वास्तव में अधिकतर माता-पिता के एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं ।

2- यद्यपि जन्म माता-पिता दोनों से सम्बन्धित घटना है परन्तु प्रजननता को मापने की विशिष्ट दर एक समय में केवल माता अथवा पिता किसी एक की ही विशेषताओं के वर्गीकरण में ज्ञात की जा सकती है ।

3- जनसंख्या का कुछ ही भाग माता-पिता बनता है अर्थात सम्पूर्ण जनसंख्या के माता-पिता बनने की सम्भावना नहीं रहती है । इसके अतिरिक्त अनेक लोग अपनी इच्छानुसार, अविवाहित रहकर, वैद्यव्य एवं तलाक अथवा बन्ध्यापन के कारण इस सम्भावना से वंचित रह जाते हैं।

4- प्रजननता स्वयं की इच्छाओं से प्रभावित होती है । कौन कितने बच्चे चाहता है, बच्चों का जन्म कब हो, बच्चों के बीच कितना समयान्तर हो आदि ऐसी इच्छायें हैं जिनसे प्रजननता प्रभावित होती है ।

वास्तव में उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रजनन का परिमापन कठिन है । अपनी आवश्यकतानुसार प्रजननता को मापने की विधि का प्रयोग किया जा सकता है । प्रजनन-दर मापने की निम्न विधियाँ हैं :-

(1) जन्म-दर -

निम्नलिखित सूत्र की सहायता से किसी एक वर्ष में जन्मदर को ज्ञात किया जा सकता है -

$$\text{जन्मदर प्रतिहजार जनसंख्या} = \frac{\text{एक वर्ष में होने वाले कुल जन्मों की संख्या}}{\text{उसी एक वर्ष के मध्य में कुल जनसंख्या}} \times 1000$$

उपर्युक्त सूत्र द्वारा केवल अशोधित जन्मदर ज्ञात की जा सकती है । इस प्रकार से प्राप्त दर में अनेक कमियाँ हैं-

1- अशुद्ध जन्मदर में उन व्यक्तियों को अलग नहीं किया जा सकता जो सन्तान उत्पन्न नहीं कर सकते जैसे बच्चे एवं वृद्ध ।

2- दो जनसंख्याओं के अशुद्ध जन्मदर की तुलनात्मक विवेचना नहीं की जा सकती क्योंकि यह दर जनसंख्या की आयु वैवाहिक एवं लैंगिक गठन से प्रभावित होती है ।

3- जन्मदर के सूत्र में भाज्य और भाजक एक ही जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करते क्योंकि जनसंख्या के वास्तविक आँकड़े केवल जनगणना के समय ही उपलब्ध होते हैं ।

उपरोक्त कमियों के होते हुए भी इस दर का प्रयोग अत्यन्त व्यावहारिक है क्योंकि इस दर का पता लगाना आसान है ।

(2) सामान्य प्रजनन-दर -

सामान्य प्रजनन-दर अशोधित जन्मदर की एक सुधारात्मक विधि है । सामान्य प्रजनन-दर समस्त जनसंख्या को आधार न मानकर के सन्तानोत्पादन आयुवर्ग की स्त्रियों के आधार पर परिकलन करता है ।

प्रोफेसर बॉग के अनुसार-

"सामान्य प्रजनन-दर से आशय पुनरूत्पादन आयु वर्ग की प्रतिहजार स्त्रियों के द्वारा प्रतिवर्ष जन्में बच्चों की संख्या है ।"

सामान्य प्रजनन-दर को निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जाता सकता है-

$$\text{सामान्य प्रजनन-दर} = \frac{\text{एक वर्ष में सजीव बच्चों के जन्म की संख्या}}{\text{उसी वर्ष के मध्य की 15 से 45 वर्ष की आयु की महिलाओं की संख्या}} \times 1000$$

(3) आयु-विशिष्ट प्रजनन-दर -

आयु विशिष्ट प्रजनन-दर किसी उम्र विशेष की प्रति एक हजार स्त्रियों पर जीवित बच्चों की संख्या बतलाती है । यह दर पुरूषों की उम्र के आधार पर भी ज्ञात की जा सकती है । विशिष्ट वर्ग जैसे काम करने वाली महिलाओं, अविवाहित महिलाओं आदि के लिये भी यह दर निकाली जाती है । इसे निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं -

$$\text{आयु-विशिष्ट प्रजनन-दर} = \frac{\text{किसी एक निश्चित वर्ष में उम्र विशेष की स्त्रियों के सजीव जन्में बच्चों की संख्या}}{\text{उम्र विशेष की स्त्रियों की मध्यवर्षीय संख्या}} \times 1000$$

इस दर के आधार पर प्रजनन की अन्य दर एवं जैसे कुल प्रजनन-दर एवं योगात्मक प्रजनन-दर ज्ञात की जा सकती है ।

(4) शिशु-स्त्री अनुपात -

सन्तानोत्पत्ति योग्य आयु की स्त्रियों के पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों के अनुपात के आधार पर भी प्रजनन-दर ज्ञात की जा सकती है । जहाँ जन्म सम्बन्धी आँकड़े उपलब्ध न हो अथवा अपर्याप्त हों वहाँ इस अनुपात का प्रयोग नहीं किया जा सकता है । निम्नलिखित सूत्र की सहायता से इसे ज्ञात किया जा सकता है-

$$\text{शिशु-स्त्री अनुपात} = \frac{\text{शिशु 0-4 वर्ष}}{\text{स्त्रियाँ 15-45 वर्ष अथवा 15-49 वर्ष}} \times 1000$$

(5) कुल प्रजनन-दर -

कुल प्रजनन-दर को आयु विशिष्ट प्रजनन-दर की सहायता से निकाला जाता है । सर्वप्रथम प्रत्येक आयु वर्ग के लिये आयु विशिष्ट प्रजनन-दर निकाल ली जाती है फिर उन सभी आयु-वर्ग के योग का आयु वर्गान्तर से गुणा कर लिया जाता है । यह गुणनफल वह संख्या है जो प्रतिहजार स्त्रियों को प्रतिस्थापित करेगी अर्थात यदि 1000 स्त्रियाँ अपने प्रजनन चक्र को पूरा कर लें तो जब वह प्रजनन चक्र से निवृत्त हो जायेंगी तो उनके स्थान पर कितने व्यक्ति आ जायेंगे । इसे निम्न सूत्र से ज्ञात करेंगे -

कुल प्रजनन-दर = आयु वर्गान्तर × आयु विशिष्ट प्रजनन-दर का योग

(6) कुल पुनरूत्पादन दर-

थॉम्पसन एवं लेविस के अनुसार-

"जहाँ कुल प्रजनन के परिकलन में समस्त जन्मों (लड़का/लड़की) को शामिल किया जाता है वहीं सकल पुनरूत्पादन दर के परिकलन में केवल मादा शिशुओं को, जो कि भविष्य की मातायें हैं, शामिल किया जाता है । अर्थात यदि आयु विशिष्ट दर स्थिर रहती है तथा जन्मों से रजोनिवृत्ति तक पहुँचने में किसी की भी मृत्यु नहीं होती तो 1000 स्त्रियाँ अपने प्रजनन आयु वर्ग से अवकाश लेते समय कितनी लड़कियों को अपने स्थान पर प्रतिस्थापित करती हैं ।"

अतः कुल प्रजननता का उस अनुपात से गुणा कर दिया जाय जिस अनुपात में लड़कियाँ पैदा होती है जैसे यू0एस0ए0 में कुल जन्म का 48.8% भाग लड़कियाँ होती हैं । इस प्रकार पुनरूत्पादन दर ज्ञात हो जायेगी । यदि वह गुणनफल 100 से अधिक है तो जनसंख्या बढ़ेगी क्योंकि

1000 स्त्रियाँ जो पुनरूत्पादन आयुवर्ग में हैं अपने प्रतिस्थापन के लिये 1000 से अधिक लड़कियाँ उत्पन्न कर रही हैं । इस प्रकार सकल पुनरूत्पादन दर को निकालने के लिये कुल प्रजननता को कुल जन्मों में मादा शिशु के अनुपात से गुणा करके निकाल लिया जाता है । सूत्र निम्नवत् है -

कुल पुनरूत्पादन दर = कुल प्रजनन-दर × कुल जन्म में कन्याओं के जन्म का अनुपात

इस प्रकार प्रजनन को मापने की कई विधियाँ हैं । इनमें से जन्मदर, विशिष्ट जन्म-दर, सामान्य प्रजनन-दर आदि मुख्य हैं । प्रजनन के माध्यम से ही पुनरूत्पादन को भी मापा जाता है ।

सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति -

सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति का प्रजननता से निकट का सम्बन्ध है । ऐसा परिकल्पित है कि उच्च सामाजिक आर्थिक प्रस्थिति वाले व्यक्तियों में प्रजनन-दर कम तथा निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले व्यक्तियों में प्रजनन-दर अपेक्षाकृत उच्च होती है ।

सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति अनुमाप के लिये सन्ध्या द्वारा प्रयुक्त प्रमापक का उपयोग किया गया है[38] । इस प्रमापक में समाहित सामाजिक तथा आर्थिक पक्षों तथा प्रत्येक को दिये गये अंकों का विवरण सारणी 1.4 में प्रस्तुत है ।

---

(38) संध्या, एस0, 1986 सोशियो कल्चर एण्ड इकोनोमिक कोरिलेट्स आफ इनफेन्ट मार्टिलिटी: ए केस स्टडी आफ आन्ध्र प्रदेश, डेमोग्राफी इण्डिया, वाल्यूम 15 नं0- 1, पेज नं0- 89

सारणी 1.4

परिवार की आय	मकान का स्वरूप	कच्चा			मिश्रित			पक्का		
	शिक्षा का स्तर जातीय स्तर	निरक्षर	प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षित	उच्च शिक्षित	निरक्षर	प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षित	उच्च शिक्षित	निरक्षर	प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षित	उच्च शिक्षित
00-1500	निम्न	1	1	2	1	2	3	2	3	4
	मध्यम	1	2	3	2	3	4	3	4	5
	उच्च	2	3	4	3	4	5	4	5	6
1500-3000	निम्न	1	2	3	2	3	4	3	4	5
	मध्यम	2	3	4	3	4	5	4	5	6
	उच्च	3	4	5	4	5	6	5	6	7
3000 से अधिक	निम्न	4	5	6	5	6	7	6	7	8
	मध्यम	5	6	7	6	7	8	7	8	9
	उच्च	7	8	9	8	9	10	9	10	11

विविध चरों और उन्हें दिये गये अंकों के आधार पर कुल पांच वर्ग प्राप्त हुए जिनका विवरण सारणी 1.5 में प्रस्तुत है ।

सारणी 1.5

प्राप्तांक के आधार पर स्त्रियों के वर्ग, प्रतिशत में

वर्ग	प्राप्तांक	स्त्रियाँ
1- उच्च वर्ग	9,10,11	4.25
2- उच्च मध्यम वर्ग	7, 8	11.25
3- निम्न मध्यम वर्ग	5, 6	24.25
4- निम्न वर्ग	3, 4	28.5
5- अति निम्न वर्ग	1, 2	31.75

सांख्यकीय दृष्टि से मुस्लिम महिलाओं में प्रजनन व्यवहार की विभिन्नताएं तथा पारिवारिक आकार के सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण देखने के लिये केवल तीन वर्ग रखे गये हैं -

1- उच्च वर्ग को उच्च वर्ग का नाम दिया गया है ।

2- उच्च मध्यम वर्ग एवं निम्न मध्यम वर्ग को एक साथ मिलाकर उसे मध्यम वर्ग कहा गया है ।

3- निम्न और अति निम्न वर्ग को एक साथ मिलाकर निम्न वर्ग कहा गया है । इस प्रकार सुविधाजनक विश्लेषण के लिये तीन वर्ग श्रेणियाँ रह गयीं । उच्च, मध्यम एवं निम्न वर्ग । इन्हें सारणी 1.6 में दर्शाया गया है ।

सारणी 1.6

स्त्रियों की वर्ग श्रेणी, प्रतिशत में

वर्ग श्रेणी	स्त्रियों का प्रतिशत
उच्च वर्ग	21.25
मध्यम वर्ग	33.75
निम्न वर्ग	45.00

शोध अभिकल्प -

योजनानुसार कार्य करना सम्पूर्ण प्रक्रिया पर नियंत्रण प्रदान करता है । यही योजना अभिकल्प है । अभिकल्प में पहले से ही उन निर्णयों को लिया जाता है जिनके लिये बाद में उपयुक्त वातावरण जुटाया जाता है और जिनका तथ्यात्मक परीक्षण किया जाता है ।

रीति विधान, अभिकल्प से अधिक व्यापक प्रत्यय हैं । शोध की उपकल्पनाओं का पूर्व मूल्यांकन अभिकल्प की कथावस्तु है । शोध का 'कैसे' अभिकल्प है तथा शोध का 'क्यों' रीति विधान है । गृह निर्माण से पूर्व नीला नक्शा बनाना अभिकल्प है किन्तु नीले नक्शे का आवश्यकताओं के अनुसार मूल्यांकन करना तथा निर्माण योजना की भी परीक्षा करना रीति-विधान है[39] ।

अच्छे अभिकल्प तथा रीति-विधान के अभाव में वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना असम्भव है । विज्ञान के निरन्तर एवं तीव्र विकास ने, विशेषकर सांख्यकीय विधियों ने अभिकल्प तथा रीति-विधान को विकसित करने में बड़ी सहायता की है[40] ।

शोध अभिकल्प के चरण :

(अ) आदर्शपक्ष-

शोध की समस्या निश्चित होने पर शोधकर्ता इस स्थिति में आ जाता है कि समस्या अध्ययन का उचित मार्ग खोज निकाले । खोज के इस लम्बे किन्तु स्पष्ट मार्ग में, समस्या निर्धारण के पश्चात आदर्श अभिकल्प निश्चित करना होता है । आदर्श अभिकल्प शोध के भव्यतम् रूप के विषय में शोध कार्य का सुनहरा स्वप्न होता है । इसमें शोधकर्ता को यह अवसर मिलता है कि यदि वह एकदम मुक्त तथा समर्थ रहा होता तो शोध का कौन सा भव्यतम् रूप उसके आगे होता ? किस प्रकार का शोध करके उसे परमानन्द आता ? शोध प्रक्रिया का यह महत्वपूर्ण गुणात्मक मानदण्ड है । इससे कार्यात्मक पक्ष की सीमायें तथा न्यूनताएं ज्ञात हो सकती हैं और शोध से प्राप्त परिणामों को इन सबमें समन्वित किया जा सकता है[41] ।

---

(39) चैपिन, एफ0एस0, 1947, इक्सपेरीमेन्टल डिजाइन इन सोशियोलोजिकल रिसर्च: न्यूयार्क, हारपर एवं पब्लिशर्स पेज 39

(40) चैपिन, 1947: 39

(41) गुडे: डब्लू0जे0 एण्ड हॉट: पी0एफ, 1952 मेथड इन सोशल रिसर्च, न्यूयार्क मैकग्र-हिल पब्लिशिंग कम्पनी, पेज 69-132

आदर्श अभिकल्प में, शोध की परम प्रभावकारी परिस्थितियाँ, प्रविधियाँ, व्यक्ति तथा व्यवहार लिये जा सकते हैं । इस अभिकल्प में चार बातों पर पर्याप्त बल दिया जाता है[42] ।

1- अवलोकनीय व्यक्ति

2-अवलोकनीय परिस्थितियाँ

3- अवलोकनीय उत्तेजन

4- अवलोकनीय प्रतिक्रियाएं

इन चरों में से प्रथम तीन (व्यक्ति, परिस्थितियाँ, उत्तेजन) मुक्त चर हैं तथा चौथा (प्रतिक्रियायें) आश्रित चर है ।

आदर्श अभिकल्प शोध की एक प्रतीकात्मक संरचना है । सारा कार्य इसमें प्रत्ययों के माध्यम से चलता है । शोध के प्रसंग में हमें जिन व्यक्तियों, घटनाओं तथा लक्षणों का प्रत्यय चाहिए, इसे निश्चित करने के उपरान्त आवश्यक है कि इन प्रत्ययों की परिभाषा दी जाय । इस प्रकार दो वस्तुएं आवश्यक होती हैं[43] ।

1- प्रत्यय चयन के लिये उचित कसौटी ।

2- सिद्धान्त जो वैज्ञानिक परिभाषा देने में निर्देशन प्रदान कर सके ।

प्रत्यय चयन उन्हीं वस्तुओं के लिये उपयोगी रहता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शोध की मूल समस्या के समाधान पर प्रभावक रहते दिखायी देते हैं । प्रत्ययों के चयन में गत शोध का अनुभव, साहित्य व गाहन आदि पर्याप्त सहयोग प्रदान करते हैं । समालोचना जो कि शोध के लिये महत्वपूर्ण है यदि यही समालोचनायें शोध के प्रारम्भ में विशेषकर, अभिकल्प निर्माण के समय उपलब्ध हो जाया करें तो बड़ा काम बन सकता है । ऐसा तभी हो सकता है जब ज्ञान की सीमाओं

---

(42) गुडे एण्ड हॉट : 1952, 69-132

(43) ग्रीनउड: अर्नेस्ट, 1945, इक्सपेरीमेन्टल सोशियोलाजी ए स्टडी इन मैथड, न्यूयार्क, कोलम्बिया यूनीवर्सिटी प्रेस, पेज 103

को ढीला किया जाय और दो प्रकार का सहयोग मिलता रहे[44]।

1- अन्तरक्षेत्रीय सहयोग

2- परस्पर क्षेत्रीय सहयोग

प्रत्यय चयन के उपरान्त प्रत्यय का उचित अर्थ व परिभाषा प्राप्त करना आवश्यक है। सामाजिक विषयों में अधिकांश प्रयुक्त प्रत्यय स्पष्ट परिभाषित नहीं है, अतः परिभाषा प्रसंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए[45]।

1- सभी प्राप्त प्रत्ययों का विश्लेषण किया जाय और व्याख्या की जाय ।

2- अर्थ की तह में जाने का प्रयत्न किया जाय ।.

3- काम चलाऊ परिभाषा को निरन्तर सोद्देश्य बनाते रहना चाहिए ।

4- परिभाषाओं की बहुमुखी आलोचनायें आवश्यक हैं ।

5- परिभाषा संरचनात्मक तथा कार्यात्मक दोनों ही प्रकार की होनी चाहिए ।

वैज्ञानिक परिभाषा ही काम की वस्तुत है । उसके लिये चार बातों का होना आवश्यक है- "ना" "रा" "य" "ण" शब्द से जानते हैं[46]।

ना- वस्तु जिसमें लक्षण सम्बन्धित है ।

रा- वातावरण जिसमें 'ना' का अवलोकन किया जाय ।

य- वे उत्तेजक जिनके सम्मुख 'ना' का वातावरण 'रा' में उपस्थित होना चाहिए ।

ण- उत्तेजनों 'य' के प्रति 'ना' की वातावरण 'रा' में प्रतिक्रिया ।

लक्षणों की परिभाषा में वस्तुओं, घटनाओं की परिभाषायें भिन्न होती हैं । परिभाषा क्रम की समाप्ति पर तीसरा चरण है यह तय करना कि आदर्श अभिकल्प की सीमा में किन चरों को स्थिर तथा किन्हें बदलने देना है ? शोध में लक्षणों या चरों के पारस्परिक सम्बन्धों को महत्व दिया जाता है । यह सम्बन्ध तीन प्रकार के हो सकते हैं[47]।

---

(44) फिशर, आर0, 1951, दि डिजाइन आफ इक्सपेरीमेन्ट, हाफनर, पेज 30

(45) फिशर, 1951, 32

(46) लिण्ड क्वीस्ट, जी0, 1953, डिजाइन एण्ड एनालिसिस आफ एक्सपेरीमेन्ट इन साइकोलाजी एण्ड एजूकेशन, हंगसन, पेज 16-18

(47) लिण्ड क्वीस्ट, 1953, 21

1- कार्य-कारण

2- उत्पादन- उत्पाद्य

3- सह-गुणकत्व

1- कार्य कारण-

कार्य कारण सम्बन्ध में 'ख' की उत्पत्ति में 'क' पर्याप्त होता है । दोनों में निश्चि सम्बन्ध है, किन्तु सभी सम्बन्ध वातावरण पर आश्रित हैं[48]।

2- उत्पादक उत्पाद्य-

उत्पादक उत्पाद्य सम्बन्ध में जैसे घण्टा पीटा जाय तो ध्वनि होगी । पीटना ध्वनि के लिये आवश्यक है । इसमें दो बातें आवश्यक हैं[49]।

1- ऐसा वातावरण (रा) हो कि जब उसमें 'क' को रखा जाय तो 'ख' उसका अनुसरण करे।

2- वातावरण (रा) ऐसा हो कि यदि उसमें 'क' का अभाव हो तो 'ख' भी लुप्त बना रहे।

3- सह गुणकत्व-

सह गुणकत्व में चरों का पारस्परिक सम्बन्धित होना तो दिखाई देता है, किन्तु यह सम्बन्ध न तो कार्यकारण का होता है और न ही उत्पादक उत्पाद्य का[50]।

आदर्श अभिकल्प में प्रस्तुत चर के मूल्यों को निश्चित करना एक बड़ी समस्या है । यदि चर मूल्य को स्थिर रखना है तो उसका एक ही मूल्य होना चाहिए यदि चर के मूल्यों को बदलना है तो निर्देश स्पष्ट होने चाहिए ।

जहाँ तक चरों की गुणात्मकता, मात्रात्मकता का सवाल है वहाँ यह नहीं भूलना चाहिये कि समस्या जितनी अधिक विशिष्ट होगी, उसमें उतनी ही अधिक मात्रात्मकता होगी ।

गुणात्मकता वस्तु के गुणों लक्षणों के वर्गीकरण से सम्बन्धित है । यथा, संगठित-असंगठित, होड़, सहयोग ।

---

(48) सोलेमन, आर0, 1949, एन एक्सटेशन आफ कन्ट्रोल ग्रुप डिजाइन साइक्लोजिकल बुलेटिन, पेज 91

(49) सोलेमन, 1949, 93

(50) सोलेमन, 1949, 95

(ब) अवलोकन पक्ष-

शोध कार्य प्रारम्भ करने में शीघ्र ही यह अनुभव करना पड़ता है कि आदर्श अभिकल्प का व्यूह ज्यों का त्यों नहीं चल सकता, उसमें यत्र-तत्र कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती रहती है, शोध के इस नये स्तर को अवलोकन पक्ष कहते हैं।[51]

अवलोकन करते समय कुछ व्यक्ति अपेक्षित सहयोग नहीं प्रदान करते । कुछ मिलते नहीं, कुछ मना कर देते हैं, तब उनसे सहयोग कैसे प्राप्त किया जाय । सहयोग की समस्या व्यक्तियों, वातावरण तथा उत्तेजना के प्रसंग में उठा करती है ।

व्यक्तियों का असहयोग तीन रूप लेता है -

I- अप्राप्य होना

II- असहयोग

III-त्रुटिपूर्ण उत्तर

इन समस्याओं को कुछ बातें ध्यान में रख कर दूर भी किया जा सकता है- जैसे- पहले समय निश्चित कर लेना, प्रशिक्षित व्यक्तियों को तथ्य संकलन हेतु भेजना, बार-बार मिलने का यत्न करना एवं सहयोग की अपील प्रकाशित करना अच्छा रहता है ।

त्रुटिपूर्ण उत्तरों के लिये आवश्यक है कि उन्हें खोज निकाला जाय । मिलान करना आवश्यक है । वातावरण तथा उत्तेजनों के बारे में दोषों का निराकरण के लिये आवश्यक है कि सूचना पत्री बड़ी सावधानी से बनायी जाय उसमें वैधता तथा विश्वसनीयता हो ।[52]

(स) कार्यात्मक पक्ष-

इस पक्ष का उद्देश्य होता है कि जो बातें विशेष रूप में प्रतिदर्श, सांख्यकी तथा अवलोकन पक्षों में रखी गई हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाय । शोध के कार्यो, निर्देशों तथा उपकरणों में समाविष्ट विशेष बातों को कार्य रूप में परिणित किया जाय ।

---

(51) कार्ल, एन0, लेलबेलिन, 1953, <u>लीगल ट्रेडीशन एण्ड सोशल साइंस मेथड</u>, इन बुकिंग इन्स्टीट्यूशन कमेटी ऑन ट्रेनिंग एसाइन रिसर्च मेथड इन दि सोशल साइंस, पेज 113, 114

(52) मॅरटन, आर0के0, 1949, <u>सोशल थ्योरी एण्ड सोशल स्ट्रक्चर</u>, टू वर्ड कोडिफिकेशन आफ थ्योरी एण्ड रिसर्च, कोलम्बिया यूनीवर्सिटी प्रेस, पेज-55

वास्तविक शोध कार्य से पूर्व तीन प्रकार की योजनायें महत्वपूर्ण होती हैं -

1- मार्गदर्शी अध्ययन

2- पूर्व परीक्षण

3- योजना परीक्षण

शोध अभिकल्प के प्रकार -

सभी प्रकार के शोधों का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना होता है, किन्तु उद्देश्यों की पूर्ति विभिन्न प्रकार से हो सकती है '। इसीकारण शोध अभिकल्प भी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं । शोध अभिकल्प चार प्रकार के होते हैं ।

1- अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध अभिकल्प-

जब किसी शोध कार्य का उद्देश्य किन्हीं सामाजिक घटनाओं में अन्तर्निहित कारणों को खोज निकालना होता है तो सम्बन्धित रूपरेखा को अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प करते हैं । इस शोध अभिकल्प में शोध कार्य की रूपरेखा इस प्रकार प्रस्तुत की जाती है कि घटना की प्रकृति व उसकी वास्तविकताओं को खोज निकाला जा सके । अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प कारकों के खोज निकालने की एक योजना है । यह उन आधारों को प्रस्तुत करता है जो कि एक सफल शोध कार्य के लिये महत्वपूर्ण होते हैं ।

2- वर्णनात्मक शोध अभिकल्प-

किसी विषय या समस्या के सन्दर्भ में वास्तविक तथ्यों के आधार पर वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत करना वर्णनात्मक शोध अभिकल्प कहलाता है । इसकी आवश्यक शर्त यह है कि विषय के सम्बन्ध में यथार्थ तथा पूर्ण सूचनायें प्राप्त हों, क्योंकि इनके बिना अध्ययन विषय या समस्या के सम्बन्ध में जो भी वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत किया जायेगा, वह वैज्ञानिक न होकर दार्शनिक होगा।

3- निदानात्मक शोध अभिकल्प-

जब किसी शोध कार्य का उद्देश्य किसी समस्या के कारणों के सम्बन्ध में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उन समस्या के समाधानों को प्रस्तुत करना हो तो इस प्रकार के शोध अभिकल्प को निदानात्मक शोध अभिकल्प करते हैं । इस प्रकार के शोध में शोधकर्ता समस्या का हल प्रस्तुत करता है, न कि स्वयं समस्या को हल करने का प्रयत्न करता है । शोधकर्ता वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से समस्या के कारणों को ज्ञात करने के बाद यह जानने का प्रयास करता है कि समस्या का समाधान किस तरीके से हो सकता है ।

4- परीक्षणात्मक शोध अभिकल्प-

समाजशास्त्र भी भौतिक विज्ञान की भाँति अपने शोध कार्यों में परीक्षण प्रणाली का प्रयोग कर अधिकाधिक यथार्थता लाने का प्रयत्न कर रहा है । समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन नियंत्रित दशाओं में रखकर निरीक्षण परीक्षण के द्वारा करने की रूपरेखा को परीक्षणात्मक शोध अभिकल्प कहते हैं । चैपिन ने लिखा है "समाजशास्त्रीय शोध में परीक्षणात्मक प्ररंचना की अवधारणा नियंत्रण की दशाओं के अन्तर्गत निरीक्षण द्वारा मानवीय सम्बन्धों के व्यवस्थित अध्ययन की ओर संकेत करती है[53] ।

परीक्षणात्मक शोध तीन प्रकार का होता है ।

1- पश्चात परीक्षण

2- पूर्व पश्चात परीक्षण

3- कार्यान्तर तथा परीक्षण

1- पश्चात परीक्षण-

इसके अन्तर्गत समान विशेषताओं व प्रकृति वाले दो समूहों को चुन लिया जाता है । जिनमें से एक नियंत्रित समूह एवं दूसरा परीक्षणात्मक समूह कहलाता है । नियंत्रित समूह में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाया जाता जबकि परीक्षणात्मक समूह में किसी एक कारक के द्वारा परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया जाता है ।

2- पूर्व पश्चात परीक्षण-

इसमें अध्ययन के लिये केवल एक ही समूह का चुनाव किया जाता है और उसी का अध्ययन एक अवस्था विशेष के पहले और बाद में किया जाता है । इन दोनों अध्ययनों के अन्तर को देखा जाता है और उसे ही परिवर्तित परिस्थिति का परिणाम मान लिया जाता है ।

3- कार्यान्तर तथ्य परीक्षण-

इस प्रकार का परीक्षण किसी ऐतिहासिक घटना का अध्ययन करने के लिये किया जाता है । ऐतिहासिक घटनाक्रमों का तुलनात्मक अध्ययन द्वारा परीक्षण कर वर्तमान घटनाओं या अवस्थाओं के कारणों की खोज करना कार्यान्तर तथ्य परीक्षण कहलाता है ।

---

(53) चैपिन, <u>इक्सपेरीमेन्टल डिजाइन इन सोशिलाजिकल रिसर्च,</u> पेज नं0 28

प्रस्तुत शोध का अभिकल्प-

उपर्युक्त विवरण के सन्दर्भ में प्रस्तुत शोध का अभिकल्प अन्वेषणात्मक, वर्णनात्मक तथा निदानात्मक है । इसका मुख्य उद्देश्य नगरीय परिवेश में मुस्लिम महिलाओं में प्रजनन व्यवहार की विभिन्नताओं की खोज करना तथा पारिवारिक आकार के सम्बन्ध में उनके दृष्टिकोण का पता लगाने हेतु अन्वेषणात्मक अध्ययन करना है । साथ ही, कुछ परिकल्पनाओं, जिनका कि निर्माण भारतीय समाज में प्रचलित दशाओं तथा उपलब्ध अनुसंधान सामग्री पर आधारित है, का परीक्षण भी करना है । इसके अतिरिक्त, अध्ययन के प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर समस्या के समाधान के लिये सुझाव प्रस्तुत करना भी वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य है ।

समग्र तथा प्रतिदर्श-

प्रस्तावित अध्ययन उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड सम्भाग में स्थित बाँदा नगर में किया गया है जो कि प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में से एक है । अध्ययन के उद्देश्यों के दृष्टिकोण से उक्त अध्ययन का चयन किया गया है । इस अध्ययन में बाँदा नगर के मुस्लिम परिवारों में प्रजनन आयु समूह से सम्बन्धित स्त्रियों से प्रजननता से सम्बन्धित विभिन्नताओं एवं परिवार के आकार के सन्दर्भ में उनका दृष्टिकोण जानने का प्रयास किया गया है ।

उक्त सन्दर्भ में अध्ययन- पूर्व सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि इस नगर में हिन्दू समुदाय के साथ-साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवार भी अस्तित्व में हैं । नगर में मुस्लिम परिवारों की संख्या लगभग 2 हजार है । अपने अध्ययन के लिये इन 2 हजार परिवारों में से 400 परिवारों का दैव निर्देशन के द्वारा चयन किया गया । इन 400 परिवारों में प्रजनन आयु समूह (15-45) की विवाहित तथा कम से कम दो बच्चों वाली महिलाओं की संख्या 1455 थी । उक्त स्त्रियाँ ही प्रस्तुत अध्ययन की इकाइयाँ हैं ।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि समग्र में अध्ययन की जाने वाली सम्पूर्ण इकाइयों की संख्या 1455 है । अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से इन 1455 अध्ययन इकाइयों में से 400 स्त्रियों का चयन दैव निर्देशन प्रविधि के द्वारा किया गया है जो समग्र की सम्पूर्ण इकाइयों का उचित प्रतिनिधित्व करती हैं । इस प्रकार कुल 400 इकाइयों का चयन किया गया है । यही हमारा प्रतिदर्श है । प्रतिदर्श समग्र की सम्पूर्ण इकाइयों का लगभग 20 प्रतिशत अंश है । सम्पूर्ण विवरण सारणी 1.7 में प्रस्तुत है ।

सारणी 1.7

मुस्लिम सम्प्रदाय की समग्र तथा प्रतिदर्श में सम्मिलित इकाइयों की संख्या

सम्प्रदाय	परिवार संख्या	प्रतिदर्श में चुने गये परिवार	प्रजनन-समूह की स्त्रियाँ	प्रतिदर्श में स्त्रियों की संख्या
मुस्लिम	2000	400	1455	400

शोध उपकरण- (साक्षात्कार अनुसूची)

सामान्यतः नगरीय परिवेश में मुस्लिम समाज का अधिकांश भाग पिछड़ा हुआ है । अतः इसका प्रभाव इस सम्प्रदाय की स्त्रियों में भी व्याप्त है । अधिकांश स्त्रियाँ या तो अनपढ़ हैं अथवा बहुत कम पढ़ी-लिखी हैं । अतः वांछित सूचना का संग्रह साक्षात्कार अनुसूची प्रविधि का प्रयोग करके किया गया है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि अध्ययन से सम्बन्धित अधिकांश महिलायें कम शिक्षित एवं पुरानी परम्पराओं की पोषक हैं ।

महिला साक्षात्कारकर्ता द्वारा ही तथ्यों का संकलन किया गया है । साक्षात्कार अनुसूची में समस्या के सभी पक्षों से सम्बन्धित प्रश्नों का समावेश किया गया है । साक्षात्कार अनुसूची के तैयार हो जाने पर उसकी शुद्धता व व्यावहारिकता का मापन करने के लिये उसे 20 महिलाओं पर प्रयुक्त किया गया । इस परीक्षण के उपरान्त जिन कठिनाइयों का अनुभव हुआ उन्हीं के आधार पर अनुसूची में सुधार कर उसे अन्तिम रूप दिया गया । सांख्यकीय आँकड़ों के साथ ही साक्षात्कार के समय अवलोकन प्रविधि का उपयोग करते समय गुणात्मक तथ्यों का भी संग्रह किया गया ।

क्षेत्र कार्य तथ्य संकलन प्रक्रिया -

तथ्यों का वास्तविक संग्रह करने से पहले शोधकर्ता ने सम्पूर्ण नगर क्षेत्र का भ्रमण किया तथा नगरवासियों जिनमें उत्तरदाता भी सम्मिलित हैं, नगर के प्रभावशीली व्यक्तियों के सहयोग से सम्पर्क किया तथा उनसे घनिष्ठता स्थापित की । इसके पश्चात ही वास्तविक साक्षात्कार प्रारम्भ

किया गया । जिससे वांछित सूचनायें संग्रहित की जा सकीं । तथ्यों के संग्रह के पश्चात आँकड़ों का वर्गीकरण व सारणीयन किया गया । तत्पश्चात श्रेणीबद्ध आँकड़ों का विश्लेषण करते हुये निष्कर्ष प्रस्तुत किये गये ।

विगत विवरण में अध्ययन क्षेत्र तथा पद्धति पर प्रकाश डाला गया है । प्रथमतः समस्या का निरूपण करते हुये अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्यों का उल्लेख किया गया, तदुपरान्त परिकल्पनाओं को प्रस्तुत कर सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा की गई जिसमें मृत्यु सम्बन्धी समंको के विकास का भी उल्लेख किया गया, मौलिक प्रत्ययों की परिभाषा के पश्चात शोध अभिकल्प का विवरण प्रस्तुत किया गया । इसी तारतम्य में, समग्र तथा उसकी इकाइयों, प्रतिदर्श, तथ्य-संकलन प्रविधि, क्षेत्र-कार्य आदि को स्पष्ट किया गया ।

अध्याय - 2

सामुदायिक - परिवेश

उत्तर प्रदेश
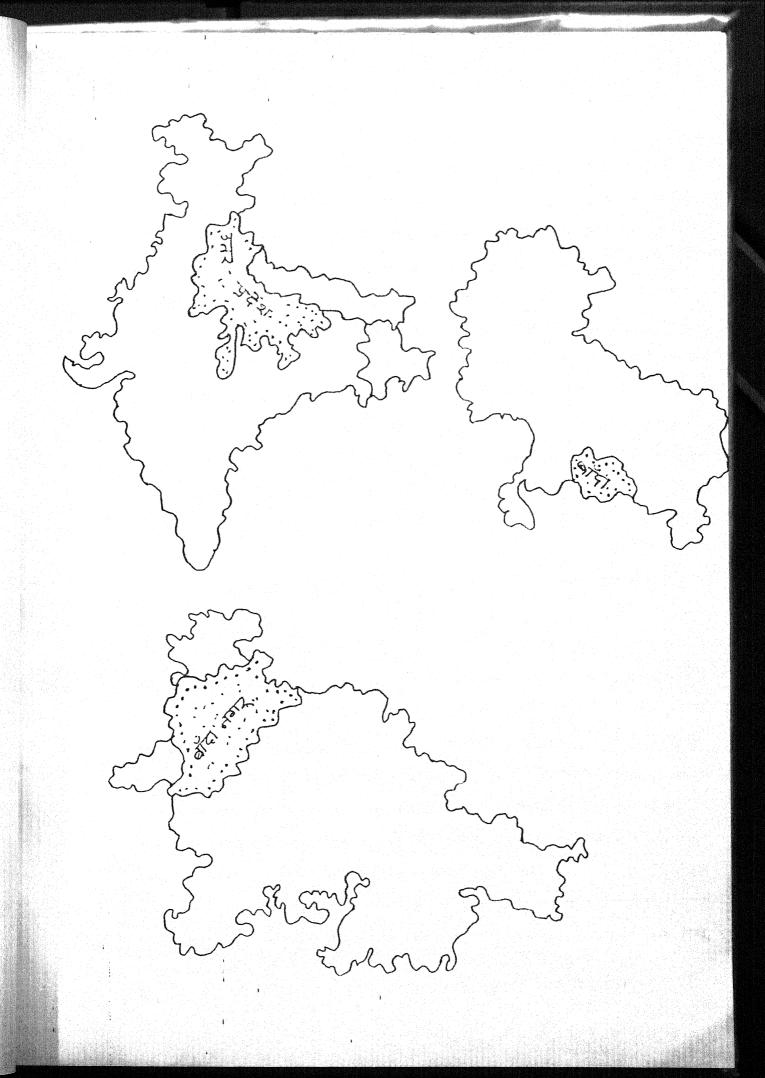
विगत अध्याय में अध्ययन क्षेत्र तथा अनुसंधान अभिकल्प का विवरण प्रस्तुत किया गया। इस अध्याय में उस सामुदायिक परिवेश पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा जहाँ प्रस्तुत शोध से सम्बन्धित तथ्यों को एकत्र किया गया है । भौगोलिक दशाओं तथा सामाजिक संस्थाओं का समुदाय की सामाजिक संरचना तथा संस्कृति पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का प्रभाव देखा गया है । मॉण्टेस्क्यू, हिप्पोक्रेटीज, क्वेटलेट आदि ने भौगोलिक कारकों के मानव जीवन पर प्रभाव का उल्लेख किया है । मॉण्टेस्क्यू का मत है कि भौगोलिक-पर्यावरण ही मानव के शारीरिक एवं मानसिक गुणों को विकसित करता है तथा मानव व्यवहार भी भौगोलिक पर्यावरण की देन है । हिप्पोक्रेटीज का मत है कि मानव प्रकृति जलवायु से प्रभावित होती है । यूरोप एवं एशिया में भिन्न-भिन्न व्यक्तित्व सम्बन्धी विशेषताएं होने का कारण वहाँ की भिन्न भौगोलिक विशेषतायें हैं । क्वेटलेट ने कहा है कि मानव का चरित्र एवं नैतिकता भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है । यद्यपि भौगोलिक-वादियों के विचार अतिशयोक्तिपूर्ण है, फिर भी, उनकी आंशिक सत्यता से इन्कार नहीं किया जा सकता । भौगोलिक तथा सामाजिक संस्थाओं को ध्यान में रखकर अध्ययन के सामुदायिक परिवेश का विवरण प्रस्तुत किया गया है ।

प्रस्तुत अध्ययन भारत के उत्तर प्रदेश प्रान्त के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड सम्भाग में स्थित बाँदा नगर की मुस्लिम सम्प्रदाय की महिलाओं पर किया गया है ।

हमारा देश भारत, संसार का एक बहुत प्राचीन देश है जो पहले आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था तथा बाद में प्रतापी राजा दुष्यन्त के वीर पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा । पन्द्रह अगस्त सन् 1947 की आजादी के बाद से यह गणतन्त्र भारत, तथा अंग्रेजी में इण्डिया कहलाने लगा । भारत का विस्तार अर्द्धोष्ण जलवायु प्रदेश में है । यह हिन्द महासागर के मध्यवर्ती मार्ग पर स्थित है । हमारे देश का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, इसकी भू-सीमा 15.200 किलोमीटर तथा तटीय सीमा 6,100 किलोमीटर है[1] । जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व में चीन के पश्चात दूसरे स्थान पर है । भारत की जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 84.4 करोड़ है । वार्षिक वृद्धि दर 1981 और 1991 के बीच 23.50% रही[2] ।

---

(1) नन्द किशोर गुप्ता, 1994-95, बाँदा जिले का आदर्श भूगोल, प्रकाशक विद्या केन्द्र, बाँदा, पेज नं0 7-8

(2) मनोरमा ईयर बुक- 1993, मलयाला मनोरमा कोट्टयम, केरल, पृष्ठ 23।

कुल जनसंख्या का 82.64 प्रतिशत हिन्दू, 11.35 प्रतिशत मुसलमान, 2.43 प्रतिशत ईसाई, 1.96 प्रतिशत सिक्ख, 0.71 प्रतिशत बौद्ध, 0.48 प्रतिशत जैन तथा 0.43 प्रतिशत अन्य धर्मो के लोग हैं । भारत की समस्त जनसंख्या में 23.51 प्रतिशत अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग थे।[3]

भारत 25 राज्यों में विभाजित है जिसमें से एक राज्य उत्तर प्रदेश भी है जिसका क्षेत्रफल 2,94,411 वर्ग कि0मी0 है । उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 13,87,60,417 है, जिसमें 7,37,45,994 पुरूष एवं 6,50,14,423 स्त्रियाँ हैं । साक्षरता का प्रतिशत 41.71 है । उत्तर प्रदेश में 63 जिले हैं,[4] जिनमें बाँदा भी सम्मिलित है ।

बाँदा उत्तर प्रदेश में स्थित बुन्देलखण्ड क्षेत्र का एक पिछड़ा हुआ जिला है । प्राचीनकाल में यह बामदेव ऋषि का निवास स्थान था । इसी कारण इन्हीं के नाम पर इसका नाम बाँदा पड़ा ।

जनपद बाँदा धार्मिक एवं ऐतिहासिक गाथाओं के लिये प्रसिद्ध है । यहाँ पर चित्रकूट की पर्वतमालाओं की रमणीयता से मोहित होकर भगवान राम ने इसे बनवास स्थल चुना था । रामायण के रचयिता आदि कवि वाल्मीकि का जन्म स्थान जनपद के लालापुर ग्राम में है । महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना जनपद के राजापुर कस्बा, जो उनका जन्मस्थान भी है, में रहकर की । भगवान शंकर ने समुद्र-मंथन से निकले विष को पान करने से हुई जलन को दूर करने के लिये कालिंजर में रहकर शीतलता पाई थी । यहीं पर भारत का 22वां शिवलिंग स्थापित है । कालिंजर दुर्ग में ही मुस्लिम शासक सूरी का मकबरा स्थित है । स्वतन्त्रता की लड़ाई में बाँदा के नवाब अलीबहादुर ने अंग्रेजों के विरूद्ध लड़ाई में झाँसी की रानी का खुलकर सहयोग किया था[5] ।

---

(3) मनोरमा ईयर बुक, 1993, मलयाला मनोरमा कोट्टयम, केरल, पृष्ठ 246-271

(4) मनोरमा ईयर बुक, 1993, पृष्ठ- 179

(5) जिला संख्या अधिकारी विभाग, 'अष्टम पंचवर्षीय योजना ग्रन्थ, 1992-93, पेज-3, जिला- बाँदा ।

क्षेत्रफल -

बाँदा जिले का क्षेत्रफल 7624 वर्ग किलोमीटर है । इसके उत्तर में फतेहपुर, दक्षिण में छतरपुर, पन्ना, सतना (मध्य प्रदेश) पूर्व में इलाहाबाद व रीवाँ (मध्य प्रदेश) तथा पश्चिम में हमीरपुर जनपद है । बाँदा 24°52 से 25°25 उत्तरी अक्षांश तथा 80°40 से 81°34 पूर्वी देशान्तर पर स्थित है । पूर्व से पश्चिम 147 कि0मी0 लम्बा तथा उत्तर से दक्षिण 104 कि0मी0 चौड़ा है । बाँदा यमुना नदी और विन्ध्याचल की पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है । इसका कुछ भाग छोड़कर शेष भाग ऊँचा, नीचा एवं पहाड़ी है । जिले का ढाल दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर है[6]।

यह कई नदियों से घिरा हुआ है । पश्चिम से पूर्व की ओर यमुना नदी, केन नदी, बागे नदी, मंदाकिनी, वाल्मीकि, गन्ता, चन्द्रावलि तथा गड़रा नदी हैं । बाँदा जिले का दक्षिण पूर्वी भाग अधिकतर पहाड़ों से घिरा हुआ है । मड़फा, रसिन, कालिंजर, खत्री, बाम्बेश्वर, चित्रकूट, रामचन्द्र, वाल्मीकि, सिंघला पहाड़ हैं[7]।

जनसंख्या-

बाँदा जनपद की कुल जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 18,74,541 है जिसमें पुरूषों की संख्या 10,17,760 और स्त्रियों की 8,56,781 है । अनुसूचित जाति एवं जनजाति की कुल जनसंख्या 3,62,511 है जो 11.8 प्रतिशत है । जनपद में हिन्दी बोलने वालों की कुल जनसंख्या 11,25,624 है, उर्दू बोलने वाले 55,110, पंजाबी 230 है, बंगाली 36 तथा 1,515 अन्य भाषा बोलने वाले हैं । जनपद में 1,11,214 हिन्दू, 68,805 मुसलमान, ईसाई 210, सिक्ख 202 तथा अन्य धर्मावलम्बी 776 है[8]।

---

(6) नन्दकिशोर गुप्ता, 1994-95, बाँदा जिले का आदर्श भूगोल, प्रकाशन, सरस्वती ज्ञान मन्दिर, विद्या केन्द्र, बाँदा, पेज- 12

(7) "बाँदा जिले का आदर्श भूगोल" 1994-95, पेज 15, 16, 17, 18

(8) फाइल- बाँदा, टी0एक्स0टी0, डेट, शनि, मई- 14-15, पेज 9-11, 1993

प्रशासनिक संरचना-

प्रशासनिक सुविधा हेतु जनपद में 6 तहसीलें हैं[9]।

1- बाँदा

2- बबेरू

3- नरेनी

4- कर्वी

5- मऊ

6- अतर्रा

समस्त तहसीलों के अन्तर्गत कुल 13 विकास खण्ड हैं[10]।

तहसीलों के अनुसार विकास खण्ड

	ब्लाक	तहसील
1-	बड़ोखर खुर्द	बाँदा
2-	जसपुरा	बाँदा
3-	तिन्दवारी	बाँदा
4-	महुवा	अतर्रा
5-	नरैनी	नरैनी
6-	चित्रकूट	कर्वी
7-	पहाड़ी	कर्वी
8-	रामनगर	मऊ
9-	मऊ	मऊ
10-	मानिकपुर	मऊ
11-	बिसण्डा	अतर्रा
12-	बबेरू	बबेरू
13-	कमासिन	बबेरू

---

(9) बाँदा जिले का आदर्श भूगोल, 1994-95, पेज 23, 24

(10) हमारे जिले का आदर्श भूगोल, 1994, पेज 25, 26

बांदा जनपद में सभी विकास खण्डों के अन्तर्गत 118 न्याय पंचायतें तथा 910 ग्राम सभायें हैं । 3 नगरपालिकायें तथा 11 टाउनएरिया हैं ।

जिले में 3 नगरपालिकायें तथा 8 टाउनएरिया हैं[11]।

	नगरपालिका		टाउन एरिया
1-	बांदा	1-	राजापुर
2-	कर्वी	2-	मानिकपुर
3-	अतर्रा	3-	बबेरू
		4-	बिसण्डा बुजुर्ग
		5-	नरैनी
		6-	मटौंध
		7-	तिन्दवारी
		8-	ओरन

साक्षरता तथा शिक्षा केन्द्र-

जनपद में साक्षरता के प्रतिशत को सारणी 2.1 में प्रस्तुत किया गया है[12]।

सारणी 2.1

बाँदा जनपद में 1981-91 की जनगणना के अनुसार साक्षरता प्रतिशत

जनगणना वर्ष	पुरूष	स्त्री	प्रतिशत
1981	23.54	8.61	32.15
1991	59.88	27.25	44.69

---

(11) जिला सांख्यकीय पत्रिका, जनपद बाँदा, 1993, कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी, पेज नं0 3-4

(12) 1- जिला सांख्यकीय पत्रिका, जनपद बाँदा, 1993, पेज 2-3

2- विकास दिग्दर्शिका, बाँदा, 1988, जिला सूचना विभाग, बाँदा, पेज-8

सारणी से स्पष्ट है कि सन् 1981 में बांदा का औसत साक्षरता प्रतिशत 32.15 था जिसमें 23.54 प्रतिशत पुरूष तथा 8.61 प्रतिशत महिलायें थीं । सन् 1991 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता 44.69 प्रतिशत है जिसमें महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत 27.25 तथा पुरूषों का 59.88 है । इन आँकड़ों से सिद्ध होता है कि 1981 से 1991 के मध्य लगातार साक्षरता का प्रतिशत पुरूषों एवं महिलाओं दोनों के लिये बढ़ा है ।

जनपद में कार्यरत शिक्षण संस्थाओं को सारणी 2.2 में प्रस्तुत किया गया है ।[13]

सारणी 2.2

बाँदा जनपद में 1981-1991 की जनगणना के अनुसार कार्यरत मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थायें

वर्ष	महाविद्यालय	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	सीनियर बेसिक स्कूल	जूनियर बेसिक स्कूल
1981	5	69	286	1273
1991	6	69	296	1317

सारणी से स्पष्ट है कि सन् 1981 की जनगणना के अनुसार बाँदा में कुल 5 महाविद्यालय, 69 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 286 सीनियर बेसिक स्कूल तथा 1273 जूनियर बेसिक स्कूल थे, जबकि 1991 की जनगणना के अनुसार 6 महाविद्यालय, 69 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 296 सीनियर बेसिक स्कूल तथा 1317 जूनियर बेसिक स्कूल हैं । तालिका के अवलोकन से सिद्ध होता है कि 1981-1991 के मध्य शिक्षा को जनसामान्य तक पहुंचाने के उद्देश्य से लगातार शिक्षण संस्थाओं में भी वृद्धि हुई है । साथ ही, 15 से 35 वर्ष के सभी निरक्षर स्त्री, पुरूषों को पूर्ण साक्षरता योजना उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये 156 पुरूष प्रौढ-शिक्षा केन्द्र तथा 144 महिला प्रौढ-शिक्षा केन्द्र भी खोले गये हैं ।[14]

---

(13) जिला सांख्यकीय पत्रिका, 1993, जनपद- बाँदा ।

(14) विकास दिग्दर्शिका बाँदा, 1988, पेज- 25

जन-स्वास्थ्य सेवायें -

जनपद में स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं में यहाँ 93 ऐलोपैथिक चिकित्सालय, 27 आयुर्वेदिक, 34 होम्योपैथिक एवं 4 यूनानी चिकित्सालय हैं । इनके अतिरिक्त कुल 14 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परिवार एवं मातृ-शिशु कल्याण केन्द्र 31 तथा 308 उप-केन्द्र हैं । एक क्षय रोग चिकित्सालय तथा एक कुष्ठ रोग निवारण केन्द्र भी है ।[15]

पशुओं के लिये भी जनपद में चिकित्सा की व्यवस्था है । यहाँ पर 33 पशु चिकित्सालय व 34 पशु सेवा केन्द्र हैं । साथ ही पशुओं की नस्ल सुधार हेतु 15 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र भी खोले गये हैं ।[16]

अन्य सुविधायें -

बाँदा में शहरी विकास से सम्बन्धित सुविधाऐं भी उपलब्ध हैं । जनपद में कुल 26 पुलिस स्टेशन हैं जिसमें 10 नगरीय क्षेत्रों तथा 16 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं । जनपद में राष्ट्रीयकृत बैंक शाखायें 33 तथा 55 ग्रामीण बैंक एवं 15 सहकारी बैंक शाखायें हैं ।

भूमि विकास बैंक की 4 शाखायें तथा 648 सस्ते गल्ले की दूकानें हैं । 917 गोबर गैस संयंत्र हैं । औद्योगिक संस्थान एक तथा एक पॉलीटेक्निक प्रशिक्षण केन्द्र है । जनपद में 447 हरिजन बस्तियाँ हैं ।[17]

बाँदा जनपद में 141 बसस्टाप, तथा 19 रेलवे स्टेशन हैं । 264 डाकघर, 14 तारघर तथा 3157 टेलीफोन कनेक्शन हैं । मनोरंजन हेतु 8 छविग्रह हैं । बाँदा जनपद में विद्युत, नल से पीने के पानी की सुविधा होने के साथ नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपाइप भी लगे हुये हैं । बाँदा के विद्युतीकृत आबाद ग्राम 771 तथा विद्युतीकृत नगरीय बस्तियाँ 11 हैं ।[18]

---

(15) जिला सांख्यकीय पत्रिका, 1993, पेज 23
(16) जिला सांख्यकीय पत्रिका, 1993, पेज 23-24
(17) जिला सांख्यकीय पत्रिका, 1993, पेज 2-3
(18) जिला सांख्यकीय पत्रिका, 1993, पेज 2-3-4

बांदा जनपद में कुल 3 नगरपालिकायें हैं जिनमें से एक बाँदा भी है । बाँदा नगरपालिका ही प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र है ।

बाँदा नगर -

बांदा नगर, बांदा जनपद का एक महत्वपूर्ण नगर है । जनपद के परिवेश का उल्लेख करने के पश्चात बांदा नगर का भौगोलिक, एतिहासिक व सामाजिक परिवेश प्रस्तुत है ।

भौगोलिक एवं ऐतिहासिक स्थिति-

उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड सम्भाग में स्थित बांदा जनपद का बाँदा नगर मुख्यालय है। बांदा नगर केन नदी के पास बसा है तथा इसके दक्षिणी-पश्चिमी भाग में बाम्बेश्वर पहाड़ स्थित है । प्राचीनकाल में यहीं बामदेव ऋषि का निवास स्थान था और बाम्बेश्वर पहाड़ पर ही उन्होंने तपस्या की थी, इन्हीं के नाम पर जिले का नाम बांदा पड़ा ।

प्राचीनकाल में बाँदा के असली निवासी कोल-भील थे जिन्होंने मोहल्ला- खुटला आबाद किया [19]। मौर्य साम्राज्य के अन्तिम समय में 232 ई0पू0 तक बाँदा भी मौर्य साम्राज्य के आधीन रहा, 226 ई0 के आस-पास यह जनपद समुद्रगुप्त द्वारा जीत लिया गया । कालिंजर की खुदाई में दो गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुये हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि 525 ई0 तक बाँदा गुप्त साम्राज्य के अन्तर्गत रहा [20]।

बुन्देलखण्ड पर चन्देलों का साम्राज्य होने पर नवीं शताब्दी तक बाँदा भी चन्देलों के शासनाधीन रहा [21]। बाँदा का इतिहास पृथ्वी राज चौहान के जमाने से स्पष्ट होता है जो सन 1200 ई0 से प्रारम्भ होता है । अट्ठारहवीं सदी में सर्वप्रथम राजा गुमान सिंह ने बाँदा को अपनी राजधानी बनाया। बाँदा नगर की प्रारम्भिक आबादी निम्नी नाले के उस पार राजा के बाग और राजा के तालाब के आस-पास आबाद हुई ।

---

(19) बाँदा गजेटियर, जिला सूचना विभाग, पेज नं0 208

(20) विकास दिग्दर्शिका बाँदा, 1988, जिला सूचना विभाग, पेज 5-6

(21) विकास दिग्दर्शिका, 1988, पेज-6

नवाब शमशेर बहादुर सानी व नवाब जुल्फिकार बहादुर ने विभिन्न मोहल्ले, जामामस्जिद, नवाबटैंक, नवाब अली बहादुर का शाही महल बनवाया । बाँदा का अर्दली बाजार मिस्टर रिचर्डसन एजेन्ट गवर्नर जनरल द्वारा आबाद हुआ । जरनेली कोठी सरकारी मुकदमात तय करने के लिये सन 1858 में बनवायी गई । लेफ्टिनेन्ट गवर्नर मिस्टर कालवन के बाँदा जाने पर मोहल्ला कालवन गंज आबाद हुआ । हिम्मत बहादुर गोसाई ने गोसाई गंज आबाद किया । बाँदा के नवाब की फौज के रहने के लिये बनायी गई छावनी से मोहल्ला छावनी आबाद हुआ । बलखण्डी नाका बलखण्डी नामक मजदूफ फकीर के नाम से आबाद हुआ । नवाब अली बहादुर सानी के नाम से अलीगंज व बंगाली वलकों की आबादी से बंगालीपुरा मोहल्ला बसा । मगरबी साहब के अहाते में पूरे शहर में अकेला गूलरका पेड़ होने की वजह से मोहाल गूलरनाका बना ।[22]

<u>जलवायु</u> -

बाँदा नगर की जलवायु शुष्क किन्तु स्वास्थ्य वर्द्धक है । मार्च माह से यहाँ गर्मी पड़ना प्रारम्भ हो जाती है । मई व जून यहाँ के अत्यन्त गर्म महीने हैं । इन महीनों में यहाँ का तापमान 50° से0ग्रे0 तक पहुँच जाता है । औसत अधिकतम तापमान 47° से0ग्रे0 तथा निम्नतम तापमान 6° से0ग्रे0 रिकार्ड किया गया है । किन्तु यहाँ की राते अक्सर बड़ी सुहावनी होती हैं । सर्दी के मौसम में अत्याधिक ठंड पड़ती है ।

<u>तीर्थस्थान, त्योहार व मेले</u>-

यह नगर ऐतिहासिक होने के साथ-साथ धार्मिक केन्द्र भी है । इसका प्रमाण रामायण, महाभारत आदि धार्मिक ग्रन्थों से मिलता है । यहाँ के अधिकतर निवासी हिन्दू हैं । फिर भी, मुस्लिम सम्प्रदाय के साथ-साथ अन्य सम्प्रदायों के लोग भी रहते हैं । यहाँ सभी सम्प्रदायों में आपसी प्रेम एवं भाईचारा है । सभी मिल-जुल कर एक दूसरे के तीज-त्योहार एवं मेलों में सम्मिलित होते हैं । बाँदा नगर में हिन्दू-मुस्लिम दो सम्प्रदायों की बहुलता है । यहाँ के प्रमुख हिन्दू त्योहार- दशहरा, दीवाली, नवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबन्धन एवं होली हैं । मुसलमानों के प्रमुख त्योहार, ईद,

---

(22) सैय्यद, मोहम्मद इलियास मगरबी, 1978, <u>तारीख-ए-बुन्देलखण्ड मुस्तद-तारीख-ए-हालात नबाबेन</u>, बाँदा प्रकाशन उत्तर प्रदेश उर्दू ऐकाडमी, पेज 25-26

बकरईद, मोहर्रम, बारावफात, शबे-बारात एवं रमजान हैं । सिक्ख लोग अपना त्योहार बैसाखी धूमधाम से मनाते हैं ।

बाँदा नगर में हिन्दुओं के धार्मिक स्थान प्रसिद्ध महेश्वरी देवी का मन्दिर, महावीरन, संकटमोचन, बामदेवेश्वर महादेव मन्दिर, कालीदेवी का मन्दिर आदि हैं । मुस्लिम तीर्थ स्थानों में मिस्किन शाह बाबा की मजार, जरेली कोठी, पीली कोठी, गोलकोठी, खानकाह शरीफ, बड़ेपीर साहब की मजार आदि हैं । इसके अतिरिक्त नवाब अली शेर बहादुर द्वारा बनवाई गई जामा मस्जिद हैं जिसमें हर शुक्रवार को हजारों मुसलमान नमाज पढ़ते हैं । एक ईदगाह है जहाँ हर वर्ष ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ते हैं व आपस में मिलते हैं ।

यहाँ नगर में कई मेले लगते हैं जैसे दशहरा का मेला, कजली मेला, शिवरात्रि एवं बसंतपंचमी पर बामदेवेश्वर महादेव मन्दिर का मेला । यहाँ महेश्वरी देवी में प्रतिवर्ष चैत्र व क्वार के महीने में नवरात्रि का मेला लगता है । मुसलमानों के त्योहार मोहर्रम की सात, आठ व दस तारीख को मेला लगता है । बसंतपंचमी को मिस्किन शाह बाबा का उर्स हिन्दू-मुसलमान मिलकर धूमधाम से मनाते हैं । इसके अतिरिक्त पीलीकोठी, जरेली कोठी व गोल कोठी का उर्स भी मुसलमान खुशी व धूमधाम से मनाते हैं । यहाँ पर प्रसिद्ध ऐतिहासिक नवाब टैंक रमणीय स्थल है जिसे बाँदा के नवाब अली बहादुर ने बनवाया था तथा वन विभाग द्वारा बनवाया गया वन चेतना बिहार है ।

क्षेत्रफल -

बाँदा नगर का क्षेत्रफल 11.29 वर्ग किलोमीटर है । नगर की पूर्व से पश्चिम की लम्बाई 6 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर है ।

जनसंख्या -

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार नगर की कुल जनसंख्या 95,658 है जिसमें पुरूष 52,135 तथा स्त्रियाँ 43,523 हैं।[23]

साक्षरता तथा शिक्षा-केन्द्र -

नगर की कुल साक्षरता 54.00 प्रतिशत है । कुल साक्षर लोग 51.808 हैं जिसमें 32,977 पुरूष व 18,831 महिलायें हैं ।

---

(23) जिला सांख्यकीय पत्रिका, 1993, पेज नं0 81-82

यहाँ शिक्षा के लिये 4 हायर सेकेन्डरी स्कूल बालकों के तथा 3 बालिकाओं के लिये हैं । 48 जूनियर बेसिक स्कूल तथा 18 सीनियर बेसिक स्कूल हैं तथा तीन महाविद्यालय हैं, दो मान्यताप्राप्त सिटी मान्टेसरी स्कूल हैं[24]।

स्वास्थ्य सुविधाएं -

स्वास्थ्य सुविधाओं में यहाँ 8 एलोपैथिक चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जिसमें 210 शैय्यायें उपलब्ध हैं । 2 आयुर्वेदिक औषधालय एवं एक होम्योपैथिक चिकित्सालय तथा 2 परिवार एवं मातृ-शिशु कल्याण केन्द्र हैं ।

नगर में दो पशु चिकित्सा केन्द्र हैं, 2 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र एवं पशुपालन केन्द्र व उपकेन्द्र भी हैं[25]।

अन्य सुविधाएं -

आधुनिकीकरण की दृष्टि से नगर में आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं । नगर में 1135 टेलीफोन कनेक्शन, 8 डाकघर, एक तारघर, एक पुलिस स्टेशन, 39 सस्ते गल्ले की दूकानें, 3 बीज गोदाम व 10 कृषि सेवा केन्द्र हैं ।

नगर में विद्युत की उपलब्धता एवं नल द्वारा पेयजल सुविधा भी उपलब्ध है । नगर में शीत गोदाम, बीज गोदाम, सहकारी कृषि समिति, इण्डेन गैस एजेन्सी, उर्वरक भण्डार गृह व सस्ते गल्ले की सरकारी दूकानें भी हैं । चूँकि बाँदा नगर जनपद का मुख्यालय है इसलिए न्यायालय, पुलिस स्टेशन, जिला परिषद आदि प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध है ।

सामाजिक संरचना -

बुन्देलखण्ड के अन्य क्षेत्रों की तरह बाँदा नगर की सामाजिक संरचना पूर्णतया बुन्देलखण्डी सामाजिक-सांस्कृतिक परम्परा से प्रभावित है । बाँदा नगर में लगभग सभी धर्मावलम्बी व सम्प्रदायों के लोग रहते हैं किन्तु हिन्दू एवं मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों की अधिकता है ।

---

(24) जिला सांख्यकीय पत्रिका, 1993, पेज 83-84

(25) जिला सांख्यकीय पत्रिका, 1993, पेज 84

यहाँ की सामाजिक व्यवस्था पूर्णतया जाति एवं वर्ग पर आधारित है । दोनों सम्प्रदायों में जाति व्यवस्था का आधार अलग-अलग ढंग से है ।

हिन्दू जाति व्यवस्था का आधार वर्ण व्यवस्था है । वर्ण एवं जाति में अन्तर है । 'वर्ण' रंग तथा वृत्तिपरक सामाजिक-स्थिति का बोध कराता है । 'जाति' व्यक्ति के जन्म के आधार पर उसकी सामाजिक स्थिति का परिचय कराती है ।

ऋगवेद के दशम्मण्डल के अन्तर्गत ही रूपक का आश्रय लेकर इन आर्य इकाइयों तथा अनार्य समुदायों को चार प्रमुख इकाइयों में विभक्त एवं चित्रित किया गया है[26]। यह इकाइयाँ वर्ण के नाम से जानी जाती हैं । वर्ण चार थे- ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र । ब्रम्हा के मुख से ब्राम्हणों की उत्पत्ति, बाहुओं से क्षत्रिय, कटि प्रदेश अथवा जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति तथा पैरों से शूद्रों का जन्म हुआ । सम्पूर्ण समाज का यह व्यक्ति-परक रूपक इस ओर संकेत करता है कि व्यवसायों की श्रेष्ठता के आधार पर इन चारों वर्णों को समाज रूपी शरीर के अवयवों के रूप में स्वीकारा गया था ।

वर्ण व्यवस्था तथा जाति व्यवस्था के इन अखिल भारतीय आधारभूत तथा संरचनात्मक सिद्धान्तों पर ही, बाँदा नगर की समाज व्यवस्था अवस्थित है । प्रत्येक वर्ण का प्रतिनिधित्व करने वाली अनेक जातियाँ, उपजातियाँ अथवा जाति समूह बाँदा नगर में पाये जाते हैं ।

प्रस्तुत अध्ययन बाँदा नगर के मुस्लिम सम्प्रदाय की महिलाओं के अध्ययन पर आधारित है । अतः सामाजिक दृष्टिकोण से मुस्लिम सम्प्रदाय में जाति और वर्ग की विस्तृत व्याख्या की जायेगी।

मुस्लिम समाज एवं जाति व्यवस्था -

भारतीय मुस्लिम समाज में जातिगत संस्तरण की विशेषताओं का अध्ययन एक नवीन घटना है । यद्यपि ब्रिटिश काल में हिन्दू जातियों या मुस्लिम समाज के अध्ययनों एवं जनगणना

---

(26) मैक्डोनल एवं कीथः 1935, वैदिक इण्डेक्स, वाल्यूम I, लन्दन, अध्याय XXIII, पृष्ठ 202

रिपोर्टों में मुस्लिम जनसंख्या के जातिगत विभाजन का कुछ प्रारम्भिक विवरण प्राप्त होता है[27]। तथापि इन अध्ययनों में सैद्धान्तिक अस्पष्टता सांख्यकीय भ्रान्तियाँ एवं अपूर्णता पायी जाती है । वास्तविक रूप में मुस्लिम जातियों के अध्ययन का कार्य स्वतन्त्रता पश्चात् किये गये समाजशास्त्रीय एवं मानवशास्त्रीय अध्ययनों से प्रारम्भ होता है । अंसारी, घौंस, मेरियट मैकिम, जरीना, अहमद, उमागुहा, सतीश मिश्र, इम्तियाज अहमद आदि के द्वारा किये गये अध्ययन इस क्षेत्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं[28]।

इस्लाम धर्म के प्रवर्तन के पश्चात् केरल एवं सौराष्ट्र के तटों पर सामुद्रिक व्यापारी के रूप में इस्लाम धर्म के अनुयायी सर्वप्रथम भारतवर्ष में आकर बस गये । परन्तु भारत में इनका मुख्य रूप से आगमन 11वीं शताब्दी में सिन्धु पर अबू कासिम के आक्रमण से प्रारम्भ होता है । मुहम्मद गोरी और महमूद गजनवी के आक्रमण ने इस आगमन को और अधिक विस्तृत किया । आरम्भ में आक्रमणकर्ता के रूप में आने वाले इस्लाम धर्म के अनुयायी भारतवर्ष में शासक के रूप में

---

(27) क्रुक, डब्लू, 1896, ट्राइवल्स एण्ड कास्टस आफ नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज आफ आगरा एण्ड अवध लन्दन ।
इस्लाम इन इण्डिया, 1921, आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस
ब्लण्ट,इ0ए0आर0,1931,दि कास्ट सिस्टम आफ नार्दन इंडिया,आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटीप्रेस
बेबन जोन्स, बी0आर0 इत्यादि, 1914, वीमेन इन इस्लाम, लखनऊ पब्लिशिंग हाउस
वे0स0ए0, 1912, इथनोग्राफी आफ इण्डिया, स्टावर्ग वर्लाग, कार्ल ट्रप्नर
अशरफ, के0एम0, 1932, लाइफ एण्ड कण्डीशन आफ दी पीपुल्स आफ हिन्दूस्तान, लन्दन, पेज 107

(28) अंसारी, घौंस, 1960, मुस्लिम कास्ट इन उत्तर प्रदेश, ए स्टडी आफ कल्चर, कान्टैक्ट, लखनऊ ।
मेरियट, मैकिम, 1960 कास्ट, रैकिंग एण्ड कम्युनिटी स्ट्रक्चर इन फाइन रीजन्स आफ इण्डिया एण्ड पाकिस्तान, पूना, पृष्ठ-1
अहमद, जरीना, 1962, मुस्लिम कास्ट इन उत्तर प्रदेश दि इकोनोमिक वीकली, फरवरी 17, पृष्ठ-389
गुहा, उमा, 1965, कास्ट एमंग रूरल बंगाल मुस्लिम मैन इन इण्डिया, राँची, पृष्ठ-167
मिश्र, सतीश, 1961 मुस्लिम कम्युनिटीज इन गुजरात, बाम्बे, पृष्ठ-131
अहमद, इम्तियाज, 1966, दि इण्डियन इकोनोमिक एण्ड सोशल हिस्ट्री रिव्यू, सितम्बर, वाल्यूम-3 नं0-3, पृष्ठ-268

बस गये । मुसलमान शासक सैनिक, व्यापारी के साथ-साथ अनेक धर्म प्रचारक के रूप में भारत में रहने लगे । एक ओर शासन की कठोरता के कारण धर्म प्रचारकों के व्यक्तिगत करिश्मा एवं प्रेरणा के द्वारा भारतीय मूल के व्यक्तियों ने इस्लामधर्म ग्रहण किया । व्यापक धर्म परिवर्तन के द्वारा मुस्लिम समाज में मोटे तौर पर दो वर्गो का उदय हुआ । प्रथम वर्ग अशरफ कहलाया । इस वर्ष के अन्तर्गत विदेशी मूल के मुस्लिम शासक, सैनिक, व्यापारी और धर्म उपदेशक सम्मिलित थे । दूसरा वर्ग अजलफ कहलाया । इस वर्ष के अन्तर्गत भारतीय मूल के इस्लाम धर्म के अनुयायी एवं अन्तर्विवाह से उत्पन्न सन्तानों को सम्मिलित किया गया ।

सुल्तान महमूद गजनवी से लेकर सम्राट जहाँगीर के सिंहासन पर बैठने तक हिन्दुस्तान के मुसलमानों का कुछ सीमा तक भारतीयकरण हो चुका था और वे विषमांगी समुदाय के रूप में विकसित हो चुके थे । अरब तथा अफगान, तुर्क तथा तुर्कमान, मंगोल तथा मंगोलीय तातारों की विभिन्न जातियों के विजेताओं तथा देशांतरवासियों का केन्द्र बन चुके थे । मुस्लिम समुदाय इस्लामधर्म और इसके रीति-रिवाजों तथा शिष्टाचार के कारण बहुसंख्यक हिन्दुओं, से बिल्कुल भिन्न था[29] । सत्रहवीं शताब्दी में भारत में बाहर से आने वाले मुसलमान मुख्यतया तुर्क, अफगान तथा फारसी लोग थे, केवल कुछ एबीसीनिया तथा अरब के लोग थे[30] । विदेशी मुख्यतया दो समूहों में विभक्त थे तूरानी तथा ईरानी । अफगानों का मूल स्थान वही था जो अब है नामतः सुलेमान क्षेत्र की खाड़ी । पठान समस्त भारत में बस गये थे किन्तु इन हिन्दुस्तानी पठानों को रोह[31] (अफगानों का एक देश) के विलायती पठानों से घटिया समझा जाता था जो सिंध के पास और उसके पशिचम में रहते थे ।

---

(29) मुहम्मद यासीन, 1988, 'इस्लामी भारत का सामाजिक इतिहास', पेज नं0 12

(30) महमूद यासीन, इस्लामी भारत का सामाजिक इतिहार, पेज नं0 3

(31) रियाज-उल-मुहब्बत, डोर्न हिस्टरी आफ दि अफगान्स, 11, टिप्पणी पृष्ठ- 64

भारत में इस्लाम धर्म के उदय से भारत और ईरान के सांस्कृतिक सम्बन्ध प्रारम्भ हो गये । भारत का मुस्लिम शासक कुलीन तंत्र फारसी लोगों से काफी प्रभावित हुआ । समस्त मध्यकाल में सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ईरानी लोगों का आधिपत्य रहा । फारसी लोग शिया थे, इस्लाम प्रादुर्भाव के उपरान्त दो समूहों में बट गया- शिया, सुन्नी । शिया लोग इस्लाम के प्रथम तीन खलीफाओं का तिरस्कार करते हैं और केवल अली को विधिवत खलीफा स्वीकार करते हैं[32]। फारसी लोग वीर थे और स्वामिभक्त थे । भारत में फारसी लोगों की सामाजिक स्थिति तथा उनके सांस्कृतिक आधिपत्य का विशेष महत्व था ।

तूरानी लोग भारतीय मुस्लिम शासक वर्ग के पूर्वजों से सम्बन्धित थे । वे तुर्क, मंगोल जाति के थे और सुन्नी धर्म के अनुयायी थे, जो मुस्लिम भारत का राजधर्म था । वे सम-चतुरस, हृस्ट-पुष्ट तथा दृढ लोग थे, जिनका चेहरा सपाट तथा नाक चपटी होती थी[33]। शासक वर्ग की विशेष कृपा के कारण भारत में इनकी संख्या अधिक थी ।

अफगान हृस्ट-पुष्ट तथा योद्धा जाति थी । भारत में इनका आधिपत्य संक्षिप्त होते हुये भी गौरवपूर्ण था । तैमूर अफगान था । अफगान लोग भी सुन्नी धर्म के थे । अफगान चरित्र की सबसे उभरी हुई विशेषता उनकी डींग और घमंड था । वे बहुत दम्भी थे[34]।

व्यापक इस्लाम धर्म के प्रवर्तन के उपरान्त मुस्लिम समाज के जो दो वर्ग बने 'अशरफ' और 'अजलफ' उनमें से अशरफ (सैय्यद, शेख, पठान) ही विदेशी मूल के मुसलमान कहलाये । दूसरा वर्ग 'अजलफ' वे भारतीय मुसलमान थे जिन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया । मुस्लिम जाति व्यवस्था को समझने के लिये 'अशरफ' वर्ग की जातियों को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है ।

---

(32) महमूद यासीन, इस्लामी भारत का सामाजिक इतिहास, बरनीयर, पृष्ठ-8, टैवरनीयर, II, 175, भनूची, III, 270

(33) वही, पृष्ठ 122, अलबेरूनी, ई0डी0, I, 57, बरनीयर, पृष्ठ 404

(34) महमूद यासीन, मनूसी पृष्ठ II,, 453, I, 330, इस्लामी भारत का सामाजिक इतिहास इतिहास पेज- I -17

1- <u>सैय्यद</u> -

वास्तविक सैय्यद अली के वंशज हैं जो हजरत मोहम्मद के दामाद थे और जो मुहम्मद की बेटी फातिमा से अली के वंशज थे । कुछ उलावी सैय्यद भी हैं जो दूसरी पत्नियों से उसके वंशज थे । बारहा के सैय्यदों का आरम्भ फाराह बतीसी से माना जाता है जो सैय्यद दाऊद का बेटा था[35] । वास्तविक सैय्यद सच्चे, नेक व पैगम्बर को मानने वाले थे ।

2- <u>शेख</u> -

शेख अरबी का शब्द है जिसका अर्थ है- बड़ा अथवा मुखिया । इसलिये इस शब्द का प्रयोग अरब के उन सच्चे वंशजों से जुड़ा है जो शासक और कुलीनतंत्र से सम्बन्धित थे । भारत में जिन जाट अथवा राजपूतों ने इस्लाम स्वीकारा उन्होंने अपने नामों के साथ इस शब्द का प्रयोग किया या उन्हें यह उपाधि दी गई[36] । मनूची शेखों का वर्णन करता है जो मुहम्मद के परिवारकेवंशज हैं पर सैय्यदों से बहुत दूर हैं । यह जाति भूमि रखती है और दरबार में बड़ी और छोटी सेवा करती है । ये चतुर, बुद्धिमान, मुकदमेंबाज महान वकील हैं[37] ।

3- <u>पठान</u> -

अफगानी ही पठान लोग थे । पठान प्रायः धर्म से सुन्नी थे । पठान निर्भीक तथा कट्टर विचारों वाले, उजड्ड, अनपढ़ तथा डींग और क्रोध के लिये प्रख्यात थे । पठान भारत में गंगा के साथ लगे इलाकों में विहार और बंगाल में बसे थे[38] ।

---

(35) 'रोकस की गलासरी', III, 390, 4

(36) रो तथा फराइअर, पृष्ठ- 279

(37) महमूद यासीन, "इस्लामी भारत का सामाजिक दर्शन", पेज नं0 19-20

(38) बरनीयर, पृष्ठ जनरल आफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल । पृष्ठ-206, एलिफिन्सटन, एने अकाउंट आफ काबुल, I, 262, 276, मनूची, II, 453

वे मुसलमान जो अपने को अशरफ वर्ग में सम्मिलित करते हैं वे विदेशी मूल के मुसलमान हैं । भारतीय मुस्लिम समाज को दो वर्गों में विभक्त किया गया है- पहले वे जिनके पूर्वजों ने देशांतरवास के कारण भारत को अपना नया घर बना लिया वे अशरफ कहलाये । दूसरे वे जो हिन्दुओं से मुसलमान बने थे और जिन्हें कुलीनवर्ग प्रशासन मंत्रिपरिषद में स्थान मिला था । ये दूसरे वर्ग के लोग अजलफ के अन्तर्गत आये । इस वर्ग के अन्तर्गत व्यवसायों की श्रेष्ठता के आधार पर संस्तरणात्मक दृष्टिकोण से कई उपजातियाँ बन गई जिनको उनके व्यवसायों के आधार पर ही नाम और संस्तरणात्मक प्रस्थिति समाज में प्राप्त थी । जैसे- आतिशबाज, भाँड़, मटियारा, मिश्ती, जुलाहा, दर्जी, चुड़िहारा, मेरासी आदि । इस विभाजन को निम्न सारणी द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है ।

सारणी 2.3

इस्लाम धर्म के आधार पर मुस्लिम जातियाँ/उपजातियाँ

1- अशरफ	सैय्यद, शेख, पठान
2- अजलफ	आतिशबाज, भाँड़, भटियारा, डफाली, घोसी
(क) प्रथमवर्ग	जुलाहा, कस्साद
(ख) द्वितीयवर्ग	चुड़िहारा, दर्जी, धुनिया, कुंजड़ा, रंगरेज
(ग) तृतीयवर्ग	धोबी, मिरासी, मेहतर, हलालखोर, बंजारा

मुस्लिम समाज में सामाजिक प्रस्थिति विभिाजन का यह स्वरूप प्रारम्भिक मुसलमान शासकों एवं अभिजात्य-वर्ग की उस मनोवृत्ति का प्रतीक था कि वे अपने को भारतीय मूल के मुस्लिम तथा अन्य सम्प्रदायों की तुलना में श्रेष्ठ और पृथक समझते थे । कालान्तर में यह विभाजन अन्तर्विवाह की अधिकता एवं धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया के विस्तार के साथ-साथ अधिक जटिल और विस्तृत होता गया । इस प्रकार मुस्लिम समाज अनेक जातियों और समूहों में बँटता चला गया । व्यवसायों की बढ़ती हुई विभिन्नता और राजनीतिक सत्ता के वितरण की प्रक्रिया ने भी इसको बढ़ावा दिया ।

बाँदा नगर में बसे मुस्लिम समाज में मुस्लिम जाति विभाजन से सम्बन्धित सभी जातियों व उपजातियों के लोग निवास करते हैं । इस आधार पर प्रस्तुत अध्ययन में सम्मिलित 400 उत्तरदाताओं में उपर्युक्त सभी जातियों/उपजातियों को सम्मिलित किया गया है । इस्लाम धर्म की इस जाति व्यवस्था के आधार पर अशरफ के प्रथम दो समूहों को उच्च जातीय स्तर में रखा गया है, अशरफ के तृतीय समूह एवं अजलफ के प्रथम वर्ग को मध्य जातीय स्तर में तथा अजलफ के द्वितीय एवं तृतीय वर्ग को निम्न जातीय स्तर में रखा गया जिसका विवरण सारणी 2.4 में प्रस्तुत है ।

सारणी 2.4

उत्तरदाताओं का जातीय विभाजन

उत्तरदाताओं का जातीय स्तर	जातियों के नाम
उच्च स्तर	सैय्यद, शेख
मध्यम स्तर	पठान, अंसारी, कुरैशी, मनिहार, भटियारा, भाँड़, डफाली, घोसी, कस्साद
निम्न स्तर	चुड़िहारा, दर्जी, धुनिया, कुंजड़ा, रंगरेज, धोबी, मिरासी, हलालखोर, बंजारा

अर्थ-व्यवस्था -

बांदा नगर पिछड़ा किन्तु विकासशील नगर है । यहां की अर्थ-व्यवस्था अधिकांशतः विभिन्न प्रकार के व्यवसायों व लघु एवं गृह उद्योगों से प्रभावित है । जनपद मुख्यालय होने के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक, सरकार एवं गैर सरकारी एवं स्वयंसेवी संस्थायें हैं । पर्याप्त लोग सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं । यहां अनेक प्रकार के उद्योग-व्यवसाय चल रहे हैं । यहाँ मिल एवं कारखाने हैं । बांदा नगर चावल एवं दालमिल, बालू, लाठी आदि अनेक व्यवसायों के लिये प्रसिद्ध है । यहां मोमबत्ती, अगरबत्ती, दरी के कारखाने, बांगलादेशी वस्त्रों का व्यापार होता है । यह नगर वर्तमान समय में शजरपत्थर के व्यवसाय के लिये बहुत प्रसिद्ध हो रहा है । यह पत्थर केन नदी से प्राप्त होता है, जिसे तराश कर बनाया जाता है ।

बाँदा में मुस्लिम समुदाय के लोगों की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है । कुछ प्रतिशत मुसलमान सरकारी सेवाओं में तथा अधिकतर मध्यम वर्गीय व निम्न वर्गीय मुसलमान उद्योग-धन्धों से जुड़े हुये हैं । मुस्लिम महिलायें भी दरी बुनना, चिन्दी गढ़ना, सिलाई, कढ़ाई आदि अनेक छोटे-मोटे गृह उद्योगों के द्वारा परिवार की आर्थिक स्थिति में सहयोग प्रदान करती हैं । आंशिक मुस्लिम महिलायें शिक्षित हैं और सरकारी सेवाओं से जुड़ी हैं ।

सांस्कृतिक संरचना -

सम्पूर्ण भारतीय समाज में हिन्दू-मुस्लिम सम्प्रदाय यद्यपि विभिन्न दृष्टिकोणों से काफी भिन्नतायुक्त है, फिर भी सदियों से एक दूसरे के साथ रहने के कारण दोनों सम्प्रदाय की संस्कृति ने एक दूसरे को प्रभावित किया है । दोनों समुदायों की सांस्कृतिक संरचना नैतिक मूल्यों के आधार पर मिलती-जुलती है ।

नगर के परिवारों में माता-पिता को उच्च स्थान प्राप्त है । माता-पिता को सर्वोच्च मानकर उनकी सेवा करना कर्तव्य समझा जाता है । हिन्दू धर्म में पुत्र जन्म पितृ-ऋण से मुक्त होने का आधार है, ऐसा लोगों का विश्वास है । पुत्र का महत्व इस लोकोक्ति से स्पष्ट है ।"कुल को दीपक पुत्र है, धड़ को दीपक प्रान ।" पुत्र के इस महत्व को बाँदा नगर में ही नहीं वरन् सम्पूर्ण भारत व मुस्लिम समाज में भी स्वीकारा गया है । पुत्र ही परिवार का भावी कर्ता-धर्ता है । परिवार में परम्परा एवं मर्यादा के अन्दर ही रहना पड़ता है । बड़े भाई को परिवार में पिता तुल्य स्थान प्राप्त है । पिता की मृत्यु के बाद वही घर की देख-रेख करता है । बड़े पुत्र की पितृवत् प्रतिष्ठा के कारण ही "बड़ी बहू के बड़े भाग" कहा जाता है । "बिन घरनी घर भूत का डेरा" लोकोक्ति से स्पष्ट है कि नारी का महत्व परिवार में अधिक है । नारी, माँ, पत्नी, बहन सभी सम्बन्धों के दृष्टिकोण से परिवार में महत्व स्थान रखती है । ये तथ्य विभिन्न सामाजिक रीति-रिवाजों से स्पष्ट होते हैं ।

प्रस्तुत अध्ययन नगर के अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय पर आधारित हैं अतः नगर में मुस्लिम समुदाय की सांस्कृतिक संरचना को विशेष रूप से स्पष्ट किया जाना आवश्यक है ।

बाँदा नगर की कुल जनसंख्या का लगभग 5% भाग ही मुस्लिम समुदाय के लोगों का है । नगर के मुसलमान कुरान और शरीयत के कानूनों को पूर्ण रूप से न जानते हुये भी इस्लाम

धर्म व उसकी सांस्कृतिक विरासत से पूर्ण रूप से जुड़े हुये हैं । मुसलमान अपने धर्म पर गर्व करते है और उनका विश्वास है कि इस्लाम का मार्ग 'निजात' (मुक्ति, मोक्ष) का मार्ग है । नगर के मुसलमान एक अल्लाह की इबादत (नमाज) करते हैं । रोजा रखते हैं, जकात (दान) देते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार हज करने जाते हैं व पूर्ण धार्मिक निष्ठा रखते हैं । इस्लाम में हराम (निषिद्ध) किसी भी वस्तु को (शराब, हराम की कमाई) सेवन नहीं करते ।

नगर में मुस्लिम समुदाय के लोग वंश (खानदान) परिवार की सभी धार्मिक सामाजिक शरीयत के अनुसार चली आ रही मान्यताओं की कदर करते हैं । इस्लामी मान्यतानुसार माता-पिता स्वर्ग की सीढ़ी है । अतः उनको परिवार में सर्वोच्च स्थान, आदर तथा सम्मान दिया जाता है । परिवार में पुत्र माता-पिता के बुढापे का सहारा व अन्य सन्तानों की देखभाल के लिये महत्वपूर्ण स्थान रखता है ।

समस्त मुसलमान कुरान को कंठस्थ करना एक पवित्र उपलब्धि मानते हैं । अतः प्रारम्भिक स्तर पर बच्चे को दीन-ए-यात की शिक्षा दी जाती है । नगर में मुस्लिम समुदाय अभी भी पिछड़ा हुआ है जो अनेक धार्मिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा प्राचीन परम्परा के अनुरूप अत्यन्त रूढ़िवादी और दलित जीवन व्यतीत कर रहा है । परन्तु आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने नगर के मुस्लिम समुदाय को भी प्रभावित किया है । उच्च वर्ग के अतिरिक्त निम्न वर्ग में भी अब शिक्षा व अंधविश्वास एवं रूढ़ियों को तोड़ने का साहस स्पष्ट दिखाई दे रहा है । नगर में मुस्लिम समाज में बढ़ती हुई व्यक्तिवादिता के कारण संयुक्त परिवार व्यवस्था निरन्तर केन्द्रीय परिवारों में बदल रही है ।

मुस्लिम समाज में भी पुत्र का जन्म हर्षोल्लास पूर्ण ढंग से मनाया जाता है जबकि पुत्री का जन्म निराशाजनक ही माना जाता है । वैसे इस्लाम में कन्या जन्म को पैगम्बर रसूल ने सुन्नत माना है फिर भी सामाजिक परम्पराओं के कारण कन्या परिवार के लिये बोझ ही मानी जाती है ।

नगर के मुस्लिम समुदाय में आज भी मुगलयी व नवाबी शान शौकत देखने को मिलती है । पुरूष ज्यादातर अलीगढ़ कट पैजामा, कुर्ता, अचकन शेरवानी व टोपी लगाते हैं । शुक्रवार जो कि इस्लाम में पवित्र दिन माना गया है इसदिन सभी मुसलमान उपर्युक्त वस्त्र अपनी आर्थिक स्थिति के अनुकूल पहनकर जामामस्जिद तथा अन्य मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते हैं । वैसे पश्चात्य वेशभूषा तो मुसलमान पुरूषों में दिखाई देती है । स्त्रियां अधिकतर शलवार, कुर्ता, दुपट्टा पहनती हैं । बाँदा में

कुछ मुसलमान स्त्रियाँ साड़ी भी पहनती हैं । बाहर निकलने पर लगभग 80 प्रतिशत मुस्लिम महिलायें बुरका पहनती हैं । फिर भी, आम वेश-भूषा सभी नगरवासियों की पेंट-शर्ट, कुर्ता-पैजामा, स्त्रियों में शलवार-कुर्ता, साड़ी ही है ।

स्त्रियाँ शरीर में आभूषणों के तौर पर पैर में पायल, बिछिया, नाक की कील, कान में लाल, झाले, हाँथों में कँगन, हार, जंजीर आदि अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार पहनती हैं ।

नगर में मुस्लिम समुदाय के त्योहार, ईद, बकरईद, बारावफात, मोहर्रम बहुत धूमधाम से धार्मिक जलसों के आधार पर सार्वजनिक रूप से मनाये जाते हैं ।

मुस्लिम महिला वर्ग की स्थिति -

इस्लाम में महिला वर्ग की स्थिति बड़ी ही शोचनीय है । यद्यपि पैगम्बर ने स्त्रियों को पवित्र और परिवार में बच्चों की परवरिश के लिये अहम माना पर उन पर परदे का कठोर नियम लागू कर उन्हें अनेक सामाजिक सुविधाओं से वंचित कर दिया । साथ ही, उनकी स्वतन्त्रता समाप्त कर दी । पैगम्बर ने कानूनी दृष्टिकोण से काजी के समक्ष साक्ष्य के लिये दो स्त्रियों के साक्ष्य को एक पुरूष के साक्ष्य के बराबर माना[39] । इस तरह स्त्रियों की स्थिति और भी शोचनीय हो गई । बहुपत्नी प्रथा ने मुस्लिम समाज में स्त्री की स्थिति को और भी गिरा दिया ।

मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति समय और देशकाल के अनुसार बदलती रही है । नगर का मुस्लिम समुदाय अभी भी पिछड़ा व प्राचीन परम्परा से जुड़ा होने के कारण रूढ़िग्रस्त है । इस कारण यहाँ की मुस्लिम महिलायें अत्यन्त पिछड़ी हुई अंधविश्वासी, रूढ़िवादी मान्यताओं से घिरी परदे के अन्दर कैद हैं । फिर भी, सामाजिक, राजनैतिक दृष्टिकोण से यद्यपि मुस्लिम समाज में स्त्रियों की स्थिति शोचनीय है परन्तु परिवार में माँ, पत्नी के रूप में वे आज भी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं । नगर में स्त्री का कार्य-क्षेत्र घर तक सीमित है । पुरूषों के साथ भी वह कार्य कर रही है । इस समय नगर की मुस्लिम महिला शिक्षा, सरकारी नौकरी, राजनीति तथा अन्य सभी क्षेत्रों में खुलकर सामने आ रही हैं । अब यह मान्यता कि सिर्फ लड़की को कुरान की तालीम दी जाय समाप्त हो रही है ।

---

(39) यासीन अहमद, 1988, इस्लामी भारत का सामाजिक इतिहास, अटलांटिक पब्लिशर्स, पेज नं0 120

पिछड़ा हुआ अंधविश्वासी वर्ग भी अब लड़कियों को शिक्षित करने के पक्ष में हैं और सभी वर्गों, जातियों की मुस्लिम लड़कियाँ नगर के विभिन्न शिक्षा केन्द्रों में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं ।

मुस्लिम समुदाय में मनोरंजन ज्यादातर, शतरंज, ताश, मुर्गेलड़ाना, शिकार खेलना, तलवार-बाजी आदि रहा है । यहाँ भी उच्च वर्ग का मुस्लिम आज भी ऐसे मनोरंजनों को अपनाता है। मुस्लिम समुदाय की भाषा बुन्देली हिन्दी मिक्स उर्दू ही है ।

प्रस्तुत अध्याय में अध्ययन क्षेत्र के सामुदायिक परिवेश का विवरण प्रस्तुत किया गया है । इसके अन्तर्गत बाँदा जनपद की भौगोलिक स्थिति, कुल जनसंख्या, प्रशासनिक विभाजन, साक्षरता एवं शिक्षा केन्द्र, स्वास्थ्य सेवाओं, साथ ही साथ बाँदा नगर जहाँ कि अध्ययन किया गया है उसकी भौगोलिक एवं ऐतिहासिक स्थिति, क्षेत्रफल, जनसंख्या, साक्षरता तथा शिक्षा केन्द्र, स्वास्थ्य सेवाओं, एवं उपलब्ध अन्य सेवाओं को प्रस्तुत किया गया है । इसके अतिरिक्त, सामाजिक संरचना के अन्तर्गत संक्षिप्त रूप से हिन्दू जाति व्यवस्था को स्पष्ट किया गया है । इसी प्रकार आर्थिक व्यवस्था एवं सांस्कृतिक संरचना पर भी प्रकाश डाला गया है ।

अध्याय - 3

उत्तरदाताओं की सामाजिक पृष्ठभूमि

पिछले अध्याय में प्रतिदर्श की महिलाओं के सामुदायित परिवेश का विवरण प्रस्तुत किया गया जिससे यह स्पष्ट हो सका कि महिलायें किस प्रकार के सामाजिक-सांस्कृतिक पर्यावरण में जीवन यापन कर रही हैं । इस अध्याय में महिलाओं की सामाजिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण किया जायेगा ताकि सूक्ष्म स्तर पर उस सामाजिक पृष्ठभूमि व परिवेश का पता चल सके जिसमें महिलायें अभिशक्त हैं । यह एक सामान्यीकृत तथ्य है कि व्यक्ति के सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश का उसके व्यवहार से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है । व्यक्ति अपने सामाजिक पर्यावरण से जैसा सीखता है, वैसी ही उसकी जीवन रीति बन जाती है । जीवन स्वयं जीने की एक कला है जो कि मानव के सीखने के परिणाम-स्वरूप ही विकसित होती है । यहाँ पर अध्ययन से सम्बन्धित सभी उत्तरदाताओं की उन सभी विशिष्टताओं का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा जो कि उसके सामाजिक परिवेश से प्रभावित होती हैं तथा साथ ही, उसे समय-समय पर प्रभावित भी करती हैं ।

आयु -

यद्यपि आयु एक जैविक तथ्य है तथापित समाज में आयु के अनेक अभिप्रेत अर्थ हैं। आयु एक ऐसा जैविक तथ्य है जो पद एवं कार्य की सामाजिक परिभाषा की सीमा का निर्धारण करता है । किसी व्यक्ति को किस आयु में कौन सा पद प्रदान किया जायेगा तथा उसकी भिन्न-भिन्न सामाजिक समूहों में क्या भूमिका होगी, इसका निर्धारण आयु के आधार पर होता है । विभिन्न समाजों में पाये जाने वाले आयु वर्गीकरणों से आयु के महत्व का पता चलता है[1] । शैशावस्था से युवावस्था तक विकास का क्रम जीवन चक्र में विभिन्नताएं उत्पन्न करता है[2] । यह प्रकृति का ऐसा सत्य है जिससे बचा नहीं जा सकता । विभिन्न संस्कृतियों में व्यक्तियों से उनकी

---

(1) एस0एन0, आइजेनस्टाट, फ्राम जनरेशन टू जनरेशनः एज ग्रुप एण्ड सोशल स्ट्रक्चर, न्यूयार्क, दि फ्री प्रेस, 1956

(2) पारसन्स, टाल्कट, 1942, एज एण्ड सेक्स इन दि सोशल स्ट्रक्चर आफ दि यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिकन सोशियोलोजिकल रिव्यू, 7 अक्टूबरः 604-616

आयु की विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की जाती है[3]। साथ ही, समाज के एक ही आयु समूह के लोगों का व्यवहार वैसा ही होता है जैसा कि समाज उनसे उस आयु में अपेक्षा करता है ।

महिलाओं के सन्दर्भ में आयु की महत्ता और भी बढ़ जाती है क्योंकि उनमें विवाह की आयु तथा प्रथम प्रसव के समय की आयु उनके भावी जीवन की सम्भावनाओं का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है । यह एक समाजशास्त्रीय तथ्य है कि कम आयु में विवाहित स्त्रियों की तुलना में अधिक आयु में विवाहित स्त्रियों के अपेक्षाकृत कम बच्चे पैदा होते हैं[4,5]। कम आयु में विवाह तथा कम आयु में प्रसव परिवार के आकार के साथ-साथ देश विशेष की जनसंख्या वृद्धि के लिये भी उत्तरदायी होती है जो कि अन्ततः अनेक सामाजिक समस्याओं के जन्म का कारण बनती है जिसमें स्वयं स्त्रियों का विकास भी अवरूद्ध हो जाता है ।

उत्तरदाताओं के आयु विषयक तथ्य सारणी 3.1 में प्रस्तुत है ।

सारणी 3.1

उत्तरदाताओं की वर्तमान आयु

वर्तमान आयु (वर्षों में)	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
15-24	90	22
25-34	130	33
35-44	180	45
योग-	400	100
विवाह की औसत आयु	31-75 वर्ष	

(3) बेनेडिक्ट, रुथ, 1938, कान्टीन्यूटीज एण्ड डिस्कान्टीन्यूटीज इन कल्चरल, कण्डीशनिंग, साइकिट्री, वाल्यूम 1

(4) भाटिया, जे0सी0, 1983, ऐज ऐट मैरिज एण्ड फर्टिलिटी इन घाना (वेस्ट अफ्रीका), डेमोग्राफी इण्डिया, वाल्यूम 12 नं0 2।

(5) परमान एस0बी0सिंह, 1986, स्त्रियों में विवाह की आयु तथा प्रजनन-दर निर्धारण, मानव, वाल्यूम 14 अंक-2-3

सारणी 3.1 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सब से अधिक उत्तरदाता 35-44 वर्ष आयु समूह के हैं (जिनका प्रतिशत 45 है) सबसे कम उत्तरदाता 15-24 वर्ष आयु-समूह के हैं (जिनका प्रतिशत 22 है) । इसी क्रम में, 25-34 वर्ष आयु-समूह के उत्तरदाताओं की संख्या का प्रतिशत 33 है । उत्तरदाताओं की आयु का औसत 31-75 वर्ष है ।

जातीय स्तर -

भारतीय सामाजिक संस्थाओं में जाति सामाजिक संरचना एवं व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार है । प्राचीन काल से ही भारत में जाति-प्रथा का अस्तित्व है जो कि सामाजिक संस्तरण का आधार रहा है । समाज में सभी जातियों की स्थिति समान नहीं होती वरन् ऊँच-नीच का एक संस्तरण पाया जाता है । यह जन्म पर आधारित होती है इसलिए इसमें सामान्यतया परिवर्तन सम्भव नहीं होता । पश्चिम में स्तरीकरण का आधार वर्ग रहा है किन्तु भारत में जाति और वर्ग दोनों हैं । जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित होती है और जो अपने सदस्यों पर खान-पान, विवाह, व्यवसाय और सामाजिक सहवास सम्बन्धी प्रतिबन्ध लागू करता है । इस प्रकार जाति हिन्दू सामाजिक संरचना का मुख्य आधार है, क्योंकि यह सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करती है[6] । जाति एक राजनीतिक इकाई भी है क्योंकि प्रत्येक व्यवहारिक आदर्श के नियम प्रतिपादित करती है और अपने सदस्यों पर उन्हें लागू भी करती है । जाति पंचायत उसके कार्य और संगठन राजनीतिक पक्ष के प्रतीक हैं । जाति के द्वारा विधायिक एवं न्यायिक कार्य भी सम्पन्न होते रहे हैं जिसके कारण इसे राजनीति इकाई का रूप मिलता रहा है[7] ।

वर्तमान में जाति-प्रथा को एक निरर्थक एवं हानिप्रद संस्था कहना एक फैशन बन गया है । जाति प्रथा के विरोधी भावों में वृद्धि हो रही है, किन्तु प्राचीनकाल में जाति ने व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिये अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये हैं । भारत में जाति की व्यापकता एवं

---

(6) डा0 आर0एन0सक्सेना, भारतीय समाज तथा संस्थाएं, पेज- 45

(7) डा0 सक्सेना, पेज- 53।

महत्व को स्पष्ट करते हुए मजूमदार ने लिखा है- "भारत में जाति व्यवस्था अनुपम है," भारत विभिन्न सम्प्रदायों की परम्परात्मक स्थली है यहाँ की हवा में जाति घुली हुई है, मुसलमान एवं ईसाई भी इससे अछूते नहीं हैं[8]। भारतीय मुस्लिम समुदाय में सामाजिक व्यवस्था का संस्तरणात्मक आधार जाति ही है । महिलाओं के सन्दर्भ में जाति की महत्ता और भी बढ़ जाती है । के0एल0शर्मा, 1974 एवं आर0के0मुकर्जी, 1957 के अध्ययनों ने संकेत दिया है कि जाति एवं पारिवारिक आर्थिक दशाओं का प्रजननता एवं शिशु-मृत्यु से घनिष्ठ सम्बन्ध है[9,10]। उत्तरदाताओं के जातीय स्तर सम्बन्धी विवरण सारणी 3.2 में प्रस्तुत है ।

सारणी 3.2

उत्तरदाताओं का जातीय स्तर

जातीय स्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
उच्च	60	15
मध्य	120	30
निम्न	220	55
योग-	400	100

सारणी 3.2 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उच्च जाति की उत्तरदाताओं की संख्या (15 प्रतिशत) सबसे कम है । निम्न जाति के उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक (55 प्रतिशत) है । इसी प्रकार, मध्यम जाति स्तर में कुल 30 प्रतिशत उत्तरदाता आते हैं ।

---

(8) मजूमदार एवं मदानः 'रेसेज एण्ड कल्चर इन इण्डिया,' देखें पुस्तक "भारतीय सामाजिक संस्थाऐं' आर0एन0मुकर्जी, पूर्वोक्त ।

(9) के0एल0शर्मा, 1904, दि चैंजिंग रूरल स्ट्राटीफिकेशन सिस्टम, नईदिल्ली, आरिमेन्ट लागमैन लिमिटेड ।

(10) आर0के0मुकर्जी, 1957, दि डायनामिक्स आफ रूरल सोसाइटी बरलिन एकेडमिक विरलाज ।

पारिवारिक पृष्ठभूमि-

परिवार समाज की आधारभूत संस्थाओं में से एक है जिसका व्यक्ति के समाजीकरण से सीधा सम्बन्ध है । परिवार व्यक्ति की प्रथम पाठशाला है जहाँ पर उसके विचार, विश्वास, धारणायें, भावनायें, सामाजिकमूल्य आदि जन्म लेते हैं तथा साथ ही पनपते भी हैं । इन सभी का व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास तथा उसकी भावी गति-विधियों से सीधा सम्बन्ध होता है । इसी से परिवार मानव समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई ही नहीं है बल्कि जीवन के लिये सबसे अधिक आवश्यक भी है[11]।

भिन्न-भिन्न समाजों में परिवार भिन्न-भिन्न रूपों में पाया जाता है । कहीं पर पितृसन्तात्मक, पितृवंशीय तथा पितृ-स्थानीय है तो कहीं पर इसका स्वरूप मातृसन्तात्मक, मातृवंशीय तथा मातृ-स्थानीय है । किसी समाज में परिवार एक विवाही है तो किसी अन्य में बहुपति विवाही अथवा बहुपत्नी विवाही । हिन्दू समाज में संयुक्त परिवारों की प्रधानता है, तो किन्हीं अन्य समाजों में एकाकी परिवारों की बहुलता है[12,13]। मुस्लिम समाज में भी प्राचीनकाल से ही संयुक्त परिवारों की प्रधानता एवं महत्ता रही है[14]। संयुक्त परिवार जहाँ व्यक्ति में समष्टिवादी विचारों को जन्म देते हैं वहीं एकाकी परिवार उसे व्यष्टिवादी बना देते हैं ।

---

(11) ग्रीन, ए0, डब्लू, 'सोशियोलाजी', पेज- 389

(12) के0एम0कपाड़िया, 1972, मैरिज एण्ड फेमिली इन इण्डिया, कलकत्ता, आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, पेज नं0 275

(13) पी0एन0, प्रभु, 1985, हिन्दू सोशल आर्गनाइजेशन, बाम्बे (पापुलर बुक डिपो), पेज नं0- 217

(14) यासीन महमूद, 1988, इस्लामी भारत का सामाजिक इतिहास, अटलांटिका पब्लिशर्स, नईदिल्ली, पेज नं0 117,118

उक्त सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के पारिवारिक स्वरूप का विवरण सारणी 3.3 में प्रस्तुत है ।

सारणी 3.3

उत्तरदाताओं के परिवार का स्वरूप

परिवार का स्वरूप	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
संयुक्त	131	33
एकाकी	269	67
योग-	400	100

सारणी 3.3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुस्लिम समाज में संयुक्त परिवारों की संख्या 131, (जिसका प्रतिशत 33 है) जो कि एकाकी परिवारों 269 (जिनका प्रतिशत 67 है) की अपेक्षा पर्याप्त कम है । इससे यह परिलक्षित होता है कि बढ़ती हुई वैयक्तिकता व व्यष्टिवादी विचार धारा का प्रभाव अध्ययन क्षेत्र के मुसलमानों में तीव्र गति से बढ़ रहा है ।

शैक्षिक स्तर -

व्यक्ति तथा समाज दोनों के ही दृष्टिकोण से शिक्षा का अपना विशिष्ट महत्व है । शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर उसे समाज के अनुकूल बनाती है । शिक्षा व्यक्ति को पशुत्व से मनुष्यत्व की ओर ले जाती है । इसी से समाज के लिये उसकी श्रेष्ठता का निर्धारण अपने आप हो जाता है । शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया के साथ-साथ सांस्कृतिक मूल्यों के पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तान्तरण में भी सहायक होती है । सामाजिक जीवन की श्रेष्ठता का आधार शिक्षा ही है चाहे वह प्राचीनकाल की परम्परागत शिक्षा हो अथवा आधुनिक-काल की व्यवसायिक शिक्षा । शिक्षा ने आज औद्योगिक विकास, आर्थिक संरचना, राजनीतिक जीवन सामाजिक पुर्ननिर्माण और व्यक्तित्व के विकास को एक दूसरे से सम्बद्ध कर दिया है ।

शिक्षा का रूप प्रत्येक युग और स्थान में समान नहीं रहा है । कभी शिक्षा को नैतिक विचारों के विकास के लिये आवश्यक माना गया तो कभी इसे सांस्कृतिक विरासत से मिलाकर धार्मिक पृष्ठभूमि में स्पष्ट किया जाता रहा । आज शिक्षा को धर्म के दायरे से बाहर तर्क प्रधान बनाया जा रहा है । परन्तु हर स्थिति में इसका उद्देश्य ज्ञान का संग्रह ही है । परम्परागत समाज में शिक्षा का स्वरूप अनौपचारिक था जिसका उद्देश्य व्यक्ति तथा समाज को नियंत्रित करना था । आधुनिक समाज में शिक्षा पूर्णतया विशेषीकृत है जिसका प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक जगत पर नियंत्रण पा लेना होता जा रहा है ।

शिक्षा के स्वरूप व अर्थ में भिन्नता के बावजूद इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता । आधुनिक युग में शिक्षा के स्तर का जनांकिकीय संघटकों से निकट का सम्बन्ध देखने को मिलता है । जन्म-दर तथा मृत्यु-दर शैक्षिक स्तर से सीधे जुड़े हुये प्रतीत होते हैं । सारणी 3.4 एवं 3.5 में क्रमशः उत्तरदाताओं तथा उत्तरदाताओं के पति के शैक्षिक स्तर का विवरण प्रस्तुत किया गया है ।

सारणी 3.4

उत्तरदाताओं का शैक्षिक स्तर

शैक्षिक स्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
निरक्षर	192	48
प्रा0 से माध्यमिक शिक्षित	136	34
उच्च शिक्षित	72	18
योग-	400	100

सारणी 3.4 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उत्तरदाताओं में निरक्षर सर्वाधिक 48 प्रतिशत हैं । प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वालों का प्रतिशत 34 है । साथ ही, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या सबसे कम मात्र 18 प्रतिशत है ।

इस प्रकार, सारणी इस तथ्य को प्रगट करती है कि वैसे तो मुस्लिमसमुदाय में शिक्षा का स्तर कम है फिर भी नगर में पिछड़े हुये मुस्लिम समुदाय की स्थिति को देखते हुये माध्यमिक शिक्षा व उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त महिलायें भी हैं ।

सारणी 3.5

उत्तरदाताओं के पति की शिक्षा

शैक्षिक स्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
निरक्षर	145	36
प्रा0 से माध्यमिक शिक्षा	133	33
उच्च शिक्षा	122	31
योग-	400	100

सारणी 3.5 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नगर में मुस्लिम समुदाय के उत्तरदाताओं की साक्षरता के स्तर से उनके पतियों में साक्षरता का स्तर अधिक है । फिर भी, उत्तरदाताओं के पतियों में भी निरक्षरता सर्वाधिक 36 प्रतिशत है जबकि माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा प्राप्त उत्तरदाताओं के पतियों की संख्या क्रमशः 33 एवं 34 प्रतिशत है । उत्तरदाताओं एवं उनके पतियों का शैक्षिक स्तर ज्ञात करने के पश्चात यह जानने के लिये कि पारिवारिक शिक्षा का प्रजनन व्यवहार पर कैसा और कितना प्रभाव पड़ता है उनके पति के अतिरिक्त पिता के शैक्षिक स्तर की भी जानकारी प्राप्त की गई । जिसका विवरण सारणी 3.6 में प्रस्तुत किया गया है ।

सारणी 3.6

उत्तरदाताओं के पिता का शैक्षिक स्तर

शैक्षिक स्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
निरक्षर	184	46
प्राथमिक एवं माध्यमिक	191	48
उच्च शिक्षा	25	06
योग-	400	100

सारणी 3.6 के विवरण से ज्ञात होता है कि इनमें भी निरक्षर सर्वाधिक 46 प्रतिशत हैं । प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा प्राप्त पिताओं का प्रतिशत 48 है जो लगभग निरक्षरों के बराबर ही है जबकि उच्च शिक्षा इस वर्ग में बहुत ही निम्न स्तर की है जो मात्र 6 प्रतिशत है ।

पारिवारिक शिक्षा का प्रजननता व्यवहार पर वास्तविक रूप में प्रभाव देखने के लिये यह भी आवश्यक है कि उत्तरदाता के पिता के शिक्षा के स्तर के साथ-साथ उत्तरदाता के पति के पिता के शैक्षिक स्तर को भी जाना जाय, इसी उद्देश्य के तहत उत्तरदाताओं के पतियों के पिता के शैक्षिक स्तर सम्बन्धी तथ्य एकत्र किये गये हैं जिन्हें सारणी 3.7 में प्रस्तुत किया गया है ।

सारणी 3.7

उत्तरदाताओं के पति के पिता का शैक्षिक स्तर

शैक्षिक स्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
निरक्षर	190	48
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा	165	41
उच्च शिक्षा	45	11
योग-	400	100

सारणी 3.7 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उत्तरदाताओं के पतियों के पिता भी निरक्षरता में पर्याप्त आगे (48 प्रतिशत) हैं । प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का प्रतिशत 41 है जबकि उच्च शिक्षा का स्तर अत्यन्त कम 11 प्रतिशत ही है । शिक्षा सम्बन्धी उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि नगर के मुस्लिम परिवारों का शैक्षिक स्तर अत्याधिक निम्न है ।

विवाह की आयु -

मानव की विभिन्न प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताओं में यौन सन्तुष्टि एक आधारभूत आवश्यकता है । विवाह एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था ही नहीं बल्कि यह व्यक्तियों के यौन

जीवन को सुचारू रूप से चलाने एवं सामाजिक धार्मिक उद्देश्यों को पूरा करती है । हिन्दू विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया जबकि मुस्लिम विवाह एक संविदा है परन्तु विवाह सभी सम्प्रदायों, समाजों एवं समूहों की वैध पारिवारिक जीवन व्यतीत करने सम्बन्धी अनिवार्यता है । विवाह स्त्री और पुरूष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है[15]। सामान्यतः विवाह वधू को वर के घर ले आना है[16]। यह स्त्री पुरूष का ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा वैध सन्तान माना जाय[17]।

यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में लड़कों एवं लड़कियों का विवाह उनकी परिपक्व आयु में होने की प्रथा थी । पी0एन0प्रभु ने हिन्दू शास्त्रों का उल्लेख करते हुये स्पष्ट किया है कि प्राचीन भारत में कम आयु में विवाह करना प्रचलन में नहीं था । लड़कियों में रजस्वला के बाद विवाह होने की प्रथा का विरोध कुछ हिन्दू लेखकों जैसे गौतम एवं विष्णु आदि द्वारा किया गया और रजस्वला के पूर्व विवाह करने पर बल दिया गया । जबकि वशिष्ट एवं बौधायन ने 400 बी0सी0 के आस-पास रजस्वला के बाद विवाह किये जाने पर बल दिया । इस वैचारिक संघर्ष का अन्त उस समय हो गया जबकि समाज ने रजस्वला के पूर्व विवाह करना स्वीकार कर लिया । 200 ए0डी0 के लगभग इस प्रकार के विवाह सामान्यतया होने लगे और धीरे-धीरे विवाह की आयु कम होती गई । मध्यकाल में अंग्रेजी कानूनों के लागू होने के साथ ही साथ अधिकांश विवाहों में विवाह की आयु पाँच वर्ष से भी कम हो गई । इरावती कर्वे के अनुसार यह व्यक्ति के लिये सम्मान कीबात थी कि वह अपनी कन्या के विवाह के लिये रजस्वला से पूर्व ही वर की तलाश कर ले । कुछ माता-पिता तो अपने बच्चों का विवाह उनके जन्म के पूर्व ही निश्चित कर लेते थे[19]।

---

(15) ई0एस0, बोगार्डस, 1957, 'सोशियोलॉजी' पेज-70
(16) उद्वाहत्व-तेन मार्यात्व सम्पादकं ग्रहणं विवाहः, मनुस्मृति 3/20
(17) लूसी मेयर, सामाजिक नृ-विज्ञान की भूमिका, हिन्दी अनुवाद, पेज-90
(18) पी0एन0प्रभु, 1963, हिन्दू सोशल आर्गनाइजेशन, बाम्बे पापुलर प्रकाशन, पेज 151-52
(19) कर्वे, आई0, 1965, किंगशिप आर्गनाइजेशन इन इण्डिया, बाम्बे एशिया पब्लिशिंग हाउस, पेज-130

कम आयु में विवाह का प्रचलन केवल हिन्दुओं में ही नहीं मुसलमानों मे भी है । मुसलमानों में विवाह के लिये कोई आयु निश्चित नहीं थी, किन्तु मुस्लिम लोगों में विवाह जल्दी ही कर दिये जाते थे[20]। छोटी आयु की लड़कियों का विवाह बड़ी आयु के पुरूषों से कर दिया जाता था । कुछ विदेशी यात्रियों ने उक्त तथ्य को स्वीकार नहीं किया । सामान्यतया मुस्लिम लोग अपनी बेटियों का विवाह यौवनारम्भ होने से पूर्व नहीं करते थे तथापि हिन्दुओं का अनुकरण करते हुए उनमें भी ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई थी[21]।

उपरोक्त विवरण इस बात का स्पष्ट संकेत करता है कि विवाह की आयु में स्थिरता नहीं थी । रॉस के अनुसार- भारत में लड़कों एवं लड़कियों के विाह की आयु में समय-समय व स्थान-स्थान और यहाँ तक कि धर्म, जाति एवं भाषा के आधार पर भिन्नता पायी जाती है[22]। भारत में कम आये में विवाह एक सामान्य बात हो चुकी थी । कुछ समाज सुधारकों जैसे- राजाराम मोहन राय एवं ईश्वर चन्द विद्यासागर आदि ने बाल-विवाह के दोषों एवं दुष्परिणामों से समाज को अवगत कराया और लोगों में इसके प्रति चेतना पैदा करने का प्रयास किया और सरकार पर प्रभाव व दबाव डालकर 1929 में विवाह की आयु के सन्दर्भ में अधिनियम पारित कराया जिसमें लड़कों के विवाह की आयु 18 वर्ष व लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई । तदुपरान्त, हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 (संशोधित 1978) के द्वारा यह आयु क्रमशः 21 व 18 वर्ष निश्चित की गई ।

20वीं शताब्दी में कुछ महिला समाज सुधार आन्दोलनों ने इस दिशा में और प्रगति की किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी 18 वर्ष की आयु से पूर्व ही लड़कियाँ विवाह के बन्धन में बँध जाती हैं । भारत में अशिक्षित ग्रामीण कन्याओं को 13-17 वर्ष की आयु तक विवाह में दे देते हैं, उनका मानना है कि अधिक वयस्क कन्या समस्या बन जाती है ।

---

(20) यासीन महमूद, 1988, इस्लामी भारत का सामाजिक इतिहास, सरेरी 111, पृष्ठ 252, पेज- 264

(21) यासीन महमूद, 1988, पीटर मुंडे 11 पेज 180, इस्लामी भारत का सामाजिक इतिहास पेज- 64

(22) रॉस, ए0डी0 1961 दि हिन्दू फेमिली इन इट्स अरबन सेटिंग, यू0एस0ए0, यूनीवर्सिटी आफ टोरन्टो प्रेस, पेज- 236

भारत में अब पहले की तुलना में विवाह अधिक आयु में होते हैं । प्रायः अधिक धनी व्यक्तियों के बच्चे अधिक आयु में ही विवाह करते हैं । शिक्षित लड़के-लड़कियाँ शिक्षा समाप्त होने, तद्नुसार रोजगार पाने तक विवाह नहीं करते । नगरों में तो शिक्षा व देर से विवाह का प्रचलन बहुत अधिक है, किन्तु गाँवों में नगरों की तुलना में बाल-विवाह आज भी प्रचलित है । लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विवाह जल्दी कर दिया जाता है ।

महिलाओं के सन्दर्भ में विवाह के समय कम आयु होना अत्याधिक महत्व का विषय है क्योंकि कम आयु में विवाह और प्रथम प्रसव उनके आगे के जीवन को निर्धारित करता है । यदि विवाह के समय उम्र कम होगी तो बच्चे अधिक पैदा होंगे यदि उम्र अधिक होगी तो कम बच्चे पैदा होंगे । उत्तरदाताओं के विवाह की आयु विषयक विवरण सारणी 3.8 में प्रस्तुत है ।

सारणी 3.8

उत्तरदाताओं के विवाह की आयु

विवाह की आयु (वर्षों में)	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
15-19	254	63
20-24	131	33
25-29	15	04
योग-	400	100
विवाह की औसत आयु-	19.11	

सारणी 3.8 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं का विवाह 15-19 वर्ष आयु समूह के अन्तर्गत हुआ जिनका कुल प्रतिशत 63 है । सबसे कम उत्तरदाताओं का विवाह 25-29 वर्ष आयु में हुआ जिनका प्रतिशत 4 है । इसी क्रम में, ऐसे उत्तरदाता जिनका विवाह 20-24 वर्ष आयु समूह में हुआ, उनका प्रतिशत 33 है ।

उत्तरदाताओं के विवाह की औसत आयु 19.11 है । उक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि नगर में मुस्लिम समुदाय में अधिकतर महिलाओं का विवाह कम आयु में ही हुआ ।

व्यवसाय -

व्यवसायों के विवरण में कुछ जातियों का सीधा सम्बन्ध होता है । कुछ जातियाँ ऐसी होती हैं जिनके पास अपनी स्वयं की भूमि होती है किन्तु वे स्वयं कृषि नहीं करते । कुछ भू-स्वामी स्वयं कृषि करते हैं । कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं होती फिर भी वह कृषि कार्यो में संलग्न होते हैं । कुछ लोग कृषि के अतिरिक्त कार्यो में भी संलग्न होते हैं।

ग्राम्य समाज एवं नगरीय समाज में व्यवसाय का भेद विशेष महत्वपूर्ण है, भारत में ग्रामीण व्यक्तियों का मुख्य व्यवसाय कृषि है । भारत के शहरी समुदाय में व्यक्तियों का एक ही व्यवसाय न होकर विभिन्न प्रकार के व्यवसाय होते हैं । नगरों में अधिकांशतः लोग वाणिज्य-व्यापार तथा औद्योगिक व्यवसाय में लगे हुये हैं । यह एक मान्य तथ्य है कि व्यवसाय व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का निर्धारण करता है । पति के व्यवसाय का महिलाओं पर अत्याधिक प्रभाव पड़ता है । स्वयं का व्यवसाय भी महिलाओं को प्रभावित करता है । व्यवसाय व्यक्ति की पारिवारिक सामाजिक-आर्थिक स्थिति का निर्धारक है, अतः यह परिवार में बच्चों के जन्मों को भी प्रभावित करता है । स्वयं उत्तरदाता तथा उनके पतियों के व्यवसाय का विवरण क्रमशः सारणी 3.9 एवं 3.10 में प्रस्तुत है ।

सारणी 3.9

उत्तरदाताओं का व्यवसाय

व्यवसाय	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
घरेलू पत्नी	312	78
सरकारी नौकरी	30	7
स्वयं का व्यवसाय	58	15
योग-	400	100

सारणी 3.9 से स्पष्ट है कि मुस्लिम समुदाय में आत्मनिर्भर महिलाओं की संख्या मात्र 88 ही है जबकि 78 प्रतिशत महिलायें घरेलू काम-काज से जुड़ी हुई हैं । जिनकी कुल संख्या 312 है ।

इन कार्यकर्ता महिलाओं में केवल 7 महिलायें ऐसी हैं जो शिक्षित है तथा सरकारी नौकरियों से जुड़ी हैं । अधिकांश महिलायें शिक्षिका ही हैं । इसी क्रम में, 15 प्रतिशत महिलायें निम्नवर्ग की हैं जो छोटे-मोटे व्यवसाय जैसे- चूड़ी बेचना, मनिहारी का काम तथा सब्जी बेचना आदि में संलग्न हैं ।

सारणी 3.10

उत्तरदाताओं के पति का व्यवसाय

पति का व्यवसाय	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
स्वयं का व्यवसाय	180	45
सरकारी नौकरी	160	40
श्रमिक	60	15
योग-	400	100

सारणी 3.10 से स्पष्ट होता है कि समुदाय में 45 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पति निजी व्यवसाय से जुड़े हुये हैं जिनमें कुछ का व्यवसाय तो उच्च श्रेणी का है, कुछ औसत दर्जे के धन्धों को कर रहे हैं और कुछ निम्न श्रेणी के व्यवसायी हैं । समुदाय में सरकारी कर्मचारी भी लगभग 40 प्रतिशत हैं जो विभिन्न श्रेणियों की सरकारी सेवा से जुड़े हुये हैं । 15 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पति श्रमिक वर्ग से सम्बन्धित हैं । कुछ ऐसे भी हैं जो विभिन्न व्यवसायों में संलग्न होने के साथ-साथ भू-स्वामी है और कृषि कार्य कर रहे हैं ।

सामाजिक-आर्थिक स्तर-

सामाजिक-आर्थिक स्तर प्रजननता को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है । माल्थस एवं स्पेन्सर आदि ने अपने मत स्पष्ट किये कि आर्थिक प्रगति के पश्चात प्रजनन में स्वतः नियमितता आ जायेगी । कुछ वैज्ञानिकों का विचार था कि आर्थिक प्रगति के फलस्वरूप व्यक्ति की आकांक्षाएं बढ़ जायेंगी और बच्चे पैदा करने की इच्छा में कमी होगी । समाजवादी लोगों का विचार था कि जन सामान्य के हित के लिये लोग अपने परिवार को सीमित रखना आरम्भ करेंगे[23] ।

जिन देशों में रहन-सहन का स्तर सबसे ऊँचा हैं वहाँ परिवार के आकार में कमी लोगों की आय में वृद्धि होने के साथ-साथ हो जाती है । अतः निष्कर्ष के तौर पर यह कह सकते हैं कि जैसे-जैसे पारिवारिक आय में वृद्धि होती है प्रजननता में कमी आ जाती है ।

जो परिस्थितियाँ अधिक प्रजनन के लिये उत्तरदायी हैं वे ही परिस्थितियाँ बड़े परिवार के लिये अनुकूल मनोवृत्ति को जन्म देती हैं जैसे निरक्षरता, कृषि पर अत्याधिक निर्भरता, रहन-सहन का निम्न स्तर आदि । धार्मिक रूढ़िवादी विचार, परिवार के संगठन का ढाँचा, अधिक शिशु मृत्यु-दर, परिवार की आय में बच्चे का योगदान, बच्चों के पालन-पोषण पर कम खर्च आदि कुछ ऐसे सामाजिक आर्थिक कारक हैं जो अधिक प्रजननता के लिये प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं[24] ।

---

(23) 1- थाम्पसन, डब्लू0,एस0,'पापुलेशन प्राब्लम्स' न्यूयार्क, 1942 चैप्टर (X)

2- क्यूजन्सकी, आर0आर0, "दि बैलेन्स आफ बर्थ एण्ड डेथ" वाल्यूम I, न्यूयार्क, 1928, वाल्यूम II, वाशिंग्टन, 1931

3- क्यूजन्सकी, आर0आर, "दि इन्टरनेशनल डिक्लाइन आफ फर्टिलिटी" इन पालिटिकल अर्थ मैटिक, लन्दन, 1938, पृष्ठ- 47-72

(24) डेविस, किंगस्ले, "डेमोग्राफी फैक्ट एण्ड पालिसी इन इण्डिया" दि मिल बैंक ।

सामान्यतया यह देखने में आया है कि मुस्लिमों में जनसंख्या वृद्धिदर हिन्दुओं की अपेक्षा अधिक है । विभिन्न अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ कि मुस्लिम समुदाय अधिक पिछड़ा हुआ व धार्मिक रीति-रिवाजों से घिरा है । इस्लामिक मान्यता के अनुसार किसी भी आने वाले जन्म को रोकना व गर्भपात एवं बंध्याकरण शरीयत के आधार पर गुनाह (पाप) है । साथ ही अधिक निर्धनता, अशिक्षा व निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर इस समुदाय में प्रजननता को अधिक प्रोत्साहन व बढ़ावा देते हैं । उत्तरदाताओं का सामाजिक-आर्थिक स्तर सम्बन्धी विवरण सारणी 3.11 में प्रस्तुत है ।

सारणी 3.11

उत्तरदाताओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर का विवरण

सामाजिक-आर्थिक स्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
उच्च	85	21
मध्यम	135	34
निम्न	180	45
योग-	400	100

सारणी 3.11 से स्पष्ट है कि समुदाय के अधिकतर उत्तरदाता निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर वाले हैं जिनका प्रतिशत 45 है । मध्यम सामाजिक-आर्थिक स्तर वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 34 है । इसीक्रम में उच्च सामाजिक-आर्थिक स्तर वाले उत्तरदाताओं की संख्या सबसे कम 21 प्रतिशत है ।

परिवार की आय -

आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक संगठन परिवार पर निर्भर है । प्राचीन समय से ही भारत में कृषि अथवा छोटे-मोटे लघु उद्योगों पर परिवार की आय आश्रित थी । तत्पश्चात औद्योगीकरण व नगरीकरण के पश्चात विभिन्न उद्योग, व्यवसाय, व्यापार तथा सरकारी सेवायें व्यक्ति की आर्थिक स्थिति एवं आवश्यकता पूर्ति का आधार बनीं । भारतीय परिवार में मुख्यतः पति ही आय का साधन अर्जित करता था, पर आधुनिक भारतीय समाज में शिक्षा की प्रगति तथा काफी संख्या में महिलाओं ने पुरूषों की भाँति धन कमाना आरम्भ किया । फलस्वरूप परिवार की आय में पर्याप्त वृद्धि हुई । परिवार की आय आर्थिक स्थिति एवं पारिवारिक संगठन का निर्धारण करती है। वैज्ञानिक की धारणा है कि जैसे-जैसे परिवार की आर्थिक स्थिति उच्च होती जाती है परिवार में बच्चों की संख्या कम होती जाती है । उत्तरदाताओं के परिवार की आय को सारणी 3.12 में प्रस्तुत किया गया है ।

सारणी 3.12

उत्तरदाताओं के परिवार की आय

परिवार की आय (रूपयों में)	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
00-1500	137	34
1500-3000	225	56
3000-से-अधिक	38	10
योग-	400	100

सारणी 3.12 से ज्ञात हो जाता है कि ज्यादातर उत्तरदाता मध्यमश्रेणी की आय अर्थात 1500-3000 के अन्तर्गत आते हैं जिनका प्रतिशत 56 है । निम्नश्रेणी की आय (00-1500) में 34 प्रतिशत उत्तरदाता हैं जबकि उच्चश्रेणी की आय (3000 या उससे अधिक) वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत मात्र 10 है । इस प्रकार स्पष्ट होता है कि नगर में मुस्लिम समाज का आर्थिक स्तर निम्न-मध्यवर्गीय है ।

परिवार में बच्चों की संख्या -

परिवार का संगठन एवं व्यवस्था एवं सामाजिक आर्थिक स्तर के अनुसार ही परिवार में बच्चों की संख्या निर्भर होती है । प्रजननता का परिवार में बच्चों की संख्या से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है । शहरी एवं ग्रामीण समुदायों में परिवारों में बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में भिन्नता है । बड़े शहरों में परिवार को सीमित रखने की प्रकृति पाई जाती है क्योंकि शहरों में बच्चे आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं समझे जाते । शहरों में धनी परिवारों में बच्चे धन कमाने का साधन नहीं समझे जाते जबकि पिछड़े हुये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में, निर्धन लोगों की मानसिकता अधिक बच्चों के पक्ष में होती है क्योंकि निर्धन परिवारों में बच्चे आर्थिक उत्पादक समझे जाते हैं क्योंकि निर्धन परिवारों में जन्में बच्चे कम आयु में ही अनेक छोटे-मोटे कार्य करके स्वयं धन अर्जित कर लेते हैं। वैसे अब विकासशील देशों में भी परिवारों को सीमित रखने की मान्यता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और लोगों में इसके प्रति जागरूकता आयी है ।

अब बच्चों के पालन-पोषण का समय बढ़ गया है जिसके फलस्वरूप खर्च में भी वृद्धि हो रही है । बच्चों में शिक्षा, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का भी महत्व बढ़ गया है और चिकित्सा की देख-रेख के मापदण्डों में वृद्धि हुई है जिसका खर्च माता-पिता को ही उठाना पड़ता है[25] ।

शिशुओं एवं बच्चों की मृत्यु-दर भी परिवार में बच्चों की संख्या का निर्धारण करने में सहायक होती है । साधारणतया दम्पत्तियों में यह प्रवृत्ति पायी जाती है कि नया बच्चा पैदा करके मर जाने वाले बच्चे की पूर्ति की जाय । उत्तरदाताओं के बच्चों की संख्या का विवरण सारणी 3.13 में प्रस्तुत है ।

---

(25) अशोक कुमार, 1978, "जनसंख्या एक समाज वैज्ञानिक अध्ययन" प्रकाशक हिन्दी ग्रन्थ अकादमी प्रभाग, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, पेज नं0- 70-71

सारणी 3.13

उत्तरदाताओं के परिवार में बच्चों की संख्या

बच्चों की संख्या	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
0-3	75	19
3-6	125	31
6-9	200	50
योग:-	400	100

सारणी 3.13 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं के 6-9 बच्चे हैं जिनका प्रतिशत 50 है, जबकि 3-6 बच्चों वाली उत्तरदाता महिलाओं का प्रतिशत 31 है । सबसे कम 0-3 बच्चों वाली महिलायें केवल 19 प्रतिशत ही हैं । इस तरह स्पष्ट होता है कि नगर के मुस्लिम समुदाय में अधिकतर परिवार अधिक बच्चों वाले हैं ।

पारिवारिक सुविधाएं -

(क) मकान का स्वरूप -

सामान्यतजः सम्पत्ति का आधार मकान, आभूषण आदि को माना जाता रहा है, जिन व्यक्तियों के पास जितने मकान व आभूषण मौजूद होते हैं उसी के आधार पर उनकी स्थिति का निर्धारण किया जाता है । जिनके पास अच्छे बड़े मकान व कीमती भौतिक सामान (गैस, फ्रिज, टी0वी0, वी0सी0आर0, वाशिंग मशीन) तथा आभूषण होते हैं उनकी समाज में उतनी ही उच्च स्थिति होती है तथा जो उक्त वस्तुओं से वंचित हैं, स्वयं कच्चे घरों, झोपड़ी में रह रहे हैं, समाज में उनकी निम्न स्थिति होती है । उत्तरदाताओं के मकान के स्वरूप सम्बन्धी विवरण सारणी 3.12 में प्रस्तुत है ।

सारणी 3.14

उत्तरदाताओं के मकान का स्वरूप

मकान का स्वरूप	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
कच्चा	100	25
पक्का	105	26
मिश्रित	195	49
योग-	400	100

सारणी 3.14 के अवलोकन से स्पष्ट है कि नगर में मुस्लिम समुदाय के सर्वाधिक उत्तरदाता 49 प्रतिशत मिश्रित मकानों में निवास करते हैं । 25 प्रतिशत उत्तरदाता कच्चे मकानों में रहते हैं, जबकि 26 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पक्के मकान हैं । मकान का स्वरूप जानने के साथ ही उनकी आवासीय स्थिति उचित ढंग से मूल्यांकन करने के दृष्टिकोण से मकान के स्वरूप के साथ-साथ मकान में कमरों की संख्या जानने का प्रयास किया गया जो सारणी 3.15 में स्पष्ट किये गये हैं ।

सारणी 3.15

उत्तरदाताओं के मकान में कमरों की संख्या

मकान में कमरों की संख्या	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1-2	253	63
3-4	120	30
5	27	07
योग-	400	100

सारणी 3.15 से स्पष्ट होता है कि अधिकतर उत्तरदाताओं के मकान 1 से 2 कमरों वाले हैं (जिनका प्रतिशत 63 है) जबकि 3 से 4 कमरे वाले मकानों का प्रतिशत 30 है, इसी क्रम में 5 या उससे अधिक कमरे वाले मकान मात्र 7 प्रतिशत ही हैं ।

(ख) प्रकाश का साधन -

आज के आधुनिक भौतिकवादी परिवेश में व्यक्ति की सामान्य एवं अति-आवश्यक आवश्यकता विद्युत है । व्यक्ति के दैनिक जीवन में हर समय विद्युत उपलब्धता आवश्यक है । विद्युत के बगैर घर को पूर्ण नहीं माना जा सकता । प्रकाश का साधन व्यक्ति के सामाजिक स्तर का निर्धारण भी करता है । जिनके घरों में प्रकाश का साधन विद्युत है उनकी सामाजिक स्थिति उच्च है तथा जिनके यहाँ यह नहीं है अन्य कोई साधन है उनकी स्थिति निम्न मानी जाती है । परन्तु नगरीय समुदाय में विद्युत सहजता से उपलब्ध होने के कारण लगभग सभी मकानों में प्रकाश का साधन विद्युत ही है चाहे वो किसी दूसरे कनक्शन से किराये पर मध्यम व निम्न वर्ग द्वारा ली गई हो । समुदाय में उत्तरदाताओं के मकान में प्रकाश साधन सम्बन्धी विवरण सारणी 3.16 में प्रस्तुत है ।

सारणी 3.16

उत्तरदाताओं के मकानों में प्रकाश का साधन

प्रकाश का साधन	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
बिजली	400	100
लालटेन	00	00
अन्य कोई	00	00
योग-	400	100

सारणी 3.16 के विवरण से स्पष्ट है कि सभी मुस्लिम उत्तरदाता महिलाओं के परिवार में प्रकाश साधन विद्युत ही है, जिसका पूर्ण प्रतिशत 100 है ।

(ग) पीने के पानी का साधन -

वर्तमान समय में नल द्वारा पेयजल की आपूर्ति काफी प्रचलित हो गई है । यह व्यवस्था व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति की परिचायक भी है । नगरीय क्षेत्रों में व्यक्ति अधिकांशतः नल द्वारा पेयजल उपलब्ध करने का आदी हो चुका है । बहुत कम लोग हैण्डपम्प के पानी एवं कुछ ही लोग कुयें के पानी का प्रयोग करते हैं । अच्छे स्वास्थ्य एवं जीवन हेतु हवा के बाद पानी ही सबसे अनिवार्य है । अच्छी सेहत के लिये साफ, स्वच्छ एवं जीवाणु रहित जल की आवश्यकता पड़ती है । अधिकतर गन्दे कीटाणु युक्त पानी के द्वारा ही अनेक बीमारियाँ पैदा होती है । अतः बीमारियों से बचने के लिये स्वच्छ साफ एवं जीवाणु रहित जल का उपयोग करना चाहिए । उत्तरदाताओं के पीने के पानी के साधन सम्बन्धी विवरण को सारणी 3.17 में प्रस्तुत किया गया है ।

सारणी 3.17

उत्तरदाताओं के पीने के पानी के साधन का विवरण

पानी का साधन	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
नल (व्यक्तिगत)	320	80
नल (किसी दूसरे का)	37	09
नल (सार्वजनिक)	43	11
योग-	400	100

सारणी 3.17 से स्पष्ट है कि समुदाय विशेष के अधिकतर उत्तरदाता पीने के पानी के साधन के रूप में नल का प्रयोग करते हैं (जिनका प्रतिशत 80 है) 9 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जो किसी दूसरे के नल से किराये से या मुफ्त में पानी भरते हैं । 11 प्रतिशत उत्तरदाता पीने के पानी के साधन के रूप में सार्वजनिक नलों का इस्तेमाल करते हैं ।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि नल व्यवस्था शत-प्रतिशत प्रचलित हैं तथा अधिकांश लोग पीने के पानी का व्यक्तिगत साधन रखते हैं । दूसरे के साधन पर निर्भर रहने वाले तथा सार्वजनिक नलों का इस्तेमाल करने वालों की संख्या काफी कम है ।

(घ) शौचालय सुविधा -

उत्तरदाताओं के परिवार में शौचालय, सुविधा का विवरण सारणी 3.18 में प्रस्तुत किया गया है ।

सारणी 3.18

उत्तरदाताओं के परिवार में शौचालय सुविधा

शौचालय सुविधा	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
है	340	85
नहीं है	60	15
योग-	400	100

सारणी 3.18 से ज्ञात होता है कि अधिकांश (85 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को शौचालय सुविधा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त है, केवल 15 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जो शौचालय सुविधा से वंचित हैं ।

प्रस्तुत अध्याय में महिलाओं की सामाजिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण किया गया और सूक्ष्म स्तर पर उस सामाजिक स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया जिसमें महिलायें निवास करती हैं । साथ ही, व्यक्ति के व्यवहार का सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश से सम्बन्ध और सामाजिक परिवेश से प्रभावित होने वाली विशिष्टताओं का विवरण प्रस्तुत किया गया है ।

अध्याय- 4

विवाह की आयु एवं प्रजननता

पूर्ववर्ती अध्याय में महिलाओं की सामाजिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण किया गया जिससे सूक्ष्म स्तर पर उस सामाजिक परिवेश का ज्ञान हो सका जिसकी महिलायें अभिशक्त हैं । इस अध्याय में विवाह की आयु के प्रजननता पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रस्तुत किया जायेगा तथा विभिन्न आधार जैसे- महिलाओं की वर्तमान आयु, जाति, परिवार, शिक्षा, आय एवं व्यवसाय आदि विवाह की आयु के साथ-साथ प्रजननता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसका भी विश्लेषण किया गया है ।

विवाह -

विवाह एक सामान्य तथा स्वाभाविक घटना है । विवाह प्रत्येक समाज व संस्कृति का एक आवश्यक अंग होता है क्योंकि यह वह साधन है जिसके आधार पर समाज की प्रारम्भिक इकाई, परिवार का निर्माण होता है तथा सन्तानों की वैधता सिद्ध होती है । समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से स्त्री-पुरूष की यौन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उसे एक निश्चित ढंग से नियंत्रित करने तथा स्थिर रखने और परिवार को स्थायी रूप देने के लिये विवाह एक सर्वमान्य एवं सार्वभौमिक संस्था है । विवाह, का स्वरूप या विवाह का सम्बन्ध स्थापित करने के तरीके में पर्याप्त भिन्नता है । विवाह के तरीके, रीति-रिवाज सभी समाजों, सम्प्रदायों एवं जातियों में भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं ।

भारतवर्ष में विवाह एक सामाजिक संस्था होने के साथ-साथ धार्मिक आवश्यकता भी मानी जाती है । प्रायः यह देखा गया है कि यहाँ लगभग 95 प्रतिशत स्त्री एवं पुरूष विवाह अवश्य करते हैं । जबकि, अन्य विकसित देशों में यह प्रतिशत काफी कम है । विवाह की इस सर्वव्यापकता एवं अनिवार्यता के कारण प्रजनन योग्य लगभग सभी दम्पत्ति सन्तति उत्पत्ति में भाग लेते हैं जिससे प्रजनन-दर बढती है तथा जनसंख्या में वृद्धि ही होती है ।

---

(1) मिश्र, भास्कर, ओझा, शंकरदत्त, साहनी निर्मल, मेहता टी0एस0, 1987, 'जनसंख्या शिक्षा-सिद्धान्त एवं तत्व" जनसंख्या केन्द्र, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, पेज- 93

विवाह की आयु -

स्त्रियों के विवाह की उम्र का प्रजननता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है । कम आयु में विवाह होने से दम्पत्ति को बहुत लम्बी प्रजनन अवधि मिल जाती है । भारत में कम आयु में विवाह का प्रचलन प्राचीनकाल से ही रहा है । प्राचीनकालीन भारतीय समाज व संस्कृति, हिन्दू सामाजिक संगठन एवं व्यवस्था से प्रभावित थी, अतः हिन्दू सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत विवाह को अनिवार्य धार्मिक संस्कार माना गया । वैदिक युग के साहित्य एवं धर्म ग्रन्थों के अध्ययन से यह विदित होता है कि उस समय बाल विवाह का प्रचलन नहीं था । महाभारत में 16 वर्ष की 'नग्निका' के विवाह का उल्लेख मिलता है । गृह्यसूत्र में भी विवाह के चौथे दिन सम्भोग करने का आदेश है[2]। इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय पूर्ण युवती का ही विवाह होता था, बालिकाओं का नहीं । भारत में ऋगवेद-काल के बाद बाल विवाह के प्रति मनोवृत्ति बढ़ती गई । धर्म सूत्रकारों एवं स्मृतिकारों ने रजोदर्शन के पहले ही विवाह की अनुमति दे दी । बाह्य पुराण में तो यहाँ तक स्पष्ट है कि 4 साल की आयु के बाद किसी भी समय लड़की का विवाह किया जा सकता है । मनु, कौटिल्य और वशिष्ठ आदि ने रजोदर्शन के तीन वर्ष के अन्दर विवाह किये जाने पर बल दिया[3]।

भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना के उपरान्त हिन्दू लड़कियों के विवाह मुसलमानों से न हो सकें, इस उद्देश्य से विवाह कम आयु में कर देने पर बल दिया गया । इस प्रकार, विवाह की आयु घटते-घटते आठ-नौ वर्ष रह गई । आज भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कम आयु में विवाह किये जाने का प्रचलन है । बाल विवाह से भारत का केवल हिन्दू समाज ही

---

(2) मुकर्जी, आर0एन0, "भारतीय समाजिक संस्थायें", विवेक प्रकाशन, 7 यू0ए0 जवाहर नगर, दिल्ली, पेज-347

(3) मुकर्जी, आर0एन0, "भारतीय सामाजिक संस्थायें, पेज-347, पूर्वोक्त ।

नहीं बल्कि मुस्लिम समाज भी अछूता न रह सका । डा0 कपाड़िया का स्पष्ट मत है कि भारत में मुसलमानों के स्थायी रूप से बस जाने के बाद मुसलमान हिन्दुओं की जाति प्रथा से प्रभावित हुये बिना न रह सके । उन्होंने संयुक्त परिवार प्रणाली अपनाने के साथ ही बाल विवाह प्रथा को भी स्वीकार किया[4] ।

वैसे तो मुस्लिम समाज में विवाह की आयु निश्चित नहीं थी किन्तु लड़की का विवाह कम आयु में कर दिया जाता था । फिर भी, मुसलमानों में बेटियों के विवाह यौवनारम्भ होने से पूर्व नहीं होते थे[5] । उक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत में कम आयु में विवाह का प्रचलन सभी जातियों व सम्प्रदायों में था और आज भी ग्रामीण क्षेत्र इससे प्रभावित है ।।

भारत की विभिन्न जनगणना अध्ययनों की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि यहाँ 1901-11 के दशक में महिलाओं के विवाह की औसत आयु 13.2 वर्ष, 1911-21 में 13.6 वर्ष, 1921-31 में 12.6 वर्ष, 1931-41 में 15.00 वर्ष, 1941-51 में 15.4 वर्ष तथा 1971-81 में 18.3 वर्ष थी, 1981-91 में विवाह की औसत आयु 18 वर्ष के आस-पास ही रही । वर्तमान जनसंख्या नीति के अनुसार विवाह की वर्तमान आयु 14 वर्ष (शारदा एक्त 1929 के अन्तर्गत) से बढ़ाकर लड़कियों की 18 वर्ष एवं लड़कों की 21 वर्ष निर्धारित की गई है । फिर भी, अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भ में यह बहुत कम है । नार्वे, पूर्वी जर्मनी, फ्राँस, जापान, डेनमार्क, अमेरिका, स्विटजर लैण्ड आदि ऐसे देश हैं, जहाँ महिलाओं के विवाह की औसत आयु 23 से 28 वर्ष के मध्य निर्धारित की गई है[6] ।

---

(4) कपाड़िया, के0एम0, 1963, <u>मैरिज एण्ड फेमिली इन इण्डिया</u>, पेज 40-41, पूर्वोक्त

(5) 1- यासीन अहमद, 1988, '<u>इस्लामी भारत का सामाजिक इतिहास</u>' पेज-64, पूर्वोक्त
2- पीटर मुण्डे, वाल्यूम-11 पेज 180 देखें पुस्तक '<u>इस्लामी भारत का सामाजिक इतिहास</u>- पूर्वोक्त ।

(6) ओझा, साहनी, मिश्र, 1987, '<u>जनसंख्या शिक्षा सिद्धान्त एवं तत्व</u>', पेज 95- पूर्वोक्त

किसी भी देश में स्त्रियों के विवाह की आयु का निर्धारण उनकी सामाजिक-सांस्कृतिक विशेषताओं के अनुसार होता है और यही विशेषतायें प्रजनन व्यवहार को भी प्रभावित करती हैं । जनांकिकीय दृष्टिकोण से विवाह जन्म को सामाजिक मान्यता देने की एक रीति है, जिसके ऊपर जनसंख्या की मात्रा एवं जनसंख्या की किस्म निर्भर करती है । अधिकांश समाज शास्त्री यह मानते हैं कि यदि किसी समुदाय, जाति या वर्ग में उन्नत शिक्षा अध्ययन व चिन्तन क्षमता एवं विकास के समान अवसर उपलब्ध हो तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव व्यक्तियों के व्यवहार पर पड़ता है जिससे विवाह, परिवार, परिवार में बच्चों की संख्या आदि भी प्रभावित होती है[7]। प्रायः विभिन्न अध्ययनों के आधार पर यह देखा गया है कि उन्नत शिक्षा, स्त्रियों का आत्मनिर्भर होना, परिवार का उच्च आर्थिक स्तर विवाह की आयु को बढ़ाने तथा प्रजनन-दर को कम करने में सहायक होते हैं[8]। इसके विपरीत, अशिक्षित, संयुक्त परिवार से सम्बन्धित परिवार की कम आय एवं निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर वाले विवाह कम आयु में करते हैं, जिससे प्रजनन-दर में वृद्धि होती है । भारत में उच्च प्रजनन-दर होने के यही मुख्य कारण हैं ।

प्रस्तुत अध्याय में विवाह की आयु एवं प्रजननता के सम्बन्ध को स्पष्ट करने हेतु बाँदा नगर के मुस्लिम सम्प्रदाय के परिवारों की जनन योग्य महिलाओं का गहन अध्ययन करके निष्कर्ष प्रस्तुत किये गये हैं ।

---

(7) श्रीवास्तव, ओ0एस0, 1981, "जनांनकिकी का अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र" रंजन प्रकाशन गृह, नई दिल्ली, पेज-162

(8) पटनायक, एम0एम0, 1985, "सोशियो एकोनामिक कल्चरल एण्ड डेमोग्राफिक रेशनलटी आफ फर्टिलिटी विहेवियर", जानकी प्रकाशन नई दिल्ली, पेज-87

परिणामों की विवेचना -

1- विवाह की आयु एवं प्रजननता-

यह निर्विवाद सत्य है कि विवाह की आयु एवं प्रजननता के मध्य नकारात्मक सह-सम्बन्ध होता है । यदि विवाह कम आयु में होता है तो प्रजनन-दर बढ़ती है, किन्तु जैसे-जैसे विवाह की आयु बढ़ती जाती है वैसे-वैसे प्रजनन-दर घटती जाती है । ऐसा माना जाता है कि स्त्रियाँ 15 से 45 वर्ष की आयु के बीच में ही पुनरूत्पादन के योग्य होती हैं । इसलिये यदि लड़कियों का विवाह 15 वर्ष की आयु में ही होता है तो उन्हें लगभग 30 वर्ष का ऐसा समय मिल जाता है, जिससे वे बच्चे अधिक पैदा कर सकती हैं । दूसरी ओर, अधिक आयु में विवाह होने से प्रजनन अवधि कम हो जाती है जिससे कम बच्चे पैदा होने की सम्भावना रहती है । भारत में विवाह की औसत आयु एवं प्रजननता के अन्तर्सम्बन्धों को जानने हेतु किये गये विभिन्न सर्वेक्षणों के निष्कर्ष इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि विवाह की उम्र और कुल प्रजनन-दर में व्युत्क्रमी सम्बन्ध होता है । डा0 एस0एन0अग्रवाल ने अपने अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर सम्भावना व्यक्त करते हुये लिखा है कि यदि लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 20 वर्ष कर दी जाती तो 25 वर्ष की अवधि में जन्मदर में लगभग 30 प्रतिशत की कमी हो गई होती[9] ।

यहाँ पर सर्वप्रथम महिलाओं की विवाह की आयु में परिवर्तन के अनुसार उनकी प्रजननता में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण प्रस्तुत करने की योजना है । विश्लेषण के उद्देश्य से महिलाओं की विवाह की आयु को तीन वर्गों में विभक्त किया गया है: 15-19, 20-24 तथा 25-29 वर्ष । उनके द्वारा जनित बच्चों की संख्या हेतु भी तीन वर्ग निर्धारित किये गये हैं: 0-3, 3-6 एवं 6-9 । संकलित तथ्य सारणी 5.1 में प्रस्तुत हैं ।

---

(9) अग्रवाल, एस0एन0, 1985, "इंडियाज पापुलेशन प्राब्लम" हिल पब्लिशिंग कम्पनी नई दिल्ली, देखें पुस्तक 'जनसंख्या शिक्षा-सिद्धान्त एवं तत्व' (पूर्वोक्त) पेज-94

सारणी 4.1

महिलाओं की विवाह की आयु एवं उनकी प्रजननता

विवाह की आयु (वर्षों में)	जनित बच्चों की संख्या			योग	माध्य
	0-3	3-6	6-9		
15-19	40	75	139	254	6.19
	%(16)	(29)	(55)	(100)	
20-24	25	45	61	131	5.22
	%(19)	(34)	(47)	(100)	
25-29	10	05	00	15	2.50
	%(67)	(33)	(00)	(100)	
योग-	75	125	200	400	4.84

काई-स्क्वायर (x) मूल्य = 21.23

.01 सम्भाविता स्तर पर सार्थक

(स्वातंत्र्यांश-4)

सारणी 4.1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि महिलाओं की विवाह की आयु, उनकी प्रजननता को प्रभावित करती है । जिन महिलाओं का विवाह सर्वाधिक कम आयु समूह (15-19 वर्ष) में हुआ है उनमें से आधी से भी अधिक (55 प्रतिशत) ने 6 से 9 बच्चों को जन्म दिया है 29 प्रतिशत महिलाओं ने 4 से 6 तथा मात्र 16 प्रतिशत ने 3 या उससे कम बच्चे पैदा किये हैं । विवाह की आयु बढ़ने पर (20-24 वर्ष) 7 से 9 बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं का प्रतिशत अपेक्षाकृत घट कर 47 रह जाता है जबकि, 4 से 6 तथा 3 अथवा कम बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं का प्रतिशत बढ़कर क्रमशः 34 एवं 19 हो जाता है । इसके ठीक विपरीत, 25 से 29

वर्ष की आयु में विवाह करने वाली महिलाओं में से अधिकांश (67 प्रतिशत) ने 3 अथवा कम बच्चों को जन्म दिया है तथा मात्र 33 प्रतिशत ने 4 से 6 बच्चे पैदा किये जबकि, इस आयु समूह में विवाह करने वाली किसी भी महिला ने 6 से अधिक बच्चों को जन्म नहीं दिया है । उक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि महिलाओं की विवाह की आयु का उनकी प्रजननता से विपरीत क्रम का सम्बन्ध है ।

हमारे उक्त निष्कर्षों की पुष्टि सारणी में विवाह के विभिन्न आयु समूहों में दर्शाये गये उनके प्रजनन माध्य से भी हो जाती है । सर्वाधिक कम आयु समूह (15-19 वर्ष) में विवाहित महिलाओं ने औसतन 6.19 बच्चों को जन्म दिया, विवाह की आयु बढ़ने (20-24 वर्ष) पर यह औसत घटकर 5.22 हो जाता है जबकि, विवाह की आयु और अधिक बढ़ने (25-29 वर्ष) पर महिलाओं ने औसत रूप से बहुत कम अर्थात 2.50 बच्चों को ही जन्म दिया ।

इस निष्कर्ष की पुष्टि काई-स्क्वायर परीक्षण से भी की गई है जहाँ पर महिलाओं के विवाह की आयु एवं उनकी प्रजननता के मध्य अन्तर अत्याधिक सार्थक है ।

उक्त निष्कर्ष के पीछे कौन से कारण हो सकते हैं ? भारत में महिलाओं का जनन-काल लगभग 30 वर्ष (15-45) है । जैसे-जैसे विवाह की आयु बढ़ती जाती है, जनन-काल घटता जाता है । जनन-काल घटने से कुल जनित बच्चों की संख्या भी अपेक्षाकृत कम होने की सम्भावना प्रबल हो जाती है ।

2- विवाह की आयु, वर्तमान आयु एवं प्रजननता-

महिलाओं की प्रजननता का उनकी विवाह की आयु के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करने के पश्चात उनकी प्रजननता का विश्लेषण उनकी वर्तमान आयु तथा विवाह की आयु के सन्दर्भ में करना अधिक समीचीन एवं दिलचस्प होगा ।

सारणी 4.2 में महिलाओं की वर्तमान आयु तथा उनकी विवाह की आयु के अनुसार उनकी प्रजननता के माध्य को दर्शाया गया है ।

सारणी 4.2(अ)

महिलाओं की विवाह की आयु एवं वर्तमान आयु के अनुसार उनकी प्रजननता का माध्य

विवाह की आयु (वर्षों में)	वर्तमान आयु		
	15-24	25-34	35-44
15-19	4.80	6.30	5.99
20-24	3.60	4.83	5.61
25-29	0.00	1.50	1.50

सारणी 4.2(ब)

सारांश: प्रसरण का विश्लेषण

प्रसरण स्रोत	वर्गयोग	स्वातंत्र्यांश	मध्यमान वर्गप्रसरण	अनुपात	सारणी मान
वर्तमानआयु	5.51	2	1.75	30.55	6.94
विवाहकीआयु	34.78	2	17.39	193.22	6.94
त्रुटि	0.36	4	.09	-	-
योग-	40.68	8			

सारणी 4.2(अ) से इस तथ्य का संकेत मिलता है कि महिलाओं की वर्तमान आयु के प्रत्येक वर्ग में विवाह की आयु के बढ़ने के साथ-साथ उनकी प्रजननता का माध्य घटता जाता है । वर्तमान में 15 से 24 वर्ष आयु समूह की महिलाओं ने 15 से 19 वर्ष के बीच विवाह करने की दशा में औसतन 4.80 बच्चों को जन्म दिया जबकि 20 से 24 वर्ष में विवाह करने

वाली महिलाओं के उत्पन्न बच्चों का माध्य 3.60 रहा । इसी प्रकार, जो महिलायें वर्तमान में 25-34 वर्ष आयु समूह की हैं उनमें से 15-19 वर्ष के मध्य विवाह करने वाली महिलाओं ने औसतन 6.30 बच्चों 20-24 वर्ष में विवाहित महिलाओं ने 4.83 बच्चों तथा 25-29 वर्षो के अन्तर्गत विवाहित महिलाओं ने औसत रूप से 1.50 बच्चे पैदा किये । ऐसा ही क्रम 35-44 वर्ष की आयु वाली महिलाओं में भी देखने को मिला । इन महिलाओं में जिनका विवाह 15-19 वर्षो के बीच में हुआ उनके औसतन 5.99 बच्चे पैदा हुये । 20-24 वर्षो में विवाहित महिलाओं ने 5.61 बच्चों तथा 25-29 वर्षो के मध्य विवाह करने वाली महिलाओं ने औसत रूप से 1.50 बच्चों को जन्म दिया । इससे स्पष्ट है कि महिलाओं की प्रजननता उनकी विवाह की आयु से प्रभावित होती है तथा प्रत्येक आयु समूह में यह प्रभाव परिलक्षित होता है । ऐसा सम्भवतः इसलिये हैं कि अधिक आयु में विवाहित महिलाओं की बुद्धि अधिक परिपक्व हो जाती है और वे अपने हितों को समझने लगती हैं । कम आयु की महिलाओं में बुद्धि की परिपक्वता कम होने के कारण वे सीमित परिवार के लाभ नहीं समझ पातीं और परिपक्व होने तक अनेक बच्चों को जन्म दे चुकी होती हैं ।

प्रसरण के विश्लेषण (सारणी 4.2(ब)) के निष्कर्ष भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रजननता तथा वर्तमान आयु के बीच सार्थक सह-सम्बन्ध है जिसकी पुष्टि एफ मूल्य = 30.55 से हो जाती है । इसी प्रकार, विवाह की आयु का प्रजननता से अत्याधिक सार्थक सम्बन्ध है क्योंकि एफ मूल्य = 193.22 है ।

डा0 एस0एन0अगवाल[(0)(1)] एवं डा0 (कुमारी) इशरत हुसैन[(0)(2)] के अध्ययनों से भी यह स्पष्ट होता है कि भारत में सभी सम्प्रदायों में विवाह की आयु कम होने के कारण प्रजनन-दर अधिक है । यदि विवाह की आयु बढ़ा दी जाय तो प्रजनन-दर निश्चित ही कम होगी ।

---

(0) 1- डा0 एस0एन0अग्रवाल, "पापुलेशन", चैप्टर पूर्वोक्त ।

2- डा0 (कुमारी) आई0जेड0 हुसैन, "फर्टिलिटी इन लखनऊ सिटी" पेज-38-54, पूर्वोक्त ।

3- विवाह की आयु, शिक्षा एवं प्रजननता-

महिलाओं की प्रजननता, विवाह की आयु एवं महिलाओं की शिक्षा से भी प्रभावित होती है । इस तथ्य का विश्लेषण करना भी आवश्यक है ।

सारणी 4.3(अ) में महिलाओं की विवाह की आयु तथा उनकी शिक्षा के अनुसार उनकी प्रजननता के माध्य को अंकित किया गया है ।

सारणी 4.3(अ)

महिलाओं की विवाह की आयु एवं शिक्षा के अनुसार प्रजननता माध्य

विवाह की आयु (वर्षों में)	शैक्षिक स्तर		
	निरक्षर	प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित	उच्चशिक्षित
15-19	6.17	5.95	3.30
20-24	5.52	4.65	3.60
25-29	0.00	2.70	2.50

सारणी 4.3(ब)

सारांश: प्रसरण का विश्लेषण

प्रसरण स्रोत	वर्गयोग	स्वातंत्र्यांश	मध्यमान वर्गप्रसरण	एफ अनुपात	सारणी मान
शिक्षा	2.33	2	1.16	0.5	6.94
विवाहकीकायु	20.07	2	10.03	4.39	6.94
त्रुटि	9.14	4	2.28		
योग-	31.44	8			

सारणी 4.3(अ) से स्पष्ट होता है कि महिलाओं के शैक्षिक स्तर के प्रत्येक वर्ग में शैक्षिक स्तर के अनुरूप विवाह की आयु बढ़ने के साथ-साथ प्रजननता माध्य भी घटता जाता है वे महिलायें जो निरक्षर श्रेणी के अन्तर्गत आती हैं और उनका विवाह 15 से 19 वर्ष के मध्य हुआ है उनके सबसे अधिक औसतन 6.17 बच्चे पैदा हुये हैं, ऐसी ही महिलायें जिनका विवाह 20-24 वर्ष के मध्य हुआ है उन्होंने औसतन 5.52 बच्चों को जन्म दिया है । इसी प्रकार, प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित वर्ग के अन्तर्गत आने वाली जिन महिलाओं के 15-19 वर्ष के मध्य विवाह हुये हैं उनके द्वारा जनित बच्चों की संख्या औसतन 5.95 है, इसी क्रम में जिन महिलाओं का विवाह 20 से 24 वर्ष की आयु के अन्तर्गत हुआ उनमें बच्चों को जन्म देने का औसतन 4.65 है, इसी वर्ग के अन्तर्गत 25-29 वर्ष के मध्य विवाह करने वाली महिलाओं ने सबसे कम औसतन 2.70 बच्चे पैदा किये हैं । वे महिलायें जो उच्च शिक्षित वर्ग से सम्बन्धित हैं तथा 15-19 वर्ष के मध्य विवाह करने वाली हैं उन्होंने औसतन 3.30 बच्चों को जन्म दिया है, इसी वर्ग के अन्तर्गत आने वाली ऐसी महिलायें जिनका विवाह 20-24 वर्ष के मध्य हुआ है उन्होंने औसतन 3.60 बच्चे पैदा किये, इसी क्रम में विवाह की आयु बढ़ने से अर्थात 25-29 वर्ष के मध्य विवाह करने वाली महिलाओं ने सबसे कम औसतन 2.50 बच्चों को जन्म दिया है । सारणी के विश्लेषण से यह बात सिद्ध हो जाती है कि विवाह की आयु बढ़ने के साथ-साथ यदि शिक्षा का स्तर भी बढ़ता है तो प्रजनन-दर अधिक गिर जाती है । इसके अतिरिक्त उक्त विश्लेषण से यह बात भी स्पष्ट होती है कि यदि उच्च शिक्षित महिलायें हैं तो कम आयु में विवाह होने पर भी उनमें अपेक्षाकृत प्रजनन-दर कम होती है, क्योंकि शैक्षिक स्तर का प्रभाव प्रजननता पर अवश्य पड़ता है । इस सम्बन्ध में स्त्रियों की शिक्षा का पुरूषों की शिक्षा की तुलना में अधिक प्रभाव पड़ता है[11] । शिक्षित स्त्रियों का विवाह देर से होता है तथा वे स्वेच्छा से परिवार को सीमित रखने के पक्ष में होती हैं । इसके विपरीत निरक्षर या कम शिक्षित अधिकांश महिलाओं के विवाह

---

(11) के0 डाँडकर, 1965, "एफेक्ट आफ एजेकेशन आन फर्टिलिटी", वर्ल्ड पापुलेशन कान्फ्रेन्स, बैलग्रेड ।

भी कम आयु में कर दिये जाते हैं । वे अज्ञानता, रूढिवादिता एवं भाग्यवादिता के कारण बच्चे पैदा करने की मशीन मात्र बनकर रह जाती हैं ।

सारणी 4.3(ब) में महिलाओं की विवाह की आयु एवं उसकी शिक्षा का प्रजननता पर पड़ने वाले प्रभाव की पुष्टि जब प्रसरण के विश्लेषण द्वारा की गई तो परिणाम सार्थक नहीं निकले क्योंकि शिक्षा एवं प्रजननता के बीच एफ अनुपात = 0.5 तथा प्रजननता एवं विवाह की आयु के बीच एफ अनुपात = 4.39 पाया गया जो कि सारणीमान से पर्याप्त कम है । ऐसा सम्भवतः इसलिये है क्योंकि अध्ययन में सम्मिलित की गई महिलाओं में निरक्षर महिलाओं की संख्या एवं कम आयु में विवाह करने वाली महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है । निदर्शन के संतुलित न होने के कारण ही ऐसे परिणाम प्राप्त हुये हैं जिनकी अपेक्षा नहीं की जाती ।

प्रजननता माध्य से प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार स्पष्ट है कि अशिक्षित महिलाओं का विवाह जल्दी हो जाता है तथा उनमें प्रजनन-दर अधिक होती है । डा0 प्रमिला कपूर एवं सरहा इसराइल के द्वारा किये गये अध्ययन भी स्पष्ट करते हैं कि मुसलमानों में अशिक्षा के कारण माँ-बाप अपनी लड़कियों का विवाह कम आयु में ही कर देते हैं परिणामतः उनमें प्रजनन-दर भी अधिक होती है किन्तु जो शिक्षित हैं उनका विवाह देर से होने के कारण उनमें प्रजनन-दर भी कम है[12] ।

4- विवाह की आयु, व्यवसाय एवं प्रजननता-

इस अध्ययन में महिलाओं की प्रजननता को विवाह की आयु एवं उनके व्यवसाय व पति के व्यवसाय के आधार पर भी विश्लेषित किया गया है । डा0 इशरत हुसैन का विचार है कि उच्च पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के यहाँ प्रजनन-दर कम तथा मजदूरों या श्रमिकों में प्रजननता अधिक पायी जाती है[13] । इसी प्रकार, नौकरी पेशा व मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों में भी

---

(12) 1- डा0 प्रमिला कपूर, 'दि चेन्जिंग रोल एण्ड स्टेट्स आफ वोमेन' ।
2- सरहा इसराइलः 'फेमिली लाइफ एण्ड एजूकेशन' देखें पुस्तक, डा0 ओ0एस0 श्रीवास्तव, आर्थिक व सामाजिक जनांनकिकी शास्त्र । पूर्वोक्त ।

(13) डा0 इशरत हुसैन, "फर्टिलिटी इन लखनऊ सिटी" पेज-38-54, पूर्वोक्त ।

निजी व्यवसाय वालों की अपेक्षा प्रजननता कम होती है । वर्तमान समय में सामाजिक परिवर्तनों के फलस्वरूप महिलाओं ने भी पुरूषों की भाँति विभिन्न व्यवसायों को करना आरम्भ कर दिया है । कुछ अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि शादी शुदा महिलायें जो प्रजनन आयु सीमा में आती हैं उनमें काम करने वाली महिलाओं की संख्या के अनुपात में वृद्धि होने से प्रजनन-दर में कमी आयी है । किन्तु महिलाओं के द्वारा किये जाने वाले व्यवसायों की प्रकृति का प्रजननता से विशेष सम्बन्ध होता है । यदि महिलायें खेती, छोटे-छोटे घरेलू व्यवसाय में लगी हैं तो उसका प्रजनन पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐसे कामों के साथ-साथ महिलायें आसानी से बच्चों का पालन-पोषण कर सकती हैं[14]। इसके विपरीत नौकरी पेशा शिक्षित महिलायें समझ एवं अपनी बुद्धि परिपक्वता के कारण बच्चों के जन्म के सम्बन्ध में सचेत रहती हैं । साथ ही, पूर्ण शिक्षा के बाद उनका विवाह भी देर से होता है । परिणाम स्वरूप उनमें प्रजनन-दर कम पाई जाती है।

यहाँ पर विशेष सम्प्रदाय (मुस्लिम) की महिलाओं के व्यवसाय एवं विवाह की आयु के आधार पर उनकी प्रजननता माध्य को सारणी 4.4(अ) में दर्शाया गया है ।

सारणी 4.4(अ)

महिलाओं की विवाह की आयु एवं उनके व्यवसाय के अनुसार प्रजननता माध्य

विवाह की आयु (वर्षों में)	महिला का व्यवसाय		
	गृहणी	सरकारी कर्मचारी	श्रमिक / निजीव्यवसाय
15-19	6.27	4.00	4.53
20-24	5.37	3.00	3.79
25-29	3.00	2.20	2.70

---

(14) लीप्ले, एफ0, 1866, "ल रिफारम सोशल इन फ्रांस डिप्यूडाइट डीले" आब्जरवेशन कम्पेरी डेस प्यूपिल यूरोपीस, वाल्यूम- [illegible] पेरिस ।

सारणी 4.4(ब)

सारांश: प्रसरण का विश्लेषण

प्रसरण स्रोत	वर्गयोग	स्वातंत्र्यांश	मध्यमान वर्गप्रसरण	एफ अनुपात	सारणी मान
व्यवसाय	5.11	2	2.55	21.25	6.94
विवाह की आयु	8.08	2	4.04	33.66	6.94
त्रुटि	0.48	4	12		
योग-	13.67	8			

सारणी 4.4(अ) से स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं की प्रजननता उनके विवाह की आयु एवं व्यवसाय से भी प्रभावित होती है । गृहणी महिलायें जिन्होंने 15-19 वर्ष के मध्य विवाह किया है उन्होंने औसतन 6.27 बच्चों को जन्म दिया है, ऐसी ही महिलायें जिनका विवाह और अधिक आयु (20-24 वर्ष के मध्य) हुआ है उन्होंने औसतन 5.37 बच्चों को जन्म दिया है । साथ ही, विवाह की आयु और भी अधिक (25-29 वर्ष) बढ़ने पर महिलाओं ने औसतन 3.00 बच्चे पैदा किये हैं । इनके अतिरिक्त वे महिलायें जो घरेलू काम-काज के अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी हैं तथा जिनका विवाह 15-19 वर्ष की आयु में हुआ है उन्होंने औसतन 4.00 बच्चों को जन्म दिया है व जिनका विवाह 20-24 वर्ष के मध्य हुआ उन महिलाओं में बच्चों की संख्या घटकर औसतन 3.00 रह गई जबकि, इसी वर्ग के अन्तर्गत विवाह की आयु 25-29 वर्ष बढ़ जाने पर महिलाओं ने सबसे कम औसतन 2.20 बच्चों को पैदा किया है । इसी प्रकार, वे महिलायें जो छोटे व्यवसाय एवं श्रमिक कार्यों में संलग्न है तथा जिनका विवाह कम आयु (15-19 वर्ष) में हुआ है उनमें भी गृहणी महिलाओं की अपेक्षा कम अर्थात जनित बच्चों की संख्या औसतन 4.53 है । इसी श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली वह महिलायें जिनका विवाह अधिक

आयु (20-24 वर्ष) के मध्य हुआ है उन्होंने और भी कम औसतन 3.79 बच्चे पैदा किये हैं तथा महिलाओं के विवाह की आयु और भी अधिक (25-29 वर्ष) बढ़ जाने पर उनके बच्चों की संख्या घटकर औसतन 2.70 हो गई है । इस प्रकार, सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि घरेलू महिलाओं की अपेक्षा काम-काजी महिलाओं में प्रजनन-दर कम होती है । साथ ही, उच्च स्तरीय व्यवसाय या सरकारी कर्मचारी महिलाओं का विवाह अधिक आयु में होने पर उनमें प्रजनन-दर और भी कम पायी गई । ऐसा इस कारण है कि काम-काजी महिलायें अधिक बच्चों का पालन-पोषण ठीक से नहीं कर पातीं एवं अधिक आयु में विवाह होने के कारण उनकी बुद्धि भी परिपक्व हो जाती है, वह समझती हैं कि वर्तमान समय में अधिक बच्चों के कारण परिवार का व्यय भी अधिक बढ़ जाता है एवं सभी बच्चों को समयानुकूल विकास के अवसर उपलब्ध नहीं हो सकते । अतः वे कम बच्चों की पक्षधर होती हैं । सारणी से इस तथ्य की पुष्टि भी हो जाती है कि व्यवसाय-रत महिलाओं का विवाह उनकी शिक्षा के पश्चात, अधिक आयु में होने के कारण भी सम्भवतः उनमें प्रजनन-दर घट जाती है ।

प्रसरण के विश्लेषण के निष्कर्षो (सारणी 4.4(ब)) से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं की प्रजननता पर उनकी विवाह की आयु एवं उनके व्यवसाय का प्रभाव अत्याधिक सार्थक है । जिसकी पुष्टि एफ मूल्य = 33.66 एवं 21.25 से हो जाती है । इस प्रकार, हमारे निष्कर्षो की पुष्टि लीप्ले एवं डा० इशरत हुसैन के अध्ययनों से भी हो जाती है जिन्होंने यह स्पष्ट किया है कि काम-काजी महिलाओं में प्रजनन-दर कम होती है ।

महिलाओं की प्रजननता उनके विवाह की आयु एवं पति के व्यवसाय से भी प्रभावित है । संकलित तथ्यों का विवरण सारणी 4.5(अ) में प्रस्तुत है ।

सारणी 4.5(अ)

महिलाओं की विवाह की आयु एवं उनके पति के व्यवसाय के अनुसार प्रजननता माध्य

विवाह की आयु (वर्षो में)	पति का व्यवसाय		
	निजीव्यवसाय	सरकारीकर्मचारी	श्रमिक
15-19	6.00	6.34	5.84
20-24	5.70	5.07	4.91
25-29	1.50	2.19	0.00

सारणी 4.5(ब)

सारांशः प्रसरण का विश्लेषण

प्रसरण स्रोत	वर्गयोग	स्वातंत्र्यांश	मध्यमान वर्गप्रसरण	एफ अनुपात	सारणी मान
पति का व्यवसाय	1.59	2	0.79	1.97	6.94
विवाह की आयु	40.00	2	20.00	50.00	6.94
त्रुटि	1.61	4	0.4		
योग-	43.21	8			

सारणी 4.5(अ) के अवलोकन से स्पष्ट है कि महिलाओं की विवाह की आयु उनकी प्रजननता को प्रभावित करती है किन्तु उनके पति के व्यवसाय का प्रभाव प्रजननता पर अधिक नहीं पड़ता । जिन महिलाओं के पतियों का अपना स्वयं का व्यवसाय है एवं उनका विवाह कम आयु (15-19 वर्ष) में हुआ है उनमें जनित बच्चों की संख्या का औसत 6.00 है व जिन महिलाओं का विवाह 20 से 24 वर्ष की आयु में हुआ है उन्होंने औसतन 5.70 बच्चों को जन्म दिया, इसी वर्ग में विवाह की आयु और भी अधिक (25-29 वर्ष) बढ़ जाने पर महिलाओं ने औसतन 1.50 बच्चों को जन्म दिया । इसी प्रकार, वे महिलायें जिनके पति सरकारी कर्मचारी हैं तथा जिनका विवाह 15 से 19 वर्ष की आयु के मध्य हुआ है, उन्होंने औसतन 6.34 बच्चों को पैदा किया, 20 से 24 वर्ष की आयु में विवाह करने वाली महिलाओं ने औसतन 5.07 बच्चे पैदा किये तथा विवाह की आयु अधिक 25-29 वर्ष हो जाने पर महिलाओं द्वारा जनित बच्चों की संख्या घटकर औसतन 2.19 ही रह गई । इसके अतिरिक्त, जिन महिलाओं के पति श्रमिक हैं तथा उनका विवाह कम आयु 15 से 19 वर्ष के मध्य हुआ है उनमें बच्चों को जन्म देने की

संख्या औसतन 5.84 है व विवाह की आयु 20-24 वर्ष हो जाने पर महिलाओं में जन्मदर घटकर औसतन 4.91 हो गई । इस प्रकार, उक्त विश्लेषण से इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है कि महिलाओं की प्रजननता उनकी विवाह की आयु बढ़ने के कारण कम हुई परन्तु उस पर उनके पति के व्यवसाय का प्रभाव स्पष्ट नहीं हो सका क्योंकि सफल व्यापारी, उद्योगपति आदि अधिकांश व्यक्ति अपने व्यापार एवं उद्योग के हितों की रक्षा के लिये अधिक बच्चे पैदा करते हैं।

उपर्युक्त निष्कर्षो की पुष्टि के लिये प्रसरण के विश्लेषण का प्रयोग किया गया (सारणी 4.5(ब)) तो प्रजननता पर विवाह की आयु का प्रभाव अत्याधिक सार्थक देखने को मिला क्योंकि एफ मूल्य = 50.00 है । इसके विपरीत, प्रजननता पर पति के व्यवसाय का प्रभाव सार्थक नहीं है क्योंकि एफ अनुपात = 1.97 जो कि सारणीमान से पर्याप्त कम है । यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि प्रजननता के सन्दर्भ में विवाह की आयु एक ऐसा सबल कारक है जो पति के व्यवसाय जैसे कारक को निष्क्रिय बना देता है ।

5- विवाह की आयु, जातीय स्तर एवं प्रजननता-

जातीय स्तर व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति के निर्धारण में सहायक होता है जैसे-जैसे व्यक्ति का सामाजिक-आर्थिक स्तर बढ़ता है महिलाओं की शिक्षा एवं उनके विवाह के सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण बदलता जाता है । प्रायः यह देखा गया है कि उच्च जातीय स्तर के लोग लड़की का विवाह अधिक आयु में करते हैं और इसी कारण उनमें प्रजनन-दर भी कम होती है ।

इसी तथ्य को ध्यान में रखकर यहाँ महिलाओं की प्रजननता की व्याख्या उनकी विवाह की आयु एवं जातीय स्तर के अनुसार की गई है जिसका विवरण सारणी 4.6(अ) में प्रस्तुत किया गया है ।

सारणी 4.6(अ)

महिलाओं की विवाह की आयु एवं जातीय स्तर के अनुसार प्रजननता माध्य

विवाह की आयु (वर्षों में)	जातीय स्तर		
	उच्च	मध्यम	निम्न
15-19	4.63	4.82	6.08
20-24	3.86	4.80	5.20
25-29	2.83	3.38	3.30

सारणी 4.6(ब)

सारांश: प्रसरल का विश्लेषण

प्रसरण स्रोत	वर्गयोग	स्वातंत्र्यांश	मध्यमान वर्गप्रसरण	एफ अनुपात	सारणी मान
जाति	1.77	2	0.88	6.28	6.94
विवाह की आयु	6.44	2	3.22	23.00	6.94
त्रुटि	0.56	4	0.14		
योग-	8.77	8			

सारणी 4.6(अ) के विवरण से यह स्पष्ट है कि महिलाओं की प्रजननता पर उनकी विवाह की आयु के साथ-साथ उनके जातीय स्तर का प्रभाव भी पड़ता है । वे महिलायें, जो उच्च जातीय स्तर के अन्तर्गत आती हैं तथा जिनका विवाह कम आयु 15 से 19 वर्ष के मध्य

हुआ है उन्होंने औसतन 4.63 बच्चों को जन्म दिया व विवाह की आयु 20-24 वर्ष हो जाने पर महिलाओं में बच्चों को जन्म देने की संख्या घटकर 3.86 हो गई तथा इसी वर्ग की महिलाओं के विवाह की आयु और भी अधिक (25-29 वर्ष) हो जाने पर महिलाओं द्वारा जनित बच्चों की संख्या और भी कम औसतन 2.83 ही रह गई । महिलाओं की प्रजननता में इसी प्रकार की विभिन्नता मध्यम जातीय स्तर में परिलक्षित होती है । वे महिलायें जो मध्यम जातीय स्तर की हैं तथा जिनका विवाह 15-19 वर्ष की आयु में हुआ है उनमें बच्चों को जन्म देने की संख्या औसतन 4.82 है व जिनका विवाह 20-24 वर्ष की आयु के मध्य हुआ उन्होंने औसतन 4.80 बच्चों को जन्म दिया तथा जिनका विवाह और भी अधिक 25 से 29 वर्ष की आयु होजाने पर महिलाओं द्वारा जनित बच्चों की संख्या घटकर औसतन 3.38 रह गई । इसके विपरीत, निम्न जाति स्तर में विवाह की आयु बढ़ने पर भी अन्य जातीय स्तर की अपेक्षा प्रजनन-दर अधिक पायी गई । वे महिलायें, जो निम्न जातीय स्तर की हैं तथा जिनका विवाह कम आयु 15 से 19 वर्ष में हुआ है उन्होंने सर्वाधिक औसतन 6.08 बच्चों को जन्म दिया व विवाह की आयु अधिक 20-24 वर्ष हो जाने पर महिलाओं द्वारा जनित बच्चों की संख्या औसतन 5.20 रही तथा विवाह की आयु और अधिक 25-29 वर्ष बढ़ जाने पर बच्चों की संख्या घटकर 3.30 हो गई । इस प्रकार, इस विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि विवाह की आयु बढ़ने एवं जातीय स्तर के उच्च होने पर प्रजनन-दर कम तथा विवाह की आयु कम एवं निम्न जातीय स्तर होने पर प्रजनन-दर अधिक हो जाती है । इस तथ्य के पीछे कारण सम्भवतः यह है कि उच्च जातीय स्तर की महिलायें उच्च सामाजिक-आर्थिक स्थिति से सम्बद्ध व शिक्षित हैं तथा उनका विवाह अधिक आयु में होने के कारण उनकी बुद्धि परिपक्व हो जाती है । इस कारण अपने हित को ध्यान में रखकर उसी के अनुकूल कार्य करती हैं । वह अच्छी तरह जानती हैं कि अधिक बच्चे सामाजिक स्तर के विकास हेतु बाधक हैं । परिणामतः वह अपने परिवार को सीमित रखती हैं । इसके विपरीत, निम्न जातीय स्तर की महिलाओं का विवाह कम आयु में होने व अशिक्षित रह जाने के कारण अपनी अज्ञानता से अधिक बच्चों को जन्म देती हैं ।

महिलाओं के विवाह की आयु एवं उनकी जाति का प्रजननता पर पड़ने वाले प्रभाव की पुष्टि जब प्रसरण के विश्लेषण (सारण 4.6(ब) द्वारा की गई तो विवाह की आयु एवं प्रजननता के बीच एफ अनुपात = 23.00 है जो सार्थक है जबकि जाति एवं प्रजननता के मध्य एफ अनुपात = 6.28 है जिसका प्रभाव अपेक्षाकृत पर्याप्त कम है । यह सम्भवतः इसलिये है क्योंकि विवाह की आयु प्रजननता को प्रभावित करने वाला अत्याधिक प्रभावी कारक है । इसके अतिरिक्त, वर्तमान समय में जातिगत मूल्यों में शिथिलता आने के कारण भी महिलाओं की प्रजननता पर जातीय स्तर का प्रभाव सार्थक प्रतीत नहीं होता ।

6- महिलाओं के विवाह की आयु, परिवार की मासिक आय एवं प्रजननता

अधिक आय का सम्बन्ध उन्नत जीवन स्तर से है । उन्नत जीवन स्तर को प्राप्त करने के पश्चात कोई भी व्यक्ति नीचे नहीं आना चाहता । अतः अधिक आय वाले परिवार के लोग अपने सभी बच्चों को शिक्षित करने के पश्चात परिपक्व आयु में ही विवाह करते हैं । साथ ही, बच्चों को जन्म देने के सम्बन्ध में भी उनका दृष्टिकोण कम बच्चों से सम्बन्धित होता है क्योंकि वे जानते हैं कि अधिक बच्चों के होने से समय, धन व शक्ति का ह्रास होता है । इसके विपरीत, कम आय वाले परिवारों में लड़की का विवाह सबसे प्रमुख होता है और वह लड़की की शिक्षा में धन व्यय करने की अपेक्षा कम आयु में उसका विवाह कर देते हैं । ऐसी महिलाओं के अशिक्षित होने के साथ-साथ उनका जनन-काल लम्बा हो जाने के कारण उनमें जन्मदर अधिक होती है ।

यहाँ पर इसी तथ्य के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की प्रजननता को उनके विवाह की आयु एवं परिवार के आय के अनुसार सारणी 4.7(अ) में प्रस्तुत किया गया है ।

सारणी 4.7(अ)

महिलाओं की विवाह की आयु एवं परिवार की मासिक आय के अनुसार प्रजननता माध्य

विवाह की आयु (वर्षों में)	परिवार की मासिक आय (रूपयों में)		
	00-1500	1500-3000	3000 से अधिक
15-19	5.70	5.87	5.31
20-24	5.66	5.41	3.50
25-29	0.00	2.84	1.50

सारणी 4.7(ब)

सारांशः प्रसरण का विश्लेषण

प्रसरण स्रोत	वर्गयोग	स्वातंत्र्यांश	मध्यमान वर्गप्रसरण	एफ अनुपात	सारणी मान
मासिकआय	2.58	2	1.29	1.18	6.94
विवाह की आयु	29.72	2	14.86	13.63	6.94
त्रुटि	4.36	4	1.09		
योग-	36.66	8			

सारणी 4.7(अ) में अंकित विवरण से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं की प्रजननता उनकी विवाह की आयु एवं परिवार की मासिक आय से प्रभावित होती है । वे महिलायें जो 1500 रूपये या उससे कम मासिक आय वाले वर्ग से सम्बन्धित हैं तथा जिनका विवाह कम आयु 15-19 वर्ष के मध्य हुआ है उनके द्वारा जनित बच्चों का औसत 5.70 है साथ ही, विवाह की आयु अधिक 20-24 वर्ष होने पर उनमें बच्चों को जन्म देने का औसत 5.66 है । निम्न मासिक आय वाले परिवारों में किसी भी महिला का विवाह बहुत अधिक (25-29 वर्ष) आयु में नहीं हुआ है । इसी प्रकार, 1500-3000 रूपये मासिक आय वाले वर्ग से सम्बन्धित वे महिलायें जिनका विवाह कम आयु 15-19 वर्ष के मध्य हुआ है उनमें प्रजनन-दर औसतन 5.87 है, साथ ही, महिलाओं के विवाह की आयु 20-24 वर्ष हो जाने पर उनमें प्रजनन-दर कम होकर औसतन 5.41 हो गई । इसी वर्ग के अन्तर्गत आने वाली वे महिलायें जिनका विवाह और भी अधिक आयु (25-29 वर्ष) में हुआ है, उन्होंने औसतन 2.84 बच्चों को जन्म दिया जो कि अन्य से अपेक्षाकृत कम है । इसी तरह, 3000 या उससे भी अधिक रूपये मासिक आय वाले वर्ग में आने वाली जिन महिलाओं का विवाह 15-19 वर्ष की आयु के

मध्य हुआ है उन्होंने औसतन 5.31 बच्चों को जन्म दिया, इसी वर्ग के अन्तर्गत आने वाली जिन महिलाओं ने अधिक आयु 20-24 वर्ष के मध्य विवाह किया उनके द्वारा जनित बच्चों की संख्या औसतन 3.50 है, इसी क्रम में, जिन महिलाओं का विवाह और भी अधिक आयु 25-29 वर्ष के मध्य हुआ उन्होंने सबसे कम औसतन 1.50 बच्चों को जन्म दिया है । इसी प्रकार, विवाह के प्रत्येक आयु वर्ग में मासिक आय के बढ़ने के साथ-साथ प्रजननता माध्य कम होता जाता है । इस विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं की प्रजननता विवाह की आयु एवं पारिवारिक आय से प्रभावित होती है । जो महिलायें अधिक मासिक आय वाले परिवार की हैं एवं उनका विवाह देर से हुआ उनमें प्रजनन-दर अत्याधिक कम है जबकि निम्न आय वाले परिवार की महिलाओं का विवाह भी कम आयु में हुआ है किन्तु उनमे प्रजननता अपेक्षाकृत अधिक है । इसका कारण सम्भवतः यह है कि उन्नत आय वाले व्यक्तियों को बच्चों के पालन-पोषण तथा उन्हें शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने में अधिक व्यय करना पड़ता है । इसलिये उनमें लागत अधिक लगती है साथही,वेबहुत देर से कमाना शुरू करते हैं तथा उनमें विवाह भी देर से होते हैं इन सब कारणों से उच्च आय वाले व्यक्ति अधिक बच्चे न हो, इसके प्रति सतर्क रहते हैं । इसके विपरीत, कम आय वाले व्यक्तियों में अज्ञानता, अशिक्षा व भाग्यवादिता पनपती है इस कारण वे परम्परायें तोड़ नहीं पाते और उनके शीघ्र विवाह कर दिये जाते हैं तथा वे बच्चों को भगवान की देन समझकर पैदा करते जाते हैं । साथ ही, इनके बच्चे बचपन में ही 'बाल-श्रमिक' के रूप में परिवार की आय बढ़ाने में भी सहयोग प्रदान करते हैं, वे परिवार पर बोझ नहीं बनते ।

उपर्युक्त निष्कर्षों की पुष्टि के लिये जब प्रसरण के विश्लेषण का प्रयोग किया गया (सारणी 4.7)(ब) तो प्रजननता पर विवाह की आयु का प्रभाव सार्थक देखने को मिला क्योंकि एफ मूल्य = 13.63 है किन्तु परिवार की मासिक आय एवं प्रजननता के मध्य एफ मूल्य = 1.18 है जो कि सार्थक नहीं है । इसका मुख्य कारण यह है कि निदर्शन में चुनी गई अधिकांश महिलायें निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर में जीवन व्यतीत कर रही हैं तथा जिनके परिवार की मासिक आय बहुत कम है । आय की दृष्टि से चयनित निदर्शन असंतुलित है अतः आय का प्रजननता पर प्रभाव स्पष्ट नहीं कहा जा सकता ।

पटनायक ने अपने प्रजननता व्यवहार सम्बन्धी अध्ययन में इस तथ्य को स्पष्ट किया कि धनी व्यक्तियों के बच्चों के विवाह अधिक आयु में होते हैं क्योंकि वह शिक्षा प्राप्त करते रहते हैं जबकि कम आय वाले व्यक्ति अपने बच्चों का विवाह कम आयु में कर देते हैं । अतः इस कारण उनमें प्रजनन-दर भी अधिक पायी जाती है । अतः हमारे निष्कर्ष भी इसी की पुष्टि करते हैं ।[15]

इस अध्याय के अन्तर्गत महिलाओं की प्रजननता को उनके विवाह की आयु के अनुसार विश्लेषित किया गया । विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर यह स्पष्ट हो सका कि महिलाओं के विवाह की आयु उनकी प्रजननता को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावी कारक है । समस्त निष्कर्ष इस तथ्य पर आधारित हैं कि विवाह की आयु कम होने पर प्रजननता अधिक होती है, इसके विपरीत, विवाह की आयु अधिक होने पर प्रजननता कम हो जाती है । निदर्शन से सम्बन्धित कम आयु में विवाहित लगभग 84 प्रतिशत महिलाओं के 3 या उससे अधिक बच्चे हैं जो कि राष्ट्रीय माँग के प्रतिकूल हैं । साथ ही, महिलाओं के विवाह की आयु एवं प्रजननता में सह-सम्बन्ध ज्ञात करने के उद्देश्य से महिलाओं की वर्तमान आयु, शिक्षा, व्यवसाय, जाति और परिवार की मासिक आय के अनुसार भी अध्ययन किया गया ।

जिससे यह स्पष्ट हो सका कि महिलाओं के विवाह की आयु एवं वर्तमान आयु का उनकी प्रजननता से गहरा सम्बन्ध है । कम आयु में विवाहित महिलायें जो इस समय युवा और प्रौढ़ावस्था की हैं उनके 5 या उससे भी अधिक बच्चे हैं जबकि अधिक आयु में विवाह करने वाली महिलाओं के मात्र 2 या 3 बच्चे हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि कम आयु में विवाह प्रजनन-दर को बढ़ाता है । इसके विपरीत, विवाह की आयु बढ़ जाने पर प्रजनन-दर घट जाती है ।

---

(15) एम0एम0 पटनायक: सोशियो एकोनामिक कल्चरल एण्ड डेमोग्राफिक रेशनलटी आफ फर्टिलिटी बिहेवियर, पेज- 107, पूर्वोक्त ।

इसी प्रकार, शैक्षिक स्तर का विवाह की आयु एवं प्रजननता पर अवश्य प्रभाव पड़ता है । यह पाया गया कि अशिक्षितों की तुलना में शिक्षितों के विवाह अधिक आयु में होते हैं तथा उनके बच्चे भी कम ही होते हैं । साथ ही, शिक्षा का स्तर और अधिक बढ़ने पर विवाह की आयु भी बढ़ जाती है और प्रजननता घटकर औसतन 1.50 तक ही रह जाती है । अगर पति पत्नी दोनों शिक्षित हैं तो इसका प्रभाव भी अत्याधिक सार्थक हो सकता है ।

हमारे निष्कर्ष इस तथ्य की भी पुष्टि करते हैं कि महिलाओं की विवाह की आयु एवं प्रजननता पर उनके व्यवसाय का प्रभाव भी सार्थक प्रतीत होता है । लघु स्तरीय व्यवसाय में संलग्न महिलाओं में विवाह की आयु कम तथा प्रजननता अधिक पायी गई, किन्तु उच्च स्तरीय व्यवसाय एवं मध्यम श्रेणी की नौकरी पेशा महिलाओं में विवाह की आयु अधिक तथा कम प्रजनन-दर का प्रचलन देखने को मिलता है । प्रजनन व्यवहार एवं विवाह की आयु पर जहाँ तक पति के व्यवसाय का ताल्लुक है, स्पष्ट तथा सुनिश्चित निष्कर्ष नहीं प्राप्त हो सका । जातीय स्तर के आधार पर महिलाओं की प्रजननता एवं विवाह की आयु का आँकलन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकला कि उच्च जातीय स्तर की महिलाओं के विवाह अधिक आयु में होने के कारण उनके बच्चों की संख्या भी कम रहती है जबकि निम्न जातीय स्तर से सम्बन्धित महिलाओं के विवाह कम आयु में कर दिये जाने के कारण उनमें अधिक प्रजनन-दर पायी जा सकती है ।

महिलाओं की प्रजननता का विश्लेषण उनके विवाह की आयु एवं परिवार की मासिक आय के आधार पर भी किया गया । प्राप्त परिणामों के अनुसार महिलाओं के विवाह की आयु परिवार की अधिक आय के कारण बढ़ जाती है क्योंकि उच्च आय वाले परिवारों में लड़की का विवाह उसकी शिक्षा के उपरान्त ही किया जाता है । अतः विवाह की आयु बढ़ने पर उनकी प्रजननता कम हो जाती है । जहाँ परिवार की आय कम है वहाँ लड़की के विवाह की कम आयु पायी गई तथा उनमें अधिक प्रजनन-दर का प्रचलन देखने को मिला ।

इस प्रकार समस्त विश्लेषण के पश्चात यह स्पष्ट हो सका कि विवाह की आयु एवं प्रजननता के बीच नकारात्मक सह-सम्बन्ध है तथा यह शिक्षा, व्यवसाय, जाति एवं परिवार की आय से भी न्यूनाधिक प्रभावित होती है ।

अध्याय- 5

प्रजननता को प्रभावित करने वाले सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारक

पूर्ववर्ती अध्याय में विवाह की आयु एवं प्रजननता के सम्बन्धों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया था जिसके सूक्ष्म-स्तरीय अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि वास्तव में विवाह की आयु प्रजननता को प्रभावित करती है । इस अध्याय में प्रजननता को प्रभावित करने वाले विभिन्न सामाजिक-आर्थिक एवं साँस्कृतिक कारकों का विश्लेषण किया जायेगा । किसी भी देश एवं समाज में विवाह की आयु के निर्धारण में शिक्षा, आयु, जाति एवं सामाजिक-आर्थिक कारक महत्वपूर्ण होते हैं । जैसा कि पूर्ववर्ती अध्याय के निष्कर्षो से विदित हुआ । यदि विवाह की आयु कम होती है तो प्रजननता बढ़ती है और यदि विवाह की आयु बढ़ती है तो प्रजननता घट जाती है ।

जिस प्रकार, प्रजननता आयु, विवाह की आयु, परिवार में बच्चों की संख्या आदि से प्रभावित होती है, उसी प्रकार विभिन्न सामाजिक आर्थिक एवं साँस्कृतिक कारक भी प्रजननता को प्रभावित करते हैं । जैसे- आय, धर्म, जाति, शिक्षा, व्यवसाय आदि[1] । अतः मानवीय व्यवहार को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने वाले इन्हीं सामाजिक आर्थिक एवं साँस्कृतिक कारकों के प्रजनन व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभावों का सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन किया गया है । वास्तव में, परिवार में बच्चों की संख्या का निर्धारण परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है । यह सच है कि बच्चे का जन्म एक जैविक प्रक्रिया है परन्तु प्रत्येक समाज में बच्चे का जन्म सामाजिक-आर्थिक एवं साँस्कृतिक व्यवस्था के अनुरूप होता है । यह प्रभाव सामाजिक-साँस्कृतिक संरचना के अन्तर्गत सामाजिक प्रथाओं, परम्पराओं, मूल्यों एवं नैतिक नियमों से सम्बन्धित होता है ।

यूरोप तथा विश्व के अन्य विकसित देशों में औद्योगीकरण के परिणाम-स्वरूप भौतिकतावादी एवं व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों के बढ़ने के साथ-साथ शिक्षा एवं व्यवसायों में प्रगति होने के कारण सामाजिक-आर्थिक स्तर बढ़ने, परम्पराओं एवं मूल्यों का ह्रास होने के कारण जन्मदर कम हुई है, और प्रजननता को भी नियंत्रित किया जा सका है । इसके ठीक विपरीत, भारत जैसे

---

(1) पटनायक, एम0एम0, 1985, 'सोशियों इकोनॉमिक कल्चरल एण्ड डेमोग्राफिक रेशनलटी आफ फर्टिलिटी बिहेवियर,' पटना, जानकी प्रकाशन पृष्ठ- 32-33

विकासशील देशों में आज भी परम्पराओं के व्यापक प्रभाव, संयुक्त परिवार प्रणाली, अशिक्षा एवं निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर के कारण उच्च प्रजनन-दर का प्रचलन है । स्पष्ट है कि उच्च सामाजिक-आर्थिक स्तर प्रजननता को कम कर जनसंख्या को नियंत्रित करने में सहायक होता है जबकि, निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर प्रजननता में वृद्धि एवं उच्च प्रजनन-दर के लिये उत्तरदायी है[2] ।

सामाजिक-आर्थिक स्तर एवं प्रजननता में अन्तः सम्बन्ध ज्ञात करने के लिये यूरोप, फ्राँस, इग्लैण्ड, जापान तथा अन्य देशों में अनेक अध्ययन किये गये हैं । अशोक कुमार ने अपने शोध अध्ययन में उच्च सामाजिक-आर्थिक स्तर एवं प्रजनन-दर में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करने का प्रयास किया- ≬1≬ प्रति व्यक्ति आय ≬2≬ प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत ≬3≬ नगरों की जनसंख्या वृद्धि का अनुपात ≬4≬ महिला शिक्षा दर ≬5≬ चिकित्सालयों में शैय्याओं की संख्या ≬6≬ समाचार पत्रों के वितरण की संख्या ≬7≬ चित्रपटों में दर्शकों की संख्या ≬8≬ रेडियो सुनने वालों की संख्या ≬9≬ जन्म लेते समय जीवित रहने की सम्भावना ≬10≬ शिशु मृत्यु-दर ।

उक्त अध्ययन के निष्कर्षो के आधार पर यह स्पष्ट किया गया है कि जैसे-जैसे सामाजिक-आर्थिक स्तर बढ़ता है प्रजनन-दर कम होती है एवं सामाजिक आर्थिक स्तर में जैसे-जैसे गिरावट आती है प्रजननता बढ़ती जाती है[3] ।

सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर विश्व के समस्त देशों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है : प्रथम, वे देश जहाँ उच्च सामाजिक-आर्थिक स्थिति है एवं प्रजनन-दर कम है । दूसरे, वे देश जहाँ की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति निम्न है और तद्नुसार वहाँ की प्रजनन-दर अधिक है । उच्च सामाजिक-आर्थिक स्थिति होने से प्रजनन-दर निम्न

≬2≬ पोली, एस0जे0 एण्ड दत्ता, 1960, "पाइलट स्टडी आन सोशल मोबीलटी एण्ड डिफरेन्शियल फर्टिलिटी" स्टडीज इन फेमिली प्लानिंग, न्यू दिल्ली, पेजन-60-61

≬3≬ अशोक कुमार, 1978, "जनसंख्या एक समाज वैज्ञानिक अध्ययन" हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, प्रयाग, लखनऊ, पेज-59

कारणों से गिर जाती है-

(1) उन्नत जीवन स्तर को प्राप्त करने के बाद कोई भी व्यक्ति नीचे नहीं आना चाहता । परिणामतः सम्पत्ति विभाजन से बचने के लिये लोग परिवार में बच्चों की संख्या कम करते हैं ।

(2) उन्नत जीवन स्तर के लोगों में मृत्यु-दर घट जाती है । अतः लोगों के अधिक बच्चे जीवित रहने के कारण प्रतिस्थापना के लिये अधिक बच्चे पैदा नहीं करते ।

(3) उन्नत जीवन स्तर के व्यक्तियों को अपने बच्चों को पालने एवं उन्हें शिक्षा तथा अन्य सभी सुविधायें प्रदान करने के लिये अधिक धन व्यय करना पड़ता है अतः उनके बच्चे कम रहते हैं । इसी प्रकार, अशिक्षित स्त्रियों की अपेक्षा शिक्षित स्त्रियों के बच्चे कम होते हैं । जिन व्यक्तियों व समाजों में पुरानी सामाजिक, धार्मिक एवं रूढ़िवादी मान्यतायें नहीं होती अथवा कम होती है वहाँ भी प्रजनन-दर घट जाती है । विकसित देशों जैसे- अमेरिका, इंगलैण्ड, जापान, फ्राँस, जर्मनी, नार्वे में यह मान्यतायें ढीली हुई हैं । इस कारण, उनकी जन्मदर भी कम है । पश्चिमी देशों में भारत की तरह पुत्रजन्म पिता को स्वर्ग ले जाने के लिये आवश्यक नहीं है । अतः पुत्रजन्म की लालसा में यहाँ बच्चों की संख्या नहीं बढ़ती । इस कारण, से प्रजनन-दर कम है[4] ।

कुछ विकासशील देशों जैसे- भारत, पाकिस्तान, चीन, इण्डोनेशिया आदि जहाँ पर सामाजिक-आर्थिक स्तर निम्न होने के साथ-साथ पुरानी सामाजिक साँस्कृतिक एवं धार्मिक मान्यताओं का प्रचलन है, वहाँ प्रजनन-दर अधिक है । निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर वाले समाजों में उच्च प्रजनन-दर के लिये निम्न कारण उत्तरदायी हैं -

(1) कम आयु में विवाह होना तथा विवाह की अनिवार्यता । भारत में 24 वर्ष की आयु होने तक लगभग 95 प्रतिशत स्त्रियाँ विवाहित स्तर को प्राप्त कर लेती हैं ।

---

(4) डा0 ओ0एस0श्रीवास्तव, "विकास का अर्थशास्त्र एवं नियोजन" कैलाश पुस्तक सदन, ग्वालियर, पेज- 24-25

(2) आय का निम्न स्तर अज्ञानता, अशिक्षा तथा भाग्यवादिता को बढ़ावा देता है । रूढिवादिता व झूठी शर्म के कारण लोग स्त्रियों को शिक्षित नहीं करते और शीघ्र विवाह कर देते हैं, इससे प्रजनन-दर बढ़ जाती है ।[5]

(3) कम विकसित देशों में मृत्यु-दर की अधिकता भी अधिक जन्म-दर का कारण है।

ड्यूमों का कथन है कि जहाँ उन्नत समाज, उन्नत शहर व अन्नत शासन एवं सभ्य संस्कृति है वहाँ समाज के ऊपर जाने की चाह बढ़ती है और सामाजिक केशाकर्षण शक्ति (ड्यूमों थ्योरी आफ सोशल कैपीलरटी) के कारण लोगों में प्रजनन क्षमता कम हो जाती है । ड्यूमों का कथन है कि जैसे किसी तरल पदार्थ को ऊपर चढ़ने के लिये पतला होना चाहिये उसी प्रकार से परिवार को समाज में ऊपर उठने के लिये छोटा होना चाहिये ।

इस प्रकार, प्रजनन-दर का सामाजिक केशाकर्षण शक्ति सिद्धान्त के साथ विपरीत क्रम का सम्बन्ध होता है । सभ्य व सुसंस्कृत व्यक्तियों के बच्चे कम होते हैं जबकि गरीबों का समय शक्ति व धन बच्चे पैदा करने में लगा रहता है[6] । इसीलिये कम विकसित देशों में जाति प्रथा, अशिक्षा, कृषि पर अत्याधिक निर्भरता, वाह्य संस्कृति का कम प्रभाव, निम्न जीवन स्तर, भाग्यवादिता, धार्मिक रूढ़िवादिता एवं पारिवारिक संचरना आदि कारणों से व्यक्ति बच्चों की संख्या को सीमित नहीं रख पाते परिणामतः प्रजनन-दर बढ़ती जाती है ।

भारतीय समाज के विभिन्न वर्गो की जैविक शारीरिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक स्थितियों में भिन्नता के कारण प्रजनन-दर भी भिन्न पायी जाती है । प्रस्तुत अध्ययन में भारतीय समाज के एक सम्प्रदाय विशेष (मुस्लिम) की महिलाओं की प्रजननता पर सामाजिक-साँस्कृतिक कारकों के प्रभावों का गहन अध्ययन करने का प्रयास किया गया है ।

---

(5) चीफ, ऐ0जे0 जैफ (कोलम्बिया विश्वविद्यालय): 1976-77, "एकोनॉमिक एण्ड सोशल फैक्टर्स एफक्टिंग मार्टिलिटी" चैप्टर वर्ल्ड पापुलेशन एटलस ।

(6) ड्यूमान्ट, अरसने: 1870, 'डि पापुलेशन ऐट सिवीलाइजेशन' थ्योरी आफ सोशल कैपीलरटी, पेरिस, देखें किताब 'आर्थिक सामाजिक जनांनकिकी शास्त्र" डा0 ओ0एस0 श्रीवास्तव, रंजन प्रकाशन दिल्ली, पेज-79, 118

परिणामों की विवेचना-

इस भाग को दो उपभागों में विभक्त किया गया है । प्रथम उपभाग में महिलाओं की प्रजननता को किसी एक सामाजिक-आर्थिक चर के परिप्रेक्ष्य जैसे परिवार का प्रकार, जाति, शिक्षा, व्यवसाय तथा आय, में विश्लेषित किया गया है । दूसरे उपभाग में, प्रजननता पर किन्हीं दो सामाजिक-आर्थिक चरों के प्रभावों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है ।

(अ) एक चर के सन्दर्भ में प्रजननता माध्य में विभिन्नतायें -

(1) परिवार का प्रकार तथा प्रजननता-

यहाँ पर सर्वप्रथम महिला की प्रजननता में विद्यमान विभिन्नताओं का विश्लेषण परिवार के प्रकार के आधार पर किया गया है । भारतीय पारिवारिक व्यवस्था संयुक्त तथा एकाकी के रूपों में विभक्त है । कृषि प्रधान भारतीय समाज में प्राचीनकाल से ही संयुक्त परिवारों की अधिकता थी । जिनमें प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अनुसार कार्य नहीं कर सकता था जबकि एकाकी परिवारों में वैयक्तिक सम्बन्धों की प्रधानता होती है तथा व्यक्ति अपने आत्मनिर्णय के अनुकूल कार्य करने हेतु स्वतन्त्र होता है । लीप्ले का विचार है कि स्थाई परम्परागत बड़े परिवारों की अपेक्षा वर्तमान समय में परिवर्तनशील केन्द्रीय परिवारों में जन्मदर में कमी आयी है[7] । इसी प्रकार के ऐसे अनेक अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि संयुक्त परिवार अधिक बच्चों के पक्षधर होते हैं जबकि एकाकी परिवार सीमित परिवार की मान्यता पर बल देते हैं ।

विश्लेषण के उद्देश्य से महिलाओं के पारिवारिक स्तर को दो भागों में विभक्त किया गया है - संयुक्त परिवार एवं एकाकी परिवार तथा उनके द्वारा जनित बच्चों की संख्या हेतु भी तीन वर्ग निर्धारित किये गये हैं । 0-3, 3-6, एवं 6-9 । संकलित तथ्य सारणी 5.1 में प्रस्तुत है ।

---

(7) लीप्ले, एफ0, "ल रिफारम सोशल इन फ्रांस डिप्प्यूडाइट डी ले" आबजरवेशन कम्पेरी डेस यूरोपीस वाल्यूम पेरिस- 1866

सारणी 5.1

परिवार के प्रकार के आधार पर महिलाओं की प्रजननता

परिवार का प्रकार	जनित बच्चों की संख्या			योग	माध्य
	0-3	3-6	6-9		
संयुक्त	15	25	91	131	6.24
	%(11)	(19)	(70)	(100)	
एकाकी	60	100	109	269	5.04
	%(22)	(37)	(41)	(100)	
योग-	75	125	200	400	4.84

काई-स्क्वायर (x) मूल्य = 29.50

.01 सम्भाविता स्तर पर सार्थक

(स्वातंत्र्यांश-2)

सारणी 5.1 के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं की प्रजननता पर परिवार के प्रकार का प्रभाव पड़ता है । संयुक्त परिवार में रहने वाली 11 प्रतिशत महिलाओं ने 3 अथवा उससे कम बच्चों को जन्म दिया है, सर्वाधिक 70 प्रतिशत महिलाओं ने 7 से 9 बच्चों को एवं ऐसी ही 19 प्रतिशत महिलाओं ने 4 से 6 बच्चों को पैदा किया है । जबकि, एकाकी परिवार में रहने वाली 22 प्रतिशत महिलाओं के 3 अथवा कम बच्चे हैं, 37 प्रतिशत महिलायें 4 से 6 बच्चे पैदा करने वाली हैं एवं 41 प्रतिशत महिलाओं ने 7 से 9 बच्चे पैदा किये हैं । उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि संयुक्त परिवार की अपेक्षा एकाकी परिवार की महिलायें सीमित परिवार को महत्व देती हैं । महिलाओं का पारिवारिक प्रकार उनकी प्रजननता को प्रभावित करता है ।

हमारे उक्त निष्कर्ष की पुष्टि सारणी में संयुक्त एवं एकाकी परिवार में दर्शाये गये उनके प्रजनन माध्य से भी हो जाती है । संयुक्त परिवार में रहने वाली महिलाओं ने औसतन 6.24 बच्चों को जन्म दिया है जबकि एकाकी परिवार में रहने वाली महिलाओं में यह औसत 5.04 है ।

उपरोक्त निष्कर्ष की पुष्टि काई स्क्वायर परीक्षण से भी की गई है जहाँ पर महिलाओं के पारिवारिक प्रकार एवं उनकी प्रजननता के मध्य अन्तर अत्याधिक सार्थक है ।

उक्त निष्कर्ष के पीछे कौन से कारण हो सकते हैं ? भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली प्राचीन काल से आज तक चली आ रही है । यह अवश्य है कि औद्योगीकरण एवं नगरीकरण के कारण इसका स्थान धीरे-धीरे एकाकी परिवार ले रहे हैं परन्तु फिर भी यह पूरी तरह से विघटित नहीं हुई है । संयुक्त परिवार में प्रथाओं एवं परम्पराओं का विशेष महत्व होता है और परिवार के बुजुर्ग उन्हीं के अनुकूल ही प्रत्येक सदस्य को चलने की अनुमति देते हैं । बच्चों के जन्म के सम्बन्ध में भी परिवार के बुजुर्ग भाग्यवादिता का आश्रय लेकर उनके जन्म पर रोक लगाने के पक्ष में नहीं होते जबकि, एकाकी परिवार में दम्पत्ति व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से जीवन यापन करते हैं । वे जानते हैं कि वर्तमान समय में अधिक बच्चों का जन्म परिवार के हित में नहीं है । फलतः संयुक्त परिवारों में प्रजननता अधिक होती है जबकि एकाकी परिवारों में यह कम होती है ।

डा0 इशरत हुसैन ने भी लखनऊ शहर के परिवारों के सर्वेक्षण में यह पाया कि जहाँ एक पीढ़ी रहती थी वहाँ प्रजननता प्रतिहजार 29, दो पीढ़ियों के संयुक्त रूप से रहने वाले में 31, तीन में 40 तक थी ।[8] इस प्रकार इन निष्कर्षो से हमारे निष्कर्षो की भी पुष्टि होती है

2- जातीय स्तर पर प्रजननता-

प्रजनननता से सम्बन्धित विभिन्नतायें महिलाओं के जातीय स्तर से भी प्रभावित होती है । इसका विश्लेषण भी यहाँ पर किया गया है । भारतीय सामाजिक व्यवस्था संस्तरणात्मक

---

(8) डा0 (कुमारी) इशरत हुसैन, "फर्टिलिटी इन लखनऊ सिटी" पेज- 38-54,पूर्वोक्त

जाति व्यवस्था के आधार पर स्तरीकृत है इसमें ऊँच-नीच के सम्बन्ध पाये जाते हैं और सभी समूह एवं सम्प्रदाय इस व्यवस्था से प्रभावित हैं । अनेक समाज वैज्ञानिकों का विचार है कि उच्च जातीय स्तर के लोगों में प्रजनन-दर कम तथा निम्न जातीय स्तर के लोगों में यह अधिक होती है जातीय स्तर का प्रजननता से विपरीत सम्बन्ध होता है ।

महिलाओं की प्रजननता उनके जातीय स्तर से किस प्रकार प्रभावित होती है इसक विवरण सारणी 5.2 में प्रस्तुत है । विश्लेषण के उद्‌देश्य से मुस्लिम सम्प्रदाय के अन्तर्गत आ वाली सभी जातियों एवं उपजातियों को इस्लामी संस्तरणात्मक क्रम के अनुरूप तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है- उच्च जातीय स्तर, मध्यम जातीय स्तर तथा निम्न जातीय स्तर ।

सारणी 5.2

जातीय स्तर के आधार पर महिलाओं की प्रजननता

जातीय स्तर	जनित बच्चों की संख्या			योग	माध्य
	0-3	3-6	6-9		
उच्च	93	17	10	60	3.35
	%(55)	(28)	(17)	(100)	
मध्यम	22	38	60	120	5.45
	%(18)	(32)	(50)	(100)	
निम्न	20	70	130	220	6.00
	%(09)	(32)	(59)	(100)	
योग-	75	125	200	400	4.84

काई-स्क्वायर (x^2) मूल्य = 70.14

.01 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है ।

(स्वातंत्र्यांश- 4)

सारणी 5.2 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि महिलाओं की प्रजननता का उनके जातीय स्तर से नकारात्मक सम्बन्ध होता है । सर्वाधिक 55 प्रतिशत उच्च जातीय स्तर की महिलाओं ने 3 अथवा कम बच्चों को जन्म दिया है जबकि केवल 09 प्रतिशत निम्न जातीय स्तर की महिलाओं ने 3 अथवा कम बच्चों को जन्म दिया है । व 18 प्रतिशत मध्यम जातीय स्तर की महिलाओं के भी इतने ही बच्चे हैं । इसी प्रकार, मात्र 17 प्रतिशत उच्च जातीय स्तर की महिलाओं ने 7 से 9 बच्चों को पैदा किया है एवं निम्न जातीय स्तर की सर्वाधिक 59 प्रतिशत महिलाओं ने 7 से 9 बच्चों को जन्म दिया है एवं मध्यम जातीय स्तर की महिलाओं ने भी इतने ही बच्चे पैदा किये हैं । इसीक्रम में उच्च जातीय स्तर की 28 प्रतिशत महिलाओं ने 4 से 6 बच्चों को पैदा किया है व मध्य एवं निम्न जातीय स्तर की 32 प्रतिशत महिलाओं ने भी इतने ही बच्चों को जन्म दिया है । इस प्रकार, स्पष्ट है कि उच्च जातीय स्तर की महिलाओं में प्रजननता सबसे कम है । मध्यम जातीय स्तर की महिलाओं में भी निम्न जातीय स्तर की महिलाओं की अपेक्षा प्रजननता कम है । स्पष्ट है कि जातीय स्तर एवं प्रजननता के मध्य विपरीत सम्बन्ध है ।

उच्च निष्कर्षो की पुष्टि करने हेतु सांख्यकीय माध्य को भी आधार बनाया गया है जिससे प्राप्त निष्कर्षो के अनुसार उच्च जातीय स्तर की महिलाओं ने औसतन 3.35 बच्चों को जन्म दिया है जबकि इसके विपरीत निम्न जातीय स्तर की महिलाओं ने औसतन 6.00 बच्चों को जन्म दिया है । मध्यम जातीय स्तर की महिलाओं ने भी औसतन 5.45 बच्चों को पैदा किया है । इस प्रकार उच्च जातीय स्तर प्रजननता को प्रभावित करता है ।

निष्कर्ष की पुष्टि काई-स्क्वायर परीक्षण द्वारा भी की गई है जिसके अनुसार .01 सम्भाविता स्तर पर अन्तर अत्याधिक सार्थक है ।

महिलाओं की प्रजननता पर उनके जातीय स्तर का प्रभाव पड़ता है । इसका कारण सम्भवतः यह है कि अधिकांशतः उच्च जातीय स्तर का सम्बन्ध उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति से होता है, इस कारण उच्च जातीय स्तर के लोगों में प्रजननता कम पायी जाती है । निम्न

जातीय स्तर के लोग निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति में जीवन व्यतीत करते हैं अतः उनमें अशिक्षा, अज्ञानता तथा भाग्यवादिता की मान्यताओं के प्रतिकूल कार्य करने की हिम्मत नहीं होती । वे बच्चों को भगवान की देन समझकर जन्म देते रहते हैं ।

एम0एम0पटनायक ने अपने बिहारके पटनानगर में किये गये अध्ययन के आधार पर भी यह स्पष्ट किया है कि उच्च जातीय स्तर के लोगों में निम्न जातीय स्तर के लोगों की अपेक्षा कम प्रजनन-दर का प्रचलन है[9] । इसी प्रकार, हमारे निष्कर्ष पटनायक के निष्कर्षों से साम्य रखते हैं ।

3- महिलाओं का शैक्षिक स्तर एवं प्रजननता-

शिक्षा महिलाओं की प्रजननता का प्रभावशाली निर्धारक है । शिक्षा व्यक्ति में ज्ञान का संचार कर अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करती है । शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर उसके व्यक्तित्व को परिमार्जित करती है । इसके माध्यम से व्यक्ति सत्य-असत्य, उचित-अनुचित के बीच अन्तर कर तर्क और विवेक के अनुकूल कार्य करने का प्रयास करता है । शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती है । अतः प्रजनन व्यवहार पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है ।

महिलाओं की प्रजननता का शैक्षिक स्तर से सम्बन्ध स्पष्ट करने हेतु शिक्षा को तीन स्तरों में विभक्त किया गया है- निरक्षर, प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा । महिलाओं द्वारा जनित बच्चों की संख्या को भी तीन भागों में विभक्त किया गया है । संकलित तथ्यों का विवरण सारणी 5.3 में प्रस्तुत है ।

---

(9) एम0एम0 पटनायक, <u>सोशियों एकोनामिक कल्चरल एण्ड डेमोग्राफिक रेशनलिटी आफ फर्टिलिटी बिहेवियर</u>, पेज- 38-39, पूर्वोक्त ।

सारणी 5.3

महिलाओं की शिक्षा के आधार पर उनकी प्रजननता

शैक्षिक स्तर	जनित बच्चों की संख्या			योग	माध्य
	0-3	3-6	6-9		
निरक्षर	15	56	121	192	6.15
	%(08)	(29)	(63)	(100)	
प्राइमरी व माध्यमिक शिक्षित	26	44	66	136	5.38
	%(19)	(32)	(49)	(100)	
उच्च शिक्षित	34	25	13	72	3.63
	%(48)	(34)	(18)	(100)	
योग-	75	125	200	400	4.84

काई-स्क्वायर (x^2) मूल्य = 65.2

.01 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है ।

(स्वातंत्र्यांश- 4)

सारणी 5.3 से संकेत मिलता है कि महिलाओं की प्रजननंता पर उनके शैक्षिक स्तर का अत्याधिक प्रभाव पड़ता है । मात्र 08 प्रतिशत निरक्षर महिलाओं ने 3 अथवा कम बच्चों को जन्म दिया है, 29 प्रतिशत महिलाओं ने 4 से 6 बच्चों को एवं सर्वाधिक 63 प्रतिशत महिलायें ऐसी हैं जिन्होंने 7 से 9 बच्चों को जन्म दिया है । 19 प्रतिशत प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित महिलाओं ने 3 अथवा कम बच्चे पैदा किये हैं, 32 प्रतिशत ने 4 से 6 व 49 प्रतिशत महिलाओं ने 7 से 9 बच्चों को जन्म दिया है । इसी प्रकार, उच्च शिक्षित 48 प्रतिशत महिलाओं ने 3 अथवा कम बच्चों को जन्म दिया एवं 34 प्रतिशत ने 4 से 6 बच्चे पैदा किये हैं

व मात्र 18 प्रतिशत ही ऐसी महिलायें हैं जिनके 7 से 9 बच्चे पैदा हुये हैं । इस प्रकार, सारणी के विश्लेषण से इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है कि जैसे-जैसे महिलाओं में शिक्षा का स्तर बढ़ता है वैसे-वैसे यउनकी प्रजननता भी कम होती जाती है ।

उक्त निष्कर्ष की पुष्टि सांख्यकीय माध्य से भी हो जाती है । सांख्यकीय माध्य से प्राप्त निष्कर्षो के अनुसार निरक्षर महिलाओं ने औसतन 6.15 बच्चों को जन्म दिया जबकि उससे कम प्राइमरी व माध्यमिक शिक्षा प्राप्त महिलाओं ने औसतन 5.38 बच्चों एवं उच्च शिक्षित महिलाओं ने सबसे कम औसतन 3.63 बच्चों को जन्म दिया है । अतः उच्च शिक्षा महिलाओं के प्रजनन व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायक होती है ।

शिक्षा का महिलाओं की प्रजननता पर पड़ने वाले प्रभाव का आँकलन करने हेतु काई- स्क्वायर परीक्षण भी किया गया है जिसके अनुसार .01 सम्भाविता स्तर पर अन्तर अत्याधिक सार्थक है ।

इस प्रकार, सारणी में दर्शाये गये तथ्यों से परिलक्षित होता है कि निरक्षर एवं कम शिक्षित महिलाओं की अपेक्षा उच्च शिक्षित महिलाओं में प्रजननता बहुत कम पायी जाती है । इसका मुख्य कारण यह है कि शिक्षा व्यक्ति को जागरूक बनाकर उसे प्रगतिशील बनाती है । शिक्षित महिलायें वर्तमान समय में बढ़ती हुई मँहगाई एवं उत्तरोत्तर बढ़ रही जनसंख्या के प्रति जागरूक हैं और यह समझती हैं कि अधिक बच्चों को उन्नति के अवसर उपलब्ध कराना कठिन है । बच्चे यदि कम होंगे उनके पालन-पोषण एवं शिक्षा में अधिक धन व्यय कर उन्हें प्रगति के अधिक अवसर प्राप्त कराये जा सकते हैं । साथ ही, परिवार को सीमित रखने से समाज में ऊपर उठने की सम्भावना भी अधिक रहती है । निरक्षर महिलायें अपनी अज्ञानता व अशिक्षा के कारण इन बातों का महत्व समझ नहीं पातीं परिणामतः उनके परिवार का आकार बढ़ जाता है ।

एम0एम0पटनायक एवं डा0 हुसैन ने भी महिलाओं के प्रजनन व्यवहार का अध्ययन उनकी व उनके प्रति की शिक्षा के आधार पर किया । इनके अध्ययन के निष्कर्ष स्पष्ट करते हैं कि शिक्षा महिलाओं की प्रजननता को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है[10] । अतः हमारे परिणाम भी इन निष्कर्षो से मिलते हैं ।

---

(10) 1- डा0 इशरत हुसैन: फर्टिलिटी इन लखनऊ सिटी, पेज- 38-54
2- एम0एम0पटनायक, 'फर्टिलिटी बिहेवियर' पेज- 39 पूर्वोक्त ।

4- महिलाओं के पति की शिक्षा एवं प्रजननता-

क्या महिलाओं की प्रजननता उनके पति की शिक्षा से भी प्रभावित है ? यहाँ पर इस प्रश्न से सम्बन्धित तथ्यों पर भी प्रकाश डालने की योजना है । साथ ही यह भी देखने का प्रयास किया गया है कि महिलाओं के पतियों का शैक्षिक स्तर उनकी प्रजननता को कहाँ तक प्रभावित करता है । प्राप्त तथ्यों का विवरण सारणी 5.4 में प्रस्तुत है ।

सारणी 5.4

महिलाओं के पति की शिक्षा के आधार पर उनकी प्रजननता

शैक्षिक स्तर	जनित बच्चों की संख्या			योग	माध्य
	0-3	3-6	6-9		
निरक्षर	20	45	80	145	5.74
	%(14)	(31)	(55)	(100)	
प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित	15	48	70	133	5.74
	%(11)	(36)	(52)	(100)	
उच्च शिक्षित	40	32	50	122	4.74
	%(33)	(26)	(41)	(100)	
योग-	75	125	200	400	4.84

काई-स्क्वायर (x^2) मूल्य = 23.58

.01 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है ।

(स्वातंत्र्यांश- 4)

सारणी 5.4 के विश्लेषण से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि महिलाओं के पति की शिक्षा भी उनके प्रजनन व्यवहार को प्रभावित करती है । 14 प्रतिशत महिलाओं के पति जो कि निरक्षर हैं उनके 3 अथवा कम बच्चे हैं, ऐसी ही 18 प्रतिशत महिलाओं ने 4 से 6

बच्चों व सर्वाधिक 55 प्रतिशत महिलाओं ने जिनके पति निरक्षर हैं 7 से 9 बच्चों को जन्म दिया है । 11 प्रतिशत महिलाओं के पति प्राइमरी व माध्यमिक शिक्षा प्राप्त हैं उन्होंने 3 अथवा कम बच्चों को जन्म दिया है, 36 प्रतिशत महिलाओं ने 4 से 6 बच्चे पैदा किये हैं एवं ऐसी ही 52 प्रतिशत महिलाओं ने 7 से 9 बच्चों को जन्म दिया है । इसी प्रकार 33 प्रतिशत महिलायें जिनके पति उच्च शिक्षित हैं, उनके 3 अथवा कम बच्चे पैदा हुये हैं व 26 प्रतिशत ऐसी ही महिलाओं ने 4 से 6 बच्चों को जन्म दिया है, जबकि 41 प्रतिशत महिलाओं के 7 से 9 बच्चे पैदा हुये हैं । इस प्रकार, सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि महिलाओं के पतियों की शिक्षा उनकी प्रजननता को अधिक प्रभावित करती है ।

महिलाओं की प्रजननता पर उनके पतियों की शिक्षा का प्रभाव देखने के उद्देश्य से माध्य को भी आधार बनाया गया है । माध्य से प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार निरक्षर एवं कम शिक्षित पतियों की महिलाओं ने औसतन 5.74 बच्चों को जन्म दिया है जबकि जिन महिलाओं के पति उच्च शिक्षित हैं उन्होंने औसतन 4.74 बच्चे पैदा किये हैं । इस प्रकार स्पष्ट है कि महिलाओं के पतियों की शिक्षा उनकी प्रजननता को प्रभावित करती है ।

महिलाओं के पति की शिक्षा का उनकी प्रजननता पर पड़ने वाले प्रभाव को काई-स्क्वायर परीक्षण से भी स्पष्ट किया गया जो कि .01 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है ।

इस प्रकार, उक्त प्रकार के निष्कर्षों के प्राप्त होने के कौन से कारण हैं ? यह जानना भी आवश्यक है । उच्च शिक्षित व्यक्ति जानते हैं कि आज की परिस्थितियों में कम बच्चे परिवार एवं राष्ट्र दोनों के हित के लिये आवश्यक हैं । क्योंकि, आज अधिक बच्चों को बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण सभी अवसर उपलब्ध कराना कठिन है । यदि बच्चे कम होंगे तो उनका जीवन अधिक सफल बनाया जा सकता है ।

5- महिलाओं का व्यवसाय एवं उनकी प्रजननता-

प्रजननता विभिन्नताओं को महिलाओं के व्यवसाय के आधार पर भी विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है । व्यवसाय का सम्बन्ध मुख्य रूप से व्यक्ति की आर्थिक दशा से होता है । किसी भी परिवार का अस्तित्व उस परिवार की आय पर ही आश्रित होता है ।

वर्तमान समय में पुरूषों के समान महिलायें भी विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कार्यो में संलग्न हैं तथा पति के साथ स्वयं भी पारिवारिक आय को बढ़ाने में सहयोग कर रही हैं । महानगरीय समुदायों की अपेक्षा पिछड़े हुये शहरी क्षेत्रों एवं ग्रामीण समुदायों की महिलाओं में आत्म-निर्भरता कम है । फिर भी, इन समुदायों में भी महिलायें स्वावलम्बन हेतु आगे बढ़ रही हैं । अन्य सम्प्रदायों की अपेक्षा मुस्लिम सम्प्रदाय की महिलायें अशिक्षा एवं पर्दा-प्रथा के कारण व्यावसायिक दृष्टिकोण से पिछड़ी हुई हैं । परन्तु इस सम्प्रदाय की महिलायें भी व्यावसायिक क्षेत्र में पदार्पण कर चुकी हैं ।

यहाँ पर महिलाओं का व्यवसाय उनकी प्रजननता को किस प्रकार प्रभावित करता है । इस तथ्य का विश्लेषण करने की योजना है । अतः महिलाओं के व्यावसायिक स्तर को तीन भागों में विभक्त किया गया है- गृहणी, सरकारी कर्मचारी, निजी व्यवसाय एवं श्रमिक । संकलित आँकड़ों का विवरण सारणी 5.5 में प्रस्तुत है ।

सारणी 5.5

महिलाओं के व्यवसाय के आधार पर उनकी प्रजननता

व्यावसायिक स्तर	जनित बच्चों की संख्या			योग	माध्य
	0-3	3-6	6-9		
गृहणी	43	85	185	312	5.85
	%(14)	(27)	(59)	(100)	
सरकारीकर्मचारी	17	10	03	30	3.10
	%(57)	(33)	(10)	(100)	
निजी व्यवसाय/ श्रमिक	20	25	13	58	4.14
	%(34)	(43)	(23)	(100)	
योग-	75	125	200	400	4.84

काई-स्क्वायर (x^2) मूल्य = 62.49

.01 सम्भाविता स्तर पर सार्थक ।

(स्वातंत्र्यांश- 4)

सारणी 5.5 में अंकित आँकड़ों से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि महिलाओं का व्यवसाय उनकी प्रजननता को प्रभावित करता है । गृहणी महिलाओं में 14 प्रतिशत ऐसी हैं जिनके 3 अथवा कम बच्चे पैदा हुये हैं, 27 प्रतिशत महिलाओं ने 4 से 6 बच्चों व 59 प्रतिशत महिलाओं ने सर्वाधिक 7 से 9 बच्चों को पैदा किया है । इसके विपरीत सरकारी सेवारत महिलाओं में से 52 प्रतिशत ने 3 अथवा कम बच्चों को जन्म दिया है, ऐसी ही 33 प्रतिशत महिलाओं के 4 से 6 बच्चे हैं, जबकि मात्र 10 प्रतिशत महिलायें ही ऐसी हैं जिन्होंने 7 से 9 बच्चों को जन्म दिया है । इसी प्रकार, छोटे-छोटे निजी व्यवसाय एवं श्रमिक कार्यों में संलग्न 34 प्रतिशत महिलाओं ने 3 अथवा कम बच्चों को जन्म दिया है, 43 प्रतिशत महिलाओं ने 4 से 6 बच्चों को तथा 23 प्रतिशत महिलाओं ने 7 से 9 बच्चों को पैदा किया है । इस विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि महिला का उच्च स्तरीय व्यवसाय ही उनकी प्रजननता को अधिक प्रभावित करता है, जैसे-सर्वाधिक सरकारी कर्मचारी महिलायें ही ऐसी हैं जिनके सबसे कम बच्चे हैं । निजी व्यवसाय एवं श्रमिक कार्यों में संलग्न महिलाओं ने भी गृहणी महिलाओं की अपेक्षा कम बच्चों को जन्म दिया है ।

महिलाओं के व्यवसाय का उनकी प्रजननता पर प्रभाव का आँकलन करने के उद्देश्य से सांख्यकीय माध्य का प्रयोग भी किया गया । जिसके अनुसार गृहणी महिलाओं ने औसतन 5.85 बच्चे पैदा किये तथा सरकारी कर्मचारी महिलायें सबसे कम औसतन 3.10 बच्चे पैदा करने वाली हैं । निजी व्यवसाय एवं श्रमिक महिलाओं ने औसतन 4.10 बच्चों को जन्म दिया है । इस प्रकार, सांख्यकीय माध्य से प्राप्त निष्कर्षो से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि आत्मनिर्भर महिलाओं में गृहणी महिलाओं की अपेक्षा प्रजननता कम है ।

इस तथ्य की पुष्टि काई स्क्वायर परीक्षण से भी हो जाती है जो कि .01 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है ।

महिलाओं के व्यवसाय का उनकी प्रजननता पर पड़ने वाले प्रभाव का मुख्य कारण है कि व्यवसाय व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी प्रदान करता है । अतः जो महिलायें स्वावलम्बी हैं वे आज के युग की प्रगतिशील विचारधारा को समझती हैं । वे

जानती हैं कि कम बच्चों के होने पर ही उच्च सामाजिक-आर्थिक स्तर प्राप्त करना सम्भव है । इसी कारण वे अपने परिवार को सीमित रखने का प्रयास करती हैं । गृहणी महिलायें घर में रहने तथा पति एवं परिवार पर आश्रित होने के कारण अपने विवेक से निर्णय लेने से डरती हैं, अत: बच्चों के जन्म के सम्बन्ध में भी उनकी राय पति व परिवार के अन्य सदस्यों (माता-पिता, सास-ससुर) के अनुकूल ही होती है परिणामतः उनमें प्रजननता अधिक पायी जाती है ।

लीप्ले एवं डा0 हुसैन के अध्ययनों से भी स्पष्ट होता है कि उच्च ओहदा, मध्यम श्रेणी की सरकारी कर्मचारी महिलाओं में गृहणी महिलाओं की अपेक्षा प्रजननता कम होती है,[1] इस आधार पर हमारे परिणामों की भी पुष्टि हो जाती है ।

6- महिलाओं के पति का व्यवसाय एवं प्रजननता-

क्या महिलाओं के पति का व्यवसाय भी उनकी प्रजननता को प्रभावित करता है ? यहाँ पर इस तथ्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है । सामान्यतया सभी परिवारों में आर्थिक आय का स्रोत पति का व्यवसाय ही होता है । पति ही परिवार का मुखिया एवं कर्ता-धर्ता है । उसके निर्णय ही परिवार के लिये मुख्य होते हैं । महिलाओं की प्रजननता पति के व्यवसाय से कहाँ तक प्रभावित होती है, सम्बन्धित तथ्य सारणी 5.6 में प्रस्तुत किये गये हैं ।

---

(1) 1- डा0 आई0जेड0 हुसैन, "फर्टिलिटी इन लखनऊ सिटी" पेजन- 38-54, पूर्वोक्त ।

2- लीप्ले, एफ0, 'ल रिफारम सोशल इन फ्राँस डिप्यूडाइट डीले" ।

सारणी 5.6

महिलाओं के पति के व्यवसाय के आधार पर उनकी प्रजननता

व्यवसाय	जनित बच्चों की संख्या			योग	माध्य
	0-3	3-6	6-9		
निजी व्यवसाय	28	60	92	180	5.57
	%(15)	(33)	(52)	(100)	
सरकारी कर्मचारी	37	45	78	160	5.26
	%(23)	(28)	(49)	(100)	
श्रमिक	10	20	30	60	5.50
	%(16)	(34)	(50)	(100)	
योग-	75	125	200	400	4.84

काई-स्क्वायर (χ^2) मूल्य = 3.65

.05 सम्भाविता स्तर पर अन्तर सार्थक नहीं ।

(स्वातंत्र्यांश- 4)

सारणी 5.6 के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि महिलाओं के पति का व्यवसाय उनकी प्रजननता को अधिक प्रभावित नहीं करता । जिन महिलाओं के पति निजी व्यवसाय में संलग्न हैं उनमें 15 प्रतिशत महिलाओं के 3 अथवा कम बच्चे हैं, 33 प्रतिशत महिलायें 4 से 6 बच्चे पैदा करने वाली हैं तथा 52 प्रतिशत ऐसी ही महिलाओं ने 7 से 9 बच्चों को जन्म दिया है । साथ ही, जिन महिलाओं के पति सरकारी कर्मचारी हैं उनमें 23 प्रतिशत महिलाओं ने 3 अथवा कम बच्चों को जन्म दिया है, 28 प्रतिशत महिलाओं के 4 से 6 बच्चे जन्मे तथा 49 प्रतिशत महिलायें 7 से 9 बच्चे पैदा करने वाली हैं । इसी प्रकार वे महिलायें जिनके पति श्रमिक

हैं उनमें 16 प्रतिशत महिलाओं ने 3 अथवा कम बच्चों को, 34 प्रतिशत महिलाओं ने 4 से 6 बच्चों को एवं 50 प्रतिशत महिलाओं ने 7 से 9 बच्चे पैदा किये हैं । इस प्रकार, उक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि महिलाओं की प्रजननता पर उनके पति के व्यवसाय का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है ।

सांख्यकीय माध्य से प्राप्त निष्कर्ष भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं । वे महिलायें जिनके पति निजी व्यवसाय कर रहे हैं वे औसतन 5.57 बच्चे पैदा करने वाली हैं जबकि, सरकारी कर्मचारी पतियों की महिलाओं ने औसतन 5.26 बच्चों को जन्म दिया है । व जिन महिलाओं के पति श्रमिक हैं उन महिलाओं ने औसतन 5.50 बच्चो को जन्म दिया है । इस प्रकार, निष्कर्षो से स्पष्ट है कि पति का व्यवसाय महिलाओं की प्रजननता को आंशिक रूप से ही प्रभावित करता है ।

इस निष्कर्ष की पुष्टि काई स्ववायर परीक्षण से भी हो जाती है जिसके अनुसार अन्तर .05 सम्भाविता स्तर पर सार्थक नहीं है ।

7- परिवार की आय एवं प्रजननता-

परिवार की आय का, परिवार के आकार एवं बच्चों की संख्या से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है । विद्वानों का यह विचार है कि यदि परिवार की आय अधिक होगी तो परिवार में बच्चों की संख्या कम होगी । यदि परिवार की आय कम होगी तो परिवार में बच्चों की संख्या अधिक होगी ।

यहाँ पर महिलाओं की प्रजननता को उनके परिवार की आय के आधार पर स्पष्ट किया गया है । परिवार की आय को तीन भागों में विभाक्त किया गया है- रू0 00-1500, 1500-3000, 3000 एवं उससे अधिक । प्रात्य तथ्यों का विवरण सारणी 5.7 में अंकित है ।

सारणी 5.7

परिवार की आय के आधार पर महिलाओं की प्रजननता

परिवार की मासिक आय	जनित बच्चों की संख्या			योग	माध्य
	0-3	3-6	6-9		
00-1500	36	73	129	238	5.67
	%(15)	(31)	(54)	(100)	
1500-3000	24	40	64	128	5.43
	%(19)	(31)	(50)	(100)	
3000एवंअधिक	15	12	07	34	3.80
	%(44)	(35)	(21)	(100)	
योग-	75	125	200	400	4.84

काई-स्क्वायर (x^2) मूल्य = 20.23

.01 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है ।

(स्वातंत्र्यांश- 4)

सारणी 5.7 से स्पष्ट है कि परिवार की आय महिलाओं की प्रजननता को प्रभावित करती है । 1500 रूपये अथवा कम मासिक आय वाली 15 प्रतिशत महिलाओं ने 3 अथवा कम बच्चों को जन्म दिया है, इसी वर्ग के अन्तर्गत आने वाली 31 प्रतिशत महिलाओं ने 4 से 6 बच्चों को तथा ऐसी ही 54 प्रतिशत महिलाओं ने 7 से 9 बच्चों को जन्म दिया है । साथ ही, 19 प्रतिशत महिलायें जिनकी मासिक आय 1500-3000 रूपये के अन्तर्गत है उनके 3 अथवा कम बच्चे हैं । इसी वर्ग से सम्बन्धित 31 प्रतिशत महिलाओं ने 4 से 6 बच्चे एवं 50 प्रतिशत

महिलाओं ने 7 से 9 बच्चे पैदा किये हैं । इसी प्रकार, सर्वाधिक 44 प्रतिशत महिलायें जो 3000 एवं उससे भी अधिक मासिक आय वाले वर्ग के अन्तर्गत हैं 3 अथवा कम बच्चे पैदा करने वाली हैं एवं 35 प्रतिशत महिलायें ऐसी हैं जिनके 4 से 6 बच्चे पैदा हुये हैं, इस वर्ग से सम्बन्धित केवल 21 प्रतिशत महिलायें ही ऐसी हैं जिन्होंने 7 से 9 बच्चों को जन्म दिया है ।

इस प्रकार सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि परिवार की आय का महिलाओं की प्रजननता से विपरीत क्रम का सम्बन्ध है । जैसे-जैसे परिवार की आय बढ़ती है, महिलाओं की प्रजननता घटती जाती है, जबकि, परिवार की आय कम होने पर प्रजननता अधिक हो जाती है ।

इस निष्कर्ष की पुष्टि हेतु सांख्यकीय माध्य को भी आधार बनाया गया जिससे प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार 1500 रूपये अथवा कम मासिक आय के अन्तर्गत आने वाली महिलाओं ने औसतन 5.67 बच्चों को जन्म दिया, 1500 से 3000 रूपये मासिक आय वाली महिलाओं ने औसतन 5.43 बच्चों को व 3000 एवं उससे अधिक मासिक आय वाले वर्ग की महिलाओं ने सबसे कम 3.80 बच्चे पैदा किये हैं । इससे स्पष्ट है कि जैसे-जैसे परिवार की आय बढ़ती है प्रजननता कम होती जाती है ।

महिलाओं की प्रजननता पर पारिवारिक आय के प्रभाव के आँकलन के उद्देश्य से काई स्क्वायर परीक्षण भी किया गया जो कि .01 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है ।

उक्त निष्कर्ष के पीछे छिपे कौन से कारण हैं ? यह जानना भी आवश्यक है । सामान्यतः जिनकी आय अधिक होती है ऐसे धनी व्यक्ति स्वेच्छा से कम बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि धनी व्यक्ति भौतिक सुखों को भोगने के लिये बच्चों की संख्या कम रखते हैं । वे समझते हैं कि बच्चों के पालन-पोषण में खर्च अधिक होता है और उन बच्चों द्वारा उत्पादन कार्य भी काफी समय बाद शुरू होता है इस कारण भी वे कम बच्चे पैदा करते हैं । ये व्यक्ति समझदार तथा बुद्धिजीवी होते हैं और समाज में उन्नत होने की इच्छा रखते हैं अतः ये लोग बच्चों की संख्या को नियंत्रित रखते हैं जबकि इसके विपरीत, वे व्यक्ति जिनकी आय कम है वे अधिक

बच्चों को जन्म देते हैं क्योंकि उनके बच्चे जल्दी कमाने लगते हैं, उनके पालन-पोषण का खर्च भी कम होता है क्योंकि न उन्हें अच्छा खाना-पीना देना है और न ही उच्च शिक्षा देना है । ऐसे व्यक्ति विवेकशील एवं बुद्धिमान नहीं होते इसी कारण उनमें जन्म-दर अधिक होती है ।

फ्रैंक फैटर एवं लीविन्सटीन के जनसंख्या से सम्बन्धित सिद्धान्त इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि जब अधिकांश व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय कम होती है तो बच्चों को उत्पादक मानकर उन्हें अधिक बच्चे पैदा करने पड़ते हैं क्योंकि उनमें पालने का खर्चा कम होता है । धनी व्यक्ति भौतिक सुखों को भोगने के लिये बच्चों की संख्या कम रखते हैं क्योंकि उनके बच्चों के पालन-पोषण में काफी व्यय होता है और उन बच्चों द्वारा उत्पादन करने का कार्य भी काफी समय बाद शुरू होता है । इससे भी वे कम बच्चे पैदा करते हैं । हमारे अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष भी इन परिणामों से पर्याप्त साम्य रखते हैं ।[12]

8- परिवार का सामाजिक-आर्थिक स्तर एवं प्रजननता-

विद्वानों का विचार है कि सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक व तकनीकी उन्नति के साथ-साथ जन्मदर में कमी आती है । उच्च सामाजिक-आर्थिक स्तर के लोगों में कम प्रजनन-दर का प्रचलन होता है जबकि निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर के लोगों में उच्च प्रजनन-दर पायी जाती है । जैसे- ऐसी विकसित देश जहाँ प्रोद्योगिक उन्नति, तकनीकी शिक्षा, शिक्षा का व्यापक प्रसार है तथा समाज परम्परात्मक रीति-रिवाजों से मुक्त है, वहाँ प्रजनन-दर भी कम है । जबकि विकासशील देश जहाँ आज भी कृषि की प्रधानता है, शिक्षा का कम प्रसार है, निरक्षरता एवं परम्पराओं का महत्व है वहाँ प्रजनन-दर अधिक है ।

---

(12) 1- फैंक फैटर, थ्योरी आफ वोयलंटरीजम वर्षकिनर बर्लोकंगशिर: जेना, 1894, देखें पुस्तक- आर्थिक व सामाजिक जनांनकिकी शास्त्र, पूर्वोक्त ।

2- लिबंस्टीन, हार्वे, 1957, 'एकोनामिक बैकवर्डनेस एण्ड इकोनामिक ग्रोथ' साइंस एडीशन जान वेली एण्ड सन्स, आई0एन0सी0एन0वाई0, पेज- 151-52

यहाँ यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि महिलाओं की प्रजननता परिवार के सामाजिक-आर्थिक स्तर से प्रभावित होती है । सामाजिक-आर्थिक स्तर का प्रजननता से सम्बन्ध दर्शाने हेतु उसे तीन स्तरों में विभक्त किया गया है- उच्च, मध्यम, एवं निम्न । एकत्रित आँकड़ों का विवरण सारणी 5.8 में प्रस्तुत है ।

सारणी 5.8

परिवार के सामाजिक-आर्थिक स्तर के आधार पर महिलाओं की प्रजननता

सामाजिक-आर्थिक स्तर	जनित बच्चों की संख्या			योग	माध्य
	0-3	3-6	6-9		
उच्च	40	25	20	85	3.80
	%(47)	(29)	(24)	(100)	
मध्यम	25	40	70	135	5.50
	%(19)	(28)	(53)	(100)	
निम्न	10	60	110	180	6.16
	%(05)	(33)	(62)	(100)	
योग-	75	125	200	400	

काई-स्क्वायर (x^2) मूल्य = 20.88

.01 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है ।

(स्वातंत्र्यांश- 4)

सारणी 5.8 से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि वास्तव में परिवार का सामाजिक-आर्थिक स्तर महिलाओं की प्रजननता को प्रभावित करता है । सर्वाधिक 47 प्रतिशत उच्च सामाजिक-आर्थिक स्तर वाली महिलाओं ने 3 अथवा कम बच्चों को जन्म दिया है, 29

प्रतिशत महिलाओं ने 4 से 6 बच्चों को व 24 प्रतिशत महिलाओं ने 7 से 9 बच्चों को जन्म दिया है । साथ ही, मध्यम स्तर की 19 प्रतिशत महिलाओं के 3 अथवा कम बच्चे पैदा हुये हैं जबकि 28 प्रतिशत ने 4 से 6 बच्चों व 53 प्रतिशत महिलाओं ने 7 से 9 बच्चों को जन्म दिया है । इसी प्रकार वे महिलायें जिनका सामाजिक-आर्थिक स्तर निम्न हैं में से मात्र 05 प्रतिशत ने 3 अथवा कम बच्चों को जन्म दिया है । 33 प्रतिशत ने 4 से 6 बच्चों व सर्वाधिक 62 प्रतिशत महिलाओं ने 7 से 9 बच्चों को जन्म दिया । इस प्रकार, स्पष्ट है कि जैसे-जैसे सामाजिक-आथ्रिक स्तर बढ़ता जाता है प्रजननता कम होती जाती है तथा सामाजिक-आर्थिक स्तर में गिरावट होने से प्रजननता बढ़ जाती है ।

उक्त तथ्य की पुष्टि सारणी में दर्शाये गये सांख्यकीय माध्य से भी हो जाती है । उच्च सामाजिक-आर्थिक स्तर वाली महिलाओं द्वारा जनित बच्चों की संख्या औसतन 3.80 है जबकि, मध्यम स्तर में महिलाओं द्वारा जनित बच्चों की संख्या घटकर औसतन 5.50 हो गई व निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर वाली महिलाओं ने सबसे अधिक औसतन 6.16 बच्चों को जन्म दिया । इस प्रकार, महिलाओं की प्रजननता सामाजिक-आर्थिक स्तर के अनुसार परिवर्तित होती रहती है ।

उक्त निष्कर्ष की पुष्टि काई स्क्वायर परीक्षण द्वारा भी की गई जिसके अनुसार अन्तर .01 सम्भाविता स्तर पर अत्याधिक सार्थक है ।

डयूमान्ट का सामाजिक केशाकर्षण का सिद्धान्त भी इस तथ्य पर बल देता है कि जैसे-जैसे व्यक्ति समाज में ऊपर की ओर उठने लगते हैं उनमे प्रजनन-दर कम होती जाती है, सभ्य व सुसंस्कृत व्यक्ति कम बच्चे पैदा करते हैं । इसके विपरीत, निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर के लोग जातिवाद, पुराने विचार, अज्ञानता व गरीबी के कारण अपनी जन्मदर को बढ़ाते रहते हैं, उनका समय, शक्ति व धन बच्चे पैदा करने में लगा रहता है[13] । इस प्रकार हमारे निष्कर्षों की भी पुष्टि हो जाती है ।

---

(13) अरसने डयूमान्ट: 'डि पापुलेशन एट सिवीलाइजेशन' पेरिस, 1870, पूर्वोक्त ।

(ब) किन्हीं दो चरों के सन्दर्भ में प्रजननता माध्य सम्बन्धी विभिन्नतायें-

अभी तक यह देखने का प्रयास किया गया कि महिलाओं की प्रजननता उनकी शिक्षा, व्यवसाय, परिवार का प्रकार, परिवार की आय, जातीय स्तर एवं सामाजिक-आर्थिक स्तर पर किस सीमा तक आधारित होती है । अब महिलाओं की प्रजननता का विश्लेषण किन्हीं दो चरों के आधार पर करने का प्रयास किया गया है क्योंकि चरों का मिश्रित प्रभाव प्रजननता पर पड़ता है ।

(1) परिवार का प्रकार, जाति एवं प्रजननता-

यहाँ पर महिलाओं की प्रजननता को परिवार के प्रकार एवं जाति के स्तर के आधार पर विश्लेषित करने की योजना है, जिसका विश्लेषण सारणी 5.9(अ) में प्रस्तुत है ।

सारणी 5.9(अ)

महिलाओं के परिवार के प्रकार एवं जाति के आधार पर प्रजननता माध्य

जातीय स्तर	संयुक्त	एकाकी
उच्च	5.55	4.38
मध्यम	5.97	5.01
निम्न	6.30	6.53

सारणी 5.9(ब)

सारांश: प्रसरण का विश्लेषण

प्रसरण स्रोत	वर्गयोग	स्वातंत्र्यांश	मध्यमान वर्गप्रसरण	एफ अनुपात	सारणी मान
जातीयस्तर	2.15	2	1.07	3.82	19
परिवार का प्रकार	0.6	1	0.6	2.14	18.51
त्रुटि	0.57	2	0.28		
योग-	3.32	5			

सारणी 5.9(अ) में अंकित आँकड़ों के विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं की प्रजननता उनके जातीय स्तर एवं परिवार के प्रकार से प्रभावित होती है । जो महिलायें संयुक्त परिवार से सम्बन्धित हैं तथा उच्च जातीय स्तर की है, उनके द्वारा जनित बच्चों की संख्या औसतन 5.55 है, संयुक्त परिवार से ही सम्बन्धित जो महिलायें मध्यम जातीय स्तर की है उन्होंने औसतन 5.97 बच्चों को जन्म दिया जबकि इसी क्रम में निम्न जातीय स्तर की महिलाओं ने सर्वाधिक 6.30 बच्चों को पैदा किया है । इसी तरह वे महिलायें जो एकाकी परिवार में रहने वाली हैं तथा उच्च जातीय स्तर से सम्बन्धित हैं उन्होंने सबसे कम 4.38 बच्चे पैदा किये हैं, मध्यम जातीय स्तर की महिलाओं ने औसतन 5.01 बच्चों को जन्म दिया तथा वे महिलायें जो निम्न जातीय सतर की हैं उनमें जनित बच्चों का औसत सर्वाधिक 6.53 है । इस प्रकार, विभिन्न जातीय स्तरों में संयुक्त परिवार की महिलाओं की अपेक्षा एकाकी परिवार की महिलाओं में प्रजननता का माध्य कम है । उक्त विश्लेषण से इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है कि महिलाओं की प्रजननता में विभिन्नतायें उनके जातीय स्तर एवं परिवार के प्रकार के कारण होती

हैं । जैसा कि सारणी से स्पष्ट है कि जो महिलायें एकाकी परिवार की हैं तथा उच्च जातीय स्तर से सम्बन्धित हैं उनमें प्रजननता कम तथा जो महिलायें संयुक्त परिवार से सम्बन्धित हैं एवं उनका निम्न जातीय स्तर है उनमें प्रजननता अधिक होती है, क्योंकि वह अज्ञानता एवं अशिक्षा से ग्रसित होती हैं । इस तरह उच्च जातीय स्तर एवं एकाकी परिवार में रहने वाले व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक विचार करते हैं तथा परिवार के हित के अनुकूल कार्य करते हैं । इसके विपरीत, निम्न जातीय स्तर एवं संयुक्त परिवारों में जातिगत बन्धन एवं पुरानी मान्यताओं के प्रतिकूल कार्य करने का साहस कम होता है ।

उपर्युक्त निष्कर्षों की पुष्टि प्रसरण के विश्लेषण के द्वारा करने पर ज्ञात होता है (सारणी 5.9(ब)) कि प्रजननता पर जातीय स्तर एवं परिवार के प्रकार का प्रभाव सार्थक नहीं है क्योंकि दोनों ही दशाओं में क्रमशः एफ अनुपात 3.82 एवं 2.14 आता है, जो कि सारणीमान से पर्याप्त कम है । ऐसा सम्भवतः इसलिये है क्योंकि प्रजननता के दोनों कारकों की अर्न्तक्रिया के कारण होने वाला प्रसरण अधिक है । यह सम्भव है कि उपर्युक्त दोनों कारक प्रजननता पर अलग-अलग सार्थक प्रभाव डालते हों, परन्तु इनका मिश्रित प्रभाव नगण्य प्रतीत होता है । साथ ही, सामाजिक जीवन में यह भी देखने को मिलता है कि जाति एवं संयुक्त परिवार की संस्थायें निर्बल होती जा रही हैं तथा उनके प्रभाव कमजोर होते जा रहे हैं ।

(2) परिवार का प्रकार, महिलाओं की शिक्षा एवं प्रजननता-

महिलाओं की प्रजननता से सम्बन्धित विभिन्नताओं का विश्लेषण उनके परिवार के प्रकार एवं उनकी शिक्षा के आधार पर सारणी 5.10 में प्रस्तुत है ।

सारणी 5.10(अ)

महिलाओं की शिक्षा एवं परिवार के प्रकार के आधार पर प्रजननता माध्य

महिलाओं की शिक्षा	परिवार का प्रकार	
	संयुक्त	एकाकी
निरक्षर	6.46	6.08
प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित	5.93	5.12
उच्च शिक्षित	4.20	3.73

सारणी 5.10(ब)

सारांशः प्रसरण का विश्लेषण

प्रसरण स्रोत	वर्गयोग	स्वातंत्र्यांश	मध्यमान वर्गप्रसरण	एफ अनुपात	सारणी मान
महिला की शिक्षा	5.53	2	2.76	138	19
परिवार का प्रकार	0.46	1	0.46	23	18.51
त्रुटि	0.04	2	0.02		
योग-	6.03	5			

सारणी 5.10(अ) के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि महिलाआं की प्रजननता उनकी शिक्षा व परिवार के प्रकार से प्रभावित होती है । वे महिलायें जो संयुक्त परिवार की हैं तथा निरक्षर हैं उनमें बच्चों की संख्या सर्वाधिक औसतन 6.46 है, इसी वर्ग से सम्बन्धित प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित महिलाओं ने औसतन 5.93 बच्चों को जन्म दिया तथा वे जो महिलायें उच्च शिक्षित हैं उन्होंने सबसे कम औसतन 4.20 बच्चे पैदा किये हैं । इसी प्रकार, एकाकी परिवार में रहने वाली वे महिलायें जो अशिक्षित हैं उन्होंने औसतन 6.08 बच्चों को जन्म दिया जबकि कम शिक्षित महिलाओं ने कुछ कम औसतन 5.12 बच्चे पैदा किये हैं । एकाकी परिवार से ही सम्बन्धित उच्च शिक्षित महिलाओं द्वारा जनित बच्चों की संख्या सबसे कम औसतन 3.73 है । इस प्रकार, सारणी में दर्शाये गये प्रजननता माध्य से यह बात सिद्ध हो जाती है कि महिलाओं की शिक्षा एवं परिवार का प्रकार उनकी प्रजननता को प्रभावित करता है । जो महिलायें शिक्षित हैं तथा एकाकी परिवार में रह रही हैं उनमें संयुक्त परिवार में रहने वाली शिक्षित महिलाओं किी अपेक्षा प्रजनन-दर कम है । इसका मुख्य कारण है एकाकी परिवार में रहने वाले

स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करते हैं । साथ ही, उनकी शिक्षा उन्हें और भी उदार व प्रगतिशील बना देती है । वे भलीभाँति समझते हैं कि अधिक बच्चे आज के समय की माँग के प्रतिकूल हैं । संयुक्त परिवार में रहने वाली अशिक्षित महिलाओं में प्रजनन-दर सबसे अधिक है किन्तु संयुक्त परिवार की शिक्षित महिलाओं में भी अपेक्षाकृत प्रजनन-दर अधिक है क्योंकि महिलाओं को परिवार के अन्य सदस्यों के अनुकूल कार्य करना पड़ता है ।

प्रसरण के विश्लेषण के निष्कर्ष भी (सारणी 5.10(ब)) इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रजननता तथा महिला की शिक्षा के बीच अत्याधिक सार्थक सह-सम्बन्ध है जिसकी पुष्टि एफ मूल्य = 138 से हो जाती है । इसी प्रकार, परिवार के प्रकार एवं प्रजननता के बीच भी सार्थक सह-सम्बन्ध है क्योंकि एफ मूल्य = 23 है । जो सारणीमान से अधिक है ।

(3) परिवार का प्रकार, महिलाओं के पति की शिक्षा एवं प्रजननता-

महिलाओं की प्रजननता को परिवार के प्रकार एवं उनके पति की शिक्षा के अनुसार भी विश्लेषित किया गया है जिसका विवरण सारणी 5.11 में अंकित है ।

सारणी 5.11(अ)
महिलाओं के पति की शिक्षा एवं परिवार के प्रकार के आधार पर प्रजननता माध्य

पति की शिक्षा	परिवार का प्रकार	
	संयुक्त	एकाकी
निरक्षर	6.50	5.20
प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित	6.28	5.27
उच्च शिक्षित	5.30	5.26

सारणी 5.11(ब)
सारांश: प्रसरण का विश्लेषण

प्रसरण स्रोत	वर्गयोग	स्वातंत्र्यांश	मध्यमान वर्गप्रसरण	एफ अनुपात	सारणी मान
पति की शिक्षा	0.39	2	0.195	0.92	19
परिवार का प्रकार	0.92	1	0.92	4.38	18.5
त्रुटि	0.42	2	0.21		
योग-	1.73	5			

सारणी 5.11(अ) में दर्शाये गये विवरण से परिलक्षित होता है कि महिलाओं की प्रजननता पर उनके पति की शिक्षा का विशेष प्रभाव नहीं है । किन्तु परिवार के प्रकार का कुछ प्रभाव अवश्य दिखाई पड़ता है । वह महिलायें जिनके पति निरक्षर हैं तथा वे संयुक्त परिवार में रहती हैं उनके द्वारा जनित बच्चों की संख्या सर्वाधिक औसतन 6.50 है व जिन महिलाओं के पति प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित हैं उन्होंने औसतन 6.28 बच्चों को जन्म दिया है तथा इसी वर्ग से सम्बन्धित जिन महिलाओं के पति उच्च शिक्षित हैं उन्होंने औसतन 5.30 बच्चों को जन्म दिया जो कि अपेक्षाकृत कम हैं । इसी प्रकार, वे महिलायें जो एकाकी परिवार में रहने वाली हैं तथा जिनके पति निरक्षर हैं उन्होंने औसतन 5.20 बच्चे पैदा किये हैं तथा इसी वर्ग से सम्बन्धित जिन महिलाओं के पति प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित हैं उनके द्वारा जनित बच्चों का औसत 5.27 है । साथ ही, एकाकी परिवार से ही सम्बन्धित जिन महिलाओं के पति उच्च शिक्षित हैं उन्होंने औसतन 5.26 बच्चों को जन्म दिया है । इस प्रकार इस विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं की प्रजननता पर परिवार के प्रकार का आंशिक प्रभाव है, परन्तु उनके पति की शिक्षा का प्रभाव सार्थक नहीं है क्योंकि मात्र पति की शिक्षा ही परिवार के आकार का निर्धारण नहीं करती, बल्कि इसके लिये महिला की शिक्षा भी आवश्यक है क्योंकि महिला जब परिवार के आकार के प्रति सचेत होगी तभी जन्मदर के कम होने की सम्भावना की जा सकती है ।

प्रसरण के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष (सारणी 5.11(ब) भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रजननता, पति की शिक्षा तथा परिवार के प्रकार के मध्य सह-सम्बन्ध सार्थक नहीं है क्योंकि दोनों ही स्थितियों में एफ अनुपात = .92 एवं 4.38 है जो कि सारणीमान से पर्याप्त कम है । ऐसा सम्भवतः इस कारण है क्योंकि प्रजननता के दोनों कारकों की अन्तर्क्रिया के कारण होने वाला प्रसरण अधिक है । यह हो सकता है कि उपर्युक्त दोनों कारक प्रजननता पर अलग-अलग प्रभाव डालते हों ।

(4) परिवार का प्रकार महिलाओं का व्यवसाय एवं प्रजननता-

अधिकांश विद्वानों का विचार है कि प्रजननता पर दम्पत्तियों के व्यवसाय का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है । नौकरी पेशा उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों में मजदूरों एवं लघु

व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा प्रजनन-दर कम होती है । कुछ विद्वानों का विचार है कि पुरूषों के व्यवसाय की अपेक्षा महिलाओं का व्यवसाय उनकी प्रजननता को अधिक प्रभावित करता है ।

यहाँ पर महिलाओं की प्रजननता पर उनके परिवार के प्रकार के साथ-साथ उनके व्यवसाय के प्रभाव का विवरण सारणी 5.12 (अ) में प्रस्तुत है ।

सारणी 5.12(अ)

महिलाओं के व्यवसाय एवं परिवार के प्रकार के अनुसार प्रजननता माध्य

महिला का व्यवसाय	परिवार का प्रकार	
	संयुक्त	एकाकी
गृहणी	6.25	5.68
सरकारी कर्मचारी	4.23	3.72
श्रमिक/निजी व्यवसाय	6.19	5.00

सारणी 5.12(ब)

सारांश: प्रसरण का विश्लेषण

प्रसरण स्रोत	वर्गयोग	स्वातंत्र्यांश	मध्यमान वर्गप्रसरण	एफ अनुपात	सारणी मान
महिला का व्यवसाय	4.47	2	2.23	31.85	19
परिवार का प्रकार	0.85	1	0.85	12.14	18.51
त्रुटि	0.14	2	0.07		
योग-	5.46	5			

सारणी 5.12(अ) में अंकित आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि परिवार का प्रकार एवं महिलाओं का व्यवसाय उनकी प्रजननता को प्रभावित करते हैं । वे महिलायें जो संयुक्त परिवार में रहती हैं तथा घरेलू कामकाज से ही सम्बद्ध हैं उन्होंने सबसे अधिक औसतन 6.25 बच्चों को जन्म दिया है, संयुक्त परिवार से ही सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी महिलाओं ने अपेक्षाकृत कम औसतन 4.23 बच्चे पैदा किये हैं तथा वे महिलायें जो श्रमिक हैं तथा निजी व्यवसाय कर रही हैं उन्होंने औसतन 6.19 बच्चों को जन्म दिया है । इसी प्रकार, एकाकी परिवार में रहने वाली गृहणी महिलाओं द्वारा जनित बच्चों की संख्या औसतन 5.68 है तथा सरकारी कर्मचारी महिलाओं ने सबसे कम औसतन 3.72 बच्चे पैदा किये हैं तथा इसी वर्ग के अन्तर्गत आने वाली श्रमिक एवं निजी व्यवसायरत् महिलाओं ने औसतन 5.00 बच्चों को जन्म दिया । इस प्रकार, सारणी के विश्लेषण से इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है कि महिलाओं का व्यवसाय व उनका पारिवारिक स्तर प्रजननता को प्रभावित करते हैं । यदि महिलायें कामकाजी हैं साथ ही एकाकी परिवार में रहने वाली हैं तो उनमें गृहणी महिलाओं की अपेक्षा प्रजनन-दर कम है । साथ ही, महिला का व्यावसायिक स्तर भी उसकी प्रजननता को प्रभावित करते हैं । घर में रहकर श्रमिक के रूप में या छोटे-छोटे व्यवसाय करने वाली महिलाओं की अपेक्षा सरकारी कर्मचारी महिलाओं में प्रजनन-दर पर्याप्त कम है क्योंकि वे जानती हैं कि अधिक बच्चों को जन्म देना आसान है परन्तु उनको वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक युग में विकास के अवसर उपलब्ध कराना कठिन है । अतः परिवार का हित कम बच्चों में ही है । साथ ही, कामकाजी महिलायें समय के अभाव के कारण भी अधिक बच्चों का पालन-पोषण ठीक से नहीं कर सकतीं । परिणामतः उनमें प्रजनन-दर कम रहने की सम्भावना अधिक है ।

उक्त निष्कर्ष की पुष्टि प्रसरण के विश्लेषण (सारणी 5.12(ब)) से भी होती है । महिलाओं की प्रजननता पर उनके व्यवसाय का प्रभाव अत्याधिक सार्थक है क्योंकि एफ अनुपात = 31.85 है किन्तु इस सम्बन्ध में परिवार के प्रकार का प्रभाव कम सार्थक दिखाई पड़ता है क्योंकि एफ अनुपात = 12.14 है । ऐसा सम्भवतः इसलिये है क्योंकि महिला का व्यवसाय प्रजननता को प्रभावित करने वाला ऐसा सबल कारक है जो परिवार के प्रकार के प्रभाव को कमजोर बना देता है ।

(5) परिवार का प्रकार, महिलाओं के पति का व्यवसाय एवं प्रजननता-

महिलाओं की प्रजननता को परिवार के प्रकार एवं उनके व्यवसाय के आधार पर विश्लेषित करने के पश्चात उनके पति के व्यवसाय के आधार पर भी विश्लेषित किया गया है जिसका विवरण सारणी 5.13(अ) में प्रस्तुत है ।

सारणी 5.13(अ)

महिलाओं के पति के व्यवसाय एवं परिवार के प्रकार के आधार पर प्रजननता माध्य

पति का व्यवसाय	परिवार का प्रकार	
	संयुक्त	एकाकी
निजी व्यवसाय	6.24	5.26
सरकारी कर्मचारी	5.50	4.86
श्रमिक/निजी व्यवसाय	6.14	5.50

सारणी 5.13(ब)

सारांशः प्रसरण का विश्लेषण

प्रसरण स्रोत	वर्गयोग	स्वातंत्र्यांश	मध्यमान वर्गप्रसरण	एफ अनुपात	सारणी मान
पति का व्यवसाय	0.48	2	0.24	24	19
परिवार का प्रकार	0.85	1	0.85	85	18.51
त्रुटि	0.02	2	0.01		
योग-	1.35	5			

सारणी 5.13(अ) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि महिलाओं की प्रजननता पर परिवार का प्रकार तो प्रभाव डालता ही है परन्तु साथ ही, उनके पति के व्यवसाय के विशेष प्रभाव की भी पुष्टि होती है । वे महिलायें जो संयुक्त परिवारों में रहने वाली हैं तथा जिनके पति का अपना स्वयं का व्यवसाय है उन्होंने औसतन 6.24 बच्चों को जन्म दिया है, तथा वे महिलायें जिनके पति सरकारी कर्मचारी हैं उन्होंने अपेक्षाकृत कम औसतन 5.50 बच्चे पैदा किये हैं, साथ ही, वे महिलायें जिनके पति श्रमिक हैं उन्होंने औसतन 6.14 बच्चों को जन्म दिया है । इसी प्रकार वे महिलायें जो एकाकी परिवार में रहती हैं तथा जिनके पतियों का निजी व्यवसाय है उनके द्वारा जनित बच्चों की संख्या औसतन 5.26 है जबकि इसी वर्ग के अन्तर्गत आने वाली जिन महिलाओं के पति सरकारी कर्मचारी हैं उन्होंने सबसे कम औसतन 4.86 बच्चे पैदा किये तथा वे महिलायें जिनके पति श्रमिक हैं उन्होंने औसतन 5.50 बच्चों को जन्म दिया । इस प्रकार, इस विश्लेषण से यह सिद्ध होता है कि परिवार के प्रकार के साथ-साथ महिला के पति का व्यवसाय भी उसकी प्रजननता को प्रभावित करता है । परन्तु व्यवसाय का उच्च स्तर ही प्रजननता को कम करता है । जैसा कि सारणी में दर्शाये गये माध्य निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि सरकारी कर्मचारियों में प्रजनन-दर कम होती है । इसका मुख्य कारण है कि वे शिक्षित तथा अनुभवी हाते हैं । एकाकी परिवार में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों में प्रजनन-दर और भी कम हो जाने का मुख्य कारण है कि वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के कारण समय की माँग के अनुकूल चलते हैं ।

प्रसरण के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष भी इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं (सारणी 5.13(ब)) कि महिलाओं की प्रजननता एवं उनके पति के व्यवसाय के मध्य सार्थक सह-सम्बन्ध हैं क्योंकि एफ मूल्य = 24 है । इसी प्रकार प्रजननता एवं परिवार के प्रकार के बीच यह प्रभाव और भी अधिक साथक सिद्ध होता है जहाँ एफ मूल्य = 85 है ।

6- परिवार का प्रकार, मासिक आय एवं प्रजननता-

परिवार के प्रकार एवं मासिक आय का महिलाओं की प्रजननता से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है । परिवार की अधिक आय प्रजननता को कम करने में सहायक होती है साथ ही, यदि

परिवार एकाकी है व आय का उच्च स्तर है तो प्रजननता और कम हो जाती है । जबकि, संयुक्त परिवारों में निम्न स्तरीय आय के कारण प्रजननता अधिक होती है । महिलाओं की प्रजननता माध्य को परिवार के प्रकार एवं परिवार की मासिक आय के आधार पर सारणी 5.14(अ) में प्रस्तुत किया गया है ।

सारणी 5.14(अ)

महिलाओं के परिवार के प्रकार एवं परिवार की मासिक आय के अनुसार प्रजननता माध्य

परिवार की मासिक आय (रूपयों में)	परिवार का प्रकार	
	संयुक्त	एकाकी
00-1500	6.29	5.84
1500-3000	6.33	5.62
3000-अधिक	5.00	3.75

सारणी 5.14(ब)

सारांश: प्रसरण का विश्लेषण

प्रसरण स्रोत	वर्गयोग	स्वातंत्र्यांश	मध्यमान वर्गप्रसरण	एफ अनुपात	सारणी मान
मासिक आय	3.61	2	1.8	25.71	19
परिवार का प्रकार	0.97	1	0.97	13.85	18.51
त्रुटि	0.15	2	0.07		
योग-	4.73	5			

सारणी 5.14(अ) के विवरण से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि परिवार का प्रकार, परिवार की मासिक आय एवं प्रजननता के बीच नकारात्मक सह-सम्बन्ध होता है । वे महिलायें जो संयुक्त परिवार में रहती हैं तथा जिनकी मासिक आय 1500 रूपये है उन्होंने सर्वाधिक औसतन 6.29 बच्चों को जन्म दिया तथा जिनकी मासिक आय मध्य स्तरीय 1500-3000 रूपये हैं, उनमें भी बच्चों के जन्म का औसत 6.33 है किन्तु वे महिलायें जिनकी मासिक आय अधिक (3000-या उससे भी अधिक) है उन्होंने अपेक्षाकृत कम औसतन 5.00 बच्चों को जन्म दिया । इसी प्रकार, वे महिलायें जो एकाकी परिवार में रहने वाली हैं तथा जिनकी मासिक आय कम मात्र 1500 रूपये तक है उन्होंने औसतन 5.84 बच्चों को पैदा किया है तथा जिनकी मासिक आय 1500-3000 रूपये है उन्होंने 5.62 बच्चों को जन्म दिया है । साथ ही, जिन महिलाओं के परिवार की मासिक आय 3000 रूपये या उससे भी अधिक है उन्होंने सबसे कम औसतन 3.75 बच्चों को पैदा किया है । इस प्रकार, उक्त विश्लेषण इस तथ्य पर आधारित है कि जैसे-जैसे परिवार की आय अधिक होती जाती है तथा परिवार एकाकी होता है, वहाँ प्रजनन-दर कम होती है तथा संयुक्त परिवार एवं निम्न आय का स्तर होने पर प्रजनन-दर अधिक होती है । इसका मुख्य कारण है कि एकाकी परिवार एवं अधिक आय से सम्बन्धित लोग अधिक बच्चे पैदा करके अपनी आय को उनके पालन-पोषण में ही व्यय नहीं करना चाहते बल्कि उस धन को वह समाज में ऊपर की ओर उठने हेतु व्यय करने के इच्छुक होते हैं । इसके विपरीत, निम्न आय के स्तर के लोगों के बच्चों का पालन-पोषण कम खर्च में हो जाता है साथ ही, वे बाल श्रमिक के रूप में जल्दी कमाने भी लगते हैं इस कारण उनमें जन्मदर भी अधिक होती है ।

प्रसरण के विश्लेषण (सारणी 5.14(ब) से यह स्पष्ट होता है कि प्रजननता पर परिवार की मासिक आय का प्रभाव अधिक पड़ता है जो कि एफ अनुपात = 25.71 से प्रकट हो रहा है । प्रजननता पर परिवार के प्रकार का प्रभाव कम सार्थक प्रतीत होता है क्योंकि एफ अनुपात = 13.85 है जो कि सारणीमान से कम है । ऐसा इस कारण है क्योंकि परिवार की आय

प्रजननता को प्रभावित करने वाला अधिक सबल कारक प्रतीत होता है जो परिवार के प्रकार के प्रभाव को सीमित कर देता है ।

7- जातीय स्तर, महिला की शिक्षा एवं प्रजननता-

यहाँ पर महिलाओं की प्रजननता को उनके जातीय स्तर एवं शिक्षा के आधार पर विश्लेषित करने की योजना है जिसे सारणी 5.15(अ) में प्रस्तुत किया गया है ।

सारणी 5.15(अ)

महिलाओं के जातीय स्तर एवं उनकी शिक्षा के अनुसार प्रजननता माध्य

पत्नी की शिक्षा	जातीय स्तर		
	उच्च	मध्यम	निम्न
निरक्षर	5.37	5.91	6.27
प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित	3.15	4.88	4.50
उच्च शिक्षित	3.00	3.75	3.70

सारणी 5.15(ब)

सारांश: प्रसरण का विश्लेषण

प्रसरण स्रोत	वर्गयोग	स्वातंत्र्यांश	मध्यमान वर्गप्रसरण	एफ अनुपात	सारणी मान
महिला की शिक्षा	11.14	2	5.57	21.42	6.94
जातीय स्तर	1.56	2	0.78	3	6.94
त्रुटि	1.07	4	0.26		
योग-	13.77	8			

सारणी 5.15(अ) से स्पष्ट है कि महिलाओं की प्रजननता पर उनकी शिक्षा व जातीय स्तर का प्रभाव पड़ता है । वे महिलायें जो उच्च जातीय स्तर की हैं किन्तु निरक्षर हैं उनमें बच्चों को जन्म देने की संख्या औसतन 5.37 है, व जो महिलायें प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित हैं उनमें बच्चों को जन्म देने की संख्या कम औसतन 3.15 है तथा जो उच्च शिक्षित हैं उन्होंने और भी कम औसतन 3.00 बच्चे पैदा किये हैं । इसी प्रकार, मध्यम जातीय स्तर से सम्बन्धित जो महिलायें निरक्षर हैं उनमें बच्चों को जन्म देने की संख्या औसतन 5.91 है । व जो कम शिक्षित हैं उन्होंने औसतन 4.88 बच्चों को जन्म दिया है जबकि इसी स्तर की उच्च शिक्षित महिलाओं में बच्चों को जन्म देने की संख्या कम औसतन 3.75 है । इसीक्रम में, निम्न जातीय स्तर की निरक्षर महिलाओं ने सर्वाधिक औसतन 6.27 बच्चों को जन्म दिया है, ऐसी ही शिक्षित महिलाओं ने 4.50 बच्चों को जन्म दिया तथा इसी स्तर की उच्च शिक्षित महिलाओं ने सबसे कम 3.70 बच्चों को जन्म दिया है । सारणी में दर्शाये गये प्रजननता माध्य से यह परिलक्षित होता है कि शिक्षा महिलाओं की प्रजनन-दर को कम करने का सबसे प्रभावी कारक है क्योंकि यदि निम्न जातीय स्तर की महिलायें उच्च शिक्षित हैं तो उनमे भी प्रजनन-दर पर्याप्त कम हो गई है । शिक्षा के साथ-साथ यदि जातीय स्तर भी उच्च है तो प्रजननता अत्याधिक कम हो जाती है क्योंकि उच्च शिक्षा एवं उच्च जातीय स्तर दोनों ही व्यक्ति को प्रगतिशील बनाते हैं जिससे व्यक्ति परम्परागत मान्यताओं से हटकर बुद्धि एवं तर्क के आधार पर कार्य करता है । वर्तमान समय में तीव्र रूप से बढ़ रही जनसंख्या के दुष्परिणामों को शिक्षित व्यक्ति भलीभाँति समझते हैं अतः उनमें स्वेच्छा से कम बच्चों को जन्म देने की इच्छा जन्म लेती है । निम्न जातीय स्तर के व्यक्ति अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण भाग्यवादिता का आश्रय लेकर परम्परागत मान्यताओं का उल्लंघन नहीं कर पाते तथा अधिक बच्चों को जन्म देकर परिवार का आकार बढ़ाते जाते हैं ।

प्रसरण के विश्लेषण (सारणी 5.15(ब)) से इस बात की पुष्टि होती है कि महिलाओं की प्रजननता एवं उनकी शिक्षा के मध्य एफ अनुपात = 21.42 है जो कि सार्थक है, जबकि इसके विपरीत, जातीय स्तर एवं प्रजननता के मध्य सह-सम्बन्ध सार्थक नहीं है क्योंकि एफ

अनुपात = 3 है जो कि सारणीमान से पर्याप्त कम है । यह प्रतीत होता है कि महिला की शिक्षा जैसा सबल कारक जातीय स्तर के प्रभाव को नगण्य कर देता है । अर्थात यदि निम्न जातीय स्तर की महिला शिक्षित है तो वह कम बच्चों को जन्म देना चाहेगी ।

(8) जातीय स्तर, महिला के पति की शिक्षा एवं प्रजननता-

उपरोक्त विश्लेषण महिलाओं के जातीय स्तर एवं उनकी शिक्षा पर आधारित है । उक्त सन्दर्भ में पति की शिक्षा का प्रभाव भी देखने का प्रयास किया गया जिसका विवरण सारणी 5.16 में प्रस्तुत है ।

सारणी 5.16(अ)

महिलाओं के जातीय स्तर एवं उनके पति की शिक्षा के आधार पर प्रजननता माध्य

पति का शैक्षिक स्तर	जातीय स्तर		
	उच्च	मध्यम	निम्न
निरक्षर	5.65	5.94	6.31
प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित	4.10	5.18	4.19
उच्च शिक्षित	3.06	4.13	4.62

सारणी 5.16(ब)

सारांश: प्रसरण का विश्लेषण

प्रसरण स्रोत	वर्गयोग	स्वातंत्र्यांश	मध्यमान वर्गप्रसरण	एफ अनुपात	सारणी मान
पति की शिक्षा	6.54	2	3.27	16.35	6.94
जातीयस्तर	1.3	2	0.65	3.25	6.94
त्रुटि	0.83	4	0.20		
योग-	8.67	8			

सारणी 5.16(अ) में अंकित तथ्यों से विदित होता है कि महिलाओं की प्रजननता उनके जातीय स्तर एवं पति की शिक्षा से भी प्रभावित होती है । वे महिलायें जो उच्च जातीय स्तर की है एवं जिनके पति निरक्षर हैं उन्होंने औसतन 5.65 बच्चों को जन्म दिया है, इसी स्तर की जिन महिलाओं के पति प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित हैं उन्होंने औसतन 4.10 बच्चों को जन्म दिया है तथा इसी क्रम में जिन महिलाओं के पति उच्च शिक्षित हैं उन्होंने औसतन 3.06 बच्चे पैदा किये हैं । इसी प्रकार, वे महिलायें जो मध्यम जातीय स्तर की हैं एवं जिनके पति निरक्षर हैं उन्होंने 5.94 बच्चों को जन्म दिया है, इसी श्रेणी की जिन महिलाओं के पति प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित हैं उन्होंने 5.18 बच्चे पैदा किये हैं तथा उच्च शिक्षित पतियों की महिलाओं ने औसतन 4.13 बच्चों को पैदा किया है । इसी क्रम में वे महिलायें जो निम्न जातीय स्तर की हैं तथा जिनके पति निरक्षर भी हैं उनके द्वारा जनित बच्चों की संख्या औसतन 6.31 है जो कि सबसे अधिक है जबकि निम्न जातीय सतर की जिन महिलाओं के पति कम शिक्षित हैं उन्होंने औसतन 4.19 बच्चे पैदा किये हैं तथा जिन महिलाओं के पति उच्च शिक्षित हैं उन्होंने कम 4.62 बच्चों को जन्म दिया है । इस तरह उक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि महिलाओं का जातीय स्तर एवं उनके पति की शिक्षा उनकी प्रजननता के प्रभावी कारक हैं क्योंकि शिक्षा एवं उच्च जातीय स्तर व्यक्ति की समाज में उच्च सामाजिक-आर्थिक स्थिति का निर्धारण करते हैं । उच्च सामाजिक-आर्थिक स्तर व्यक्ति की सोच एवं रहन-सहन के स्तर को उच्च बनाते हैं । परिणामतः व्यक्ति अपने विवेक के बल पर अपने तथा अपने परिवार के हित में जो कार्य होता है वही करते हैं । इसीलिये वह सीमित परिवार के पक्षधर होते हैं ।

प्रसरण के विश्लेषण के निष्कर्ष भी (सारणी 5.16(ब)) इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि महिलाओं की शिक्षा के अतिरिक्त उनके पति की शिक्षा व प्रजननता के बीच सार्थक सह-सम्बन्ध हैं क्योंकि एफ अनुपात = 16.35 है । किन्तु उनके जातीय स्तर के प्रभाव की पुष्टि नहीं हो सकी क्योंकि एफ अनुपात = 3.25 है जो कि सारणीमान से कम है । ऐसा सम्भवतः इसलिये है क्योंकि शिक्षा प्रजननता को प्रभावित करने वाला अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्धारक है । अतः जातीय स्तर का प्रभाव कम हो जाता है ।

(9) जातीय स्तर, परिवार की मासिक आय एवं प्रजननता-

महिलाओं के प्रजननता माध्य को उनके जातीय स्तर एवं उनके परिवार की मासिक आय के अनुसार सारणी 5.17(अ) में प्रस्तुत किया गया है ।

सारणी 5.17(अ)

महिलाओं के जातीय स्तर एवं उनकी पारिवारिक मासिक आय के आधार पर प्रजननता माध्य

मासिक आय (रूपयों में)	जातीय स्तर		
	उच्च	मध्यम	निम्न
00-1500	4.71	5.01	5.72
1500-3000	4.13	5.52	5.71
3000-अधिक	3.41	4.43	6.21

सारणी 5.17(ब)

सारांश: प्रसरण का विश्लेषण

प्रसरण स्रोत	वर्गयोग	स्वातंत्र्यांश	मध्यमान वर्गप्रसरण	एफ अनुपात	सारणी मान
मासिकआय	0.4	2	0.2	0.68	6.94
जातीयस्तर	4.84	2	2.42	8.34	6.94
त्रुटि	1.17	4	0.29		
योग-	6.41	8			

सारणी 5.17(अ) के विवरण से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि महिलाओं की प्रजननता उनके जातीय स्तर एवं परिवार की आय से प्रभावित होती है । वे महिलायें जो उच्च जातीय स्तर की हैं और उनके परिवार की मासिक आय 1500 रूपये या उससे कम है उनके बच्चों की संख्या औसतन 4.71 है, इसी श्रेणी में आय का स्तर बढ़ने से अर्थात 1500-3000 रूपये होने से उनमें बच्चों की संख्या घटकर औसतन 4.13 हो गई तथा आय का स्तर और भी अधिक 3000 रूपये या उससे भी ज्यादा होने पर उनके द्वारा जनित बच्चों की संख्या औसतन 3.41 हो जाती है । इसी प्रकार, मध्यम जातीय स्तर से सम्बन्धित जिन महिलाओं के परिवार की आय निम्न स्तर (00-1500) की है उन्होंने औसतन 5.01 बच्चों को जन्म दिया है, इसी श्रेणी से सम्बन्धित जिन महिलाओं के परिवार की मासिक आय 1500-3000 रूपये तक है उनके औसतन 5.52 बच्चे पैदा हुये तथा जो महिलायें 3000 एवं उससे अधिक रूपये मासिक आय वाले वर्ग से सम्बन्धित हैं उन्होंने औसतन 4.43 बच्चों को जन्म दिया है । इसी तरह, वे महिलायें जो निम्न जातीय स्तर की हैं जिनके परिवार की मासिक आय 1500 रूपये या उससे भी कम है उन्होंने औसतन 5.72 बच्चों को जन्म दिया है, परिवार की आय बढ़ने (1500-3000 रूपये) पर उनके द्वारा जनित बच्चों का औसत 5.71 है तथा निम्न जातीय स्तर में परिवार की आय और भी अधिक (3000-अधिक) हो जाने पर महिलाओं ने औसतन 6.21 बच्चों को जन्म दिया है । इस प्रकार, सारणी के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं की प्रजननता पर जातीय स्तर का प्रभाव अत्याधिक है । किन्तु इसको परिवार की आय का स्तर भी प्रभावित करता है । क्योंकि परिवार की आय एवं उच्च जातीय स्तर दोनों मिलकर समाज में व्यक्ति की प्रस्थिति का निर्धारण करते हैं । यदि आय का स्तर अधिक है साथ ही, उच्च जातीय स्तर भी है तो निश्चित रूप से व्यक्ति का समाज में उच्च सामाजिक-आर्थिक स्थिति प्राप्त होगी और उच्च सामाजिक-आर्थिक स्थिति प्रजनन-दर को कम करने में सहायक होती है । इसके विपरीत, यदि परिवार की मासिक आय निम्न स्तर की है तथा जातीय स्तर भी निम्न है तो व्यक्ति को समाज में निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति ही प्राप्त होगी तथा यह स्तर प्रजननता को बढ़ाने में योगदान देता है ।

महिला के परिवार की मासिक आय एवं उसके जातीय स्तर का प्रजननता पर पड़ने वाले प्रभाव की पुष्टि जब प्रसरण के विश्लेषण (सारणी 5.17(ब) द्वारा की गई तो महिला की प्रजननता एवं जाति के मध्य एफ मूल्य = 8.34 जो कि सार्थक है, किन्तु इस सम्बन्ध में परिवार की मासिक आय का प्रभाव स्पष्ट नहीं हो सका क्योंकि एफ मूल्य = .68 जो सारणीमान से पर्याप्त कम है । ऐसा सम्भवतः इस कारण है क्योंकि निदर्श से सम्बन्धित अधिकांश महिलायें निम्न आर्थिक स्तर का जीवन व्यतीत कर रही हैं । निदर्श के संतुलित न होने के कारण ऐसे परिणाम प्राप्त हुये, जिनकी अपेक्षा नहीं की जाती ।

(10) परिवार की मासिक आय, पति का व्यवसाय एवं प्रजननता-

सामान्य तौर पर परिवार की आय का सम्बन्ध पति के व्यवसाय से होता है । अतः पति के व्यवसाय का स्तर ही परिवार की आय का निर्धारण भी करता है । यहाँ पर पति के व्यवसाय एवं परिवार की आय के आधार पर माध्य एवं प्रसरण का विश्लेषण सारणी 5.18(अ) तथा (ब) में किया गया है ।

सारणी 5.18(अ)

महिलाओं की मासिक पारिवारिक आय एवं पति के व्यवसाय के आधार पर प्रजननता माध्य

मासिक आय (रूपयों में)	पति का व्यवसाय		
	निजी व्यवसाय	सरकारी कर्मचारी	श्रमिक
00-1500	6.22	6.15	5.84
1500-3000	5.25	5.30	4.90
3000-अधिक	4.10	2.68	0.00

सारणी 5.18(ब)

सारांश: प्रसरण का विश्लेषण

प्रसरण स्रोत	वर्गयोग	स्वातंत्र्यांश	मध्यमान वर्गप्रसरण	एफ अनुपात	सारणी मान
पति का व्यवसाय	4.1	2	2.05	1.73	6.94
मासिकआय	23.7	2	11.85	10.04	6.94
त्रुटि	4.73	4	1.18		
योग-	32.53	8			

सारणी 5.18(अ) से स्पष्ट है कि पति का व्यवसाय एवं परिवार की आय महिलाओं की प्रजननता के निर्धारक हैं । जिन महिलाआं के पति निजी व्यवसाय करते हैं तथा जिनकी मासिक आय मात्र 1500 रूपये या उससे भी कम है उनके बच्चों की संख्या सर्वाधिक औसतन 6.22 है । इसी वर्ग से सम्बन्धित जिन महिलाओं की पारिवारिक मासिक आय 1500-3000 रूपये है उन्होंने औसतन 5.25 बच्चों को जन्म दिया जबकि, जिनकी मासिक आय 3000 रूपये या उससे भी अधिक है उन्होंने पर्याप्त कम औसतन 4.10 बच्चों को पैदा किया । इसी प्रकार, वे महिलायें जिनके पति सरकारी कर्मचारी हैं तथा जिनके परिवार की मासिक आय 1500 रूपया या उससे भी कम है उन्होंने औसतन 6.15 बच्चों को जन्म दिया, व जिन महिलाओं की मासिक आय 1500-3000 रूपये तक है उन्होंने औसतन 5.30 बच्चे पैदा किये तथा सरकारी कर्मचारी वर्ग से सम्बन्धित जिन महिलाओं की मासिक आय 3000 रूपये या उससे भी अधिक है उन्होंने सबसे कम औसतन 2.68 बच्चों को जन्म दिया है । इसी क्रम में, वे महिलायें जिनके पति श्रमिक हैं तथा जिनकी मासिक आय 1500 रूपये से कम है उन्होंने औसतन 5.84 बच्चे पैदा किये, इसी वर्ग से सम्बन्धित ऐसी महिलायें जिनके परिवार की मासिक

आय 1500-3000 रूपये है उनके द्वारा जनित बच्चों की संख्या औसतन 4.90 है साथ ही, श्रमिक वर्ग से सम्बन्धित किसी भी महिला की पारिवारिक मासिक आय 3000 से अधिक नहीं है । इस विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि परिवार की मासिक आय एवं पति का व्यवसाय महिलाओं की प्रजननता को प्रभावित करते हैं । जैसा कि सारणी से प्रतीत होता है कि यदि परिवार की आय अधिक है तथा पति का व्यवसाय भी उच्च स्तर से सम्बन्धित है तो प्रजनन-दर कम होगी । साथ ही, यदि परिवार की आय कम है तथा पति का व्यवसाय भी निम्न स्तर का है तो प्रजननता बढ़ जाती है ।

उक्त निष्कर्षों की पुष्टि प्रसरण के विश्लेषण (सारणी 5.18(ब)) से भी होती है प्रजननता एवं परिवार की आय के बीच एफ मूल्य = 10.04 है जो कि सार्थक है किन्तु यहाँ पर परिवार की आय अत्याधिक सबल कारक है इसलिये प्रजननता पर पति के व्यवसाय का प्रभाव सार्थक नहीं है क्योंकि एफ अनुपात = 1.73 है जो कि सारणीमान से पर्याप्त कम है ।

(11) महिलाओं की वर्तमान आयु, शिक्षा एवं प्रजननता-

यहाँ पर महिलाओं की प्रजननता को उनकी वर्तमान आयु एवं उनकी शिक्षा के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है । महिलाओं की वर्तमान आयु एवं उनकी शिक्षा के अनुसार प्रजननता माध्य को सारणी 5.19(अ) में प्रस्तुत किया गया है ।

सारणी 5.19(अ)

महिलाओं की वर्तमान आयु एवं उनकी शिक्षा के अनुसार प्रजननता माध्य

महिलाओं की शिक्षा का स्तर	महिलाओं की वर्तमान आयु (वर्षो में)		
	15-24	25-34	35-44
निरक्षर	2.70	5.95	7.14
प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित	3.30	5.68	6.19
उच्च शिक्षित	1.88	3.98	4.87

सारणी 5.19(ब)

सारांश: प्रसरण का विश्लेषण

प्रसरण स्रोत	वर्गयोग	स्वातंत्र्यांश	मध्यमान वर्गप्रसरण	एफ अनुपात	सारणी मान
वर्तमान आयु	19.22	2	9.61	13.92	6.94
महिला की शिक्षा	5.08	2	2.54	3.68	6.94
त्रुटि	2.79	4	0.69		
योग-	27.09	8			

सारणी 5.19(अ) के विवरण से स्पष्ट है कि महिलाओं की वर्तमान आयु, उनकी शिक्षा एवं प्रजननता के बीच गहरा सम्बन्ध है । वे महिलायें जिनकी वर्तमान आयु 15-24 वर्ष के मध्य है तथा वे निरक्षर हैं उन्होंने औसतन 2.70 बच्चों को जन्म दिया है । इसी आयु वर्ग से सम्बन्धित जिन महिलाओं ने प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की है उनके द्वारा जनित बच्चे औसतन 3.30 हैं जबकि इसी वर्ग में आने वाली वे महिलायें जो उच्च शिक्षित हैं उन्होंने सबसे कम औसतन 1.88 बच्चे पैदा किये हैं । इसी प्रकार, जिन महिलाओं की आयु 25-34 वर्ष के मध्य है साथ ही वे निरक्षर हैं उन्होंने औसतन 5.95 बच्चों को जन्म दिया, इसी आयु समूह के अन्तर्गत आने वाली जो महिलायें कम शिक्षित हैं उनके द्वारा जनित बच्चे औसतन 5.68 हैं तथा जो महिलायें उच्च शिक्षित हैं उनके औसतन 3.98 बच्चे हैं । इसी क्रम में, वे महिलायें जो 35-44 वर्ष आयु समूह के अन्तर्गत आती हैं तथा निरक्षर हैं उन्होंने सबसे अधिक औसतन 7.14 बच्चों को जन्म दिया, इसी वर्ग से सम्बन्धित महिलायें जो प्राइमरी एवं माध्यमिक

शिक्षित हैं उनहोंने औसतन 6.19 बच्चों को जन्म दिया तथा उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं के औसतन 4.87 बच्चे हैं । इस विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं की शिक्षा एवं उनकी वर्तमान आयु प्रजननता को अत्याधिक प्रभावित करती है । वे महिलायें जो अधिक आयु की हैं किन्तु उच्च शिक्षित हैं उनमे प्रजननता अपेक्षाकृत कम है । इसी प्रकार, किसी एक आयु वर्ग में शिक्षा के कारण महिलाओं की प्रजननता में पर्याप्त अन्तर परिलक्षित होता है । साथ ही, निरक्षर महिलाओं की अपेक्षा शिक्षित महिलाओं में प्रजननता कम दिखाई पड़ती है । इसका मुख्य कारण है शिक्षा व्यक्ति को उदार दृष्टिकोण प्रदान करके समयानुकूल चलने की प्रेरणा प्रदान करती है । साथ ही, शिक्षित महिलाओं का विवाह देर से होने के कारण उनका जननकाल कम हो जाता है । अतः इस कारण भी उनमें प्रजननता कम पायी जाती है । यहाँ पर वर्तमान आयु के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता क्योंकि वर्तमान में कम आयु की निरक्षर महिलाओं में भी प्रजननता पर्याप्त कम है ।

प्रसरण के विश्लेषण से भी (सारणी 5.19(ब)) यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं की प्रजननता पर उनकी वर्तमान आयु का प्रभाव अधिक सार्थक है जिसका एफ मूल्य = 13.92 है । परन्तु यहाँ शिक्षा का प्रभाव कम सार्थक प्रतीत हो रहा है क्योंकि यहाँ पर वर्तमान आयु का प्रभाव शिक्षा के प्रभाव को कम करने में समर्थ प्रतीत हो रहा है ।

(12) महिलाओं की वर्तमान आयु, उनके पति की शिक्षा एवं प्रजननता-

यहाँ पर महिलाओं की प्रजननता को उनकी वर्तमान आयु एवं उनके पति की शिक्षा के आधार पर भी विश्लेषित किया गया है जिसका विवरण सारणी 5.20(अ) एवं (ब) में प्रस्तुत किया गया है ।

सारणी 5.20(अ)

महिलाओं की वर्तमान आयु एवं उनके पति की शिक्षा के आधार पर प्रजननता माध्य

पति की शिक्षा	महिलाओं की वर्तमान आयु (वर्षों में)		
	15-24	25-34	35-44
निरक्षर	2.36	6.24	6.96
प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित	2.70	5.71	6.71
उच्च शिक्षित	2.43	3.83	6.12

सारणी 5.20(ब)

सारांशः प्रसरण का विश्लेषण

प्रसरण स्रोत	वर्गयोग	स्वातंत्र्यांश	मध्यमान वर्गप्रसरण	एफ अनुपात	सारणी मान
वर्तमानआयु	26.23	2	13.11	32.77	6.94
पति की शिक्षा	1.98	2	0.99	2.47	6.94
त्रुटि	1.63	4	0.4		
योग-	29.84	8			

सारणी 5.20(अ) से परिलक्षित होता है कि महिलाओं की प्रजननता पर उनके पति की शिक्षा व उनकी वर्तमान आयु का प्रभाव भी पड़ता है । 15-24 वर्ष आयु समूह से

सम्बन्धित महिलायें जिनके पति निरक्षर हैं उनके द्वारा जनित बच्चों की संख्या औसतन 2.36 है वे महिलायें जिनके पति प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित हैं उन्होंने औसतन 2.70 बच्चे पैदा किये हैं, साथ ही, इसी वर्ग से सम्बन्धित जिन महिलाओं के पति उच्च शिक्षित हैं उन्होंने औसतन 2.43 बच्चों को पैदा किया है । इसी प्रकार, वे महिलायें जो 25-34 वर्ष आयु समूह की हैं तथा जिनके पति निरक्षर हैं उन्होंने औसतन 6.24 बच्चों को जन्म दिया है, इसी वर्ग के अन्तर्गत जिन महिलाओं के पति कम शिक्षित हैं उन्होंने औसतन 5.71 बच्चे पैदा किये हैं इसी क्रम में, वे महिलायें जिनके पति उच्च शिक्षित हैं उनके 3.83 बच्चे पैदा हुये हैं । साथ ही, वे महिलायें जो 35-44 वर्ष आयु समूह की हैं तथा उनके पति निरक्षर हैं उनके औसतन 6.96 बच्चे पैदा हुये हैं, इसी क्रम में जिन महिलाओं के पति प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित हैं उन्होंने औसतन 6.71 बच्चों को जन्म दिया है । व जिनके पति उच्च शिक्षित हैं उनहोंने औसतन 6.12 बच्चों को जन्म दिया है । इस प्रकार इस विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि महिलाओं की प्रजननता उनकी वर्तमान आयु से अधिक किन्तु पति की शिक्षा से कम प्रभावित होती है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि परिवार के आकार को सीमित रखने के सम्बन्ध में महिलाओं की शिक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है ।

प्रसरण के विश्लेषण से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है (सारणी 5.20(ब)) कि प्रजननता एवं वर्तमान आयु के मध्य अत्याधिक सार्थक सह-सम्बन्ध है जिसका एफ अनुपात = 32.77 है । प्रजननता के सन्दर्भ में महिलाओं के पति की शिक्षा का महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है क्योंकि एफ अनुपात = 2.47 है, जो कि सारणीमान से पर्याप्त कम है ।

(13) महिलाओं की वर्तमान आयु, परिवार की मासिक आय एवं प्रजननता-

यहाँ पर महिलाओं के प्रजननता माध्य को उनके परिवार की मासिक आय एवं वर्तमान आयु के आधार पर सारणी 5.21(अ) एवं (ब) में प्रस्तुत किया गया है ।

सारणी 5.21 (अ)

महिलाओं की वर्तमान आयु एवं उनकी पारिवारिक मासिक आय के आधार पर प्रजननता माध्य

मासिक आय (रूपयों में)	महिला की वर्तमान आयु (वर्षो में)		
	15-24	25-34	35-44
00-1500	2.70	5.85	6.80
1500-3000	2.40	5.54	6.77
3000-अधिक	2.50	3.71	5.45

सारणी 5.21 (ब)

सारांश: प्रसरण का विश्लेषण

प्रसरण स्रोत	वर्गयोग	स्वातंत्र्यांश	मध्यमान वर्गप्रसरण	एफ अनुपात	सारणी मान
वर्तमानआयु	22.44	2	11.22	34	6.94
मासिक आय	2.58	2	1.29	3.9	6.94
त्रुटि	1.32	4	0.33		
योग-	26.34	8			

सारणी 5.21 (अ) से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं की प्रजननता उनकी वर्तमान आयु एवं परिवार की मासिक आय से प्रभावित होती है । वे महिलायें जो 15-24 वर्ष आयु वर्ग के अन्तर्गत आती हैं तथा जिनके परिवार की मासिक आय 1500 रूपये अथवा कम है

उनमें प्रजननता औसतन 2.70 है, तथा जिन महिलाओं की पारिवारिक मासिक आय 3000 रूपये या उससे भी कम है उन्होंने औसतन 2.40 बच्चे पैदा किये हैं साथ ही, वे महिलायें जिनके परिवार की मासिक आय 3000 या उससे अधिक है उन्होंने औसतन 2.50 बच्चों को जन्म दिया इसी प्रकार, जो महिलायें 25-34 वर्ष आयु के मध्य की हैं तथा जिनकी मासिक आय 1500 रूपये अथवा कम है, उन्होंने औसतन 5.85 बच्चों को जन्म दिया, 1500 रूपये से 3000 रूपये मासिक आय से सम्बन्धित महिलाओं द्वारा जनित बच्चे औसतन 5.54 है व इसी वर्ग से सम्बन्धित जिन महिलाओं की मासिक आय 3000 रूपये व अधिक है उन्होंने औसतन 3.71 बच्चों को जन्म दिया है साथ हीं, वे महिलायें जो 35-44 वर्ष के मध्य की हैं तथा जिनके परिवार की मासिक आय 1500 रूपये अथवा कम है उनमें बच्चों के जन्म का औसत 6.80 है, तथा मासिक आय बढ़ने (1500-3000 रूपये) पर महिलाओं द्वारा जनित बच्चों की संख्या औसतन 6.77 है तथा जिन महिलाओं की मासिक आय 3000 रूपये अथवा अधिक है उनके बच्चों की संख्या औसतन 6.12 है । इस प्रकार, स्पष्ट हो जाता है कि प्रजननता उनकी वर्तमान आयु से अत्याधिक प्रभावित होती है परन्तु मासिक आय का प्रभाव न्यून है ।

प्रसरण के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष (सारणी 5.21(ब) के अनुसार प्रजननता एवं वर्तमान आयु के मध्य एफ अनुपात = 34 है जो कि अत्याधिक सार्थक है । इसके विपरीत, प्रजननता एवं परिवार की मासिक आय के मध्य एफ अनुपात = 3.9 है जो कि सारणीमान से कम है । ऐसा सम्भवतः इसलिये है क्योंकि यहाँ पर प्रजननता को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावी कारक आयु है जिसके समक्ष मासिक आय कम महत्वपूर्ण हो जाती है इसका कारण यह प्रतीत होता है कि निदर्श से सम्बन्धित अधिकांश महिलाओं के परिवार की आय पर्याप्त कम है, जिसके कारण उसके प्रभाव की पुष्टि नहीं हो सकी ।

इस अध्याय के अन्तर्गत महिलाओं की प्रजननता को प्रभावित करने वाले सामाजिक-आर्थिक कारकों का सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन किया गया । समस्त विश्लेषण से प्राप्त

परिणामों से स्पष्ट हुआ कि महिलाओं की प्रजननता पर उनके सामाजिक-आर्थिक स्तर का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है । प्राप्त परिणामों से इस तथ्य की भी पुष्टि होती है कि प्रजननता एवं सामाजिक-आर्थिक कारकों के बीच् नकारात्मक सह-सम्बन्ध होता है । साथ ही, उच्च सामाजिक-आर्थिक स्तर प्रजनन-दर को कम करने में सहायक है जबकि निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर प्रजनन-दर को बढ़ाने में सहायक होता है ।

अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुस्लिम महिलाओं में प्रजननता अधिक है जो कि वर्तमान जनसंख्या नीति के विपरीत है । इसका मुख्य कारण है कि अध्ययन से सम्बन्धित अधिकांश महिलायें निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर में जीवन यापन कर रही हैं । इस शोध के अन्तर्गत महिलाओं की प्रजननता को सामाजिक-आर्थिक कारकों यथां- परिवार का प्रकार, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, परिवार की मासिक आय आदि चरों के आधार पर विश्लेषित किया गया है जिससे प्राप्त निष्कर्ष इस प्रकार हैं ।

महिलाओं में प्रजननता संयुक्त परिवार की अपेक्षा एकाकी परिवारों में कम पायी गई, इस प्रकार प्रजननता के सन्दर्भ में परिवार के प्रकार का प्रभाव भी सार्थक प्रतीत होता है । मुस्लिम महिलाओं में जातीय स्तर भी उनकी प्रजननता को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण निर्धारक है । उच्च जातीय स्तर के लोगों में निम्न जातीय स्तर के लोगों की अपेक्षा बच्चों की संख्या कम होती है ।

शिक्षा, महिलाओं की प्रजननता को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावी कारक है । वर्तमान समय में महिलाओं के आधुनिकीकरण एवं सामाजिक प्रस्थिति के दृष्टिकोण से शिक्षा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है । शिक्षा एवं प्रजननता के मध्य भी नकारात्मक सम्बन्ध होता है । साथ ही, प्रजननता के सन्दर्भ में महिला की शिक्षा विशेष महत्वपूर्ण है । यदि महिला का शैक्षिक स्तर उच्च है तो परिवार का आकार छोटा होता है इसके विपरीतं, अशिक्षित महिलायें अधिक बच्चों को जन्म देती हैं । इस अध्ययन के निष्कर्ष भी इसी तथ्य की ओर संकेत देते हैं । प्रजननता के सन्दर्भ में महिला एवं उनके पति की शिक्षा के प्रभाव का अवलोकन करने हेतु शिक्षा की तीन श्रेणियाँ रखीं गई है: निरक्षर, प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित तथा उच्च

शिक्षित । इस आधार पर मात्र 8 प्रतिशत निरक्षर महिलायें ऐसी थीं जिनके 3 या इससे भी कम बच्चे थे, कम शिक्षित महिलायें 19 प्रतिशत तथा सर्वाधिक 48 प्रतिशत उच्च शिक्षित महिलाओं के कम बच्चे पाये गये । इसी तरह, पुरूषों में 14 प्रतिशत निरक्षर, 11 प्रतिशत कम शिक्षित तथा 33 प्रतिशत उच्च शिक्षित पुरूषों के कम बच्चे पैदा हुये हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि पति की अपेक्षा महिला की शिक्षा प्रजननता को अधिक प्रभावित करती है ।

महिलाओं के प्रजनन व्यवहार पर उनके व्यावसायिक स्तर के प्रभाव की भी दृष्टि होती है । अध्ययन से यह संकेत मिलता है कि गृहणी एवं छोटे व्यवसाय से सम्बन्धित महिलाओं की अपेक्षा उच्च व्यावसायिक अथवा सरकारी पदों पर कार्यरत महिलाओं में प्रजननता कम होती है क्योंकि गृहणी महिलाओं के औसतन 5.85 जबकि सरकारी कर्मचारी महिलाओं के औसतन 3.10 बच्चे पैदा हुये । प्रजननता पर पति के व्यवसाय का प्रभाव सार्थक प्रतीत नहीं होता ।

भारतीय मूल में रची-बसी जाति प्रथा प्राचीनकाल से ही व्यक्ति के सामाजिक-आर्थिक स्तर को प्रभावित करती आ रही है । समकालीन सामाजिक परिवर्तनों के फलस्वरूप यद्यपि इसका महत्व कम हो रहा है किन्तु फिर भी, यह आज भी पिछड़े हुये समुदायों पर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है । अतः महिलाओं के प्रजनन-व्यवहार पर भी इसका सार्थक प्रभाव परिलक्षित होता है । महिलाओं की प्रजननता पर जातीय स्तर के प्रभाव का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से जातीय स्तर को तीन स्तरों में विभक्त किया गया- उच्च, मध्यम एवं निम्न । जिनमें प्रजननता माध्य क्रमशः 3.35, 5.45 तथा 6.00 है जो यह दर्शाता है कि उच्च जातीय स्तर की महिलाओं में निम्न जातीय स्तर की तुलना में प्रजनन-दर कम है ।

प्रजननता एवं आय के बीच सम्बन्ध का अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि आय का स्तर कम होने पर प्रजननता बढ़ जाती है क्योंकि जिन महिलाओं की मासिक आय 1500 रूपये से कम है उनमें औसत प्रजनन-दर 5.67 है । आय का स्तर अधिक 3000

रूपये तक होने पर प्रजनन-दर औसतन 3.80 पायी गई है । आय का स्तर कम होने के कारण व्यक्ति को संतुलित आहार, प्रोटीन इत्यादि कम ही प्राप्त होते हैं इस कारण महिलाओं में जनन क्षमता बढ़ जाती है और यौनिक क्रियाएं अधिक होने के कारण जन्मदर भी अधिक होती है । उच्च आय के लोगों को खानपान संतुलित आहार, पौष्टिक भोजन, प्रोटीन एवं विटामिन युक्त होने के कारण उनकी यौनिक एवं जनन क्षमता कम हो जाती है साथ ही, उनमें शिक्षा विवेक एवं प्रगतिशीलता अधिक होती है इस कारण उनमें प्रजननता कम पायी जाती है ।

प्रजननता पर सामाजिक-आर्थिक स्तर के प्रभाव का सूक्ष्म स्तर पर विवेचन करने के उद्देश्य से एक साथ दो चरों के प्रभाव का आँकलन भी किया गया । शिक्षा एवं परिवार के प्रकार तथा प्रजननता के माध्य नकारात्मक सह-सम्बन्ध देखने को मिलता है । संयुक्त परिवार में ही निरक्षर महिलाओं की अपेक्षा शिक्षा का स्तर प्राइमरी एवं माध्यमिक तक बढ़ने पर प्रजननता माध्य 6.46 से घटकर 5.93 रह गया, शिक्षा का स्तर बढ़ने पर प्रजननता माध्य और भी कम 4.20 हो गया । इसी प्रकार, एकाकी परिवार एवं शिक्षा का उच्च स्तर होने के कारण प्रजननता माध्य 3.73 पाया गया । व्यावसायिक स्तर का प्रभाव पारिवारिक स्तर के साथ देखने पर भी यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि व्यवसाय का स्तर उच्च एवं परिवार एकाकी है तो संयुक्त परिवार की अपेक्षा प्रजननता कम होगी । महिला के व्यवसाय का प्रभाव परिवार के प्रकार के प्रभाव को अवश्य कम कर देता है । इसी प्रकार, परिवार के प्रकार एवं मासिक आय का प्रभाव प्रजननता पर देखने के उपरान्त यह स्पष्ट हुआ कि परिवार की मासिक आय इस सम्बन्ध में अधिक महत्वपूर्ण है ।

महिलाओं की प्रजननता पर जातीय स्तर एवं उनकी व उनके पति की शिक्षा का प्रभाव भी अधिक सार्थक प्रतीत होता है । जाति का उच्च स्तर एवं उच्च शिक्षा प्रजननता को कम करने का सबसे प्रभावी कारक है । इसी तरह, जातीय स्तर एवं आय का महिला की प्रजननता पर स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । उच्च जातीय स्तर एवं आय का स्तर भी उच्च होने पर प्रजननता अपेक्षाकृत कम हो जाती है ।

इसी प्रकार, महिला की वर्तमान आयु व उनकी तथा उनके पति की शिक्षा के आधार पर विश्लेषण करने के उपरान्त यह स्पष्ट हुआ कि आयु एवं शिक्षा दोनों ही प्रजननता

को अत्याधिक प्रभावित करते हैं । वर्तमान आयु एवं आय का प्रभाव प्रजननता पर देखने के पश्चात यह संकेत मिलता है कि आय की अपेक्षा आयु प्रजनन व्यवहार को अधिक प्रभावित करती है ।

अध्याय- 6

"मुस्लिम महिलाओं का पारिवारिक आकार सम्बन्धी दृष्टिकोण"

पूर्ववर्ती अध्याय में प्रतिदर्श की उत्तरदाता महिलाओं के प्रजनन व्यवहार का विश्लेषण सामाजिक-आर्थिक-सॉंस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर किया गया । सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन के आधार पर यह पाया गया कि वास्तव में सामाजिक-आर्थिक-सॉंस्कृतिक विशेषताओं का प्रजननता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है । सामाजिक-आर्थिक एवं सॉंस्कृतिक विशेषताओं में सॉंस्कृतिक कारकों का प्रजननता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है । विश्व के विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में अधिक प्रजनन-दर दिखायी देती है । इन देशों में प्रजनन व्यवहार में यह अन्तर सामाजिक-सॉंस्कृतिक कारकों का परिणाम माना जाता है । यह सत्य है कि सॉंस्कृतिक कारक ही उच्च प्रजनन-दर के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं[1]।

सॉंस्कृतिक कारकों को सामाजिक-आर्थिक कारकों से अलग करके स्पष्ट करना कठिन है क्योंकि सामाजिक-सॉंस्कृतिक तत्व आपस में इस तरह घुले-मिले हैं कि यह तय करना मुश्किल है कि क्या सामाजिक, है, और क्या सॉंस्कृतिक है । हाल ही में शोध-कर्ताओं ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि सॉंस्कृतिक कारकों का अपना एक अलग आधार है । कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि सामाजिक कारक जैसे- ज्ञाति, धर्म एवं शिक्षा सांस्कृतिक कारकों द्वारा ही निर्धारित होते हैं एवं इन्हीं के द्वारा विवाह की आयु, पुत्र जन्म का महत्व आदि भी प्रभावित होते हैं ।

मानव प्रजननता प्रमुख रूप से एक जैवकीय प्रक्रिया है परन्तु किसी भी समाज की सांस्कृतिक विरासत प्रजननता के निर्धारण में अहम् भूमिका निभाती है । यह निश्चित धारणायें मानव के मानसिक कोष तक ही सीमित नहीं है वरन् प्रयोगात्मक साक्ष्यों पर आधारित हैं उदाहरण के लिये भारत के लगभग सभी सम्प्रदायों में विवाह के पूर्व यौनिक सम्बन्धों को प्रतिबन्धित करने वाले अनेक निषेध लागू किये गये हैं जो इस बात का प्रमाण है कि सामाजिक सॉंस्कृतिक कारक मानव

---

(1) पटनायक, एम0एम0, 1985, "सोशियो एकोनामिक कल्चरल एण्ड डेमोग्राफिक रेशनलिटी आफ फर्टिलिटी विहेवियर" जानकी प्रकाशन नई दिल्ली, पेजनं0 110-111

प्रजननता को प्रभावित करते हैं[2]।

इसी प्रकार हिन्दुओं में बहुत सारे पवित्र अवसरों पर पत्नी के साथ सहवास निषिद्ध है[3]।

किसी भी समाज में होने वाले साँस्कृतिक परिवर्तन वहाँ की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि एवं दशाओं द्वारा होते हैं । विश्व के विकसित तथा औद्योगिक देशों में जहाँ आर्थिक समृद्धि है, शिक्षा का व्यापक प्रसार तथा लोगों के रहन-सहन का स्तर उच्च है, वहाँ प्रजनन-दर का निम्न स्तर देखने को मिलता है । इसके विपरीत, भारत जैसे विकासशील देशों में जहाँ कृषि की प्रधानता है, परम्परा से लगाव, संयुक्त-परिवार का प्रचलन, निर्धनता, अशिक्षा का व्यापक प्रभाव है, उच्च प्रजनन-दर पायी जाती है । इस प्रकार स्पष्ट है कि धर्म, परम्परायें, परिवार का प्रकार आदि ऐसे साँस्कृतिक कारक हैं जो प्रजनन-दर को निर्धारित करने में अहम् भूमिका निभाते हैं क्योंकि दम्पत्तियों का दृष्टिकोण निश्चित रूप से समाज की साँस्कृतिक पृष्ठभूमि से प्रभावित होता है ।

प्राचीनकाल से ही भारत में बड़े आकार के संयुक्त परिवारों का प्रचलन रहा है । सामाजिक परिवर्तनों के फलस्वरूप संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ है परन्तु पूर्ण रूप से संयुक्त-परिवार विघटित नहीं हुये हैं । संयुक्त परिवारों में धर्म, जाति, परम्पराओं एवं विवाह से सम्बन्धित अनेक बन्धन होते हैं । साथ ही, संयुक्त परिवार अधिक बच्चों के पक्षधर भी होते हैं । इसी प्रकार इस्लाम

---

(2) ओपलर, मोरिस ई0, 1964 "काल्चरल कान्टेक्सट एण्ड पापुलेशन कण्ट्रोल प्रोग्राम्स इन विलेज इण्डिया," एडिटेड बाई ई0 डब्लू0 काउण्ट एण्ड गार्डन बाउत्स, पेज-218

(3) मैसूर, 1961, दि मैसूर पापुलेशन स्टडी, न्यूयार्क यूनाइटेड नेशन्स, डिपार्टमेण्ट आफ इकनामिक एण्ड सोशल अफेयर्स ।

(4) 1- आन्द्रेबेते "फेमिली एण्ड सोशल चेन्ट: इन इण्डिया एण्ड अदर साउथ एशियन कन्ट्रीज," इकोनामिक विकली एनुअल, (1964) पेज- 237-244

2- पी0डी0देवाआन्दम एण्ड एम0एम0 थामस, 'दि चेन्जिंग पैटर्न आफ फेमिली इन इण्डिया, बंगलौर: सी आई एस आर एस (1966)

धर्म में भी वंश, परिवार की सत्ता का महत्व है । भारत में अधिकांश मुसलमान निम्न आर्थिक स्तर वाले एवं रूढ़िवादी परम्पराओं के पोषक हैं । मुसलमान बच्चों के जन्म पर रोक लगाने को शरीयत के विरूद्ध मानते हैं । इस प्रकार संयुक्त परिवार प्रथा एवं शरीयत अधिक बच्चों की मानसिकता को जन्म देती है ।

प्राचीन भारतीय समाज में जिस विवाहित महिला के जितने अधिक बच्चे होते थे उसे समाज में उतना ही ऊँचा स्थान प्राप्त था। साथ ही यदि किसी विवाहित स्त्री के सन्तान नहीं होती थी तो उसे सभी प्रकार की सामाजिक मान्यताओं से वंचित कर दियाजाता था, इसी कारण स्त्रियों में अधिक बच्चों को जन्म देने की मानसिकता ने जन्म लिया[5]। कम विकसित देशों में बच्चों को आर्थिक उत्पादक माना जाता है । इन देशों में बच्चों के पालन का खर्च अधिक नहीं होता बल्कि उनकी उपयोगिता लागत से अधिक रहती है । क्योंकि वह एक उपभोग की वस्तु है वह कम आयु में भी कमा कर खिला सकता है । साथ ही, बच्चा बुढ़ापे का सहारा है[6]।

हिन्दू समाज में पुत्र जन्म 'परलोक' सुधारने के लिये आवश्यक होता है । परिवार में धार्मिक सामाजिक एवं आर्थिक तीनों दृष्टिकोणों से पुत्र का होना आवश्यक माना गया है । वह पिता का वंश चलाता है साथ ही श्राद्ध करता है जिससे मृतक पितृ स्वर्ग के अधिकारी बन सकें । वह बुढ़ापे का सहारा होने के साथ-साथ परिवार की आर्थिक आय का साधन भी होता है इसीलिये जब तक एक या दो लड़के जन्म नहीं लेते, तब तक वे लड़के की कामना में अपने परिवार का आकार बढ़ाते रहते हैं । भारत में उच्च प्रजनन-दर का यह एक महत्वपूर्ण कारक है[7]।

---

(5) पटनायक, एम0एम0, 1985, फर्टिलिटी विहेवियर पेज- 113

(6) हार्फ लीबिन्सटीन, 1957, इकोनोमिक बैकवर्डनस एण्ड इकोनोमिक ग्रोथ, साइंस एडीशन पेज-151-52, आर्थिक व सामाजिक जनांकिकी शास्त्र ।

(7) मिश्र, भास्कर, निर्मल साहनी, ओझा, शंकरदत्त, 1987, जनसंख्या शिक्षा सिद्धान्त एवं तत्व, पेज-95

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज में पुत्र को वरीयता प्रदान करने का मुख्य कारण यह भी है कि पुत्र माता-पिता के लिये लड़की की अपेक्षा अधिक आर्थिक उत्पादक होता है क्योंकि कन्या विवाह के पश्चात घर से चली जाती है, साथ ही कन्या के विवाह में दहेज हेतु अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है, अतः पुत्री उत्पादक की अपेक्षा अधिक लागत से सम्बन्धित होती है । आज पुत्र जन्म की महत्ता धार्मिक दृष्टिकोण से तो कम हो गई है परन्तु बढ़ती हुई दहेज की माँग के कारण पुत्री की अपेक्षा आज भी लोग पुत्र जन्म की आकाँक्षा रखते हैं । इसी आकाँक्षा ने अधिक बच्चों के जन्म को आधार प्रदान किया है ।

मुस्लिम समाज मे भी परिवार में बच्चे का जन्म बहुत महत्वपूर्ण बात समझी जाती थी । साथ ही, यदि लड़का होता था तो अपार हर्ष का अनुभव किया जाता था[5] । इस प्रकार, हिन्दू समाज की तरह मुस्लिम समाज में पुत्र स्वर्ग तक ले जाने का मार्ग तो नहीं परन्तु सामाजिक प्रतिष्ठा एवं आर्थिक दृष्टिकोण से पुत्र-जन्म महत्वपूर्ण माना जाता है । मुस्लिम समाज में भी वंश चलाने हेतु पुत्र जन्म की अनिवार्यता को स्वीकार किया गया है । अतः मुस्लिम परिवारों में जब तक दो तीन पुत्र नहीं हो जाते, लोग परिवार का आकार बढ़ाते जाते हैं । आज भी अधिकतर लोग पुत्र-जन्म को महत्वपूर्ण मानते हैं ।

उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तुत अध्याय में मुस्लिम महिलाओं के पारिवारिक आकार सम्बन्धी दृष्टिकोण को जानने का प्रयास किया गया है । उक्त सन्दर्भ में, उन कारकों के प्रति भी उनका दृष्टिकोण ज्ञात किया गया है जो पारिवारिक आकार को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे- विवाह की आयु, विवाह की आयु एवं प्रथम जन्म के बीच अन्तर, अन्य बच्चों के जन्म के बीच अन्तर, वंश चलाने हेतु लड़के के जन्म की अनिवार्यता आदि महिलाओं के दृष्टिकोण की विविध आयामों पर व्याख्या करने हेतु उनकी शिक्षा, जातीय स्तर,

---

(8) महमूद यासीन, 1988, "इस्लामी भारत का सामाजिक इतिहास"
1- आइने-अकबरी, पेज- 207, ब्लाकमैन चैप्टर ।
2- रो और फराइरर पृष्ठ-281, देखें किताब इस्लामी भारत का सामाजिक इतिहास, पेज- 63, 71 पूर्वोक्त ।

व्यवसाय एवं परिवार के प्रकार को भी ध्यान में रखा गया है क्योंकि दृष्टिकोण के निर्धारण में इनकी अहम् भूमिका हो सकती है ।

उक्त परिप्रेक्ष्य में मुस्लिम महिलाओं का दृष्टिकोण ज्ञात करने हेतु उनसे कुछ प्रश्न किये गये हैं, जो इस प्रकार हैं:-

(क) आपके विचार में किसी महिला के सम्पूर्ण जीवनकाल में कुल कितने बच्चे होने चाहिए ?

(ख) आपके विचार में लड़की के विवाह की सर्वोत्तम आयु क्या है ?

(ग) आपके विचार में लड़के के विवाह की सर्वोत्तम आयु क्या है ?

(घ) आपके विचार में विवाह और पहले बच्चे के जन्म के बीच कितना अन्तर होना चाहिए ?

(च) आपके विचार से बच्चों के जन्म के बीच कितना अन्तर होना चाहिए ?

(छ) पहलीबार आपने यह कब सोचना प्रारम्भ किया कि आपके कितने बच्चे होने चाहिए ? (अर्थात कितने बच्चे होने के बाद)

(ज) आप इस बात को कितना महत्वपूर्ण समझती हैं कि वंश चलाने हेतु कम से कम एक लड़का होना चाहिए ?

(झ) मान लीजिये आपके तीन लड़कियाँ हैं तो क्या आप अगला बच्चा इस आशा से चाहेंगी कि एक लड़का हो जाय ?

उक्त प्रश्नों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर महिलाओं के दृष्टिकोण को ज्ञात करने का प्रयास किया गया है । यहाँ पर चार चर यथा महिला का शैक्षिक स्तर, जातीय स्तर, व्यावसायिक स्तर एवं पारिवारिक स्तर नियंत्रित चर के रूप में प्रयुक्त हुये हैं ।

परिणामों की विवेचना :

1- बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में महिलाओं का दृष्टिकोण-

महिलाओं से पहला प्रश्न पूँछा गया था कि "आपके विचार में किसी महिला के सम्पूर्ण जीवनकाल में कुल कितने बच्चे होने चाहिए" इस प्रकार के प्रश्न पर महिलाओं के विचार उनकी साँस्कृतिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हैं । उत्तरदाताओं का साँस्कृतिक दृष्टिकोण उनके द्वारा वांछित बच्चों की संख्या पर पड़ना स्वाभाविक है ।

उत्तरदाताओं के विचार सारणी 6.1 में प्रस्तुत है ।

सारणी 6.1

सम्पूर्ण जनन-काल में महिलाओं द्वारा वांछित बच्चों की संख्या

बच्चों की संख्या	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत
1-2	124	31
3-4	190	48
5 एवं अधिक	86	21
योग-	400	100

सारणी 6.1 से स्पष्ट है कि एक महिला के सम्पूर्ण जीवनकाल में वांछित बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में महिलाओं का दृष्टिकोण राष्ट्रीय आवश्यकता के प्रतिकूल है । 69 प्रतिशत महिलाओं ने 3 या अधिक बच्चों के होने के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया है । अधिक महत्वपूर्ण यह है कि 21 प्रतिशत महिलाओं ने 5 अथवा इससे भी अधिक बच्चों की आवश्यकता पर बल दिया है । देश की तीव्रगति से बढ़ रही जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक दम्पत्ति के लिये अधिकतम दो बच्चों का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी पक्षधर मात्र 31 प्रतिशत महिलायें हैं । उपरोक्त तथ्यों से इस बात का संकेत मिलता है कि मुस्लिम महिलायें अधिक बच्चों अथवा बड़े परिवार की पक्षधर हैं । ऐसा सम्भवतः इसलिए है क्योंकि अधिकांश महिलायें शैक्षिक एवं व्यावसायिक दृष्टिकोण से अत्यधिक पिछड़ी हुई हैं । मुस्लिम महिलाओं के इस दृष्टिकोण के पीछे कौन से कारण हैं यह जानने के लिये महिलाओं के दृष्टिकोण सम्बन्धी आँकड़ों को चार आधारों पर विश्लेषित किया गया है । वे हैं, महिलाओं का शैक्षिक, जातीय, व्यावसायिक एवं पारिवारिक स्तर इन आधारों पर प्राप्त तथ्यों का विवरण इस प्रकार है ।

(अ) महिलाओं द्वारा वांछित बच्चों की संख्या एवं उनका शैक्षिक स्तर-

महिलाओं द्वारा वांछित बच्चों का विवरण उनकी शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर सारणी 6.1(अ) में प्रस्तुत है ।

सारणी 6.1(अ)

महिलाओं के शैक्षिक स्तर के अनुसार उनके द्वारा वांछित बच्चों की संख्या

शैक्षिक स्तर	वांछित बच्चों की संख्या			योग	माध्य
	1-2	3-4	5 एवं अधिक		
निरक्षर	34 %(18)	100 (52)	58 (30)	192 (100)	3.73
प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित	50 %(36)	64 (47)	22 (16)	136 (100)	3.09
उच्च शिक्षित	40 %(56)	26 (36)	06 (8)	72 (100)	2.56
योग-	124	190	86	400	3.31

काई स्क्वायर ($\times 2$) मूल्य= 43.68

काई स्क्वायर ($\times 2$) सारणी मूल्य = 9.49-.05

13.28-.01

.01 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है ।

सारणी 6.1(अ) से संकेत मिलता है कि बच्चों की संख्या एवं परिवार के आकार के सम्बन्ध में मुस्लिम महिलाओं का दृष्टिकोण उनके शैक्षिक स्तर से प्रभावित है । 18 प्रतिशत निरक्षर महिलायें 1-2 बच्चों कोजन्मदेने के पक्ष में हैं, 52 प्रतिशत महिलायें 3-4 बच्चों को जन्म देने की पक्षधर हैं तथा इसीक्रम में 30 प्रतिशत महिलाओं ने 5 या उससे भी अधिक बच्चों को जन्म देने के पक्ष में मत व्यक्त किया है । 36 प्रतिशत प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित महिलायें 1-2 बच्चों को जन्म देने के पक्ष में हैं, ऐसी ही 47 प्रतिशत महिलाओं ने 3-4 बच्चों को जन्म देने की पक्षधर है एवं 16 प्रतिशत महिलाओं ने 5 या उससे भी अधिक बच्चों को जन्म देने की इच्छा व्यक्त की है । सर्वाधिक 56 प्रतिशत उच्च शिक्षित महिलायें 1-2 बच्चों को जन्म देने के पक्ष में हैं । 36 प्रतिशत

उच्च शिक्षित महिलाओं ने 3-4 बच्चों को जन्म देने के पक्षम में मत व्यक्त किया है । इसीक्रम में मात्र 8 प्रतिशत महिलायें ऐसी हैं जो 5 या उससे भी अधिक बच्चों को जन्म देने की पक्षधर हैं । उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि यद्यपि मुस्लिम महिलायें अधिक बच्चों एवं बड़े परिवार के आकार की पक्षधर हैं किन्तु शैक्षिक स्तर के आधार पर अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा का प्रभाव महिलाओं के दृष्टिकोण को परिवर्तित करता है क्योंकि 82 प्रतिशत निरक्षर महिलायें 3 एवं उससे भी अधिक बच्चों को जन्म देने की पक्षधर हैं जबकि 56 प्रतिशत उच्च शिक्षित महिलायें ऐसी है जो मात्र 1 से 2 बच्चों को जन्म देने के पक्ष में हैं । सारणी के विश्लेषण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जनसंख्या नियंत्रण हेतु शिक्षा महत्वपूर्ण आधार है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को परिष्कृत कर उसका सर्वांगीण विकास करती है । शिक्षा व्यक्ति को उदार, सहिष्णु एवं विवेकपूर्ण बनाने में सहायक होती है । शिक्षित व्यक्ति अपने ज्ञान के आधार पर रूढ़ियों, वाह्यआडम्बर एवं कुरीतियों के प्रतिकूल तर्क प्रस्तुत करके उनसे दूर रहने का प्रयास करते हैं ।

महिलाओं के पारिवारिक आकार सम्बन्धी दृष्टिकोण पर शिक्षा के प्रभाव को देखने हेतु सांख्यकी माध्य को भी आधार बनाया गया है ।सांख्यकीय माध्य के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार निरक्षर महिलाओं ने वांछित बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में दृष्टिकोण औसतन 3.73 बच्चों का है, वहीं प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित महिलाओं में बच्चों को जन्म देने का औसत 3.09 है जबकि उच्च शिक्षित महिलायें औसतन 2.56 बच्चों को जन्म देने के पक्ष में है । इस प्रकार माध्य से प्राप्त निष्कर्ष भी इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि उच्च शिक्षा प्रजंनन-दर को कम करने में सहायक है ।

सारणी में दर्शाये गये तथ्यों का काई-स्क्वायर टेस्ट से परीक्षण करने पर भी महिलाओं की शिक्षा एवं उनके द्वारा जनित बच्चों के बीच सार्थक अन्तर देखने को मिलता है ।

(ब) महिलाओं द्वारा वांछित बच्चों की संख्या एवं उनका जातीय स्तर-

महिलाओं द्वारा वांछित बच्चों का विवरण उनके जातीय स्तर के आधार पर सारणी 6.1(ब) में प्रस्तुत किया गया है ।

सारणी 6.1 (ब)

महिलाओं के जातीय स्तर के अनुसार उनके द्वारा वांछित बच्चों की संख्या

जातीय स्तर	वांछित बच्चों की संख्या			योग	माध्य
	1-2	3-4	5 एवं अधिक		
उच्च	20	25	15	60	3.33
	%(33)	(42)	(25)	(100)	
मध्यम	64	36	20	120	2.77
	%(53)	(30)	(17)	(100)	
निम्न	40	129	51	220	3.60
	%(18)	(59)	(23)	(100)	
योग-	124	190	86	400	3.31

काई स्क्वायर (x^2)मूल्य = 46.91

काई स्क्वायर (x^2)सारणी मूल्य = 9.49-.05

=13.28-.01

.01 सम्भाविता स्तर पर सार्थक ।

सारणी 6.1(ब) से स्पष्ट होता है कि महिलाओं के पारिवारिक आकार सम्बन्धी दृष्टिकोण उनके जातीय स्तर से भी प्रभावित है । उच्च जाति की 33 प्रतिशत महिलाओं ने एक से दो बच्चों को जन्म देने का मत व्यक्त किया है जबकि निम्न जाति की केवल 18 प्रतिशत महिलायें ही एक से दो बच्चों की पक्षधर हैं । सर्वाधिक 53 प्रतिशत महिलायें जो कि मध्य जाति की हैं उन्होंने 1 से 2 बच्चों को जन्म देने की इच्छा व्यक्त की है । 42 प्रतिशत उच्च जाति की महिलायें 3 से 4 बच्चों को जन्म देने के पक्ष में हैं और 25 प्रतिशत उच्च जाति की महिलायें ऐसी

भी हैं जो 5 या उससे भी अधिक बच्चों को जन्म देने की पक्षधर हैं । मध्यम जाति की 30 प्रतिशत महिलाओं का मत 3 से 4 बच्चों को जन्म देने का है और इसी जाति की 17 प्रतिशत महिलाओं ने 5 या उससे भी अधिक बच्चों को जन्म देने की इच्छा व्यक्त की है । 59 प्रतिशत निम्न जाति की महिलायें 3 से 4 बच्चों को जन्म देने के पक्ष में हैं और 23 प्रतिशत महिलायें 5 या उससे अधिक बच्चों को जन्म देने की पक्षधर हैं । इस प्रकार सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि महिलाओं के पारिवारिक आकार के प्रति दृष्टिकोण पर उनकी जाति का प्रभाव है । 82 प्रतिशत निम्न जाति की महिलायें 3 या उससे अधिक बच्चों को जन्म देने की इच्छुक हैं । जबकि उच्च जाति की 67 प्रतिशत महिलायें 3 या अधिक बच्चों की पक्षधर हैं एवं मध्यम जाति की मात्र 47 प्रतिशत महिलाओं का मत 3 या अधिक बच्चों को जन्म देने का है । सारणी के विश्लेषण से विदित है कि उच्च जाति की अपेक्षा मध्यम जाति की अधिक महिलायें कम बच्चों की पक्षधर हैं क्योंकि मध्यम जाति के अन्तर्गत पठान तथा कुछ व्यावसायिक जातियों को सम्मिलित किया गया है जो कि संस्तरणात्मक दृष्टिकोण से उच्च जाति से कम प्रस्थिति प्राप्त है फिर भी इस्लामी कट्टरवादी विचारों से प्रभावित नहीं हैं । उच्च जाति के अन्तर्गत सैय्यद व शेख जाति को सम्मिलित किया गया है । इन उत्तरदाता महिलाओं का सामुदायिक परिवेश अधिकतर मौलवी वंशों से सम्बन्धित है जो कि शरीयत व अधिक कट्टरवादी इस्लामी नियमों से प्रभावित है अतः उनके दृष्टिकोण में मात्र शरीयत के कारण बच्चों के जन्म पर नियंत्रण लगाने के विरूद्ध है । निम्न जाति की 77 प्रतिशत महिलायें 1 से 4 बच्चों को जन्म देने की पक्षधर हैं जिनमें से 18 प्रतिशत महिलाओं का दृष्टिकोण राष्ट्रीय माँग के अनुकूल है । ऐसा इस कारण है क्योंकि निम्न जाति की ऐसी महिलायें जिन्होंने कम बच्चों को जन्म देने का मत व्यक्त किया है उनपर शिक्षा, व्यवसाय का प्रभाव है तथा वे वर्तमान प्रगतिशील विचारों की समर्थक हैं । कुछ निम्न जाति की ऐसी भी महिलायें हैं जिन्होंने निर्धनता के कारण अधिक बच्चों का पालन-पोषण ठीक से न हो पाने के कारण भी कम बच्चों को जन्म देने का समर्थन किया है ।

महिलाओं के द्वारा वांछित बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में उनके दृष्टिकोण पर जाति के प्रभाव का आँकलन करने हेतु सांख्यकीय माध्य को भी प्रयुक्त किया गया । माध्य से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर उच्च जाति की महिलाओं का दृष्टिकोणक औसतन 3.33 बच्चों को जन्म देने

का है । मध्यम जाति की महिलायें सबसे कम औसतन 2.77 बच्चों को जन्म देने की इच्छुक हैं । सर्वाधिक निम्न जाति की महिलायें औसतन 3.60 बच्चों को जन्म देने की पक्षधर हैं । सांख्यकीय माध्य से प्राप्त निष्कर्ष भी इस बात की ओर संकेत करते हैं कि महिलाओं के पारिवारिक आकार के प्रति दृष्टिकोण पर जातीय स्तर का प्रभाव पड़ता है ।

सारणी में अंकित आँकड़ों का काई-स्क्वायर टेस्ट से परीक्षण करने पर भी महिलाओं के जातीय स्तर का उनके द्वारा जनित बच्चों के बीच सार्थक अन्तर परिलक्षित होता है ।

(स) महिलाओं द्वारा वांछित बच्चों की संख्या एवं व्यावसायिक स्तर-

महिलाओं द्वारा वांछित बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में उनके व्यावसायिक स्तर को जानने का प्रयास किया गया । महिलाओं के व्यावसायिक स्तर का बच्चों को जन्म देने की संख्या पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है, जिसे सारणी 6.1(स) में प्रस्तुत किया गया है ।

सारणी 6.1 (स)

महिलाओं के व्यावसायिक स्तर के अनुसार उनके द्वारा वांछित बच्चों की संख्या

व्यवसाय	वांछित बच्चों की संख्या			योग	माध्य
	1-2	3-4	5-6		
ग्रहणी	80 %(26)	162 (52)	70 (22)	213 (100)	3.44
सरकारीकर्मचारी	24 %(80)	06 (20)	00 (00)	30 (100)	1.90
निजी व्यवसाय श्रमिक	20 %(34)	22 (38)	16 (28)	58 (100)	3.37
योग-	124	190	86	400	3.31

काई-स्क्वायर (x^2) मूल्य = 40.17

काई-स्क्वायर (x^2) सारणी मूल्य = 9.49-.05

= 13.28-.01

.01 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है ।

सारणी 6.1 (स) के अवलोकन से विदित है कि बच्चों की संख्या एवं परिवार के आकार से सम्बन्धित दृष्टिकोण उनके व्यावसायिक स्तर से प्रभावित होता है । घरेलू कामकाज से जुड़ी 26 प्रतिशत महिलायें 1-2 बच्चों को जन्म देने के पक्ष में हैं और 80 प्रतिशत आत्मनिर्भर महिलायें जो सरकारी सेवारत हैं, राष्ट्रीय माँग के अनुकूल 1-2 बच्चों के जन्म एवं सीमित आकार के परिवार के पक्ष में हैं व 34 प्रतिशत ऐसी महिलायें जो निजी व्यवसाय एवं श्रमिक कार्यो में संलग्न हैं 1-2 बच्चों का परिवार के लिये आवश्यक मानती हैं । साथ ही, घरेलू कामकाज से जुड़ी 52 प्रतिशत महिलायें 3-4 बच्चों को जन्म देने की पक्षधर हैं एवं 22 प्रतिशत महिलायें 5 एवं उससे भी अधिक बच्चों को परिवार के लिये आवश्यक मानती हैं व केवल 28 प्रतिशत सरकारी कर्मचारी महिलायें ऐसी हैं जिनका मत 3 से 4 बच्चों को जन्म देने का है लेकिन सरकारी सेवारत् महिलायें 5 या उससे अधिक बच्चों के पक्ष में नहीं हैं । इसी प्रकार निजी व्यवसाय एवं श्रमिक कार्य में संलग्न 38 प्रतिशत महिलायें 3 से 4 बच्चों को जन्म देने के पक्ष में हैं एवं 28 प्रतिशत ऐसी महिलायें 5 या उससे भी अधिक बच्चों को जन्म देने की पक्षधर हैं । इस प्रकार सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं का व्यावसायिक स्तर एवं उनकी आत्मनिर्भरता उनके पारिवारिक आकार सम्बन्धी दृष्टिकोण को प्रभावित करता है । अतः स्पष्ट है कि सरकारी सेवारत महिलायें कम बच्चों की पक्षधर हैं अपेक्षाकृत गृहणी महिलाओं से । अधिकांश महिलायें जो आत्मनिर्भर एवं सरकारी सेवारत हैं सीमित परिवार का दृष्टिकोण रखती हैं क्योंकि वह शिक्षित होने के साथ ही साथ राष्ट्र एवं परिवार के प्रति सचेत हैं साथ ही, व्यवसाय महिलाओं को प्रगतिशील बनाकर उन्हें समयानुकूल कार्य करने हेतु बल प्रदान करता है । निजी व्यवसाय एवं श्रमिक महिलाओं का दृष्टिकोण भी गृहणी-महिलाओं की अपेक्षा कम बच्चों को जन्म देने के पक्ष में हैं ।

महिलाओं के पारिवारिक आकार सम्बन्धी दृष्टिकोण का व्यावसायिक स्तर पर मूल्यांकन करने हेतु सांख्यकीय माध्य को भी आधार बनाया गया । माध्य से प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार गृहणी महिलाओं ने औसतन 3.44 बच्चों को जन्म देने की इच्छा व्यक्त की है जबकि सरकारी कर्मचारी महिलायें मात्र औसतन 1.90 बच्चों को जन्म देने के पक्ष में हैं । निजी व्यवसाय एवं श्रमिक कार्यो में रत महिलायें 3.37 बच्चों को जन्म देने की पक्षधर हैं । उक्त तथ्यों से संकेत मिलता है कि व्यवसायिक स्तर महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलम्बी बनाने के साथ-साथ प्रगतिशील भी बनाता

है, उनके दृष्टिकोण को उदारवादी बनाकर उन्हें रूढ़िग्रस्त मान्यताओं के प्रतिकूल कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है । सारणी में अंकित आँकड़ों का काई-स्क्वायर टेस्ट से भी मूल्यांकन किया गया जिसमें यह पाया गया कि महिलाओं के व्यावसायिक स्तर का उनके द्वारा जनित बच्चों के बीच सार्थक अन्तर है ।

(द) महिलाओं द्वारा वांछित बच्चों की संख्या एवं उनका पारिवारिक स्तर-

पारिवारिक स्तर महिलाओं की सोच के निर्धारण में सहायक भूमिका अदा करता है अतः पारिवारिक आकार सम्बन्धी महिलाओं के दृष्टिकोण पर पारिवारिक स्तर का भी प्रभाव पड़ता है जिसे सारणी 6.1 (द) में अंकित किया गया है ।

सारणी 6.1 (द)

महिलाओं के पारिवारिक स्तर के अनुसार उनके द्वारा वांछित बच्चों की संख्या

परिवार का प्रकार	वांछित बच्चों की संख्या			योग	माध्य
	1-2	3-4	5-6		
एकाकी	84 (31)	159 (59)	26 (10)	269 (100)	3.07
संयुक्त	40 (31)	31 (23)	60 (46)	131 (100)	3.80
योग-	124	190	86	400	3.31

काई-स्क्वायर (x^2) मूल्य = 76.78

काई-स्क्वायर (x^2) सारणी मूल्य = 9.49-.05

=13.28-.01

.01 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है ।

सारणी 6.1(द) से संकेत मिलता है कि वांछित बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में महिलाओं का दृष्टिकोण पारिवारिक स्तर से भी प्रभावित होता है । सामान्यतया एकाकी एवं संयुक्त दोनों ही प्रकार के परिवारों में 31 प्रतिशत महिलायें 1-2 बच्चों को जन्म देने की पक्षधर हैं । एकाकी परिवारों में मात्र 10 प्रतिशत महिलायें ही ऐसी हैं जो 5 या उससे भी अधिक बच्चों के जन्म को आवश्यक समझती हैं जबकि संयुक्त परिवारों की सर्वाधिक 46 प्रतिशत महिलायें 5 या उससे भी अधिक बच्चों की पक्षधर हैं । इसी प्रकार एकाकी परिवार की 59 प्रतिशत महिलायें 3-4 बच्चों को जन्म देने के पक्ष में हैं एवं संयुक्त परिवार की 23 प्रतिशत महिलाओं ने 3 या 4 बच्चों को जन्म देने की इच्छा व्यक्त की । इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि एकाकी परिवारों में रहने वाली महिलायें संयुक्त परिवार की महिलाओं की अपेक्षा सीमित आकार के परिवार एवं कम बच्चों को जन्म देने की पक्षधर हैं । इसका मुख्य कारण कि संयुक्त परिवार में महिला का दृष्टिकोण परम्परात्मक पारिवारिक मान्यताओं से प्रभावित होता है संयुक्त परिवार के बुजुर्ग या उनके माता-पिता के विचार महिलाओं के दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं । एकाकी परिवारों में रहने वाली महिलाओं की सोच पर किसी प्रकार का दबाव नहीं रहता वह अपने आप जो उपयुक्त समझती हैं वैसा ही दृष्टिकोण बनाकर निर्णय लेती हैं अतः आधुनिक मान्यताएं एवं अन्य कारक महिलाओं को कम बच्चों का जन्म देने की प्रेरणा देते हैं ।

महिलाओं के पारिवारिक आकार सम्बन्धी दृष्टिकोण का पारिवारिक स्तर के आधार पर मूल्यांकन करने हेतु आँकड़ों का सांख्यकीय माध्य भी ज्ञात किया गया जिनके निष्कर्षों से स्पष्ट है कि एकाकी परिवार में रहने वाली महिलायें औसतन 3.07 बच्चों को जन्म देने के पक्ष में हैं जबकि संयुक्त परिवार में रहने वाली महिलाओं ने औसतन 3.80 बच्चों के जन्म को परिवार के लिये आवश्यक समझा है । इस प्रकार, सभी महिलाओं का दृष्टिकोण औसतन 3.31 बच्चों को जन्म देने का है ।

पारिवारिक स्तर का महिलाओं द्वारा वांछित बच्चों की संख्या सम्बन्धी दृष्टिकोण पर प्रभाव का आँकलन करने हेतु काई-स्क्वायर परीक्षण भी ज्ञात किया गया जो सम्भाविता स्तर पर सार्थक है ।

इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि महिलाओं के पारिवारिक आकार एवं बच्चों की संख्या से सम्बन्धित दृष्टिकोण को चारोचर-शिक्षा, जाति, व्यवसाय एवं पारिवारिक स्तर प्रभावित करते हैं ।

2- लड़की की विवाह की आयु के सम्बन्ध में महिलाओं का दृष्टिकोण-

महिलाओं से दूसरा, प्रश्न पूँछा गया था कि "आपके विचार में लड़की के विवाह की सर्वोत्तम आयु क्या है ।" सम्बन्धित महिलाओं से इस प्रकार के प्रश्नों से प्राप्त उत्तर एवं विचारों में उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की झलक स्पष्ट दिखाई देती है । इस अध्याय में महिलाओं के पारिवारिक आकार एवं बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में महिलाओं के दृष्टिकोण को जानने का प्रयास किया गया है । विवाह की आयु का प्रजननता से नकारात्मक सम्बन्ध होता है । यदि शीघ्र या कम आयु में विवाह होंगे तो जननकाल लम्बा हो जायेगा फलतः प्रजननता स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी, यदि विवाह अधिक आयु में होंगे तो जननकाल घट जाता है और प्रजनन-दर में कमी आती है । 15 से 45 वर्ष की आयु के बीच 30 वर्ष का समय महिलाओं के जननकाल से सम्बन्धित होता है यदि लड़की का विवाह कम आयु में होगा तो पूरे 30 वर्ष का लम्बा समय महिला को बच्चों को जन्म देने हेतु मिल जाता है । इसी कारण बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए देश में विवाह की आयु को बढ़ाने हेतु कानूनी कदम उठाये गये हैं परन्तु कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि लोगों की मनोवृत्ति को राष्ट्रीय माँग के अनुकूल बनाना आवश्यक है । अतः महिलाओं से दूसरा प्रश्न लड़की की विवाह की आयु से सम्बन्धित पूँछा गया जिसका विवरण सारणी 6.2 में प्रस्तुत है ।

सारणी 6.2

महिलाओं द्वारा वांछित लड़की के विवाह की सर्वोत्तम आयु

विवाह की सर्वोत्तम आयु (वर्षों में)	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत
15-17	295	74
18-20	90	22
21 एवं अधिक	15	4

सारणी 6.2 से स्पष्ट है कि लड़की के विवाह की सर्वोत्तम आयु के सम्बन्ध में महिलाओं का दृष्टिकोण राष्ट्रीय अधिनियम के प्रतिकूल है । आज भी 74 प्रतिशत महिलायें हैं जो कि 15-17 वर्ष की आयु लड़की के विवाह के लिये अधिक उपयुक्त मानती हैं । एवं 22 प्रतिशत महिलाओं ने लड़की के विवाह की सर्वोत्तम आयु 18-20 वर्ष ही स्वीकार की है मात्र 4 प्रतिशत ही महिलायें हैं जो 21 या उससे भी अधिक आयु में लड़की के विवाह को आवश्यक मानती हैं । कुछ महिलाओं का विचार है कि लड़की का विवाह उच्चशिक्षित हो जाने के पश्चात करना ठीक है जबकि कुछ का मानना है कि विवाह से पूर्व लड़की को आत्मनिर्भर होना चाहिये । सारणी के विश्लेषण से परिलक्षित होता है कि मुस्लिम महिलाओं का दृष्टिकोण भी लड़की के विवाह की आयु के सम्बन्ध में कम आयु का ही है । जो कि मुस्लिम समुदाय में उच्च प्रजनन-दर का प्रमुख कारण है । महिलाओं का दृष्टिकोण लड़की के विवाह की कम आयु से सम्बन्धित इसलिये है क्योंकि अधिकांश महिलायें शैक्षिक एवं व्यावसायिक दृष्टिकोण से पिछड़ी हुई हैं । मुस्लिम महिलाओं के इस दृष्टिकोण के पीछे छिपे कारणों को जानने के लिये महिलाओं के दृष्टिकोण सम्बन्धी आँकड़ों को चारचरों के माध्यम से विश्लेषित किया गया है ये चार आधार हैं- महिलाओं का शैक्षिक, जातीय, व्यावसायिक एवं पारिवारिक स्तर । इनसे प्राप्त तथ्यों का विवरण इस प्रकार है-

(अ) महिलाओं द्वारा वांछित लड़की के विवाह की सर्वोत्तम आयु एवं उनका शैक्षिक स्तर-

महिलाओं द्वारा वांछित लड़की के विवाह की सर्वोत्तम आयु का विवरण उनकी शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर सारणी 6.2(अ) में प्रस्तुत है ।

सारणी 6.2(अ)

महिलाओं के शैक्षिक स्तर के अनुसार उनके द्वारा वांछित लड़कियों के विवाह की सर्वोत्तम आयु

शैक्षिक स्तर	लड़की के विवाह की सर्वोत्तम आयु			योग	माध्य
	15-17	18-20	21+		
निरक्षर	170	22	00	192	16.34
	%(89)	(11)	(00)	(100)	
प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित	100	30	06	136	16.93
	%(74)	(22)	(04)	(100)	
उच्च शिक्षित	25	38	09	72	18.33
	%(35)	(53)	(12)	(100)	
योग-	295	90	15	400	16.90

काई-स्क्वायर (x^2) मूल्य = 89.15

काई-स्क्वायर (x^2) सारणी मूल्य = 9.49-.05

=13.28-.01

.01 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है ।

सारणी 6.2(अ) में अंकित तथ्यों से संकेत मिलता है कि लड़की के विवाह की सर्वोत्तम आयु से सम्बन्धित महिलाओं का दृष्टिकोण उनके शैक्षिक स्तर से प्रभावित है । कुल निरक्षर महिलाओं में से 89 प्रतिशत ने लड़की के विवाह की सर्वोत्तम आयु 15-17 वर्ष ही अधिक उपयुक्त मानी है जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय माँग के प्रतिकूल है व शेष 11 प्रतिशत लड़की का विवाह 18-20 वर्ष की आयु में करने के पक्ष में हैं और इससे अधिक आयु में लड़की के विवाह को उपयुक्त नहीं मानतीं । इसी प्रकार 74 प्रतिशत महिलायें जो कि प्राइमरी एवं माध्यमिक स्तर तक शिक्षित हैं

लड़की का विवाह 15-17 वर्ष की आयु में करने के पक्ष में हैं, ऐसी ही 22 प्रतिशत महिलायें
18-20 वर्ष की आयु को लड़की के विवाह के लिये उपयुक्त मानती हैं । केवल 4 प्रतिशत ही
लड़की के विवाह की सर्वोत्तम आयु 21 वर्ष व उससे भी अधिक मानती हैं । साथ ही उच्च शिक्षित
महिलाओं में से [illegible] प्रतिशत ने लड़की के विवाह की सर्वोत्तम आयु 18-20 वर्ष ही उपयुक्त मानी है,
व 35 प्रतिशत उच्च शिक्षित महिलायें लड़की का विवाह 15-17 वर्ष की आयु में करने के पक्ष में
हैं जिसका मुख्य कारणहैउनका पिछड़ा हुआ सामुदायिक परिवेश । साथ ही, 12 प्रतिशत महिलायें ऐसी
भी हैं जो 21 वर्ष या उससे भी अधिक आयु में लड़की का विवाह करने की पक्षधर हैं । इस प्रकार
सारणी के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा व्यक्ति के दृष्टिकोण व मनोवृत्तियों में
विवेकपूर्ण परिवर्तन लाने में सहायक है । शिक्षा व्यक्ति को तर्क के आधार पर सत्य-असत्य,
उचित-अनुचित के बीच अन्तर बताकर सत्य और उचित निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है ।
जैसा कि सारणी के तथ्यों से विदित होता है, चूँकि शिक्षित महिलायें जानती हैं कि कम आयु में विवाह
प्रजननकाल को लम्बा करने के साथ-साथ लड़की के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालता है, अतः ऐसी
महिलायें 18 वष से 21 वर्ष तक की आयु लड़की के विवाह के लिये उपयुक्त मानती हैं ।

लड़की के विवाह की आयु के सम्बन्ध में महिलाओं के दृष्टिकोण का मूल्यांकन करने
हेतु सांख्यकी माध्य को भी आधार बनाया गया जिससे प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार निरक्षर महिलायें
लड़कियों का विवाह औसतन 16.34 वर्ष की आयु में करने की पक्षधर हैं जबकि उच्च शिक्षित
महिलायें औसतन 18.33 वर्ष की आयु लड़की के विवाह के लिये उपयुक्त मानती हैं । प्राइमरी एवं
माध्यमिक शिक्षित महिलायें भी औसतन 16.93 वर्ष की आयु में लड़की का विवाह करने के पक्ष में
हैं । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा महिलाओं के दृष्टिकोण और मनोवृत्ति का समयानुकूल
परिवर्तित करने में सहायक है, क्योंकि 65 प्रतिशत उच्च शिक्षित महिलायें 18 से 21 वर्ष या उससे
भी अधिक आयु में लड़की का विवाह करने की पक्षधर हैं ।

महिलाओं के शैक्षिक स्तर का लड़की के विवाह की सर्वोत्तम आयु से सम्बन्धित
दृष्टिकोण का मूल्यांकन करने हेतु काई-स्क्वायर परीक्षण भी किया गया जो .01 सम्भाविता स्तर पर
सार्थक है ।

(ब) महिलाओं द्वारा वांछित लड़की के विवाह की सर्वोत्तम आयु एवं उनका जातीय स्तर-

महिलाओं द्वारा वांछित लड़की के विवाह की सर्वोत्तम आयु का विवरण महिलाओं के जातीय स्तर के आधार पर प्रस्तुत है ।

सारणी 6.2(ब)

महिलाओं के जातीय स्तर के अनुसार उनके द्वारा वांछित लड़कियों के विवाह की सर्वोत्तम आयु

जातीय स्तर	लड़की के विवाह की सर्वोत्तम आयु			योग	माध्य
	15-17	18-20	21+		
उच्च	23	27	10	60	18.35
	%(34)	(49)	(17)	(100)	
मध्यम	80	35	05	120	17.13
	%(67)	(29)	(04)	(100)	
निम्न	192	28	00	220	16.38
	%(87)	(13)	(00)	(100)	
योग-	295	90	15	400	16.90

काई-स्क्वायर (x^2) मूल्य = 53.42

काई-स्क्वायर (x^2) सारणी मूल्य = 9.49-.05

=13.28-.01

.01 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है ।

सारणी 6.2(ब) के आँकलन से इस तथ्य पर प्रकाश पड़ता है कि महिलाओं का जातीय स्तर का प्रभाव उनके द्वारा मान्य, लड़की के विवाह की आयु पर भी देखा जा सकता है । उच्चजाति

की 34 प्रतिशत महिलायें विवाह की सर्वोत्तम आयु 15-17 वर्ष को ही उपयुक्त मानती हैं, जबकि 49 प्रतिशत महिलायें 18-20 वर्ष की आयु में लड़की का विवाह करने की पक्षधर हैं व 17 प्रतिशत ऐसी महिलायें भी हैं जो 21 वर्ष या उससे अधिक आयु को लड़की के विवाह की सर्वोत्तम आयु मानती हैं । इस प्रकार, उच्च जाति की सर्वाधिक 66 प्रतिशत महिलायें लड़कियों का विवाह 18 वर्ष की आयु या उससे अधिक आयु में करने की पक्षधर हैं जो कि राष्ट्र की वर्तमान आवश्यकता को पूर्ण करती हैं इसके विपरीत निम्न जाति की 87 प्रतिशत महिलायें लड़कियों के विवाह हेतु 15-17 वर्ष की आयु को ही अधिक उपयुक्त मानती हैं व मात्र 13 प्रतिशत महिलाओं ने 18 से 20 वर्ष की आयु को लड़की के विवाह हेतु ठीक माना है । मध्यम जाति की 67 प्रतिशत महिलायें 15-17 की आयु में लड़की का विवाह करने की पक्षधर हैं जबकि 29 प्रतिशत महिलायें 18-20 वर्ष की आयु में लड़की का विवाह करने के पक्ष में हैं । मध्यम जाति की केवल 4 प्रतिशत महिलायें 21 या उससे भी अधिक आयु में करने की पक्षधर हैं । इस प्रकार, सारणी के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि जाति वह सांस्कृतिक आधार है जो महिलाओं के दृष्टिकोण को निश्चित रूप से प्रभावित करती है । केवल उच्च जाति की ही सर्वाधिक महिलायें 18-21 वर्ष या उसे भी अधिक में लड़की के विवाह को उपयुक्त मानती हैं । इसका मुख्य कारण है कि जातीय स्तर से उच्च होने के साथ इनका सामाजिक-आर्थिक स्तर भी अधिकांशतया उच्च स्तर का है, परिणामतः इनकी सोच पर भी प्रगतिशील विचारों एवं विवेकपूर्ण चिन्तन का प्रभाव है । साथ ही उच्च जाति की महिलायें शिक्षित होने के अतिरिक्त इस्लामी शिक्षा एवं शरीयत के नियमों से भी वाकिफ हैं जो कि इस तथ्य पर आधारित हैं कि बालिग होने के पश्चात ही (रजस्वला होने के उपरान्त) लड़की का विवाह होना चाहिये । इसके विपरीत निम्न जाति की महिलायें अशिक्षा, रूढ़िवादिता के कारण आज भी कम आयु में लड़की के विवाह की पक्षधर हैं ।

महिलाओं के जातीय स्तर का लड़की के विवाह की सर्वोत्तम आयु से सम्बन्धित दृष्टिकोण का आँकलन करने हेतु सांख्यकीय माध्य का प्रयोग भी किया गया । मध्यमान से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर प्राप्त तथ्य ये हैं - उच्च जाति की महिलायें औसतन 18.35 वर्ष की आयु में लड़की के विवाह को उपयुक्त मानती हैं जबकि निम्न जाति की महिलायें औसतन 16.38 वर्ष की आयु में लड़की का विवाह करने की पक्षधर हैं व मध्यम जाति की महिलाओं ने औसतन 17.13 वर्ष की आयु में लड़की का विवाह करने का मत व्यक्त किया । माध्य से प्राप्त निष्कर्ष भी इस तथ्य पर

बल देते हैं जातीय स्तर का प्रभाव महिलाओं पर लड़की के विवाह की सर्वोत्तम आयु से सम्बन्धित दृष्टिकोण पर पड़ता है ।

लड़की के विवाह से सम्बन्धित सर्वोत्तम आयु के सम्बन्ध में महिलाओं के विचार जानने हेतु काई-स्क्वायर द्वारा भी परीक्षण किया गया । इस परीक्षण से प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार सम्भाविता स्तर पर अन्तर सार्थक है ।

(स) महिलाओं द्वारा वांछित लड़की के विवाह की सर्वोत्तम आयु एवं व्यावसायिक स्तर-

लड़की के विवाह की सर्वोत्तम आयु के सम्बन्ध में महिलाओं के विचार उनके व्यावसायिक स्तर से भी प्रभावित थे जिनका विवरण सारणी 6.2(स) में प्रस्तुत है ।

सारणी 6.2(स)

महिलाओं के व्यावसायिक स्तर के अनुसार उनके द्वारा वांछित लड़की के विवाह की सर्वोत्तम आयु

व्यावसायिक स्तर	लड़की के विवाह की सर्वोत्तम आयु			योग	माध्य
	15-17	18-20	21+		
गृहणी	250	54	08	312	16.67
	%(88)	(10)	(02)	(100)	
सरकारी कर्मचारी	15	12	03	30	17.80
	%(50)	(48)	(02)	(100)	
निजी व्यवसाय/श्रमिक	30	24	04	58	17.66
	%(52)	(41)	(07)	(100)	
योग-	295	90	15	400	16.90

काई-स्क्वायर (x^2) मूल्य = 30.53

काई-स्क्वायर (x^2) सारणी मूल्य = 9.49-.05

=13.28-.01

.01 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है ।

सारणी 6.2(स) में अंकित विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं का व्यावसायिक स्तर उनके द्वारा वांछित लड़की के विवाह की सर्वोत्तम आयु के दृष्टिकोण को प्रभावित करता है । 88 प्रतिशत गृह कार्य से जुड़ी महिलायें लड़की के विवाह हेतु 15-17 वर्ष की आयु की पक्षधर हैं । व 10 प्रतिशत गृहणी महिलायें 18-20 वर्ष की आयुमेंही लड़की के विवाह को अनिवार्य समझती हैं जबकि केवल 2 प्रतिशत गृहणी महिलायें 21 या उससे भी अधिक आयु में विवाह करने के पक्ष में हैं इसी प्रकार 50 प्रतिशत सरकारी सेवारत महिलायें 15-17 वर्ष की आयु में लड़की का विवाह करने के पक्ष में हैं जबकि 48 प्रतिशत महिलायें लड़की के विवाह हेतु सर्वोत्तम आयु 18-20 वर्ष मानती हैं, ऐसी ही दो प्रतिशत महिलायें 21 वर्ष या उससे भी अधिक आयु में लड़की का विवाह करने के पक्ष में हैं । साथ ही, छोटे-छोटे निजी व्यवसाय एवं श्रमिक कार्य में संलग्न 52 प्रतिशत महिलायें 15-17 वर्ष की आयु को ही लड़की के विवाह के लिये आवश्यक मानती हैं व 41 प्रतिशत महिलाओं ने 18-20 वर्ष की आयु में लड़की का विवाह करने की सहमति प्रगट की है, ऐसी ही 7 प्रतिशत महिलायें लड़की का विवाह 21 वर्ष या उससे भी अधिक आयु में करने के पक्ष में हैं । सारणी के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि अधिकांश सरकारी कर्मचारी एवं अन्य व्यवसायों में संलग्न महिलायें गृहणी महिलाओं की अपेक्षा लड़की का विवाह अधिक आयु में करने के पक्ष में हैं । ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश आत्मनिर्भर महिलायें शिक्षित हैं, एवं प्रगतिशील विचारों की समर्थक हैं, साथ ही, सरकारी कर्मचारी महिलाओं के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह भी पाया गया कि इनका दृष्टिकोण लड़कियों को विवाह से पूर्व शिक्षित एवं स्वावलम्बी बनाने से सम्बन्धित है । इसके अतिरिक्त ऐसी महिलायें यह भी जानती हैं कि कम आयु में विवाह लड़की के स्वास्थ्य हेतु भी हानिकारक होता है ।

व्यावसायिक स्तर का लड़की के विवाह सम्बन्धी महिलाओं के दृष्टिकोण पर प्रभाव का आँकलन करने के उद्देश्य से सांख्यकीय माध्य को भी आधार बनाया गया, जिससे प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार गृहणी महिलायें औसतन 16.67 वर्ष की आयु में लड़की का विवाह करने की पक्षधर हैं जबकि सरकारी सेवारत महिलायें औसतन 17.80 वर्ष की आयु में लड़की का विवाह करने की इच्छुक हैं । वहीं निजी व्यवसाय एवं श्रमिक महिलाओं ने 17.66 की आयु में लड़की के विवाह को उपयुक्त

माना है । इस प्रकार माध्य से पाप्त निष्कर्ष भी इस प्रकार के संकेत देते हैं कि वास्तव में व्यवसाय का महिलाओं के दृष्टिकोण पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है ।

महिलाओं से लड़की के विवाह सम्बन्धी आयु का व्यवसाय से सम्बन्ध जानने के लिये काई-स्क्वायर टेस्ट भी ज्ञात किया गया जिसमें सम्भाविता स्तर पर अन्तर सार्थक है ।

(द) महिलाओं द्वारा वांछित लड़की के विवाह की सर्वोत्तम आयु एवं उनका पारिवारिक स्तर-

महिलाओं द्वारा वांछित लड़की के विवाह की सर्वोत्तम आयु का दृष्टिकोण उनके पारिवारिक स्तर से भी प्रभावित होता है जिसे सारणी 6.2(द) में प्रस्तुत किया गया है ।

सारणी 6.2(द)

महिलाओं के पारिवारिक स्तर के अनुसार उनके द्वारा वांछित लड़कियों के विवाह की सर्वोत्तम आयु

पारिवारिक स्तर	लड़की के विवाह की सर्वोत्तम आयु			योग	माध्य
	15-17	18-20	21+		
एकाकी	181	78	10	269	17.09
	%(67)	(29)	(04)	(100)	
संयुक्त	114	12	05	131	16.50
	%(87)	(09)	(04)	(100)	
योग-	295	90	15	400	16.90

काई-स्क्वायर (x^2) मूल्य = 20.06

काई-स्क्वायर (x^2) सारणी मूल्य = 9.49-.05

=13.28-.01

.01 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है ।

सारणी 6.2(द) में अंकित आँकड़ों का आँकलन करने से यह सिद्ध हो जाता है कि महिलाओं द्वारा वांछित लड़की के विवाह की आयु से सम्बन्धित दृष्टिकोण उनके पारिवारिक स्तर से प्रभावित होता है । एकाकी परिवार में रहने वाली 67 प्रतिशत महिलायें लड़की का विवाह 15-17 वर्ष की आयु में करने के पक्ष में हैं जबकि सर्वाधिक 87 प्रतिशत महिलायें जो कि संयुक्त परिवार में रहने वाली हैं लड़की का विवाह 15 से 17 वर्ष की आयु में करने की इच्छुक हैं । साथ ही, 29 प्रतिशत एकाकी परिवार में रहने वाली महिलायें 18-20 वर्ष की आयु में लड़की का विवाह करने की पक्षधर हैं एवं ऐसी ही 4 प्रतिशत महिलायें 21 वर्ष या उससे भी अधिक आयु में लड़की का विवाह करने के पक्ष में हैं । इसी प्रकार, संयुक्त परिवार में रहने वाली मात्र 9 प्रतिशत महिलाओं ने 18-20 वर्ष की आयु में लड़की के विवाह को उपयुक्त माना है एवं 4 प्रतिशत महिलायें ऐसी भी हैं जो 21 वर्ष या उससे भी अधिक आयु में लड़की का विवाह करने की पक्षधर हैं । इस प्रकार सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि एकाकी परिवारों में संयुक्त परिवार की अपेक्षा महिलाओं की मानसिक विचारधारा प्रगतिशील विचारों से सम्बन्धित है इसका मुख्य कारण है एकाकी परिवार में रहने वाली महिलायें अपने निर्णय लेने हेतु स्वतन्त्र होती हैं जबकि संयुक्त परिवार में रहने वाली महिलाओं की सोच पर परिवार के अन्य सदस्यों के विचार एवं सोच का प्रभाव होता है वह आत्म निर्णय हेतु स्वतन्त्र नहीं होतीं ।

महिलाओं द्वारा वांछित लड़की के विवाह की सर्वोत्तम आयु के दृष्टिकोण पर पारिवारिक स्तर के प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु सांख्यकीय माध्य को भी आधार बनाया गया । माध्य से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर एकाकी परिवार की महिलायें औसतन 17.09 वर्ष की आयु में लड़की के विवाह के पक्ष में हैं जबकि संयुक्त परिवार में रहने वाली औसतन 16.50 वर्ष की आयु में लड़की का विवाह करने की पक्षधर हैं । इस प्रकार माध्य से पाप्त निष्कर्ष भी इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि पारिवारिक स्तर का प्रभाव महिलाओं के दृष्टिकोण पर पड़ता है ।

पारिवारिक स्तर का महिलाओं द्वारा वांछित लड़की के विवाह की सर्वोत्तम आयु पर प्रभाव का काई-स्क्वायर परीक्षण भी किया जो .01 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है ।

उक्त विश्लेषण से सिद्ध हो जाता है कि लड़की के विवाह की सर्वोत्तम आयु के सम्बन्ध में महिलाओं के विचार शिक्षा, जाति, व्यवसाय एवं पारिवारिक स्तर से प्रभावित होते हैं ।

3- लड़के के विवाह की आयु के सम्बन्ध में महिलाओं का दृष्टिकोण-

महिलाओं से तीसरा प्रश्न किया गया था कि "आपके विचार में लड़के के विवाह की सर्वोत्तम आयु क्या है?" ऐसे प्रश्नों से महिलाओं के विचारों पर उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है । महिलाओं से लड़की के विवाह की सर्वोत्तम आयु के सम्बन्ध में उनके दृष्टिकोण जानने के साथ-साथ लड़कों के विवाह की सर्वोत्तम आयु के सम्बन्ध में उनके विचारों को जानने का प्रयास किया गया है । जैसा कि पहले से ही स्पष्ट है कि विवाह की आयु का प्रजननता से घनिष्ठ सम्बन्ध है । यदि लड़कों का विवाह शीघ्र या कम आयु में होता है तो निश्चित रूप से कन्या की आयु भी कम ही होगी, परिणामतः दम्पत्ति को एक लम्बा समय लगभग 30 वर्ष की अवधि जननकाल की प्राप्त हो जाती है और इस लम्बे काल में अधिक बच्चों के जन्म की सम्भावना बनी रहती है । जिस देश में कम आयु में विवाह का चलन होगा वहाँ निश्चित रूप से उच्च प्रजनन-दर होगी । इसका सर्वोत्तम उदाहरण भारतवर्ष ही है । विकसित देश जहाँ अधिक आयु में विवाह होते हैं वहाँ प्रजनन-दर भी निम्न स्तर की है । इसी कारण भारतवर्ष में तीव्र रूप से बढ़ रही जनसंख्या को नियंत्रित करने हेतु लड़की एवं लड़के के विवाह की आयु 18 एवं 21 वर्ष निर्धारित की गई है । इस प्रश्न के द्वारा मुस्लिम महिलाओं से उनके द्वारा वांछित लड़के के विवाह की आयु को जानने का प्रयास किया गया जिसका विवरण सारणी 6.3 में प्रस्तुत है ।

सारणी 6.3

महिलाओं द्वारा वांछित लड़के के विवाह की सर्वोत्तम आयु

लड़के के विवाह की सर्वोत्तम आयु	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत
15-17	45	11
18-20	255	64
21 एवं अधिक	100	25
योग-	400	100

सारणी 6.3 में अंकित आँकड़ों से विदित होता है कि सर्वाधिक 64 प्रतिशत महिलायें लड़कों का विवाह 18-20 वर्ष की आयु में करने की पक्षधर हैं जबकि 25 प्रतिशत महिलायें लड़कों के विवाह की सर्वोत्तम आयु 21 वर्ष एवं उससे भी अधिक में करने के पक्ष में हैं । मात्र 11 प्रतिशत ऐसी महिलायें हैं जो लड़के के विवाह हेतु 15-17 वर्ष की आयु को अधिक उपयुक्त मानती हैं । सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि आज भी मुस्लिम महिलायें लड़कों का विवाह भी कम ही आयु में करने की पक्षधर हैं जो राष्ट्रीय माँग के प्रतिकूल है । इसका मुख्य कारण है महिलाओं का पिछड़ा हुआ सामुदायिक परिवेश । अधिकांश महिलायें निरक्षर एवं निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर का जीवन व्यतीत कर रही हैं साथ ही उनकी मानसिकता भी निम्न स्तर की है । महिलाओं के इस दृष्टिकोण के पीछे छिपे अन्य कारणों का विश्लेषण करने हेतु चार चरों के आधार पर मूल्यांकन किया गया है । ये आधार हैं- शिक्षा, जाति, व्यवसाय एवं पारिवारिक स्तर आदि । प्राप्त तथ्यों का विवरण इस प्रकार है ।

(अ) महिलाओं द्वारा वांछित लड़के के विवाह की सर्वोत्तम आयु एवं उनका शैक्षिक स्तर-

महिलाओं द्वारा वाछित लड़के के विवाह की सर्वोत्तम आयु का विवरण उनके शैक्षिक स्तर के आधार पर सारणी 6.3(अ) में प्रस्तुत है ।

सारणी 6.3(अ)

महिलाओं के शैक्षिक स्तर के अनुसार उनके द्वारा वांछित लड़के के विवाह की सर्वोत्तम आयु

शैक्षिक स्तर	लड़के के विवाह की सर्वोत्तम आयु			योग	माध्य
	15-17	18-20	21+		
निरक्षर	30 %(15)	158 (82)	04 (03)	192 (100)	18.59
प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित	10 %(08)	70 (51)	56 (41)	136 (100)	20.01
उच्च शिक्षित	05 %(09)	27 (37)	40 (56)	72 (100)	20.46
योग-	45	255	100	400	19.41

काई-स्क्वायर (χ^2) मूल्य = 109.09
काई-स्क्वायर (χ^2) सारणी मूल्य = 9.49-.05
=13.28-.01

.01 स्तर पर अन्तर सार्थक है ।

सारणी 6.3(अ) से संकेत मिलता है कि महिलाओं द्वारा वांछित लड़के के विवाह की सर्वोत्तम आयु के सम्बन्ध में महिलाओं के विचार उनके शैक्षिक स्तर से प्रभावित हैं । 15 प्रतिशत निरक्षर महिलायें लड़के का विवाह 15-17 वर्ष की आयु में करने की पक्षधर हैं, जबकि 82 प्रतिशत ऐसी महिलायें लड़के के विवाह हेतु 18-20 वर्ष की आयु को उपयुक्त समझती हैं । मात्र 03 प्रतिशत निरक्षर महिलायें ही लड़के का विवाह 21 वर्ष या उससे भी अधिक आयु में करने के पक्ष में हैं । 8 प्रतिशत प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित महिलायें ही लड़के के विवाह की सर्वोत्तम आयु 15 से 17 वर्ष स्वीकार करती हैं, 51 प्रतिशत कम शिक्षित महिलायें लड़के का विवाह 18-20 वर्ष की आयु में करने की पक्षधर हैं जबकि ऐसी ही 41 प्रतिशत महिलायें लड़के का विवाह 21 वर्ष या इससे अधिक आयु में करने के पक्ष में हैं । 7 प्रतिशत महिलायें जो कि उच्च शिक्षित हैं लड़के के विवाह हेतु 15-17 वर्ष की आयु उपयुक्त मानती हैं ऐसी ही 37 प्रतिशत महिलायें लड़के का विवाह 18-20 वर्ष की आयु में व 56 प्रतिशत महिलायें 21 वर्ष या उससे भी अधिक आयु में लड़के का विवाह करने की पक्षधर हैं । सारणी के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि अधिकांश उच्च शिक्षित महिलायें लड़के का विवाह 21 वर्ष एवं उससे अधिक आयु में करने के पक्ष में हैं । कम शिक्षित महिलायें भी निरक्षर महिलाओं की अपेक्षा अधिक आयु में करने की पक्षधर हैं । महिलाओं के इस दृष्टिकोण पर शिक्षा के प्रभाव का मुख्य कारण है । शिक्षा, जो कि व्यक्ति को अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाती है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति अंधविश्वास और रूढ़ियों से विमुक्त हो विवेकपूर्ण मार्ग खोज लेता है । अतः इसी कारण जैसे-जैसे महिलाओं में शिक्षा का स्तर बढ़ता है उनकी मानसिकता में भी परिवर्तन आ जाता है ।

लड़के के विवाह की सर्वोत्तम आयु से सम्बन्धित दृष्टिकोण पर शिक्षा का प्रभाव ज्ञात करने हेतु सांख्यकीय माध्य को आधार बनाया गया जिससे प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार निरक्षर महिलायें लड़के के विवाह की सर्वोत्तम आयु औसतन 18.59 वर्ष स्वीकार करती हैं जबकि माध्यमिक शिक्षित महिलाओं ने लड़कों के विवाह की आयु औसतन 20.01 ही उपयुक्त मानी है । उच्च शिक्षित महिलायें लड़कों के विवाह हेतु औसतन 20.46 वर्ष की आयु में करने की पक्षधर हैं इस प्रकार सांख्यकीय माध्य से प्राप्त तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि महिलाओं द्वारा वांछित लड़के के विवाह की सर्वोत्तम आयु के सम्बन्ध में महिलाओं का दृष्टिकोण उनके शैक्षिक स्तर से प्रभावित होता है ।

इस दृष्टिकोण का काई-स्क्वायर द्वारा परीक्षण करने पर सम्भाविता स्तर पर अन्तर अत्याधिक सार्थक प्राप्त होता है ।

(ब) महिलाओं द्वारा वांछित लड़के के विवाह की आयु एवं उनका जातीय स्तर-

महिलाओं के इस दृष्टिकोण पर उनके जातीय स्तर के पड़ने वाले प्रभाव का विवरण सारणी 6.3(ब) में प्रस्तुत किया गया है ।

सारणी 6.3(ब)

महिलाओं के जातीय स्तर के अनुसार उनके द्वारा वांछित लड़के के विवाह की सर्वोत्तम आयु

जातीय स्तर	लड़के विवाह की सर्वोत्तम आयु			योग	माध्य
	15-17	18-20	21+		
उच्च	05	30	25	60	20.00
	%(08)	(50)	(42)	(100)	
मध्यम	10	75	35	120	19.62
	%(08)	(62)	(30)	(100)	
निम्न	30	150	40	220	19.14
	%(14)	(68)	(18)	(100)	
योग-	45	255	100	400	19.41

काई-स्क्वायर (x^2) मूल्य = 16.54

काई-स्क्वायर (x^2) सारणी मूल्य = 9.49-.05

=13.28-.01

.01 सम्भाविता स्तर पर अन्तर सार्थक है ।

सारणी 6.3(ब) के विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं के लड़कों के विवाह की आयु सम्बन्धी दृष्टिकोण पर उनके जातीय स्तर का प्रभाव पड़ता है । उच्च जाति की मात्र 8 प्रतिशत महिलायें लड़कों का विवाह 15-17 वर्ष की आयु में करने के पक्ष में हैं जबकि 50 प्रतिशत महिलायें 18-20 वर्ष की आयु में लड़के का विवाह करने की पक्षधर हैं । ऐसी ही 42 प्रतिशत महिलायें 21 वर्ष एवं उससे भी अधिक आयु में लड़के के विवाह को उपयुक्त मानती हैं । साथ ही मध्यम जाति में 8 प्रतिशत महिलायें लड़कों का विवाह 15-17 वर्ष की आयु में करने का मत व्यक्त करती हैं जबकि 62 प्रतिशत महिलायें 18-20 वर्ष की आयु में ही लड़के के विवाह को आवश्यक मानती हैं और 30 प्रतिशत महिलायें 21 वर्ष या उससे भी अधिक में लड़के का विवाह करने की पक्षधर हैं । इसी प्रकार निम्न जाति की 14 प्रतिशत महिलायें लड़के का विवाह 15-17 वर्ष की आयु में एवं 68 प्रतिशत महिलायें 18-20 वर्ष की आयु में करने की पक्षधर हैं मात्र 18 प्रतिशत महिलायें लड़के का विवाह 21 वर्ष एवं उससे भी अधिक आयु में करने की पक्षधर हैं । उक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि जाति का प्रभाव महिलाओं के लड़के के विवाह की सर्वोत्तम आयु सम्बन्धी दृष्टिकोण पर पड़ता है । इसका कारण सम्भवतः जातीय स्तरीकरण हैं, जाति सामाजिक स्तरीकरण का वह आधार है जो समाज को उच्च अथवा निम्न संस्तरणात्मक व्यवस्था प्रदान करती है उच्च जाति के लोगों को समाज में उच्च सामाजिक-आर्थिक स्तर प्राप्त होता है, परिणामतः उनकी सोच पर ऐसा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है । निम्न जातीय स्तर के लोग अशिक्षा के कारण अंधविश्वास एवं पुरानी मान्यताओं व रूढ़ियों के पोषक होते हैं अतः उनका सामाजिक आर्थिक स्तर भी निम्न होता है और इसीतरह की निम्न स्तरीय मानसिकता से ग्रसित होकर वह अपनी मनोवृत्तियों को विकसित करते हैं ।

महिलाओं के जातीय स्तर के अनुसार उनके द्वारा वांछित लड़के के विवाह की सर्वोत्तम आयु का विश्लेषण करने हेतु मध्यमान भी ज्ञात किया गया जिससे प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार समस्त महिलाओं द्वारा वांछित लड़के के विवाह की औसत आयु 19.41 वर्ष मानी गई है । उच्च जातीय स्तर की महिलायें लड़के का विवाह औसतन 20.00 वर्ष की आयु में करने की पक्षधर हैं जबकि मध्यम जातीय स्तर की महिलायें 19.62 वर्ष की आयु में लड़के का विवाह करने के पक्ष में हैं व निम्न

जातीय स्तर की महिलायें 19.14 वर्ष की आयु को लड़के के विवाह की सर्वोत्तम आयु मानती हैं ।

सांख्यकीय माध्य से प्राप्त निष्कर्ष भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि महिलाओं के लड़के के विवाह की सर्वोत्तम आयु सम्बन्धी दृष्टकोण पर उनके जातीय स्तर पर प्रभाव पड़ता है ।

महिलाओं के जातीय स्तर का उनके द्वारा वांछित लड़के के विवाह की आयु से सम्बन्धित दृष्टिकोण पर पड़ने वाले प्रभाव का आँकलन करने हेतु काई-स्क्वायर परीक्षण भी ज्ञात किया गया जो .01 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है ।

[स] महिलाओं द्वारा वांछित लड़के के विवाह की आयु एवं उनका व्यावसायिक स्तर-

महिला द्वारा वांछित लड़के के विवाह की सर्वोत्तम आयु से सम्बन्धित दृष्टिकोण को उनका व्यावसायिक स्तर भी प्रभावित करता है, जिसे सारणी 6.3[स] में प्रस्तुत किया गया है ।

सारणी 6.3[स]

महिलाओं के व्यावसायिक स्तर के अनुसार उनके द्वारा वांछित लड़के के विवाह की सर्वोत्तम आयु

व्यावसायिक स्तर	लड़के के विवाह की सर्वोत्तम आयु			योग	माध्य
	15-17	18-20	21+		
गृहणी	40	200	72	312	19.31
	%(13)	(64)	(23)	(100)	
सरकारी कर्मचारी	00	20	10	30	20.00
	%(00)	(67)	(33)	(100)	
निजी व्यवसाय/श्रमिक	05	35	18	58	19.67
	%(04)	(60)	(31)	(100)	
योग-	45	255	100	400	19.67

काई-स्क्वायर (x^2) मूल्य = 6.68

काई-स्क्वायर (x^2) सारणी मूल्य = 9.49-.05

= 13.28-.01

सार्थक नहीं ।

सारणी 6.3(स) के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि महिलाओं द्वारा वांछित लड़के के विवाह की सर्वोत्तम आयु से सम्बन्धित दृष्टिकोण पर उनके व्यवसाय का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है । घरेलू काम-काज से जुड़ी 13 प्रतिशत महिलायें लड़के का विवाह 15-17 वर्ष की आयु में करने के पक्ष में हें जबकि ऐसे ही 64 प्रतिशत महिलायें 18-20 वर्ष की आयु में लड़के का विवाह करने की पक्षधर हैं व 23 प्रतिशत गृहणी महिलायें लड़के के विवाह की सर्वोत्तम आयु 21 वर्ष या उससे भी अधिक मानती हैं । इसी प्रकार सरकारी कर्मचारी महिलाओं में से सर्वाधिक 67 प्रतिशत ने 18-20 वर्ष की आयु में लड़के का विवाह करने का मत व्यक्त किया है जबकि 33 प्रतिशत ऐसी ही महिलायें 21 वर्ष या उससे भी अधिक आयु में लड़के का विवाह करने की पक्षधर हैं परन्तु सरकारी काम-काज से जुड़ी किसी भी महिला ने 15-17 वर्ष की आयु में लड़के का विवाह करने की इच्छा व्यक्त नहीं की । साथ ही, निजी व्यवसाय व श्रमिक कार्यो में संलग्न 9 प्रतिशत महिलायें लड़के का विवाह 15-17 वर्ष की आयु में करने की पक्षधर हैं जबकि 60 प्रतिशत महिलायें 18-20 वर्ष की आयु में लड़के का विवाह करने के पक्ष में हैं एवं 31 प्रतिशत ऐसी ही महिलायें 21 वर्ष या उससे भी अधिक आयु में लड़के का विवाह करने की इच्छुक हैं । इस प्रकार सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि अधिकांश महिलायें चाहे वे आत्मनिर्भर हों या गृहणी लड़के का विवाह 20 वर्ष या उससे भी अधिक आयु में करने की पक्षधर हैं, क्योंकि लड़के के विवाह की आयु के सम्बन्ध में महिलाओं का विचार है कि जब लड़का आर्थिक दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर हो जाये तभी उसका विवाह करना चाहिये । साथ ही सरकारी काम-काज से जुड़ी महिलायें अन्य महिलाओं की अपेक्षा लड़के का विवाह 21 वर्ष से अधिक आयु में करने के पक्ष में हैं ।

इस दृष्टिकोण का प्रभाव ज्ञात करने हेतु उनका सांख्यकीय माध्य ज्ञात किया गया जिससे प्राप्त निष्कर्षो के अनुसार लड़के के विवाह की औसत आयु 19.40 है । गृहणी महिलायें लड़के का विवाह औसतन 19.31 वर्ष की आयु में करना ही उपयुक्त समझती हैं जबकि औसतन 20.00 वर्ष की आयु में लड़के का विवाह करने की समर्थक सरकारी कर्मचारी महिलायें हैं । इसी प्रकार निजी व्यवसाय एवं श्रमिक कार्यो से जुड़ी महिलायें औसतन 19.67 वर्ष की आयु में लड़के का विवाह करने की पक्षधर हैं । सांख्यकीय माध्य से प्राप्त निष्कर्षो से संकेत मिलता है कि विभिन्न

वर्गों से सम्बन्धित महिलाओं के लड़के के विवाह से सम्बन्धित दृष्टिकोणी में कोई विशेष अन्तर नहीं है ।

महिलाओं द्वारा वांछित लड़के के विवाह की सर्वोत्तम आयु सम्बन्धी दृष्टिकोण पर उनके व्यावसायिक स्तर के प्रभाव का काई-स्क्वायर द्वारा परीक्षण करने पर भी .05 एवं .01 सम्भाविता स्तर पर अन्तर सार्थक नहीं था ।

(द) महिलाओं द्वारा वांछित लड़के के विवाह की सर्वोत्तम आयु एवं उनका पारिवारिक स्तर -

महिलाओं द्वारा वांछित लड़के के विवाह की सर्वोत्तम आयु से सम्बन्धित दृष्टिकोण पर पारिवारिक स्तर के प्रभाव का विवरण सारणी 6.3(द) में प्रस्तुत किया गया है ।

सारणी 6.3(द)

महिलाओं के पारिवारिक स्तर के अनुसार उनके द्वारा वांछित लड़के के विवाह की सर्वोत्तम आयु

पारिवारिक स्तर	लड़के के विवाह की सर्वोत्तम आयु			योग	माध्य
	15-17	18-20	21+		
एकाकी	15	165	89	269	19.82
	%(06)	(61)	(33)	(100)	
संयुक्त	30	90	11	131	18.57
	%(23)	(69)	(08)	(100)	
योग-	45	255	100	400	19.49

काइ-स्क्वायर (x^2) मूल्य = 45.70

काई-स्क्वायर (x^2) सारणी मूल्य = 9.49-.05

=13.28-.01

.01 सम्भाविता स्तर पर अन्तर सार्थक है ।

सारणी 6.3(द) के अध्ययन से संकेत मिलता है कि महिलाओं का पारिवारिक स्तर उनके लड़के के विवाह की सर्वोत्तम आयु से सम्बन्धित दृष्टिकोण को प्रभावित करता है । एकाकी परिवार की मात्र 6 प्रतिशत महिलायें लड़के का विवाह 15-17 वर्ष की आयु में करने की पक्षधर हैं जबकि संयुक्त परिवार की 23 प्रतिशत महिलायें 15-17 वर्ष की आयु में लड़के का विवाह करने के पक्ष में हैं । इसी प्रकार 33 प्रतिशत महिलायें जो कि एकाकी परिवारों में रह रही हैं वे लड़के का विवाह 21 वर्ष या उससे भी अधिक आयु में ही उपयुक्त मानती हैं जबकि संयुक्त परिवार की मात्र 8 प्रतिशत महिलाओं ने लड़के का विवाह 21 वर्ष या उससे भी अधिक आयु में करने की पक्षधर हैं । साथ ही, 61 प्रतिशत एकाकी परिवार की महिलायें लड़के के विवाह हेतु 18-20 वर्ष की आयु को उपयुक्त मानती हैं इसके विपरीत संयुक्त परिवार की 69 प्रतिशत महिलायें लड़के का विवाह 18-20 वर्ष की आयु में करने के पक्ष में हैं । इस प्रकार सारणी के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि निश्चित रूप से महिलाओं की लड़के के विवाह की सर्वोत्तम आयु के सन्दर्भ में उनकी मनोवृत्तियाँ उनके पारिवारिक स्तर से प्रभावित होती है क्योंकि एकाकी परिवार की महिलायें संयुक्त परिवार की महिलाओं की अपेक्षा व्यक्तिगत रूप से अधिक स्वतन्त्र होती हैं व समझती हैं कि पारिवारिक जिम्मेदारी के निर्वाह हेतु आर्थिक आत्म-निर्भरता आवश्यक है, अतः वे लड़के का विवाह उसके स्वावलम्बी होने के पश्चात ही करने के पक्ष में हैं जबकि संयुक्त परिवारों में लड़कों के स्वावलम्बी होने से पहले शादी करने में काई बाधा नहीं होती । महिलाओं के इस दृष्टिकोण का पारिवारिक स्तर से सम्बन्ध ज्ञात करने हेतु सांख्यकीय मध्यमान का भी प्रयोग किया गया जिसके अनुसार लड़के के विवाह की औसत आयु 19.41 है, जिसमें एकाकी परिवार की महिलायें औसतन 19.82 वर्ष की आयु में लड़के का विवाह करने के पक्ष में है जबकि संयुक्त परिवार की महिलाओं ने औसतन 18.57 वर्ष की आयु में लड़के का विवाह करने की इच्छा व्यक्त की है । अतः इन निष्कर्षों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि महिलाओं द्वारा वांछित लड़के के विवाह की सर्वोत्तम आयु के दृष्टिकोण पर उनके पारिवारिक स्तर का प्रभाव पड़ता है ।

महिलाओं का लड़के के विवाह के सम्बन्ध में वांछित दृष्टिकोण पर पारिवारिक स्तर का प्रभाव देखने के लिये काइ-स्क्वायर परीक्षण भी किया गया जो .01 प्रतिशत सम्भाविता स्तर पर अत्याधिक सार्थक है ।

इस प्रकार उक्त समस्त विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं द्वारा वांछित लड़के के विवाह की सर्वोत्तम आयु सम्बन्धी दृष्टिकोण पर शिक्षा, जाति, व्यवसाय एवं परिवार सभी आधारों का प्रभाव पड़ता है ।

4- विवाह और पहले जन्म के बीच अन्तर के सम्बन्ध में महिलाओं का दृष्टिकोण--

महिलाओं से चौथा प्रश्न किया गया कि "आपके विचार में विवाह और पहले बच्चे के जन्म के बीच कितना अन्तर होना चाहिये ।" ऐसे प्रश्नों से सम्बन्धित महिलाओं के विचार उनकी साँस्कृतिक पृष्ठभूमि से सम्बन्धित होते हैं तथा उनके पारिवारिक आकार सम्बन्धी दृष्टिकोण के निर्धारण में सहायक होते हैं । विवाह एवं पहले बच्चे के जन्म के बीच अन्तर का दृष्टिकोणी महिला के जनन-काल को प्रभावित करता है । यह निश्चित है कि यदि विवाह और पहले जन्म के बीच अन्तर कम होगा तो महिला की प्रजनन-दर बढ़ेगी और यदि यह अन्तर लम्बा होगा तो वह घट जायेगी । महिलाओं के इस दृष्टिकोण का निर्धारण उनके सामाजिक-आर्थिक-साँस्कृतिक परिवेश के अनुरूप ही होता है तथा इसी के आधार पर महिलाओं के प्रजनन व्यवहार का निर्धारण होता है । अतः यहाँ इस तथ्य का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है कि विभिन्न महिलाओं का विवाह एवं प्रथम जन्म के सम्बन्ध में क्या दृष्टिकोण है । इसे सारणी 6.4 में प्रस्तुत किया गया है ।

सारणी 6.4

महिलाओं द्वारा वंछित विवाह एवं पहले बच्चे के जन्म के बीच अन्तर

विवाह एवं प्रथम जन्म के बीच अन्तर (वर्षो में)	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत
1-2	225	56
3-4	150	38
5-6	25	06
योग-	400	100

सारणी 6.4 से संकेत मिलता है कि सर्वाधिक 56 प्रतिशत महिलायें विवाह और प्रथम जन्म के बीच 1-2 वर्ष का अन्तर ही उपयुक्त मानती है जबकि 38 प्रतिशत महिलायें विवाह एवं पहले बच्चे के जन्म के बीच 3-4 वर्ष के अन्तर की पक्षधर हैं । मात्र 06 प्रतिशत महिलायें ऐसी हैं जो विवाह एवं प्रथम जन्म के बीच 5-6 वर्ष का अन्तर आवश्यक समझती हैं । सारणी के विश्लेषण से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अधिकांश मुस्लिम महिलायें विवाह एवं प्रथम जन्म के बीच कम अवधि के अन्तर को महत्व देती हैं और शायद इसीलिये मुस्लिम महिलाओं में अधिक प्रजनन-दर भी पायी जाती है । महिलाओं के इस दृष्टिकोण के पीछे छिपे कारण हैं- अशिक्षा, रहन-सहन का निम्न स्तर, सामुदायिक पिछड़ापन एवं निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर । अतः यहाँ महिलाओं के इस दृष्टिकोण का आँकलन करने हेतु शिक्षा, जाति, व्यवसाय एवं पारिवारिक स्तर जैसे आधारों को लिया गया एवं यह जानने का प्रयास किया गया कि यह आधार किस प्रकार महिलाओं के दृष्टिकोण को परिवर्तित करते हैं । प्राप्त परिणामों का विवरण इस प्रकार है ।

(अ) महिलाओं द्वारा वांछित विवाह एवं पहले बच्चे के जन्म के बीच अन्तर एवं उनका शैक्षिक स्तर-

इस दृष्टिकोण पर महिलाओं के शैक्षिक स्तर का प्रभाव सारणी 6.4(अ) में प्रस्तुत है।

सारणी 6.4(अ)

महिलाओं के शैक्षिक स्तर के अनुसार उनके द्वारा वांछित विवाह और पहले बच्चे के जन्म के बीच अन्तर

शैक्षिक स्तर	विवाह एवं प्रथम जन्म के बीच अन्तर			योग	माध्य
	1-2	3-4	5-6		
निरक्षर	160 %(83)	32 (17)	00 (00)	192 (100)	1.83
प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित	55 %(40)	71 (52)	10 (08)	136 (100)	2.84
उच्च शिक्षित	10 %(14)	47 (65)	15 (21)	72 (100)	3.63
योग-	225	150	25	400	2.50

काई-स्क्वायर (x^2) मूल्य = 135.23
काई-स्क्वायर (x^2) सारणी मूल्य = 9.49-.05
=13.28-.01
.01 सम्भाविता स्तर पर अन्तर सार्थक है ।

सारणी 6.4(अ) से स्पष्ट होता है कि महिलाओं के विवाह एवं प्रथम जन्म के बीच अन्तर से सम्बन्धित दृष्टिकोण पर उनके शैक्षिक स्तर का प्रभाव पड़ता है । 83 प्रतिशत निरक्षर महिलायें विवाह एवं पहले बच्चे के जन्म के बीच 1-2 वर्ष के अन्तर को ही अधिक उपयुक्त मानती हैं जबकि इसके विपरीत उच्च शिक्षित महिलाओं में केवल 14 प्रतिशत ही विवाह एवं प्रथम जन्म के बीच 1-2 वर्ष के अन्तर को स्वीकार करती हैं जबकि 40 प्रतिशत प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित महिलायें भी 1-2 वर्ष के अन्तर के पक्ष में हैं । इसी प्रकार मात्र 17 प्रतिशत महिलायें जो कि निरक्षर हैं 3-4 वर्ष का ही विवाह एवं पहले बच्चे के जन्म के अन्तर हेतु उपयुक्त समझती हैं जबकि 65 प्रतिशत उच्च शिक्षित महिलाओं ने विवाह एवं पहले बच्चे के जन्म के बीच 3-4 वर्ष के अन्तर को अधिक उपयुक्त माना है । वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये 52 प्रतिशत कम शिक्षित महिलायें भी 3-4 वर्ष के अन्तर की पक्षधर हैं । एक भी निरक्षर महिला ने 5-6 वर्ष के अन्तराल को विवाह एवं पहले जन्म के बीच अन्तर हेतु उपयुक्त नहीं माना जबकि 21 प्रतिशत उच्च शिक्षित महिलायें विवाह और प्रथम जन्म के बीच 5-6 वर्ष के अन्तर की पक्षधर हैं । 08 प्रतिशत प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित महिलायें भी 5-6 वर्ष का अन्तर विवाह के उपरान्त प्रथम जन्म हेतु महत्वपूर्ण समझती हैं । इस प्रकार सारणी के विश्लेषण से विदित है कि शिक्षा वह प्रभावपूर्ण कारक है जो महिलाओं की सोच को उचित आधार प्रदान करती है तथा व्यक्ति को सामाजिक प्रथाओं एवं परम्पराओं के सम्बन्ध में भ्रान्तियों का ज्ञान कराके उचित मान्यताओं के अनुकूल कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करती है ।

महिलाओं द्वारा वांछित विवाह एवं पहले बच्चे के जन्म के बीच अन्तर से सम्बन्धित दृष्टिकोण पर शिक्षा के प्रभाव को जानने हेतु मध्यमान को भी आधार बनाया गया जिससे प्राप्त निष्कर्षो के अनुसार समस्त उत्तरदाताओं का विवाह एवं प्रथम जन्म के सम्बन्ध में औसतन 2.50 वर्ष का अन्तर है । निरक्षर महिलायें विवाह एवं प्रथम जन्म के बीच 1.83 वर्ष के अन्तर की पक्षधर हैं प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित महिलायें 2.84 वर्ष का अन्तर उपयुक्त मानती हैं । उच्च शिक्षित महिलायें इस सम्बन्ध में 3.63 वर्ष के अन्तर की पक्षधर हैं । इस प्रकार, माध्यमान से प्राप्त निष्कर्ष भी इंगित करते हैं कि महिलाओं के विवाह एवं प्रथम जन्म के बीच अन्तर से सम्बन्धित दृष्टिकोण पर उनके शैक्षिक स्तर का प्रभाव स्पष्ट है ।

महिलाओं के इस दृष्टिकोण का मूल्यांकन काई-स्क्वायर परीक्षण से ज्ञात किया गया जो .01 सम्भाविता स्तर पर अत्याधिक सार्थक है ।

(ब) महिलाओं द्वारा वांछित विवाह और पहले बच्चे के जन्म के बीच अन्तर एवं उनका जातीय स्तर-

महिलाओं के इस दृष्टिकोण पर उनके जातीय स्तर के पड़ने वाले प्रभाव का विवरण सारणी 6.4(ब) में अंकित है ।

सारणी 6.4(ब)

महिलाओं के जातीय स्तर के अनुसार उनके द्वारा वांछित विवाह और पहले बच्चे के जन्म के बीच अन्तर

जातीय स्तर	विवाह एवं प्रथम जन्म के बीच अन्तर			योग	माध्य
	1-2	3-4	5-6		
उच्च	20 %(33)	25 (42)	15 (25)	60 (100)	3.34
मध्यम	60 (50)	50 (42)	10 (08)	120 (100)	2.67
निम्न	145 %(66)	75 (34)	00 (00)	220 (100)	2.18
योग-	225	150	25	400	2.50

काई-स्क्वायर (x^2) मूल्य = 109.56

काई-स्क्वायर (x^2) सारणी मूल्य = 9.49-.05

=13.28-.01

.01 सम्भाविता स्तर पर अन्तर सार्थक है ।

सारणी 6.4(ब) से स्पष्ट होता है कि महिलाओं के विवाह एवं पहले बच्चे के जन्म के बीच अन्तर से सम्बन्धित दृष्टिकोण पर उनके जातीय स्तर का प्रभाव पड़ता है । 33 प्रतिशत उच्च जातीय स्तर की महिलाओं ने विवाह एवं प्रथम जन्म के बीच 1-2 वर्ष के अन्तर को स्वीकार किया है । 42 प्रतिशत उच्च जाति की महिलायें 3-4 वर्ष के अन्तर को अधिक उपयुक्त मानती है जबकि 25 प्रतिशत ऐसी ही महिलायें विवाह एवं पहले बच्चे के जन्म के बीच 5-6 वर्ष के अन्तर की पक्षधर हैं । इसके विपरीत मध्यम जातीय स्तर की 50 प्रतिशत महिलायें विवाह एवं पहले बच्चे के जन्म के बीच 1-2 वर्ष का अन्तर ही उपयुक्त समझती हैं और 42 प्रतिशत महिलायें ऐसी हैं जो 3-4 वर्ष के अन्तर की पक्षधर हैं एवं मात्र 08 प्रतिशत महिलायें विवाह एवं पहले बच्चे के जन्म के बीच 5-6 वर्ष के अन्तर के पक्ष में हैं । इसीप्रकार निम्न जातीय स्तर की सर्वाधिक 66 प्रतिशत महिलायें विवाह एवं प्रथम जन्म के बीच 1-2 वर्ष के अन्तर की पक्षधर हैं, एवं 34 प्रतिशत निम्न जातीय स्तर की महिलायें इस सम्बन्ध में 3-4 वर्ष के अन्तर को स्वीकार करती हैं । इस प्रकार, इस विश्लेषण से संकेत मिलता है कि निम्न जातीय स्तर की अपेक्षा उच्च जातीय स्तर की महिलायें विवाह एवं प्रथम जन्म के बीच अधिक वर्षों के अन्तर की पक्षधर हैं एवं मध्यम जातीय स्तर की महिलायें उच्च जातीय स्तर से कम परन्तु निम्न जातीय स्तर की महिलाओं से अधिक अन्तराल को स्वीकार करती हैं । इसका कारण यह है कि जातीय स्तर भी व्यक्ति के सामाजिक-आर्थिक स्तर का निर्धारण करने में सहायक होता है । अधिकांशतः उच्च जाति के लोगों को समाज में उच्च सामाजिक-आर्थिक स्तर प्राप्त होता है अतः इसी स्तर के अनुकूल उनकी विचाराधारा भी होती है ।

महिलाओं द्वारा वांछित इस दृष्टिकोण पर जातीय स्तर के प्रभाव को ज्ञात करने हेतु सांख्यकीय माध्य भी ज्ञात किया गया जिससे प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार उच्च जातीय स्तर की महिलायें विवाह एवं पहले बच्चे के जन्म के बीच औसतन 3.34 वर्ष की अवधि के अन्तर की पक्षधर हैं व मध्यम जातीय स्तर की महिलायें इस सम्बन्ध में 2.67 वर्ष के अन्तर को स्वीकार करती हैं एवं निम्न जातीय स्तर की 2.18 वर्ष की अवधि के अन्तर को विवाह एवं पहले बच्चे के जन्म हेतु अधिक उपयुक्त समझती हैं । इस प्रकार माध्य से प्राप्त निष्कर्ष भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि वास्तव में महिलाओं के दृष्टिकोण को परिवर्तित करने में जातीय स्तर भी प्रभावी कारक है ।

महिलाओं द्वारा वांछित विवाह एवं प्रथम जन्म के बीच अन्तर सम्बन्धी दृष्टिकोण पर जातीय स्तर का प्रभाव काई-स्क्वायर परीक्षण से भी स्पष्ट होता है जो कि .01 सम्भाविता स्तर पर अत्याधिक सार्थक है ।

(स) महिलाओं द्वारा वांछित विवाह एवं पहले बच्चे के जन्म के बीच अन्तर एवं उनका व्यावसायिक स्तर-

महिलाओं द्वारा वांछित विवाह एवं प्रथम जन्म के बीच अन्तर सम्बन्धी दृष्टिकोण पर उनके व्यावसायिक स्तर का प्रभाव सारणी 6.4(स) में प्रस्तुत है ।

सारणी 6.4(स)

महिलाओं के व्यावसायिक स्तर के अनुसार उनके द्वारा वांछित विवाह एवं प्रथम जन्म के बीच अन्तर

व्यावसायिक स्तर	विवाह एवं प्रथम जन्म के बीच अन्तर			योग	माध्य
	1-2	3-4	5-6		
गृहणी	187	115	10	312	2.37
	%(60)	(37)	(03)	(100)	
सरकारी कर्मचारी	05	10	15	30	4.30
	%(16)	(34)	(50)	(100)	
निजी व्यवसाय/श्रमिक	33	25	00	58	2.36
	%(57)	(43)	(00)	(100)	
योग-	225	150	25	400	2.50

काई-स्क्वायर (x^2) मूल्य = 109.56

काई-स्क्वायर (x^2) सारणी मूल्य = 9.49-.05

=13.28-.01

.01 सम्भाविता स्तर पर अन्तर सार्थक है ।

सारणी 6.4(स) से स्पश्ट परिलक्षित होता है कि महिलाओं के विवाह एवं पहले बच्चे के जन्म के बीच अन्तर से सम्बन्धित दृष्टिकोण पर उनके व्यावसायिक स्तर का प्रभाव पड़ता है । 60 प्रतिशत गृहणी महिलायें विवाह एवं प्रथम जन्म के बीच 1-2 वर्ष के अन्तर की पक्षधर हैं, 37 प्रतिशत ऐसी ही महिलायें विवाह एवं पहले बच्चे के जन्म के बीच 3-4 वर्ष के अन्तर को स्वीकार करती हैं एवं मात्र 03 प्रतिशत महिलायें इस सम्बन्ध में 5-6 वर्ष के अन्तराल को उपयुक्त मानती हैं । सरकारी सेवारत 16 प्रतिशत महिलायें विवाह एवं प्रथम जन्म के बीच 1-2 वर्ष के अन्तर को महत्वपूर्ण मानती हैं व 34 प्रतिशत सरकारी कर्मचारी महिलायें इस अन्तर हेतु 3-4 वर्ष के अन्तर को उपयुक्त मानती हैं जबकि ऐसी ही सर्वाधिक 50 प्रतिशत महिलायें विवाह एवं पहले बच्चे के जन्म के बीच 5-6 वर्ष के अन्तर की पक्षधर हैं । निजी व्यवसाय एवं श्रमिक कार्यो को करने वाली 57 प्रतिशत महिलायें विवाह एवं पहले बच्चे के जन्म के बीच 1-2 वर्ष के अन्तर के पक्ष में हैं, 43 प्रतिशत ऐसी ही महिलायें इस सम्बन्ध में 3-4 वर्ष को महत्वपूर्ण मानती हैं । इस प्रकार, इस विश्लेषण से परिलक्षित होता है कि गृहणी एवं निजी व्यवसाय में संलग्न महिलाओं की अपेक्षा सरकारी सेवारत महिलायें विवाह एवं पहले बच्चे के जन्म के बीच लम्बे अन्तराल को स्वीकार करती हैं क्योंकि वह अपनी शिक्षा एवं ज्ञान के आधार पर जानती हैं कि विवाह के तुरन्त बाद बच्चे का जन्म परिवार के हित में नहीं है । वे राष्ट्र के प्रति भी जागरूक हैं तथा उनका लक्ष्य भी कम बच्चों को जन्म देने का है क्योंकि वह सीमित आकार के परिवार की पक्षधर हैं । निजी व्यवसाय में संलग्न महिलायें यद्यपि आत्म-निर्भर हैं पर वे निम्न स्तरीय व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं अधिकांशतः निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर में जीवन-यापन कर रही हैं अतः उनका दृष्टिकोण भी इसी के अनुकूल है ।

इस दृष्टिकोण पर व्यवसाय का प्रभाव देखने हेतु सांख्यकीय माध्य का भी आधार बनाया गया । जिसके निष्कर्षो के अनुसार गृहणी महिलायें विवाह एवं पहले बच्चे के जन्म के बीच औसतन 2.37 वर्ष के अन्तर के पक्ष में हैं जबकि इसके विपरीत सरकारी कर्मचारी महिलायें औसतन 4.30 वर्ष के अन्तराल को स्वीकार करती हैं । निजी व्यवसाय एवं श्रमिक महिलायें औसतन 2.36 वर्ष के अन्तर की पक्षधर हैं । विवाह एवं पहले बच्चे के जन्म के बीच का अन्तर औसतन 2.50 वर्ष का है । माध्य से प्राप्त निष्कर्ष भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि सरकारी कर्मचारी

महिलायें लम्बी अवधि के अन्तर को स्वीकार करती हैं जो इस बात का द्योतक है कि आत्म-निर्भरता एवं स्वावलम्बन महिलाओं को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रदान कर प्रगतिशील बना देता है।

काई-स्क्वायर परीक्षण के आधार पर ज्ञात निष्कर्ष भी विवाह एवं पहले बच्चे के जन्म के बीच अन्तर पर व्यावसायिक स्तर के प्रभाव की पुष्टि करते हैं जो कि .01 सम्भाविता स्तर पर अत्याधिक सार्थक है ।

(द) महिलाओं द्वारा वांछित विवाह एवं प्रथम जन्म के बीच अन्तर एवं उनका पारिवारिक स्तर-

महिलाओं के पारिवारिक स्तर का उनके इस दृष्टिकोण पर पड़ने वाले प्रभाव का विवरण सारणी 6.4(द) में अंकित है ।

सारणी 6.4(द)

महिलाओं के पारिवारिक स्तर के अनुसार उनके द्वारा वांछित विवाह एवं पहले बच्चे के जन्म के बीच अन्तर

पारिवारिक स्तर	विवाह एवं प्रथम जन्म के बीच अन्तर			योग	माध्य
	1-2	3-4	5-6		
एकाकी	161	90	18	269	2.44
	%(60)	(33)	(07)	(100)	
संयुक्त	64	60	07	131	2.63
	%(49)	(46)	(05)	(100)	
योग-	225	150	25	400	2.50

काई-स्क्वायर (x^2) मूल्य = 5.72

काई-स्क्वायर (x^2) सारणी मूल्य = 9.49-.05
= 13.28-.01

सार्थक नहीं है ।

सारणी 6.4(द) से स्पष्ट होता है कि विवाह एवं प्रथम जन्म के बीच अन्तर से सम्बन्धित दृष्टिकोण पर महिलाओं के पारिवारिक स्तर का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता । एकाकी परिवार की 60 प्रतिशत महिलायें विवाह एवं पहले बच्चे के जन्म के बीच 1-2 वर्ष के अन्तर को स्वीकार करती हैं जबकि 33 प्रतिशत महिलायें इस सम्बन्ध में 3-4 वर्ष के अन्तर की पक्षधर हैं एवं 7 प्रतिशत महिलायें ऐसी हैं जो कि 5-6 वर्ष के अन्तर को महत्वपूर्ण मानती हैं । संयुक्त परिवार की 49 प्रतिशत महिलायें विवाह एवं पहले बच्चे के जन्म के बीच अन्तर हेतु 1-2 वर्ष की अवधि को अधिक उपयुक्त मानती हैं, 46 प्रतिशत संयुक्त परिवार की महिलायें विवाह एवं प्रथम जन्म के बीच 3-4 वर्ष के अन्तर की पक्षधर हैं, केवल 5 प्रतिशत महिलायें ऐसी हैं जो 5-6 वर्ष के अन्तर को उपयुक्त मानती हैं । इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि अन्य चरों के प्रभाव की अपेक्षा पारिवारिक स्तर महिलाओं के इस दृष्टिकोण पर अधिक प्रभाव नहीं डालता ।

सांख्यकीय माध्य से प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार एकाकी परिवार की महिलायें विवाह एवं प्रथम जन्म के बीच औसतन 2.44 वर्ष के अन्तर को एवं संयुक्त परिवार की महिलायें औसतन 2.63 वर्ष के अन्तर की पक्षधर हैं । अतः यह निष्कर्ष भी सिद्ध करते हैं कि इस दृष्टिकोण पर पारिवारिक स्तर का प्रभाव नहीं है ।

इसी प्रकार, काई-स्क्वायर परीक्षण से ज्ञात निष्कर्ष के अनुसार भी महिलाओं का विवाह एवं प्रथम बच्चे के जन्म से सम्बन्धित दृष्टिकोण पर परिवार का प्रभाव सार्थक नहीं है ।

इस प्रकार उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पारिवारिक स्तर के अतिरिक्त महिलाओं द्वारा वांछित विवाह एवं प्रथम जन्म के बीच अन्तर से सम्बन्धित दृष्टिकोण पर शिक्षा, जाति और व्यवसाय का प्रभाव अधिक है ।

5- विभिन्न बच्चों के जन्म के बीच अन्तर के सम्बन्ध में महिलाओं का दृष्टिकोण-

महिलाओं से पांचवां प्रश्न पूँछा गया कि "आपके विचार से बच्चों के जन्म के बीच कितना अन्तर होना चाहिये ।" ऐसे प्रश्नों पर महिलाओं के विचार उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हैं । उत्तरदाता की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का उनके द्वारा वांछित विभिन्न बच्चों के जन्म के बीच अन्तर के सम्बन्ध में प्रभाव अवश्य पड़ता है । यदि महिलाओं द्वारा वांछित विभिन्न बच्चों के जन्म के बीच का अन्तर अधिक होगा तो निश्चित रूप से प्रजनन-दर कम होगी किन्तु,

यदि विभिन्न बच्चों के जन्मों के बीच अन्तर कम वर्षों का होगा तो प्रजनन-दर बढ़ने की सम्भावना होगी । अतः वर्तमान अध्ययन में महिलाओं द्वारा वांछित विभिन्न बच्चों के जन्म के बीच कितना अन्तर होना चाहिये यह जानने का प्रयास किया गया जिसका विवरण सारणी 6.5 में प्रस्तुत है ।

सारणी 6.5

महिलाओं द्वारा वांछित विभिन्न बच्चों के जन्म के बीच अन्तर

जन्मों के बीच अन्तर (वर्षों में)	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत
1-2	220	55
3-4	150	37
5-6	30	8
योग-	400	100

सारणी 6.5 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 55 प्रतिशत महिलायें विभिन्न बच्चों के जन्मों के बीच 1-2 वर्ष के अन्तर को उपयुक्त मानती हैं जबकि 37 प्रतिशत महिलायें विभिन्न बच्चों के जन्म के बीच 3-4 वर्ष के अन्तर के पक्ष में हैं । केवल 08 प्रतिशत महिलायें इस दृष्टिकोण के सम्बन्ध में 5-6 वर्ष के अन्तर की पक्षधर हैं । इस प्रकार, सारणी के विश्लेषण से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि वर्तमान समय में भी महिलायें राष्ट्रीय माँग के प्रतिकूल विभिन्न बच्चों के जन्म के बीच कम अवधि के अन्तर को स्वीकार करती हैं-परन्तु ऐसी भी महिलायें हैं जो इस सम्बन्ध में लम्बे अन्तराल की पक्षधर हैं महिलाओं के इस दृष्टिकोण के सम्बन्ध में यह विभिन्नता उनके सामाजिक आर्थिक स्तर का परिणाम है । अधिकतर महिलायें विभिन्न जन्मों के बीच कम अवधि के अन्तर को स्वीकार करती हैं क्योंकि वे निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर एवं पिछड़े समुदाय में जीवन-यापन कर रही हैं तथा अशिक्षित, पिछड़ी एवं पुरानी धार्मिक मान्यताओं की पोषक हैं । महिलाओं द्वारा वांछित विभिन्न बच्चों के जन्म के बीच अन्तर के सम्बन्ध में उनके

सारणी 6.5(अ) से संकेत मिलता है कि महिलाओं के विभिन्न बच्चों के जन्मों के बीच अन्तर के दृष्टिकोण पर उनके शैक्षिक स्तर का प्रभाव पड़ता है । 64 प्रतिशत निरक्षर महिलायें विभिन्न बच्चों के जन्मों के बीच 1-2 वर्ष के अन्तर के पक्ष में हैं, 34 प्रतिशत महिलायें इस सम्बन्ध में 3-4 वर्ष के अन्तर की पक्षधर हैं जबकि मात्र 02 प्रतिशत महिलायें ही विभिन्न बच्चों के जन्मों के बीच 5-6 वर्ष के अन्तर को उपयुक्त मानती हैं । 58 प्रतिशत प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित महिलायें विभिन्न बच्चों के जन्मों के बीच 1-2 वर्ष के अन्तर को स्वीकार करती हैं ऐसी ही 35 पतिशत महिलायें 3-4 वर्ष के अन्तर को महत्वपूर्ण मानती हैं । जबकि 7 प्रतिशत महिलाओं ने इस सम्बन्ध में 5-6 वर्ष के अन्तर को उपयुक्त माना है । इसी प्रकार, 28 प्रतिशत उच्च शिक्षित महिलायें विभिन्न बच्चों के जन्मों के बीच 1-2 वर्ष के अन्तर की पक्षधर हैं जबकि 50 प्रतिशत महिलाओं ने इस सम्बन्ध में 3-4 वर्ष के अन्तर को महत्वपूर्ण माना है एवं सबसे अधिक 22 प्रतिशत उच्च शिक्षित महिलायें बच्चों के जन्म के बीच 5-6 वर्ष के अन्तर की पक्षधर हैं । इस प्रकार, सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि उच्च शिक्षा का प्रभाव महिलाओं के विभिन्न बच्चों के जन्मों के अन्तर से सम्बन्धित दृष्टिकोण पर अधिक दिखाई पड़ता है । कम शिक्षित महिलायें भी निरक्षर महिलाओं की अपेक्षा इस दृष्टिकोण के सम्बन्ध में लम्बी अवधि के अन्तर के पक्ष में हैं । अतः स्पष्ट है कि जैसे-जैसे महिलाओं में शिक्षा का स्तर बढ़ता जाता है उनका दृष्टिकोण भी उसी के अनुरूप परिवर्तित होता जाता है । ऐसा इस कारण है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति में उचित ज्ञान का संचार कर उसे तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करती है ।

महिलाओं द्वारा वांछित विभिन्न बच्चों के जन्मों के बीच अन्तर से सम्बन्धित दृष्टिकोण पर शिक्षा का प्रभाव देखने के लिये सांख्यकीय माध्य को भी आधार बनाया गया है जिसके अनुसार विभिन्न बच्चों के जन्मों के बीच औसतन 2.50 वर्ष का अन्तर ज्ञात हुआ । निरक्षर महिलाओं ने इस दृष्टिकोण के सम्बन्ध में औसतन 2.28 वर्ष के अन्तर को उपयुक्त माना । प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित महिलाओं ने औसतन 2.50 वर्ष के अन्तर को महत्वपूर्ण माना जबकि सर्वाधिक औसतन 3.39 वर्ष के अन्तर को उच्च शिक्षित महिलाओं ने उपयुक्त माना है । इस प्रकार, माध्य से प्राप्त निष्कर्ष भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि उच्च शिक्षा महिलाओं के दृष्टिकोण में विकासशील परिवर्तन लाने में सहायक होती है ।

इस दृष्टिकोण का मूल्यांकन काई-स्क्वायर परीक्षण के द्वारा भी किया गया जिससे प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार .01 सम्भाविता स्तर पर अन्तर अत्याधिक सार्थक है ।

(ब) महिलाओं द्वारा वांछित विभिन्न बच्चों के जन्मों के बीच अन्तर एवं उनका जातीय स्तर-

महिलाओं द्वारा वांछित विभिन्न बच्चों के जन्मों के बीच अन्तर से सम्बन्धित दृष्टिकोण पर उनकी जातीय स्तर के प्रभाव का विवरण सारणी 6.5(ब) में प्रस्तुत है ।

सारणी 6.5(ब)

महिलाओं के जातीय स्तर के अनुसार उनके द्वारा वांछित विभिन्न बच्चों के जन्मों के बीच अन्तर

जातीय स्तर	बच्चों के जन्म के बीच अन्तर (वर्षों में)			योग	माध्य
	1-2	3-4	5-6		
उच्च	20	22	18	60	3.44
	%(33)	(37)	(30)	(100)	
मध्यम	40	68	12	120	3.03
	%(33)	(57)	(10)	(100)	
निम्न	160	60	00	220	2.05
	%(73)	(27)	(00)	(100)	
योग-	220	150	30	400	2.55

काई-स्क्वायर (x^2) मूल्य = 103.83

काई-स्क्वायर (x^2) सारणी मूल्य = 9.49-.05

=13.28-.01

.01 सम्भाविता स्तर पर अन्तर अत्याधिक सार्थक है ।

सारणी 6.5(ब) के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि महिलाओं के विभिन्न बच्चों के जन्मों के बीच अन्तर से सम्बन्धित दृष्टिकोण पर उनके जातीय स्तर का प्रभाव पड़ता है । उच्च जातीय स्तर की 33 प्रतिशत महिलायें विभिन्न बच्चों के जन्म के बीच अन्तर के लिये 1-2 वर्ष का समय उपयुक्त मानती हैं जबकि इसके विपरीत निम्न जातीय स्तर की 73 प्रतिशत महिलायें इस सम्बन्ध में 1-2 वर्ष के समय की पक्षधर हैं । 33 प्रतिशत मध्यम जातीय स्तर की महिलायें भी विभिन्न बच्चों के जन्म के बीच अन्तर के लिये 1-2 वर्ष के समय के पक्ष में हैं । उच्च जाति की 37 प्रतिशत महिलायें इस दृष्टिकोण के सम्बन्ध में 3-4 वर्ष के अन्तर को महत्वपूर्ण मानती हैं एवं 68 प्रतिशत मध्यम जातीय स्तर की महिलायें भी 3-4 वर्ष के अन्तर को उपयुक्त मानती हैं । जबकि 27 प्रतिशत निम्न जातीय स्तर की महिलाओं ने विभिन्न बच्चों के जन्मों के बीच अन्तर हेतु 3-4 वर्ष के समय को स्वीकार किया है । 30 प्रतिशत उच्च जातीय स्तर की महिलाओं ने विभिन्न बच्चों के जन्मों के बीच 5-6 वर्ष के अन्तर के पक्ष में राय दी एवं मध्यम जातीय स्तर की 10 प्रतिशत महिलायें इसमें 5-6 वर्ष के अन्तर की पक्षधर हैं । इस प्रकार, सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि उच्च एवं मध्यम जातीय स्तर की महिलायें निम्न जातीय स्तर की महिलाओं की अपेक्षा बच्चों के जन्म के बीच अन्तर के सम्बन्ध में अधिक जागरूक हैं वे अधिकांशतः लम्बे अन्तराल को महत्वपूर्ण मानती हैं क्योंकि उनकी सोच में उच्च स्तरीय मान्यताओं का प्रभाव है । अधिकांश महिलायें शिक्षित हैं तथा उच्च एवं मध्यम सामाजिक-आर्थिक स्तर से जुड़ी हुई हैं ।

महिलाओं के इस दृष्टिकोण पर जातीय स्तर का प्रभाव देखने हेतु सांख्यकीय माध्य को भी प्रयुक्त किया गया । जिससे प्राप्त निष्कर्षो के अनुसार उच्च जातीय स्तर की महिलायें विभिन्न बच्चों के जन्म के बीच अन्तर के सम्बन्ध में औसतन 3.44 वर्ष के अन्तर को महत्व प्रदान करती हैं, मध्यम जातीय स्तर की महिलायें इस सम्बन्ध में 3.03 वर्ष के समय का अन्तर करने के पक्ष में हैं जबकि निम्न जातीय स्तर की महिलायें 2.05 वर्ष के अन्तर की पक्षधर हैं । मध्यमान के निष्कर्षो से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि इस दृष्टिकोण पर महिलाओं के जातीय स्तर का प्रभाव पड़ता है ।

महिलाओं द्वारा वांछित विभिन्न बच्चों के जन्म के बीच अन्तर का मूल्यांकन काई-स्क्वायर परीक्षण से करने पर भी .01 सम्भाविता स्तर पर अन्तर अधिक सार्थक निकला ।

(स) महिलाओं द्वारा वांछित विभिन्न बच्चों के जन्मों के बीच अन्तर एवं उनका व्यावसायिक स्तर-

महिलाओं के इस दृष्टिकोण पर उनके व्यावसायिक स्तर के पड़ने वाले प्रभाव का विवरण सारणी 6.5(स) में प्रस्तुत है ।

सारणी 6.5(स)

महिलाओं के व्यावसायिक स्तर के अनुसार उनके द्वारा वांछित विभिन्न बच्चों के जन्मों के बीच अन्तर

व्यावसायिक स्तर	बच्चों के जन्म के बीच अन्तर (वर्षों में)			योग	माध्य
	1-2	3-4	5-6		
गृहणी	180	112	20	312	2.47
	%(58)	(36)	(06)	(100)	
सरकारी कर्मचारी	05	15	10	30	3.17
	%(16)	(50)	(34)	(100)	
निजी व्यवसाय/ श्रमिक	35	23	00	58	2.29
	%(60)	(40)	(00)	(100)	
योग-	220	150	30	400	2.55

काई-स्क्वायर (χ^2) मूल्य = 41.73

काई-स्क्वायर (χ^2) सारणी मूल्य = 9.49-.05

=13.28-.01

.01 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है ।

सारणी 6.5(स) के विवरण से इंगित होता है कि अन्य चरों की भाँति महिलाओं का व्यावसयिक स्तर भी उनके इस दृष्टिकोण को प्रभावित करता है । 58 प्रतिशत गृहणी

महिलायें विभिन्न बच्चों के जन्म के बीच 1-2 वर्ष के अन्तर की पक्षधर हैं व 36 प्रतिशत गृहणी महिलायें इस सम्बन्ध में 3-4 वर्ष के समय को उपयुक्त मानती हैं जबकि केवल 6 प्रतिशत महिलायें 5-6 वर्ष के अन्तर को स्वीकार करती हैं । साथ ही, सरकारी सेवारत 16 प्रतिशत महिलायें विभिन्न बच्चों के जन्म के बीच 1-2 वर्ष का अन्तर करने की पक्षधर हैं जबकि 50 प्रतिशत महिलायें इस सम्बन्ध में 3-4 वर्ष के समय का अन्तर महत्वपूर्ण समझती हैं व 34 प्रतिशत ऐसी ही महिलायें इस दृष्टिकोण हेतु 5-6 वर्ष की लम्बी अवधि के पक्ष में मत व्यक्त करती हैं । इस प्रकार, निजी व्यवसाय (छोटे लघु उद्योग) एवं श्रमिकों का कार्य करने वाली 60 प्रतिशत महिलाओं ने विभिन्न बच्चों के जन्म के बीच अन्तर के लिये 1-2 वर्ष का अन्तर ही उपयुक्त माना है जबकि 40 प्रतिशत महिलायें इस सम्बन्ध में 3-4 वर्ष के अन्तर की पक्षधर हैं । इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं का उच्च स्तरीय व्यवसाय उनके इस दृष्टिकोण को अधिक प्रभावित करता है, जैसे-सरकारी कर्मचारी महिलायें ही अधिक अन्तर के पक्ष में हैं क्योंकि वे शिक्षित होने के साथ-साथ आत्म-निर्भर हैं तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्राप्त है एवं घर से बाहर स्वस्थ वातावरण में उठती बैठती हैं अतः वे इस बात को समझती हैं कि बच्चों के उचित पालन-पोषण हेतु एक बच्चे के जन्म के पश्चात कम से कम 3 से 4 वर्ष का अन्तराल होना चाहिए । यह अन्तर महिला के स्वास्थ्य हेतु भी लाभदायक सिद्ध होता है । इसके अतिरिक्त, विभिन्न बच्चों के बीच लम्बी अंवधि का अन्तर प्रजनन-दर पर भी नियन्त्रण लगाने में सहायक होता है ।

महिलाओं के बच्चों के जन्म के बीच अन्तर से सम्बन्धित दृष्टिकोण पर व्यावसायिक स्तर के प्रभाव का आँकलन करने हेतु मध्यमान भी ज्ञात किया गया जिससे प्राप्त तथ्यों के अनुसार इस दृष्टिकोण के सम्बन्ध में गृहणी महिलायें औसतन 2.47 वर्ष के अन्तर के पक्ष में हैं जबकि सरकारी कर्मचारी महिलायें इस सम्बन्ध में औसतन 3.17 वर्ष के अन्तर की पक्षधर हैं व निजी व्यवसाय एवं श्रमिक महिलायें विभिन्न बच्चों के जन्म के बीच अन्तर हेतु औसतन 2.29 वर्ष के अन्तर को उपयुक्त मानती हैं । इस प्रकार माध्य से प्राप्त परिणाम भी इस दृष्टिकोण पर व्यावसायिक स्तर के प्रभाव के महत्व की पुष्टि करते हैं ।

महिलाओं द्वारा वांछित विभिन्न बच्चों के जन्मों के बीच अन्तर से सम्बन्धित दृष्टिकोण पर व्यावसायिक स्तर का प्रभाव जानने हेतु काई-स्ववायर परीक्षण भी किया गया । उससे प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार भी .01 सम्भाविता स्तर पर अन्तर सार्थक है ।

(द) महिलाओं द्वारा वांछित विभिन्न बच्चों के जन्मों के बीच अन्तर एवं उनका पारिवारिक स्तर-

इस दृष्टिकोण पर पारिवारिक स्तर के प्रभाव का विवरण सारणी 6.5(द) में प्रस्तुत है ।

सारणी 6.5(द)

महिलाओं के पारिवारिक स्तर के अनुसार उनके द्वारा वांछित विभिन्न बच्चों के जन्म के बीच अन्तर

पारिवारिक स्तर	बच्चों के जन्म के बीच अन्तर (वर्षों में)			योग	माध्य
	1-2	3-4	5-6		
एकाकी	140	109	20	269	2.61
	%(52)	(40)	(08)	(100)	
संयुक्त	80	41	10	131	2.44
	%(61)	(31)	(08)	(100)	
योग-	220	150	30	400	2.55

काई-स्क्वायर (x) मूल्य = 3.29
काई-स्क्वायर (x) सारणी मूल्य = 9.49-.05
=13.28-.01

अन्तर सार्थक नहीं ।

सारणी 6.5(द) के विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं के विभिन्न बच्चों के जन्मों के बीच अन्तर से सम्बन्धित दृष्टिकोण पर उनके पारिवारिक स्तर का विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिलता । 52 प्रतिशत एकाकी परिवार में रहने वाली महिलायें इस सम्बन्ध में 1-2 वर्ष के अन्तर को उपयुक्त मानती हैं । ऐसी ही 40 प्रतिशत महिलायें 3-4 वर्ष का समय अधिक महत्वपूर्ण मानती हैं जबकि मात्र 08 प्रतिशत महिलायें इस सम्बन्ध में 5-6 वर्ष के अन्तर की पक्षधर हैं । इसी प्रकार, संयुक्त परिवार की 61 प्रतिशत महिलायें बच्चों के जन्मों के बीच अन्तर हेतु 1-2 वर्ष का समय ही अधिक उपयुक्त समझती हैं व 31 प्रतिशत महिलायें 3-4 वर्ष के अन्तर के पक्ष

में हैं जबकि संयुक्त परिवार की भी कुल 08 प्रतिशत महिलाओं ने 5-6 वर्ष अन्तर करने की बात स्वीकार की है । इस प्रकार, इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि पारिवारिक स्तर का इस दृष्टिकोण पर प्रभाव न के बराबर ही है क्योंकि वर्तमान सामाजिक मूल्य व्यक्तिवादिता एवं स्वतन्त्र विचारों पर आधारित है । संयुक्त परिवार दिन पर दिन विघटित हो रहे हैं और जो शेष हैं उनके सदस्यों पर अब प्राचीन परम्परात्मक मान्यतायें प्रभावहीन हो चुकी हैं । व्यक्ति आत्मनिर्णय एवं व्यक्तिवादिता पर आधारित होकर कार्य करता है जैसा कि संयुक्त परिवारों की महिलाओं के इस दृष्टिकोण से स्पष्ट होता है ।

इस दृष्टिकोण पर, पारिवारिक स्तर का प्रभाव जानने हेतु सांख्यकीय माध्य को भी आधार बनाया गया है जिससे प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार एकाकी परिवार की महिलायें विभिन्न बच्चों के जन्मों के बीच औसतन 2.61 वर्ष के अन्तर की पक्षधर हैं जबकि संयुक्त परिवार की महिलायें इस सम्बन्ध में 2.44 वर्ष के अन्तर को महत्वपूर्ण मानती हैं । अतः इन निष्कर्षों से भी पारिवारिक स्तर का इस दृष्टिकोण पर आंशिक प्रभाव ही परिलक्षित होता है ।

काई-स्क्वायर परीक्षण से प्राप्त निष्कर्ष भी .05 और .01 सम्भाविता स्तर पर सार्थक नहीं है ।

(6) महिलाओं द्वारा बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में सोच का प्रारम्भ से सम्बन्धित दृष्टिकोण-

महिलाओं से छठवाँ प्रश्न पूँछा गया कि "पहली बार आपने यह कब सोचना प्रारम्भ किया कि आपके कितने बच्चे होने चाहिए ?" (अर्थात कितने बच्चे होने के बाद) ऐसे प्रश्नों से प्राप्त विचारों से महिलाओं के मनोवैज्ञानिक पक्ष पर प्रकाश पड़ता है । ये निश्चित है कि प्रत्येक कार्य के पीछे एक मानसिक सोच होती है क्योंकि कोई भी व्यक्ति कार्य को अन्तिम रूप देने से पूर्व उसके सम्बन्ध में मानसिक रूप से विचार करता है । तत्पश्चात् वह अपने विचार को व्यावहारिक रूप प्रदान करता है । इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुये इस अध्याय के अन्तर्गत महिलाओं से यह बात भी जानने की कोशिश की गई कि महिलाओं ने बच्चों की संख्या का निर्धारण करने की बात कब सोची क्योंकि इस प्रश्न का सम्बन्ध पारिवारिक आकार से सम्बन्धित है । महिलायें जिस समय

इस बात पर विचार करेंगी कि उन्हें कितने बच्चों को जन्म देना है उसके पश्चात ही वह किसी निर्णय तक पहुँच सकेंगी । महिलाओं के बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में सोच का उनके प्रजनन व्यवहार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है । यदि महिलायें इस सम्बन्ध में शादी के तुरन्त बाद ही सोच प्रारम्भ करती हैं तो निश्चित है कि वह अपने पारिवारिक आकार के प्रति जागरूक हैं तथा ऐसी महिलायें अधिकांशतः कम बच्चों की पक्षधर होती है । कुछ महिलायें एक या दो अथवा उससे अधिक बच्चों के बाद ही विचार प्रारम्भ करती है कि उन्हें कितने बच्चे चाहिये । इस प्रश्न से सम्बन्धित तीन श्रेणियाँ- (1-2, 3-4, 5-6) बनाकर महिलाओं से बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में उनकी सोच के प्रारम्भ से सम्बन्धित दृष्टिकोण का आँकलन किया गया, जिसका विवरण सारणी 6.6 में प्रस्तुत है ।

सारणी 6.6

महिलाओं द्वारा बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में सोच का प्रारम्भ

बच्चों की संख्या (जिनके बाद सोचना प्रारम्भ किया)	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत
1-2	150	37
3-4	130	33
5-6	120	30
योग-	400	100

सारणी 6.6 से संकेत मिलता है कि वर्तमान समय में महिलायें बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में जागरूक हैं । 39 प्रतिशत महिलायें ऐसी हैं जिन्होंने 1-2 बच्चे होने के बाद ही यह सोचना प्रारम्भ कर दिया कि उन्हें कितने बच्चे चाहिए । 33 प्रतिशत महिलाओं ने 3-4 बच्चों के होने के बाद इस बारे में सोचना प्रारम्भ किया । 30 प्रतिशत महिलाओं ने 5 एवं उससे भी अधिक बच्चों के बाद यह सोचना प्रारम्भ किया कि एक आदर्श परिवार के लिये कितने बच्चे होने

आवश्यक है । इस विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि केवल 37 प्रतिशत ऐसी महिलायें हैं जो राष्ट्रीय माँग के अनुकूल दो बच्चों को ही परिवार के लिये आवश्यक समझती हैं जबकि 63 प्रतिशत महिलायें ऐसी हैं जिन्होंने अधिक बच्चे होने के बाद ही यह सोचना प्रारम्भ किया कि उनके कितने बच्चे होने चाहिये । अधिक बच्चों के बाद सोचना प्रारम्भ करने का कारण यह है कि अधिकांश महिलायें अशिक्षा, निर्धनता की शिकार हैं साथ ही वे निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर एवं पिछड़ी हुई हैं अतः उनके लिये बच्चे उत्पादक भी हैं और मनोरंजन का साधन भी परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बच्चों के पालन-पोषण पर बढ़ती हुई लागत एवं बच्चों की शिक्षा हेतु अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है परिणामतः अधिक बच्चों को ऐसी सभी सुविधायें मध्यम व निम्न स्तरीय परिवार में नहीं मिल पाती । इसलिये अब महिलायें यह अवश्य सोचने लगी हैं कि कम बच्चे ही परिवार के लिये उपयुक्त हैं । महिलाओं के इस सोच से सम्बन्धित दृष्टकोण को भी शिक्षा, जाति, व्यवसाय, एवं पारिवारिक स्तर के आधार पर अवलोकन करने का प्रयास किया गया । प्राप्त तथ्यों का विवरण इस प्रकार है ।

(अ) महिलाओं द्वारा बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में सोच का प्रारम्भ एवं उनका शैक्षिक स्तर-

बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में महिलाओं की सोच का प्रारम्भ उनके शैक्षिक स्तर से प्रभावित है । इसका विवरण सारणी 6.6(अ) में प्रस्तुत है ।

सारणी 6.6(अ)

महिलाओं के शैक्षिक स्तर के अनुसार उनके द्वारा बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में सोच का प्रारम्भ

शैक्षिक स्तर	बच्चों की संख्या (जिनके बाद सोचना प्रारम्भकिया)			योग	माध्य
	1-2	3-4	5-6		
निरक्षर	30 %(16)	70 (36)	92 (48)	192 (100)	4.14
प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित	80 %(59)	40 (29)	16 (12)	136 (100)	3.12
उच्च शिक्षित	40 %(56)	20 (28)	12 (16)	72 (100)	2.79
योग-	150	130	120	400	3.35

काई-स्क्वायर (χ^2) मूल्य = 98.94
काई-स्क्वायर (χ^2) सारणी मूल्य = 9.49-.05
=13.28-.01

सारणी 6.6(अ) से संकेत मिलता है कि शिक्षा का प्रभाव महिलाओं की बच्चों की संख्या के निर्धारण से सम्बन्धित सोच पर पड़ता है । मात्र 16 प्रतिशत निरक्षर महिलायें ऐसी हैं जिन्होंने 1-2 बच्चों के बाद ही सोचना प्रारम्भ कर दिया । जबकि 48 प्रतिशत निरक्षर महिलाओं ने इस सम्बन्ध में 5 या उससे भी अधिक बच्चों के बाद यह सोचा कि उनके कितने बच्चे होने चाहिये । साथ ही, 59 प्रतिशत प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित महिलायें तथा 56 प्रतिशत उच्च शिक्षित महिलाओं ने 1-2 बच्चों के बाद ही यह तय कर लिया कि उन्हें कितने बच्चों की आवश्यकता है जबकि 29 प्रतिशत कम शिक्षित एवं 28 प्रतिशत उच्च शिक्षित महिलाओं ने 3-4 बच्चे होने के बाद यह सोचना प्रारम्भ किया कि उनके कितने बच्चे होने चाहिये । इसी प्रकार, 12 प्रतिशत प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित महिलाओं ने 5 या उससे भी अधिक बच्चों के उपरान्त इस सम्बन्ध में अपनी सोच प्रारम्भ की जबकि 16 प्रतिशत उच्च शिक्षित महिलायें भी ऐसी हैं जिन्होंने 5 या उससे भी अधिक बच्चों के बाद यह सोचना प्रारम्भ किया कि उनके कितने बच्चे होने चाहिये । इस प्रकार, इस विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं में शिक्षा उनकी बच्चों की संख्या सम्बन्धी सोच का प्रभावित करती है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को रूढ़िग्रस्त विचारों के विपरीत तर्क और विवेक के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है जैसा कि उच्च शिक्षित महिलाओं के दृष्टिकोण से विदित है । वे समझती हैं कि वर्तमान समय में बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने एवं उनके पालन-पोषण हेतु अधिक धन की आवश्यकता होती है । अतः वे कम बच्चों को जन्म देने के पक्ष में मत व्यक्त करती हैं ताकि सभी को विकास के उचित अवसर प्रदान कर सकें ।

आँकड़ों का मूल्यांकन सांख्यकीय माध्य के द्वारा भी किया गया जिससे प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार समस्त महिलाओं में बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में सोच का प्रारम्भ औसतन 3.35 बच्चों के बाद ही हुआ । निरक्षर महिलाओं ने इस सम्बन्ध में औसतन 4.14 बच्चों के बाद ही सोचना प्रारम्भ किया जबकि प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित महिलाओं ने इस सम्बन्ध में औसतन 3.12 बच्चों के बाद अपनी सोच प्रारम्भ की परन्तु उच्च शिक्षित महिलायें बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में 2.79 बच्चों के जन्म के पश्चात ही सचेत हुई हैं, अतः यह निश्चित है कि निरक्षर महिलाओं की अपेक्षा उनमें प्रजनन-दर कम होगी ।

इस दृष्टिकोण का काई-स्क्वायर परीक्षण भी किया गया जिससे प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार .01 सम्भाविता स्तर पर अन्तर अत्याधिक सार्थक है ।

(ब) महिलाओं द्वारा उनकी बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में सोच का प्रारम्भ एवं उनका जातीय स्तर

बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में महिलाओं की सोच के प्रारम्भ पर उनके जातीय स्तर के प्रभाव का विवरण सारणी 6.6(ब) में प्रस्तुत है ।

सारणी 6.6(ब)

महिलाओं के जातीय स्तर के अनुसार उनके द्वारा बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में सोच का प्रारम्भ

जातीय स्तर	बच्चों की संख्या (जिनके बाद सोचना प्रारम्भ किया)			योग	माध्य
	1-2	3-4	5+		
उच्च	45 %(75)	10 (17)	05 (08)	60 (100)	2.17
मध्यम	55 %(46)	50 (42)	15 (12)	120 (100)	2.83
निम्न	50 %(23)	70 (32)	100 (45)	220 (100)	3.95
योग-	150	140	120	400	3.35

काई-स्क्वायर (x^2) मूल्य = 84.43

काई-स्क्वायर (x^2) सारणी मूल्य = 9.49-.05

=13.28-.01

.01 सम्भाविता स्तर पर अन्तर सार्थक है ।

सारणी 6.6(ब) के विवरण से स्पष्ट होता है कि महिलाओं की बच्चों की संख्या से सम्बन्धित सोच पर उनके जातीय स्तर का प्रभाव अवश्य पड़ता है । 75 प्रतिशत उच्च जातीय स्तर की महिलाओं ने 1-2 बच्चों के जन्म के बाद ही यह सोचना प्रारम्भ कर दिया कि उन्हें कितने बच्चों को जन्म देना है । 17 प्रतिशत उच्च जाति की महिलाओं ने 3-4 बच्चों के जन्म के बाद इस सम्बन्ध में सोचना प्रारम्भ किया जबकि मात्र 8 प्रतिशत ऐसी ही महिलाओं ने 5 या उससे भी अधिक बच्चों के बाद यह सोचना प्रारम्भ किया कि उनके कितने बच्चे होने चाहिये, साथ

ही, 46 प्रतिशत मध्यम जातीय स्तर की महिलाओं ने भी 1-2 बच्चों के बाद ही यह सोचना प्रारम्भ कर दिया कि एक आदर्श परिवार हेतु कितने बच्चे उपयुक्त हैं जबकि 42 प्रतिशत ऐसी महिलाओं ने इस सम्बन्ध में 3-4 बच्चों के बाद सोचना प्रारम्भ किया व मात्र 12 प्रतिशत मध्यम जातीय स्तर की महिलाओं ने 5 या उससे भी अधिक बच्चों के बाद इस सम्बन्ध में सोचना प्रारम्भ किया । इसी प्रकार, 23 प्रतिशत निम्न जातीय स्तर की महिलाओं ने 1-2 बच्चों के जन्म के बाद यसह सोचना प्रारम्भ किया कि उनके कितने बच्चे होने चाहिये जबकि ऐसी ही 32 प्रतिशत महिलाओं ने इस सम्बन्ध में 3-4 बच्चों के बाद सोचना प्रारम्भ किया व सर्वाधिक 45 प्रतिशत निम्न जातीय स्तर की महिलाओं ने इस सम्बन्ध में 5 या उससे भी अधिक बच्चों के बाद सोचना प्रारम्भ किया । इस प्रकार, सारणी के विश्लेषण से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि उच्च जातीय स्तर की महिलायें सीमित परिवार की पक्षधर हैं साथ ही मध्यम जातीय स्तर की महिलायें भी निम्न जातीय स्तर की अपेक्षा कम बच्चों के पक्ष में हैं क्योंकि उच्च एवं मध्यम जातीय स्तर की महिलायें सामाजिक-आर्थिक स्तर से सम्बन्धित हैं ।

महिलाओं द्वारा बच्चों की संख्या के सम्बन्धित सोच पर महिलाओं के जातीय स्तर के प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु आँकड़ों का मध्यमान भी ज्ञात किया गया जिससे प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार उच्च जातीय स्तर की महिलाओं ने बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में औसतन 2.17 बच्चों के बाद ही सोचना प्रारम्भ किया व मध्यम जातीय स्तर की महिलाओं ने इस सम्बन्ध में औसतन 2.83 बच्चों के बाद सोचना प्रारम्भ किया जबकि निम्न जातीय स्तर की महिलाओं ने बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में 3.95 बच्चों के बाद सोचना प्रारम्भ किया ।

इसी दृष्टिकोण पर जातीय स्तर के प्रभाव का आँकलन काई-स्क्वायर परीक्षण करके भी किया गया जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि .01 सम्भाविता स्तर पर अन्तर अत्याधिक सार्थक है ।

(स) महिलाओं द्वारा बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में सोच का प्रारम्भ एवं उनका व्यावसायिक स्तर-

महिलाओं के इस दृष्टिकोण पर उनके व्यावसायिक स्तर के पड़ने वाले प्रभाव का विवरण सारणी 6.6(स) में प्रस्तुत है ।

सारणी 6.6(स)

महिलाओं के व्यावसायिक स्तर के अनुसार उनके द्वारा बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में सोच का प्रारम्भ

व्यावसायिक	बच्चों की संख्या (जिनके बाद सोचना प्रारम्भ किया)			योग	माध्य
	1-2	3-4	5+		
गृहणी	127	90	95	312	3.30
	%(41)	(29)	(30)	(100)	
सरकारीकर्मचारी	15	10	05	30	2.83
	%(50)	(34)	(16)	(100)	
निजी व्यवसाय/ श्रमिक	08	30	20	58	3.91
	%(14)	(52)	(34)	(100)	
योग-	150	130	120	400	3.35

काई-स्क्वायर (x^2) मूल्य = 30.85

काई-स्क्वायर (x^2) सारणी मूल्य = 9.49

=13.28

.01 सम्भाविता स्तर पर अन्तर सार्थक है ।

सारणी 6.6(स) में अंकित तथ्यों से इस बात का संकेत मिलता है कि महिलाओं के बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में सोच का प्रारम्भ करने से सम्बन्धित दृष्टकोण पर उनके व्यावसायिक स्तर का प्रभाव पर्याप्त रूप से दिखाई देता है । 41 प्रतिशत गृहणी महिलायें इस सम्बन्ध में 1-2 बच्चों के बाद ही जागरूक हैं कि परिवार हेतु कितने बच्चों का जन्म आवश्यक है । 29 प्रतिशत गृहणी महिलाओं ने 3-4 बच्चों के बाद बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में सोचना प्रारम्भ किया और ऐसी ही 30 प्रतिशत महिलाओं ने 5 या उससे भी अधिक बच्चों के बाद सोचना प्रारम्भ किया ।

साथ ही, 50 प्रतिशत सरकारी कर्मचारी महिलाओं ने बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में 1-2 बच्चों के बाद सोचना प्रारम्भ किया व 30 प्रतिशत महिलाओं ने 3-4 बच्चों के बाद जबकि मात्र 16 प्रतिशत महिलाओं ने 5 या उससे अधिक बच्चों के बाद इस सम्बन्ध में सोचना प्रारम्भ किया । इसी प्रकार, निजी व्यवसाय एवं श्रमिक कार्यो में संलग्न 14 प्रतिशत महिलायें 1-2 बच्चों के बाद से ही बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में सचेष्ट हैं तथा ऐसी ही 52 प्रतिशत महिलाओं ने 3-4 बच्चों के बाद एवं 34 प्रतिशत महिलाओं ने 5 या उससे भी अधिक बच्चों के जन्म के पश्चात इस सम्बन्ध में विचार करना प्रारम्भ किया । इस प्रकार, इस विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं के इस दृष्टिकोण पर उनके उच्च स्तरीय व्यवसाय का प्रभाव अधिक पड़ता है जैसा कि अधिकांश सरकारी कर्मचारी महिलाओं ने कम बच्चों के बाद ही यह सोचना प्रारम्भ कर दिया कि उनके कितने बच्चे होने चाहिये । ऐसा इस कारण है क्योंकि स्वावलम्बी होने के कारण वे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्राप्त हैं साथ ही, वे स्वयं अपने परिवार एवं बच्चों तथा राष्ट्र के प्रति जागरूक हैं । उनका विश्वास है कि अधिक बच्चों की अपेक्षा कम बच्चों का पालन-पोषण अच्छी तरह हो सकता है ।

सांख्यकीय माध्य से प्राप्त निष्कर्षो के अनुसार गृहणी महिलाओं ने इस सम्बन्ध में औसतन 3.30 बच्चों के बाद सोचा जबकि, सरकारी कर्मचारी महिलाओं ने बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में औसतन 2.83 बच्चों के बाद सोचना प्रारम्भ किया व निजी व्यवसाय एवं श्रमिक महिलाओं ने बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में सोच का प्रारम्भ औसतन 3.91 बच्चों के बाद किया । इस प्रकार, सांख्यकीय माध्य से प्राप्त निष्कर्ष भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि सरकारी कर्मचारी महिलायें कम बच्चों की पक्षधर हैं क्योंकि उन्होंने कम बच्चों के बाद ही बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में सोचना प्रारम्भ कर दिया ।

महिलाओं के बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में सोच के दृष्टिकोण पर व्यावसायिक स्तर का प्रभाव काई-स्क्वायर परीक्षण से भी ज्ञात किया गया जिससे प्राप्त परिणाम के अनुसार .01 सम्भाविता स्तर पर अन्तर सार्थक है ।

(द) महिलाओं द्वारा बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में सोच का प्रारम्भ एवं उनका पारिवारिक स्तर-

बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में महिलाओं की सोच पर पारिवारिक स्तर के प्रभाव का विवरण सारणी 6.6(द) में प्रस्तुत है ।

सारणी 6.6(द)

महिलाओं के पारिवारिक स्तर के अनुसार उनके द्वारा बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में सोच का प्रारम्भ

पारिवारिक स्तर	बच्चों की संख्या (जिनके बाद सोचना प्रारम्भ किया)			योग	माध्य
	1-2	3-4	5+		
एकाकी	110	90	69	269	2.20
	%(41)	(33)	(26)	(100)	
संयुक्त	40	40	51	131	3.67
	%(30)	(30)	(40)	(100)	
योग-	150	140	120	400	3.35

काई-स्क्वायर (×) मूल्य= 7.93

काई-स्क्वायर (×) सारणी मूल्य = 9.49-.05

=13.28-.01

अन्तर सार्थक नहीं है ।

सारणी 6.6(द) के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं द्वारा बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में सोच का प्रारम्भ से सम्बन्धित दृष्टिकोण पर उनके पारिवारिक स्तर का प्रभाव भी पड़ता है । एकाकी परिवार की 41 प्रतिशत महिलाओं ने इस सम्बन्ध में 1-2 बच्चों के बाद सोचना प्रारम्भ किया व ऐसी ही 33 प्रतिशत महिलाओं ने 3-4 बच्चों के बाद और 26 प्रतिशत महिलाओं ने 5 या उससे अधिक बच्चों के बाद सोचना प्रारम्भ किया । इसी प्रकार, संयुक्त परिवार

की 30 प्रतिशत महिलाओं ने बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में 1-2 बच्चों के बाद सोचना प्रारम्भ किया व 30 प्रतिशत महिलाओं ने 3-4 बच्चों के बाद एवं 40 प्रतिशत महिलाओं ने 5 या उससे अधिक बच्चों को जन्म देने के बाद इस सम्बन्ध में सोच प्रारम्भ की । इस विश्लेषण से स्पष्ट संकेत मिलता है कि संयुक्त परिवार की अपेक्षा एकाकी परिवार की महिलायें पारिवारिक आकार के प्रति अधिक जागरूक हैं ।

महिलाओं द्वारा बच्चों की संख्या से सम्बन्धित दृष्टिकोण पर पारिवारिक स्तर के प्रभाव को मध्यमान के द्वारा भी ज्ञात किया गया जिससे प्राप्त निष्कर्षो के अनुसार एकाकी परिवार की महिलाओं ने इस दृष्टिकोण पर औसतन 2.20 बच्चों के बाद सोचना प्रारम्भ किया जबकि संयुक्त परिवार की महिलाओं ने औसतन 3.67 बच्चों के जन्म के बाद इस सम्बन्ध में सोचना प्रारम्भ किया इस प्रकार, मध्यमान से प्राप्त निष्कर्ष भी इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि पारिवारिक स्तर का प्रभाव महिलाओं के इस दृष्टिकोण पर पड़ता है ।

इस दृष्टिकोण पर पारिवारिक स्तर का प्रभाव काई-स्क्वायर द्वारा परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि अन्तर सार्थक नहीं है ।

इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं द्वारा बच्चों की संख्या से सम्बन्धित दृष्टिकोण पर शिक्षा, जाति, व्यवसाय का प्रभाव अत्याधिक है किन्तु पारिवारिक स्तर का प्रभाव अपेक्षाकृत कम है ।

7- महिलाओं का पुत्रजन्म की अनिवार्यता पर दृष्टिकोण-

महिलाओं से सातवाँ प्रश्न पूँछा गया कि "आप इस बात को कितना महत्वपूर्ण समझती हैं कि वंश चलाने हेतु कम से कम एक लड़का होना चाहिये ।" इस प्रश्न से प्राप्त विचारों पर महिलाओं की साँस्कृतिक पृष्ठभूमि का प्रभाव पड़ता है । भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही पुत्र जन्म की अनिवार्यता पर बल दिया गया है । हिन्दू सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत धार्मिक दृष्टिकोण से पुत्र का जन्म दम्पत्तियों के लिये पितृऋण से उऋण होने के लिये एक मात्र साधन है, पुत्र वंश एवं कुल का भावी संरक्षक है अतः इस कारण जब तक एक या दो पुत्र नहीं हो जाते लोग परिवार का आकार बढ़ाते जाते हैं । मुस्लिम समुदाय भी भारत में इस दृष्टिकोण से अछूता नहीं रह

सका । मुसलमानों में भी पुत्री की अपेक्षा पुत्र जन्म अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि मुस्लिम मान्यता के अनुसार पुत्र वंश चलाने वाला एवं बुढ़ापे में माँ-बाप का सहारा तथा परिवार के लिये आर्थिक उत्पादक है । इस कारण, आज भी अधिकांश महिलायें पुत्र जन्म की अनिवार्यता के पक्ष में हैं । यहाँ पर महिलाओं से इस प्रश्न पर विचारइसलिये प्राप्त किये गये ताकि पारिवारिक आकार के सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण और अधिक स्पष्ट हो सके । पुत्र-जन्म की अनिवार्यता प्रजनन-दर को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कारण है । इस दृष्टिकोण से सम्बन्धित महिलाओं के विचार सारणी 6.7 में प्रस्तुत है ।

सारणी 6.7

महिलाओं का पुत्र-जन्म की अनिवार्यता पर दृष्टिकोण

पुत्रजन्म की अनिवार्यता	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत
अत्याधिक अनिवार्य	230	57
अनिवार्य	75	19
अनिवार्य नहीं	95	24
योग-	400	100

सारणी 6.7 के विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि आज भी सर्वाधिक 57 प्रतिशत महिलायें पुत्रजन्म को अत्याधिक अनिवार्य मानती हैं जबकि 19 प्रतिशत महिलायें पुत्रजन्म को अनिवार्य मानती हैं व केवल 24 प्रतिशत महिलायें ऐसी हैं जो पुत्रजन्म को अनिवार्य नहीं मानती । इस प्रकार, सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि आज भी अधिकांश महिलायें पुत्रजन्म को अनिवार्य मानती हैं, पुत्रजन्म की अनिवार्यता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मात्र किसी धार्मिक रूढ़िवादिता के कारण ही नहीं बल्कि अन्य कारणों का फल भी है । वर्तमान समय में बढ़ते हुये दहेज की माँग के

कारण पुत्र अधिक उत्पादक जबकि पुत्री अधिक लागत समझी जाती है । अतः लोग पुत्रजन्म को अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं । साथ ही, पुत्र आज भी वंश चलाने वाला समझा जाता है । यह मान्यता कि 'लड़का घर का चिराग है', आज भी लोगों की दृष्टि में महत्वपूर्ण है । इसलिये पुत्रजन्म की अनिवार्यता के पक्ष में अधिकांश महिलायें हैं । भारत में उच्च प्रजनन-दर का यह एक महत्वपूर्ण कारण है । महिलाओं के इस दृष्टिकोण पर उनकी शिक्षा, जाति एवं व्यवसाय का प्रभाव पड़ता है । प्राप्त तथ्यों का विवरण इस प्रकार है ।

(अ) महिलाओं का पुत्रजन्म की अनिवार्यता पर दृष्टिकोण एवं उनका शैक्षिक स्तर-

महिलाओं का पुत्र जन्म से सम्बन्धित दृष्टिकोण पर उनके शैक्षिक स्तर का प्रभाव सारणी 6.7(अ) में प्रस्तुत किया गया है ।

सारणी 6.7(अ)

महिलाओं के शैक्षिक स्तर के अनुसार उनके द्वारा पुत्रजन्म की अनिवार्यता पर दृष्टिकोण

शैक्षिक स्तर	पुत्र जन्म की अनिवार्यता			योग
	अत्याधिक अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य नहीं	
निरक्षर	150	30	12	192
	%(78)	(16)	(06)	(100)
प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित	60	25	51	136
	%(44)	(19)	(37)	(100)
उच्च शिक्षित	20	20	32	72
	%(27)	(27)	(46)	(100)
योग-	230	75	95	400

काई-स्क्वायर (x^2) मूल्य - 82.16

काई-स्क्वायर (x^2) सारणी मूल्य = 9.49-.05

=13.28-.01

.01 सम्भाविता स्तर पर अन्तर अत्याधिक सार्थक है ।

सारणी 6.7(अ) के विवरण से संकेत मिलता है कि पुत्रजन्म की अनिवार्यता से सम्बन्धित महिलाओं के दृष्टिकोण पर उनके शैक्षिक स्तर का प्रभाव पड़ता है । सर्वाधिक 78 प्रतिशत निरक्षर महिलायें पुत्रजन्म को अत्याधिक अनिवार्य मानती हैं जबकि केवल 27 प्रतिशत उच्च शिक्षित महिलायें ही पुत्र जन्म को अत्याधिक अनिवार्य समझती हैं, 44 प्रतिशत प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित महिलाओं ने भी पुत्रजन्म अधिक महत्वपूर्ण माना है । मात्र 06 प्रतिशत निरक्षर महिलायें ही ऐसी हैं जो पुत्रजन्म को अनिवार्य नहीं समझती जबकि 46 प्रतिशत उच्च शिक्षित महिलाओं की दृष्टि में पुत्रजन्म अनिवार्य नहीं है, इसी तरह 37 प्रतिशत प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित महिलायें भी पुत्रजन्म को कोई महत्व नहीं देतीं । इसी प्रकार 16 प्रतिशत निरक्षर महिलाओं का विचार है कि पुत्रजन्म परिवार के लिये अनिवार्य है, व 19 प्रतिशत प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित महिलायें भी पुत्र का आवश्यक मानती हैं एवं 27 प्रतिशत उच्च शिक्षित महिलाओं का भी इस सम्बन्ध में यह विचार है कि यदि पुत्र हो तो यह परिवार के लिये अच्छा रहता है । इस प्रकार, सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि वे पुत्र जन्म से सम्बन्धित महिलाओं के दृष्टिकोण पर उनकी शिक्षा का व्यापक प्रभाव पड़ता है जैसा कि उच्च शिक्षित महिलायें निरक्षर महिलाओं की अपेक्षा पुत्रजन्म को अधिक आवश्यक नहीं मानती, इसी प्रकार, कम शिक्षित महिलायें भी अधिकांशतः तो पुत्रजन्म की अनिवार्यता के पक्ष में नहीं है । अतः स्पष्ट है कि जैसे-जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता जाता है महिलाओं के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आ जाता है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को प्रगतिशील बनाकर समयानुकूल चलने की प्रेरणा प्रदान करती है । आज की शिक्षित स्त्री समझती है कि पुत्र या पुत्री दोनों ही समान हैं । फिर भी, भारतीय नारी के मन में पुत्र की महत्ता पुत्र की अपेक्षा अधिक है । यही कारण है कि महिलाओं के जब तक 1 या 2 पुत्र नहीं हो जाते परिवार का आकार बढ़ाती रहती हैं जो कि उच्च प्रजनन-दर को बढ़ाता है ।

शैक्षिक स्तर के सन्दर्भ में महिलाओं के पुत्र जन्म से सम्बन्धित दृष्टिकोण का मूल्यांकन काई-स्क्वायर परीक्षण द्वारा किया गया जिससे प्राप्त निष्कर्ष .01 सम्भाविता स्तर पर अत्याधिक सार्थक है ।

(ब) महिलाओं का पुत्रजन्म से सम्बन्धित अनिवार्यता पर दृष्टिकोण एवं उनका जातीय स्तर-

महिलाओं के इस दृष्टिकोण पर जातीय स्तर के पड़ने वाले प्रभाव का विवरण सारणी 6.7(ब) में प्रस्तुत है ।

सारणी 6.7(ब)

महिलाओं के जातीय स्तर के अनुसार उनका पुत्रजन्म की अनिवार्यता पर दृष्टिकोण

जातीय स्तर	पुत्र जन्म की अनिवार्यता			योग
	अत्याधिक अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य नहीं	
उच्च	10	30	20	60
	%(20)	(50)	(30)	(100)
मध्यम	70	25	25	120
	%(58)	(21)	(21)	(100)
निम्न	150	20	50	220
	%(68)	(10)	(22)	(100)
योग-	230	75	95	400

काई-स्क्वायर (x^2) मूल्य = 67.07

काई-स्क्वायर (x^2) सारणी मूल्य = 9.49-.05

=13.28-.01

.01 सम्भाविता स्तर पर अन्तर सार्थक है ।

सारणी 6.7(ब) से स्पष्ट होता है कि महिलाओं के जातीय स्तर का प्रभाव भी उनके पुत्रजन्म की अनिवार्यता से सम्बन्धित दृष्टिकोण पर पड़ता है । उच्च जातीय स्तर की 20 प्रतिशत महिलायें पुत्रजन्म को अत्याधिक अनिवार्य मानती हैं जबकि ऐसी ही 50 प्रतिशत महिलाओं ने पुत्रजन्म को अनिवार्य माना है किन्तु इतना अनिवार्य नहीं कि पुत्र न होने के कारण वे परिवार का आकार ही बढ़ाती जायें व 30 प्रतिशत महिलायें पुत्रजन्म को अनिवार्य नहीं मानती है। साथ ही मध्यम जातीय स्तर की 58 प्रतिशत महिलायें पुत्र जन्म को अत्याधिक अनिवार्य तथा 21 प्रतिशत महिलायें

अनिवार्य मानती हैं व 21 प्रतिशत महिलायें पुत्रजन्म को आवश्यक नहीं समझतीं । इसी प्रकार, निम्न जातीय स्तर की सर्वाधिक 68 प्रतिशत महिलायें पुत्रजन्म को अत्याधिक अनिवार्य मानती हैं एवं 10 प्रतिशत महिलायें अनिवार्य समझती हैं जबकि 22 प्रतिशत महिलाओं ने पुत्रजन्म को अनिवार्य नहीं माना है । इस प्रकार, सारणी के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं का जातीय स्तर भी उनके इस दृष्टिकोण को प्रभावित करता है । उच्च एवं मध्यम जातीय स्तर की महिलाओं की अपेक्षा निम्न जातीय स्तर की महिलाओं में पुत्रजन्म अत्याधिक अनिवार्य प्रतीत होता है ।

महिलाओं के पुत्र जन्म से सम्बन्धित अनिवार्यता के दृष्टिकोण पर जातीय स्तर का प्रभाव देखने के लिये काई-स्क्वायर परीक्षण भी किया गया जो .01 सम्भाविता स्तर पर अत्याधिक सार्थक है ।

(स) महिलाओं का पुत्रजन्म की अनिवार्यता पर दृष्टिकोण एवं उनका व्यावसायिक स्तर-

महिलाओं का व्यावसायिक स्तर उनके इस दृष्टिकोण को प्रभावित करता है इसका विवरण सारणी 6.7(स) में प्रस्तुत है ।

सरणी 6.7(स)

महिलाओं के व्यावसायिक स्तर के अनुसार उनका पुत्रजन्म की अनिवार्यता पर दृष्टिकोण

व्यावसायिक स्तर	पुत्रजन्म की अनिवार्यता			योग
	अत्याधिक अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य नहीं	
गृहणी	200 %(65)	60 (19)	52 (16)	312 (100)
सरकारीकर्मचारी	00 %(00)	05 (17)	25 (83)	30 (100)
निजी व्यवसाय/श्रमिक	30 %(52)	10 (17)	18 (31)	58 (100)
योग-	230	75	95	400

काई-स्क्वायर (x^2) मूल्य = 72.91

काई-स्क्वायर (x^2) सारणी मूल्य = 9.49-.05

=13.28-.01

.01 सम्भाविता स्तर पर अन्तर अत्याधिक सार्थक है ।

सारणी 6.7(स) के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि महिलाओं का व्यवसाय उनके पुत्रजन्म की अनिवार्यता से सम्बन्धित दृष्टिकोण को प्रभावित करता है । 65 प्रतिशत गृहणी महिलायें पुत्रजन्म को अत्याधिक अनिवार्य समझती हैं व 19 प्रतिशत महिलायें पुत्रजन्म को अनिवार्य मानती हैं जबकि, 16 प्रतिशत महिलायें पुत्रजन्म को अनिवार्य नहीं मानतीं । साथ ही, सरकारी कर्मचारी कोई भी महिला पुत्रजन्म की अत्याधिक अनिवार्यता के पक्ष में नहीं है, मात्र 5 प्रतिशत महिलाओं ने पुत्रजन्म को अनिवार्य माना है । जबकि, सर्वाधिक 83 प्रतिशत सरकारी कर्मचारी महिलायें पुत्रजन्म को अनिवार्य नहीं मानतीं । इसी प्रकार छोटे-मोटे लघु व्यवसाय में संलग्न एवं श्रमिक महिलाओं में से 52 प्रतिशत ने पुत्रजन्म को अत्याधिक अनिवार्य माना है एवं 17 प्रतिशत महिलायें अनिवार्य मानती हैं जबकि ऐसी ही 31 प्रतिशत महिलायें पुत्रजन्म को अनिवार्य नहीं समझतीं । इस प्रकार, सारणी के विश्लेषण से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि महिलाओं का उच्च स्तरीय व्यवसाय उनके इस दृष्टिकोण को अत्याधिक प्रभावित करता है क्योंकि मात्र सरकारी कर्मचारी महिलायें ही ऐसी हैं जो पुत्रजन्म को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यक नहीं मानतीं । उनके समक्ष दो या तीन बच्चों का एवं सीमित आकार के परिवार का लक्ष्य है । इस कारण पुत्र या पुत्री दोनों ही समान हैं । महिलाओं के इस प्रकार के विचारों का कारण है कि एक तो वह स्वयं स्वावलम्बी हैं व महिला होकर बराबरी से पारिवारिक दायित्वों का वहन कर रही हैं और वह देख रही हैं कि लड़की या नारी आज हर क्षेत्र में अग्रणी है । साथ ही, शिक्षित होने के कारण वह इस मान्यता को भी रूढ़ि ही मानती है कि पुत्र ही वंश का भावी कर्ता-धर्ता है ।

महिलाओं के इस दृष्टिकोण का परीक्षण काई-स्क्वायर द्वारा भी किया गया जो कि .01 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है ।

(द) महिलाओं का पुत्रजन्म की अनिवार्यता पर दृष्टिकोण एवं उनका पारिवारिक स्तर-

महिलाओं का यह दृष्टिकोण उनके पारिवारिक स्तर से भी प्रभावित है अथवा नहीं इसका विवरण सारणी 6.7(द) में प्रस्तुत है ।

सारणी 6.7(द)

महिलाओं के पारिवारिक स्तर के अनुसार उनका पुत्रजन्म की अनिवार्यता पर दृष्टिकोण

पारिवारिक स्तर	पुत्रजन्म की अनिवार्यता			योग
	अत्याधिक अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य नहीं	
एकाकी	150	44	75	269
	%(56)	(16)	(28)	(100)
संयुक्त	80	31	20	131
	%(61)	(24)	(15)	(100)
योग-	230	75	95	400

काई-स्क्वायर (x^2) मूल्य = 8.72

काई-स्क्वायर (x^2) सारणी मूल्य = 9.49-.05

=13.28-.01

.05 सम्भाविता स्तर पर अन्तर सार्थक नहीं है ।

सारणी 6.7(द) के मूल्यांकन से स्पष्ट होता है कि महिलाओं का पुत्रजन्म की अनिवार्यता से सम्बन्धित दृष्टिकोण पर पारिवारिक स्तर का आंशिक प्रभाव है । एकाकी परिवार की 56 प्रतिशत महिलायें पुत्रजन्म को अत्याधिक अनिवार्य मानती हैं व 16 प्रतिशत अनिवार्य मानती हैं जबकि, 28 प्रतिशत महिलायें पुत्रजन्म को अनिवार्य नहीं समझतीं । इसी प्रकार, संयुक्त परिवार की 61 प्रतिशत महिलाओं ने पुत्रजन्म को अत्याधिक महत्वपूर्ण माना है जबकि 24 प्रतिशत पुत्रजन्म को आवश्यक मानती हैं एवं 15 प्रतिशत महिलायें पुत्रजन्म को अनिवार्य नहीं मानतीं । इस प्रकार, स्पष्ट हो जाता है कि पारिवारिक स्तर का महिलाओं के इस दृष्टिकोण पर अधिक प्रभाव नहीं है । क्योंकि वर्तमान समय में वैयक्तिकता एवं अन्य कारणों से संयुक्त परिवारों का महत्व समाप्त होता जा रहा है अब दम्पत्ति अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के अनुसार व समय की माँग के अनुकूल चलते हैं ।

इस दृष्टिकोण का काई-स्क्वायर के द्वारा परीक्षण किया गया जिससे प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार .05 पर अन्तर सार्थक नहीं है ।

इस प्रकार, महिलाओं के इस दृष्टिकोण का चारो-चरों के आधार पर विश्लेषण करने से यह सिद्ध होता है कि महिलाओं के इस दृष्टिकोण पर इनका प्रभाव पर्याप्त है । किन्तु साथ ही, यह बात भी सिद्ध हो जाती है कि वर्तमान समय में विकास एवं प्रगति के पश्चात भी पुत्रजन्म भारतीय समाज में महत्वपूर्ण है जो कि उच्च प्रजनन-दर का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है ।

8- महिलाओं का अधिक पुत्रियों के जन्म के पश्चात भी पुत्रजन्म पर दृष्टकोण-

महिलाओं से आठवाँ प्रश्न पूँछा गया कि "मान लीजिये आपके तीन लडकियाँ हैं तो क्या अगला बच्चा इस आशा से चाहेंगी कि एक लड़का हो जाय ।" ऐसे प्रश्न से प्राप्त महिलाओं कि विचार पर उनकी साँस्कृतिक पृष्ठभूमि का प्रभाव पड़ता है । इस प्रश्न का महिलाओं के पारिवारिक आकार सम्बन्धी दृष्टिकोण से सीधा सम्बन्ध है । यदि अधिकांश महिलायें लड़कियों के जन्म के पश्चात भी लड़के का जन्म अनिवार्य मानने के कारण अगले बच्चे को जन्म देना चाहेंगी तो निश्चित ही महिलाओं की प्रजनन-दर बढ़ेगी । यदि महिलायें पुत्रजन्म को अनिवार्य नहीं मानतीं व तीन लड़कियों को ही परिवार के लिये ठीक समझती हैं तो निश्चित रूप से प्रजनन-दर कम होगी। इसी कारण यहाँ महिलाओं से इस तरह के प्रश्न पूँछे गये । प्रश्नों से प्राप्त तथ्यों का विवरण सारणी 6.8 में प्रस्तुत है ।

सारणी 6.8

महिलाओं का अधिक पुत्रियों के जन्म के पश्चात भी पुत्रजन्म पर दृष्टिकोण

पुत्रजन्म आवश्यक	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत
हाँ	290	72
नहीं	110	28
योग-	400	100

सारणी 6.8 से संकेत मिलता है कि अधिकांश महिलायें आज भी पुत्रजन्म को अत्याधिक अनिवार्य समझती हैं । 72 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया कि अधिक लड़कियों के पश्चात भी वे पुत्रजन्म हेतु अगले बच्चे को जन्म देना चाहती हैं । मात्र 28 प्रतिशत महिलायें ही ऐसी हैं जो सीमित परिवार को पुत्रजन्म की अपेक्षा अधिक महत्व प्रदान करती है । उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़का है या लड़की वे बस दो या तीन बच्चों का जन्म ही आदर्श परिवार के लिये आवश्यक समझती हैं । परन्तु वर्तमान राष्ट्रीय माँग के प्रतिकूल अधिकांश महिलायें पुत्रजन्म की आवश्यकता पर बल देती हैं । यद्यपि अधिकांश महिलायें पुत्रजन्म की पक्षधर हैं । पर कुछ ऐसी भी हैं जो इसको बिल्कुल भी महत्व नहीं देतीं । महिलाओं का यह दृष्टिकोण उनके शैक्षिक, जातीय, व्यावसायिक व पारिवारिक स्तर से कितना प्रभावित है, यहाँ पर ऐसे ही तथ्यों को खोजने का प्रयास किया गया है । प्राप्त परिणामों का विवरण इस प्रकार है ।

(अ) महिलाओं का अधिक पुत्रियों के जन्म के पश्चात भी पुत्रजन्म पर दृष्टिकोण एवं उनका शैक्षिक स्तर-

महिलाओं का यह दृष्टिकोण उनके शैक्षिक स्तर से अत्याधिक प्रभावित है जिसका विवरण सारणी 6.8(अ) में प्रस्तुत है ।

सारणी 6.8(अ)

महिलाओं के शैक्षिक स्तर के अनुसार उनका अधिक पुत्रियों के जन्म के पश्चात भी पुत्रजन्म पर दृष्टिकोण

शैक्षिक स्तर	पुत्रजन्म आवश्यक		योग
	हाँ	नहीं	
निरक्षर	150 %(78)	42 (22)	192 (100)
प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित	110 %(80)	26 (20)	136 (100)
उच्च शिक्षित	30 %(42)	42 (58)	72 (100)
योग-	290	110	400

काई-स्क्वायर (x^2) मूल्य = 43.17
काई-स्क्वायर (x^2) सारणी मूल्य = 9.49-.05
=13.28-.01

.01 सम्भाविता स्तर पर अन्तर सार्थक है ।

सारणी 6.4(अ) के विवरण से इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है कि महिलाओं के अधिक पुत्रियों के पश्चात भी पुत्रजन्म से सम्बन्धित दृष्टिकोण पर उनके शैक्षिक स्तर का पर्याप्त प्रभाव दिखाई पड़ता है । निरक्षर महिलाओं में से 78 प्रतिशत ने अधिक पुत्रियों के जन्म के पश्चात भी पुत्र जन्म के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया है ,जबकि केवल 42 प्रतिशत उच्च शिक्षित महिलायें अधिक पुत्रियों के बावजूद पुत्रजन्म की अनिवार्यता की पक्षधर हैं । प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित 80 प्रतिशत महिलाओं ने भी इस दृष्टिकोण के पक्ष में अपनी इच्छा व्यक्त की । साथ ही, मात्र 22 प्रतिशत निरक्षर महिलाओं ने पुत्रजन्म को इतना महत्व नहीं दिया कि अधिक पुत्रियों के जन्म के पश्चात भी बच्चा पैदा किया जाये । व 20 प्रतिशत कम शिक्षित महिलायें भी इस दृष्टिकोण की पक्षधर नहीं हैं । सर्वाधिक 58 प्रतिशत उच्च शिक्षित महिलायें ऐसी हैं जो अधिक पुत्रियों के पश्चात पुत्रजन्म हेतु अगले बच्चे का जन्म आवश्यक नहीं समझतीं । इस प्रकार, सारणी के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा का उच्च स्तर ही महिलाओं को रूढ़िग्रस्त मान्यताओं के प्रतिकूल निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है । उच्च शिक्षित महिलायें अधिक बच्चों को मात्र पुत्र प्राप्ति हेतु जन्म देने की अपेक्षा यह अधिक उपयुक्त समझतीं हैं कि कम बच्चों को ही पाल-पोस कर उचित शिक्षा प्रदान की जाये चाहे वह लड़कियाँ ही क्यों न हों । क्योंकि वह इस तथ्य से परिचित हैं कि महिलायें आज पुरूषों से कन्धा से कन्धा मिलाकर चल रही हैं ।

इस दृष्टिकोण का परीक्षण काई-स्क्वायर के द्वारा भी किया गया ताकि यह स्पष्ट हो कि शिक्षा इस दृष्टिकोण को कहाँ तक प्रभावित करती है । प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार .01 सम्भाविता स्तर पर अन्तर अत्याधिक सार्थक है ।

(ब) महिलाओं का अधिक पुत्रियों के जन्म के पश्चात भी पुत्रजन्म पर दृष्टिकोण एवं उनका जातीय स्तर-

अधिकांश महिलायें अधिक पुत्रियों के जन्म के पश्चात भी पुत्रजन्म की आशा से अगले बच्चे को जन्म देने की पक्षधर हैं । इनका दृष्टिकोण जातीय स्तर से भी प्रभावित है जिसका विवरण सारणी 6.6(ब) में प्रस्तुत है ।

सारणी 6.8(ब)

महिलाओं के जातीय स्तर के अनुसार उनका अधिक पुत्रियों के जन्म के पश्चात भी पुत्रजन्म पर दृष्टिकोण

जातीय स्तर	पुत्रजन्म आवश्यक		योग
	हाँ	नहीं	
उच्च	20	40	60
	%(34)	(66)	(100)
मध्यम	70	50	120
	%(58)	(42)	(100)
निम्न	200	20	220
	%(91)	(09)	(100)
योग-	290	110	400

काई-स्क्वायर (x^2) मूल्य = 95.61

काई-स्क्वायर (x^2) सारणी मूल्य = 9.49-.05

=13.28-.01

.01 सम्भाविता स्तर पर अन्तर अत्याधिक सार्थक है ।

सारणी 6.8(ब) से स्पष्ट संकेत मिलता है कि महिलाओं का जातीय स्तर उनके इस दृष्टिकोण को अत्याधिक प्रभावित करता है । उच्च जातीय स्तर की 34 प्रतिशत महिलायें अधिक पुत्रियों को जन्म देने की पक्षधर हैं जबकि, निम्न जातीय स्तर की सर्वाधिक 91 प्रतिशत महिलाओं ने इस सम्बन्ध में अपनी इच्छा व्यक्त की है व 58 प्रतिशत मध्यम जातीय स्तर की महिलायें भी पुत्रजन्म को आवश्यक समझती हैं । साथ ही, सर्वाधिक 66 प्रतिशत महिलायें जो कि उच्च जाति की हैं वे पुत्रजन्म को इतना आवश्यक नहीं मानती कि उसकी वजह से पारिवारिक आकार बढ़ता जाय

जबकि 42 प्रतिशत मध्यम जातीय स्तर का महिलायें भी पुत्रजन्म की अत्याधिक अनिवार्यता के पक्ष में नहीं है व मात्र 9 प्रतिशत निम्न जातीय स्तर की महिलाओं ने पुत्रजन्म अत्याधिक अनिवार्य नहीं माना । इस प्रकार, सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि महिलाओं का उच्च जातीय स्तर भी उनके इस दृष्टिकोण को प्रभावित करता है । इसी प्रकार, निम्न जातीय स्तर की महिलायें भी पुत्रजन्म की आवश्यकता पर अत्याधिक बल नहीं देतीं । ऐसा सम्भवतः इस कारण है कि जैसे-जैसे समाज में व्यक्ति का स्तर बढ़ता है उसे उच्च सामाजिक प्रस्थिति प्राप्त होती है फलतः उनकी विचारधारा भी प्रगतिशील हो जाती है ।

इस दृष्टिकोण पर काई-स्क्वायर परीक्षण द्वारा भी महिलाओं के जातीय स्तर का प्रभाव देखने का प्रयास किया गया जिसके अनुसार .01 सम्भाविता स्तर पर अन्तर अत्याधिक सार्थक है ।

(स) महिलाओं का अधिक पुत्रियों के पश्चात भी पुत्रजन्म पर दृष्टिकोण एवं उनका व्यावसायिक स्तर

महिलाओं के इस दृष्टिकोण पर भी उनके व्यावसायिक स्तर का अत्याधिक प्रभाव पड़ता है जिसका विवरण सारणी 6.8(स) में अंकित है ।

सारणी 6.8(स)

महिलाओं के व्यावसायिक स्तर के अनुसार उनका अधिक पुत्रियों के जन्म के पश्चात भी पुत्रजन्म पर दृष्टिकोण

व्यावसायिक स्तर	पुत्रजन्म आवश्यक		योग
	हाँ	नहीं	
गृहणी	240 %(77)	72 (23)	312 (100)
सरकारी कर्मचारी	04 %(13)	26 (87)	30 (100)
निजी व्यवसाय/श्रमिक	46 %(80)	12 (20)	58 (100)
योग-	290	110	400

काई-स्क्वायर (x^2) मूल्य = 56.85
काई-स्क्वायर (x^2) सारणी मूल्य = 9.49-.05
=13.28-.01
.01 सम्भाविता स्तर पर अन्तर सार्थक है ।

सारणी 6.8(स) के अवलोकन से विदित होता है कि महिलाओं का व्यावसायिक स्तर भी उनके दृष्टिकोण को अत्याधिक प्रभावित करता है । घरेलू काम-काज से जुड़ी 77 प्रतिशत महिलायें अधिक लड़कियों के जन्म के पश्चात भी पुत्रजन्म पर बल देती हैं जबकि मात्र 13 प्रतिशत सरकारी कर्मचारी महिलाओं ने इस सम्बन्ध में अपनी इच्छा व्यक्त की है व 80 प्रतिशत निजी व्यवसाय व श्रमिक महिलायें भी पुत्रजन्म को अत्याधिक आवश्यक समझती हैं । इसी प्रकार, मात्र 23 प्रतिशत गृहणी महिलायें व 20 प्रतिशत लघु उद्योग एवं श्रमिक कार्यो में संलग्न महिलायें पुत्रजन्म को अधिक महत्व नहीं देती, जबकि, 87 प्रतिशत सरकारी कर्मचारी महिलायें पुत्रजन्म को आवश्यक नहीं मानतीं । इस प्रकार सारणी के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि महिलाओं का व्यावसायिक स्तर उनके इस दृष्टिकोण को अत्याधिक प्रभावित करता है जैसा कि सरकारी कर्मचारी महिलायें अन्य महिलाओं की अपेक्षा पुत्र जन्म को विशेष महत्व नहीं देती क्योंकि शिक्षित होने के साथ-साथ वे स्वावलम्बी भी हैं तथा उनकी व्यक्तिगत विचारधारा तर्क एवं विवेक पर आधारित है । वे भली-भाँति जानती हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लड़का या लड़की का प्रश्न नहीं, बल्कि केवल 2 या 3 बच्चों का लक्ष्य ही आदर्श परिवार के लिये आवश्यक है क्योंकि आज बच्चों का पालन-पोषण एवं अच्छी शिक्षा अत्याधिक मँहगी है तथा जनसंख्या वृद्धि ने प्रतिस्पर्धा को अधिक प्रोत्साहन दिया है अतः जितने कम बच्चे होंगे उन्हें विकास एवं उन्नति के अधिक अवसर प्राप्त होंगे । इस प्रकार, यह दृष्टिकोण राष्ट्र के लिये भी लाभदायक सिद्ध होगा ।

इस दृष्टिकोण पर महिलाओं के व्यावसायिक स्तर का मूल्यांकन करने हेतु काई-स्क्वायर परीक्षण ज्ञात किया गया जिसके आधार पर .01 सम्भाविता स्तर पर अन्तर अत्याधिक सार्थक हे ।

(द) महिलाओं का अधिक पुत्रियों के जन्म के पश्चात भी पुत्र जन्म पर दृष्टिकोण एवं उनका पारिवारिक स्तर-

यह दृष्टिकोण महिलाओं के पारिवारिक स्तर से भी प्रभावित है जिसका विवरण सारणी 6.8(द) में प्रस्तुत है ।

सारणी 6.8(द)

महिलाओं के पारिवारिक स्तर के अनुसार उनका अधिक पुत्रियों के जन्म के पश्चात भी पुत्रजन्म दृष्टिकोण

पारिवारिक	पुत्रजन्म आवश्यक हाँ	नहीं	योग
एकाकी	179	90	269
	%(67)	(33)	(100)
संयुक्त	111	20	131
	%(85)	(15)	(100)
योग-	290	110	400

काई-स्क्वायर (x^2) मूल्य = 14.26

काई-स्क्वायर (x^2) सारणी मूल्य = 9.49-.05

:13.28-.01

.05 सम्भावित स्तर पर अन्तर सार्थक है ।

सारणी 6.8(द) में अंकित आंकड़ों से परिलक्षित होता है कि महिलाओं के अधिक पुत्रियों के जन्म के पश्चात भी पुत्रजन्म की अनिवार्यता से सम्बन्धित दृष्टिकोण पर उनके पारिवारिक स्तर का भी प्रभाव पड़ता है । एकाकी परिवार की 67 प्रतिशत महिलायें पुत्रजन्म को आवश्यक समझती हैं व संयुक्त परिवार की 85 प्रतिशत महिलाओं ने भी इसी दृष्टिकोण के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया है । इसी प्रकार, एकाकी परिवार की 33 प्रतिशत महिलाओं ने पुत्रजन्म को इतना महत्वपूर्ण नहीं माना कि अधिक लड़कियाँ होने पर भी पुत्र की आशा से अगले बच्चे को जन्म दिया जाय जबकि, संयुक्त परिवार की मात्र 15 प्रतिशत महिलायें भी इस दृष्टिकोण के पक्ष में नहीं है । इस प्रकार, सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि संयुक्त परिवार की अपेक्षा एकाकी परिवार की ज्यादा महिलायें इस दृष्टिकोण के प्रति सहमत नहीं हैं । ऐसा इस कारण है कि एकाकी परिवार की महिलायें वैचारिक रूप से स्वतन्त्र रहकर जीवन यापन कर रही हैं वह समझती हैं कि अधिक बच्चेपरिवारकी स्मृद्धि के लिये हानिकारक हैं ।

महिलाओं के इस दृष्टिकोण पर भी काई-स्क्वायर परीक्षण द्वारा परिणाम प्राप्त किये गये जिसके अनुसार सम्भाविता स्तर पर अन्तर सार्थक है ।

इस प्रकार, इस अध्याय में महिलाओं से उनके पारिवारिक मूल्यों पर आधारित पारिवारिक आकार के सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण ज्ञात करने के उद्देश्य से आठ प्रश्न पूँछे गये उपर्युक्त विश्लेषण इन्हीं प्रश्नों पर आधारित हैं । महिलाओं के दृष्टिकोण पर उनकी साँस्कृतिक पृष्ठभूमि का मूल्यांकन करने हेतु चार चरों को भी आधार बनाया गया जो महिलाओं के विचारों को प्रभावित करते हैं । ये चर हैं- जाति, शिक्षा, व्यवसाय एवं परिवार का प्रकार आदि । उक्त विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों का सारांश इस प्रकार है ।

महिलाओं से पारिवारिक आकार के सम्बन्ध में पहला प्रश्न पूँछा गया था कि "आपके विचार में किसी महिला के सम्पूर्ण जीवनकाल में कुल कितने बच्चे होने चाहिये ?" इस प्रश्न से सम्बन्धित अधिकांश महिलाओं का दृष्टिकोण 3 अथवा उससे भी अधिक बच्चों को जन्म देने के पक्ष में हैं जो कि राष्ट्रीय माँग एवं वर्तमान जनसंख्या नीति के प्रतिकूल है क्योंकि निर्दशन में चयनित अधिकांश महिलायें अशिक्षित एवं पिछड़े हुये समुदाय की हैं । इस प्रश्न पर महिलाओं की शिक्षा के प्रभाव को जानने का प्रयास किया गया, प्राप्त निष्कर्षों से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि उच्च शिक्षित महिलायें निरक्षर एवं कम शिक्षित महिलाओं की अपेक्षा कम बच्चों के जन्म देने की पक्षधर हैं । इस प्रकार, शिक्षा का उच्च स्तर प्रजनन-दर को कम करने में अधिक सार्थक प्रतीत होता है । महिलाओं के इस दृष्टिकोण का जातीय स्तर के आधार पर विश्लेषण करने के पश्चात यह स्पष्ट हो सका कि महिलाओं की प्रजननता को नियंत्रित करने हेतु उच्च जातीय स्तर अधिक प्रभावशाली प्रतीत हो सका है । बच्चों की संख्या से सम्बन्धित महिलाओं के विचारों पर उनके उच्च स्तरीय व्यवसाय का प्रभाव भी दृष्टिगोचर प्रतीत होता है । इस प्रश्न की व्याख्या महिलाओं के पारिवारिक स्तर के आधार पर भी की गई जिससे यह परिलक्षित हुआ कि संयुक्त परिवार में एकाकी परिवारों की अपेक्षा अधिक प्रजनन-दर का प्रचलन है ।

महिलाओं से दूसरा प्रश्न पूँछा गया था कि "आपके विचार में लड़की के विवाह की सर्वोत्तम आयु क्या है ?" इस प्रश्न पर विचार करने का यह उद्देश्य है कि विवाह की आयु एवं प्रजननता के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध है । यदि विवाह की आयु कम होगी तो प्रजनन-दर

अधिक होगी तथा विवाह की आयु अधिक होने पर प्रजनन-दर कम हो जाती है । अधिकांश महिलाओं का दृष्टिकोण इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय अधिनियम के प्रतिकूल, 18 वर्ष से कम आयु में ही लड़की का विवाह करने के पक्ष में हैं । इसका मुख्य कारण है कि अधिकांश महिलायें निरक्षर, पिछड़ी हुई एवं पुरानी रूढ़िग्रस्त मान्यताओं की पोषक हैं । महिलाओं के इस दृष्टिकोण पर भी उनकी शिक्षा, जाति, व्यवसाय एवं परिवार के प्रकार का प्रभाव सांख्यकीय परिणामों के आधार पर स्पष्ट हो सका है । अशिक्षित व कम शिक्षित महिलाओं की अपेक्षा उच्च शिक्षित महिलायें पूर्ण शिक्षा एवं 18 वर्ष या उससे अधिक आयु में लड़की का विवाह करने की पक्षधर हैं इसी प्रकार, जातीय स्तर भी महिलाओं के इस दृष्टिकोण को प्रभावित करता है क्योंकि सर्वाधिक उच्च जातीय स्तर की महिलायें लड़की का विवाह अधिक आयु में करना चाहती हैं । इसी प्रकार, महिलाओं की आत्म-निर्भरता एवं उनके उच्च स्तरीय व्यवसाय का प्रभाव लड़की के विवाह सम्बन्धी दृष्टिकोण पर पड़ता है क्योंकि ऐसी महिलायें लड़की का विवाह अधिक आयु में करने के पक्ष में हैं । इसी तरह, संयुक्त परिवार की अपेक्षा एकाकी परिवार में रहने वाली महिलायें लड़की का विवाह 18 वर्ष या इससे भी अधिक आयु में करने की पक्षधर हैं ।

महिलाओं से तीसरा प्रश्न पूँछा गया था कि "आपके विचार में लड़के के विवाह की सर्वोत्तम आयु क्या है ?" इस सम्बन्ध में अधिकांश मुस्लिम महिलायें लड़कों का विवाह कम आयु में ही करने के पक्ष में अपना मत व्यक्त करती हैं क्योंकि ऐसी महिलायें निरक्षर हैं एवं निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर से सम्बद्ध हैं । लड़कों के विवाह की आयु से सम्बन्धित महिलाओं के विचार उनकी शिक्षा से प्रभावित है । जो महिलायें उच्च शिक्षित हैं वह लड़के का विवाह 21 वर्ष या उससे भी अधिक आयु में करने की पक्षधर हैं जबकि, अधिकांश अशिक्षित महिलाओं का दृष्टिकोण लड़के का विवाह कम आयु में ही करने से सम्बन्धित है । महिलाओं के इस दृष्टिकोण पर जातीय स्तर का प्रभाव भी देखा जा सकता है क्योंकि निम्न जातीय स्तर की [illegible] अधिक आयु में करने के पक्ष में मत व्यक्त किया है । इसी [illegible] सरकारी कर्मचारी एवं उच्च व्यावसायिक स्तर की [illegible] आयु में लड़के का [illegible] करने की पक्षधर हैं । [illegible] दृष्टिकोण पर [illegible] एकाकी परिवार की महिलाओं के विचार लड़के का विवाह अधिक आयु में करने से सम्बन्धित है ।

महिलाओं से चौथा प्रश्न पूँछा गया था कि आपके विचार में विवाह और पहले बच्चे के जन्म के बीच कितना अन्तर होना चाहिये ? अधिकांश महिलायें विवाह और प्रथम जन्म के बीच 1-2 वर्ष का अन्तर ही उपयुक्त मानती हैं जबकि वर्तमान जनसंख्या नीति इस सम्बन्ध में कम से कम 3 वर्ष के अन्तर पर बल देती है । केवल उच्च शिक्षित महिलायें ही विवाह और पहले बच्चे के जन्म के बीच 3 से 4 वर्ष तक के अन्तर को महत्वपूर्ण समझती हैं । उच्च जातीय स्तर की महिलायें भी निम्न जातीय स्तर की अपेक्षा इस सम्बन्ध में अधिक अन्तर को उपयुक्त मानती हैं । आत्म-निर्भर सरकारी कर्मचारी महिलायें, गृहणी महिलाओं एवं लघु व्यवसाय में संलग्न महिलाओं की अपेक्षा विवाह एवं प्रथम जन्म के बीच 3 वर्ष के अन्तर की पक्षधर हैं । इस प्रकार, यह स्पष्ट होता है कि यदि यह अन्तर अधिक है तो प्रजनन-दर कम करने में सहायक होगा ।

महिलाओं से पाँचवां प्रश्न पूँछा गया था कि "आपके विचार से बच्चों के जन्म के बीच कितना अन्तर होना चाहिये ?" इस विचार के सम्बन्ध में आज भी अधिकांश महिलायें राष्ट्रीय माँग के प्रतिकूल विभिन्न बच्चों के जन्म के बीच कम अवधि के अन्तर को स्वीकार करती हैं । प्रायः ऐसी महिलायें अशिक्षित, पिछड़ी एवं प्राचीन धार्मिक मान्यताओं की पोषक हैं किन्तु कुछ ऐसी भी महिलायें हैं जो राष्ट्रीय माँग के अनुकूल विभिन्न बच्चों के जन्म के बीच अधिक अवधि के अन्तर को स्वीकार करती हैं क्योंकि यह महिलायें उच्च शिक्षित एवं उच्च जातीय स्तर से सम्बन्धित हैं । काम-काजी महिलाओं का दृष्टिकोण भी राष्ट्र माँग के अनुकूल है । इसी प्रकार, संयुक्त परिवार की महिलायें विभिन्न बच्चों के जन्म के बीच कम अन्तर की पक्षधर हैं जबकि एकाकी परिवार में रहने वाली महिलायें इस सम्बन्ध में अधिक अन्तर को स्वीकार करती हैं । महिलाओं द्वारा वांछित विभिन्न बच्चों के जन्म के बीच अन्तर प्रजनन-दर को कम करने में सहायक हो सकता है ।

महिलाओं से छठवाँ प्रश्न पूँछा गया था कि "पहली बार आपने यह कब सोचना प्रारम्भ किया कि आपके कितने बच्चे होने चाहिये ?" (अर्थात कितने बच्चे होने के बाद) पिछड़े हुये समुदाय में रहने एवं अशिक्षा तथा निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर से ग्रसित होने के कारण अधिकांश महिलाओं ने अधिक बच्चों को जन्म देने के पश्चात ही यह महसूस किया कि उनके

कितने बच्चे होना चाहिये । जबकि, शिक्षित एवं स्वावलम्बी महिलाओं ने विवाह के बाद या एक बच्चे के जन्म के पश्चात ही बच्चों के जन्म के सम्बन्ध में सोचना प्रारम्भ कर दिया । इसी प्रकार, उच्च जातीय स्तर की महिलायें भी एक या दो बच्चों को जन्म देने के बाद ही यह तय कर चुकी थीं कि उनके कितने बच्चे होने चाहिये । संयुक्त परिवार की महिलाओं ने भी इस सम्बन्ध में विवाह के बाद एक या दो बच्चों के जन्म के बाद से ही सोचना प्रारम्भ कर दिया । इस प्रकार, यह स्पष्ट होता है कि महिला यदि जल्दी परिवार के आकार के सम्बन्ध में जागरूक हो जाती है तब प्रजनन-दर अपेक्षाकृत कम हो सकती है ।

महिलाओं से सातवाँ प्रश्न यह पूँछा गया था कि "आप इस बात को कितना महत्वपूर्ण समझती हैं कि वंश चलाने हेतु कम से कम एक लड़का होना चाहिये ?" भारतीय समाज में पुत्रजन्म सभी सम्प्रदायों में अत्याधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है । इसके महत्व को आज भी नकारा नहीं जा सकता है । भारतीय मानस-पटल पर अंकित यह ऐसी धारणा है जिसके महत्व को कोई भी कारक अधिक प्रभावित नहीं करता । लगभग सभी महिलायें चाहे वह उच्च शिक्षित हो अथवा उच्च जातीय स्तर की, इसकी अनिवार्यता की पक्षधर हैं । प्रतिदर्श की मात्र कुछ प्रतिशत महिलायें ही जो उच्च व्यावसायिक स्तर की हैं तथा शिक्षित भी है इसकी महत्ता को स्वीकार नहीं करती । साथ ही, परिवार का प्रकार भी इस सम्बन्ध में कोई प्रभाव नहीं डालता । इस प्रकार, स्पष्ट है कि पुत्रजन्म की अनिवार्यता भी अधिक उच्च प्रजनन-दर को जन्म देती है ।

महिलाओं से आठवाँ प्रश्न पूँछा गया था कि मान लीजिये आपके तीन लड़कियाँ हैं तो क्या अगला बच्चा इस आशा से चाहेंगी कि एक लड़का हो जाय ? प्राचीनकाल में भारतीय समाज में लड़की का जन्म अभिशाप माना जाता था । कुछ लोग इसे पगड़ी नीची करने का कारण समझते थे इसी कारण लड़की को जन्म के समय मार डाला जाता था । आज यह धारणा तो नहीं रही फिर भी, लड़की का जन्म कोई महत्व नहीं रखता, जबकि पुत्रजन्म की महत्ता आज भी है । अधिक पुत्रियों के पश्चात भी पुत्र की आशा से सन्तान को जन्म देने के सम्बन्ध में अधिकांश महिलाओं ने अपने मत व्यक्त किये हैं । कुछ प्रतिशत उच्च शिक्षित अथवा उच्च सामाजिक-आर्थिक स्तर से

सम्बद्ध महिलायें अवश्य इसकी पक्षधर नहीं हैं । इस प्रकार, भारत में अधिक प्रजनन-दर हेतु आज भी सामाजिक-साँस्कृतिक मान्यतायें ही उत्तरदायी हैं ।

इस प्रकार, उक्त सारांश से इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है कि पारिवारिक आकार के सम्बन्ध में महिलाओं का दृष्टिकोण उनके पारिवारिक एवं साँस्कृतिक मूल्यों से प्रभावित है । साथ ही, उनके दृष्टिकोण को परिवर्तित करने हेतु शिक्षा, जातीयस्तर, व्यवसाय एवं परिवार का प्रकार आदि प्रभावी चर हो सकते हैं ।

अध्याय - 7
सारांश, निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन का अभिप्राय सूक्ष्म स्तर पर उच्च प्रजनन-दर के लिये उत्तरदायी कारकों एवं प्रजननता सम्बन्धित विभिन्नताओं की खोज करना है । इस अध्ययन को भारतीय समाज के नगरीय-परिवेश में एक विशिष्ट सम्प्रदाय (मुस्लिम सम्प्रदाय) तक सीमित किया गया है । उक्त प्रक्रिया में अध्ययन का उद्देश्य है मुस्लिम महिलाओं में प्रजनन व्यवहार से सम्बन्धित विभिन्नताओं की खोच करना तथा पारिवारिक आकार के सम्बन्ध में उनके दृष्टिकोण को ज्ञात करना । साथ ही, विभिन्न परिस्थितियों में मुस्लिम सम्प्रदाय में उच्च प्रजनन-दर पर नियंत्रण हेतु सुझाव प्रस्तुत करना भी है उक्त अध्ययन का उद्देश्य है ।

किसी भी देश में प्रजननता का सम्बन्ध उस देश की प्रगति, समृद्धि एवं सामाजिक-आर्थिक विकास से होता है । सभी देशों में प्रजननता आयु वितरण, विवाह दर, मनुष्यों के आचरण, परिवार नियोजन की सुविधाओं तथा आर्थिक स्थिति का प्रतिफल है । प्रजननता एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है । जनसंख्या अध्ययन में प्रजननता विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि जन्म के फलस्वरूप ही विश्व व सभी देशों की जनसंख्या में अनेक परिवर्तन होते हैं । प्रजननता का अर्थ वास्तविक जन्मों की संख्या से है, जबकि जननक्षमता का तात्पर्य बच्चे पैदा करने की शारीरिक क्षमता है । अतः प्रजननता किसी सीमा तक स्वयं की जननक्षमता पर निर्भर करती है । प्रजननता किसी व्यक्ति, परिवार तथा देश के लिये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है । प्रजननता प्रारम्भ से ही एक महत्वपूर्ण विषय रही है । प्राचीनकाल में यज्ञ आदि के अवसर पर औरतों में प्रजननता का संचार किया जाता था, किन्तु जब किसी भी प्रकार प्रजननता को स्थिर नहीं रखा जा सका तो अनेक रीति-रिवाजों द्वारा ऐसा मोड़ दिया गया कि वंश चलता रहे जैसे विधवा-विवाह, बहुपत्नी विवाह आदि । जब प्रजननता अत्याधिक बढ़ने लगी तो सामाजिक रीति-रिवाजों में फिर परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया जैसे- गर्भपात, देर से विवाह, विवाह उपरान्त भी अलगाव, अधिक समय तक बच्चे को दूध पिलाना और यहाँ तक कि शिशु हत्या ।

विश्व में एवं विशेष रूप से भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या का मुख्य कारण प्रजनन-दर है । विश्व में चीन के पश्चात भारत ही दूसरा विकासशील देश है जहाँ

जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से हो रही है । 1907 से 1991 तक लगातार भारत की जनसंख्या बढ़ती गई । भारत की जनसंख्या का इतिहास इस तथ्य को उद्घोषित करता है कि यहाँ की आबादी अविराम गति से प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है । जनसंख्या वृद्धि के लिये मुख्यतः जनांनकिकी की चार घटनायें उत्तरदायी हैं -

1- जन्मदर 2- मृत्युदर 3- जनसंख्या प्रवास, जनसंख्या अप्रवास

भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण हैं लगातार मृत्यु-दर में कमी एवं बढ़ती हुई जन्मदर । जन्म एक जैवकीय एवं परम व्यक्तिगत प्रक्रिया का फल है, किन्तु यह मनुष्य के ऊपर पड़ने वाले सभी प्रकार के जैविकीय, प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक प्रभावों से प्रभावित होता है । मानव की प्रजननता पर उसकी सन्तानोत्पादक क्षमता, स्वास्थ्य स्तर, स्थान विशेष की जलवायु, व्यवसाय, आर्थिक स्तर, विवाह की उम्र, जीवन स्तर, विवाह प्रथा, ग्रामीण एवं नगरीय परिवेश, शिक्षा, सन्तान की मान्यता, पुत्र की अनिवार्यता तथा परिवार-नियोजन विधियों के प्रति सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण इत्यादि ऐसे तमाम कारणों का प्रभाव पड़ता है, जिससे जन्मदर का निर्धारण होता है । भारत में उच्च प्रजनन-दर के मुख्यतया निम्न कारण हैं -

1- भारत में विवाह एक अनिवार्य संस्था है । यहाँ लगभग 95 प्रतिशत स्त्री एवं पुरूष विवाह अवश्य करते हैं ।

2- भारत में कम आयु में विवाह का प्रचलन है । अधिकांश महिलाओं का विवाह 15 वर्ष की आयु के अन्दर हो जाता है । इस कारण उन्हें 30 वर्ष का लम्बा समय बच्चे पैदा करने के लिये मिल जाता है । विवाह की आयु और कुल प्रजनन-दर में व्युतक्रमी सम्बन्ध होता है ।

भारत में वर्तमान जनसंख्या नीति के अनुसार विवाह की आयु लड़को के लिये 21 वर्ष एवं लड़कियों के लिये 18 वर्ष निर्धारित की गई है ।

3- प्रजनन-दर को कम करने वाले प्रमुख कारकों में निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर सबसे महत्वपूर्ण है ।

4- भारत में निम्न शैक्षिक स्तर व निरक्षरता भी उच्च प्रजनन-दर हेतु उत्तरदायी है ।

5- भारत में पुत्रजन्म की अनिवार्यता भी जन्मदर को बढ़ावा देती है ।

प्रजननता के सन्दर्भ में जब भारत के विभिन्न साँस्कृतिक समूहों की प्रजनन-दर पर किये गये अन्वेषणों पर दृष्टिपात किया जाता है तो इस तथ्य का पता चलता है कि हिन्दुओं की तुलना में मुसलमानों में एवं ईसाइयों में प्रजनन-दर अधिक है । महादेवन और सिद्ध के अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि हिन्दुओं की तुलना में मुसलमान बड़े परिवार के पक्षधर हैं । मुस्लिम सम्प्रदाय की महिलाओं में प्रचलित उच्च प्रजनन-दर के उक्त निष्कर्ष सोचने के लिये विवश करते हैं कि उनमें ऐसा किन कारणों से है क्योंकि मात्र भारतीय मुस्लिम महिलाओं में ही नहीं वरन् यूगोस्लाविया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी ऐसी सामान्य प्रवृत्ति देखने को मिलती है । जनसंख्या में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के सन्दर्भ में मुस्लिम महिलाओं की अन्य सम्प्रदायों की तुलना में उच्च प्रजनन-दर अधिक महत्व की है यह समस्या मुस्लिम दम्पत्तियों के कट्टर भाग्यवादी होने तथा परिवार-नियोजन के साधनों को स्वीकार न करने के कारण भी जटिल हो जाती है । इस दृष्टिकोण के पीछे कौन से कारण हैं इस पर गहनता से वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता है ।

समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से मुस्लिम महिलाओं में उच्च प्रजनन-दर के कारणों की खोज करना एक दिलचस्प विषय होगा । सांख्यकीय कारकों से भी प्रजनन व्यवहार का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि भारत सहित विश्व के अनेक विकासशील देशों में जन्मों के रजिस्ट्रेशन की विकसित व्यवस्था नहीं है । ऐसी स्थिति में सूक्ष्म स्तरीय अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं ।

प्रस्तावित अध्ययन उक्त उद्देश्यों की पूर्ति का एक प्रयत्न है । जिसमें प्रजननता तथा प्रजनन व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों का सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन करने का प्रयास किया गया है ।

वर्तमान अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य हैं -

1- मुस्लिम महिलाओं में सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक तथा जनांकिकीय आधार पर, प्रजनन व्यवहार की विभिन्नताओं को ज्ञात करना ।

2- परिवार के आकार तथा दम्पत्तियों के बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण ज्ञात करना ।

उपर्युक्त विवरण के सन्दर्भ में, प्रस्तुत शोध का अभिकल्प अन्वेषणात्मक, वर्णनात्मक तथा निदानात्मक है । इसका मुख्य उद्देश्य नगरीय परिवेश में मुस्लिम सम्प्रदाय की महिलाओं की प्रजनन व्यवहार सम्बन्धी विभिन्नताओं एवं पारिवारिक आकार सम्बन्धी उनके दृष्टिकोण का अन्वेषणात्मक अध्ययन करना है । साथ ही, कुछ परिकल्पनाओं, जिनका निर्माण भारतीय समाज में प्रचलित दशाओं तथा उपलब्ध अनुसंधान सामग्री पर आधारित है, का परीक्षण भी करना है । इसके अतिरिक्त, अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर समस्या के समाधान के लिये सुझाव प्रस्तुत करना भी वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य है ।

पूर्व अध्ययनों के निष्कर्षों, तथा प्रजनन व्यवहार से सम्बन्धित विभिन्नताओं के आधार पर हमारी विशिष्ट परिकल्पनायें निम्नलिखित हैं -

1- विवाह की आयु एवं प्रजनन-दर के बीच नकारात्मक सह-सम्बन्ध है ।

2- पति का व्यवसाय पत्नी की प्रजननता को प्रभावित करता है ।

3- शिक्षा का स्तर प्रजनन-दर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ।

4- पत्नी का व्यवसाय में लगा होना उसकी प्रजनन-दर को कम करने में सहायक होता है ।

5- संयुक्त परिवारों की तुलना में एकाकी परिवारों में कम प्रजनन-दर का प्रचलन है ।

6- परिवार की आय में वृद्धि महिलाओं की प्रजनन-दर को कम कर देती है ।

7- सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था प्रजनन-दर को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करती है ।

8- पारिवारिक पृष्ठभूमि का प्रजननता से घनिष्ठ सम्बन्ध है ।

9- मुस्लिम महिलाओं का दृष्टिकोण बड़े आकार के परिवार के पक्ष में है ।

प्रस्तावित अध्ययन उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड सम्भाग में स्थित बाँदा नगर में किया गया है, जो कि प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में से एक है । इस अध्ययन में बाँदा नगर के मुस्लिम परिवारों में प्रजनन आयु समूह से सम्बन्धित महिलाओं से प्रजननता से सम्बन्धित विभिन्नताओं एवं परिवार के आकार के सन्दर्भ में उनका दृष्टिकोण जानने का प्रयास किया गया है ।

नगर के पूर्व सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्यों के अनुसार नगर में कुल मुस्लिम परिवारों की संख्या लगभग 2000 है । इन परिवारों में उर्वरकआयु समूह (15-45 वर्ष) में महिलाओं की कुल संख्या 1455 है । अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से इन 1455 इकाइयों में से 400 महिलाओं का चयन दैव निदर्शन प्रविधि के द्वारा किया गया है जो समग्र की सम्पूर्ण इकाइयों का उचित प्रतिनिधित्व करती है । प्रतिदर्श समग्र की सम्पूर्ण इकाइयों का लगभग 30 प्रतिशत अंश है ।

सामान्यतया नगर की अधिकांश मुस्लिम स्त्रियाँ या तो निरक्षर हैं अथवा बहुत कम पढ़ी लिखी । अतः वांछित सूचना का संग्रह साक्षात्कार-अनुसूची की प्रविधि का उपयोग करते हुये किया गया है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि क्षेत्र की महिलायें पुरानी परम्पराओं की पोषक हैं, महिला साक्षात्कारकर्ता द्वारा ही तथ्यों का संकलन किया गया है ।

द्वितीय अध्याय में सामुदायिक पृष्ठभूमि का विवरण दिया गया है । प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र भारत वर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित बाँदा जनपद का ऐतिहासिक नगर 'बाँदा' है । प्राचीनकाल में यह बामदेव ऋषि का निवास स्थान था । इसी कारण इन्हीं के नाम पर इसका नाम बाँदा पड़ा ।

बाँदा जनपद यमुना नदी और विन्ध्याचल की पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है इसका क्षेत्रफल 7624 वर्ग किलोमीटर है ।

बाँदा जनपद की कुल जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 18,74,541 है जिसमें पुरूषों की संख्या 10,17,760 और महिलाओं की 8,56,781 है । अनुसूचित जाति एवं जनजाति की कुल जनसंख्या 3,62,511 है जो 11.8 प्रतिशत हैं । जनपद में 1,11,214 हिन्दू, 68,803 मुसलमान, ईसाई 210, सिक्ख 202 तथा अन्य धर्मावलम्बी 776 हैं ।

प्रशासनिक सुविधा हेतु जनपद में 6 तहसीलें तथा 13 विकास खण्ड हैं । सभी विकास खण्डों के अन्तर्गत कुल 118 न्याय पंचायतें तथा 910 ग्राम सभायें हैं । जनपद में कुल 3 नगर पालिकायें तथा 11 टाउन एरिया हैं । यहाँ की साक्षरता औसतन 44.69 प्रतिशत है ।

जनपद में 1990-91 में 6 महाविद्यालय, 69 उच्चतर माध्यमि विद्यालय, 296 सीनियर बेसिक स्कूल तथा 1317 जूनियर बेसिक स्कूल थे । साक्षरता योजना के अन्तर्गत यहाँ 156 पुरूष प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र तथा 144 महिला प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र भी खोले गये हैं ।

स्वास्थ्य सेवाओं में यहाँ 93 ऐलोपैथिक चिकित्सालय, 27 आयुर्वेदिक, 34 होम्योर्पैथक एवं 4 यूनानी चिकित्सालय हैं, साथ ही, यहाँ कुल 14 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र 31 तथा 308 उपकेन्द्र हैं । एक क्षय रोग चिकित्सालय तथा एक कुष्ठरोग निवारण केन्द्र भी है ।

अन्य सुविधाओं में जनपद में 26 पुलिस स्टेशन, 33 राष्ट्रीयकृत बैंक शाखायें तथा 55 ग्रामीण बैंक एवं 15 सहकारी बैंक शाखायें हैं, 4 भूमि विकास बैंक हैं । यहाँ सस्ते गल्ले की दूकानें 648, गोबर गैस संयंत्र 917, एक औद्योगिक संस्थान, एक पालिटेक्निक प्रशिक्षण केन्द्र तथा 447 हरिजन बस्तियाँ हैं । जनपद में 141 बस स्टाप, 19 रेलवे स्टेशन, 264 डाकघर, 14 तारघर तथा 3157 टेलीफोन कनेक्शन हैं । बाँदा में विद्युतीकृत आबाद ग्राम 771 तथा 11 विद्युतीकृत नगरीय बस्तियाँ हैं ।

बाँदा जनपद में जो 3 नगरपालिकायें हैं उनमें से बाँदा नगरपालिका ही प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र है ।

बाँदा नगर का क्षेत्रफल 11.29 वर्ग किलोमीटर है । नगर की पूर्व से पश्चिम की लम्बाई 6 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर है ।

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार नगर की कुल जनसंख्या 95,658 है, जिसमें पुरूष 52,135 तथा महिलायें 43,523 हैं ।

नगर की कुल साक्षरता 54.00 प्रतिशत है । कुल साक्षर लोग 51,808 हैं, 32,477 पुरूष व 18,831 महिलायें हैं ।

यहाँ शिक्षा के लिये 4 हायर सेकेण्डरी स्कूल बालकों के तथा 3 बालिकाओं के लिये हैं । 48 जूनियर बेसिक स्कूल तथा 18 सीनियर बेसिक स्कूल तथा तीन महाविद्यालय हैं ।

स्वास्थ्य सुविधाओं में यहाँ 8 एलोपैथिक चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य केन्द्र हैं, 2 आयुर्वेदिक औषधालय एवं एक होम्योपैथिक चिकित्सालय तथा 2 परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र हैं ।

आधुनिकीकरण की दृष्टि से नगर में आधुनिक सुविधायें भी उपलब्ध हैं । नगर में 1135 टेलीफोन कनेक्शन, 8 डाकघर, एक तारघर, एक पुलिस स्टेशन, 39 सस्ते गल्ले की दुकानें, 3 बीज गोदाम, 10 कृषि सेवा केन्द्र, एक शीत व बीज गोदाम एवं इण्डेन गैस एजेन्सी है ।

बाँदा नगर की अर्थव्यवस्था अधिकांशतः विभिन्न प्रकार के व्यवसायों व लघु एवं गृह उद्योगों से प्रभावित है । पर्याप्त लोग सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं । बाँदा नगर चावल एवं दालमिल, बालू, लाठी आदि अनेक व्यवसायों के लिये प्रसिद्ध है । यहाँ के मुस्लिम सम्प्रदाय के लोग मोमबत्ती, अगरबत्ती, दरी बुनना व बंगलादेशी वस्त्रों का व्यापार करते हैं । यह नगर वर्तमान समय में शजर पत्थर के व्यवसाय के लिये बहुत प्रसिद्ध है ।

तृतीय अध्याय में महिलाओं की सामाजिक पृष्ठभूमि का विवरण दिया गया और सूक्ष्म स्तर पर उस सामाजिक परिवेश को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है जिसमें महिलायें निवास करती हैं । उर्वरक आयु समूह के अन्तर्गत 22 प्रतिशत उत्तरदाता 15 से 25 वर्ष आयु समूह की, 34 प्रतिशत उत्तरदाता महिलायें 25 से 34 वर्ष आयु समूह की एवं सर्वाधिक 45 प्रतिशत महिलायें 35 से 44 वर्ष आयु समूह की हैं ।

जातीय स्तर के अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि सबसे कम 15 प्रतिशत उत्तरदाता महिलायें उच्च जातीय स्तर की हैं, 30 प्रतिशत मध्यम जातीय स्तर की एवं सर्वाधिक 55 प्रतिशत उत्तरदाता निम्न जातीय सतर की हैं ।

पारिवारिक पृष्ठभूमि के अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि मात्र 33 प्रतिशत उत्तरदाता महिलायें संयुक्त परिवार में रहने वाली हैं जबकि सर्वाधिक 67 प्रतिशत एकाकी

परिवार से सम्बद्ध हैं ।

उत्तरदाताओं के शैक्षिक स्तर का अवलोकन किया गया जिससे यह ज्ञात हुआ कि उत्तरदाताओं में निरक्षरों का प्रतिशत सर्वाधिक (48 प्रतिशत) है, प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित उत्तरदाता महिलाओं का प्रतिशत 34 है जबकि मात्र 18 प्रतिशत उच्च शिक्षित उत्तरदाता हैं । इस प्रकार, मुस्लिम सम्प्रदाय में शिक्षा का स्तर पर्याप्त कम है ।

उत्तरदाताओं के पतियों की शिक्षा के स्तर का आँकलन करने पर स्पष्ट हुआ कि उत्तदाताओं के शिक्षा के स्तर से उनके पतियों का शैक्षिक स्तर अधिक है । 36 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पति निरक्षर हैं, 33 प्रतिशत प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षित हैं तथा 31 प्रतिशत उच्च शिक्षित हैं ।

विवाह के समय आयु का अध्ययन करने पर पता चलता है कि सर्वाधिक 63 प्रतिशत उत्तदाताओं का विवाह 15 से 19 वर्ष आयु के मध्य हुआ, 33 प्रतिशत का विवाह 20 से 24 वर्ष की आयु में तथा मात्र 04 प्रतिशत महिलाओं का विवाह और भी अधिक 25 से 29 वर्ष की आयु के मध्य हुआ है ।

इसी क्रम में, जब उत्तरदाताओं के पतियों के व्यवसाय का पता किया गया तो ज्ञात हुआ कि मात्र 07 प्रतिशत उत्तरदाता महिलायें सरकारी सेवाओं से सम्बद्ध हैं, 15 प्रतिशत छोटे-मोटे लघु व्यवसाय एवं श्रमिक कार्यो में संलग्न हैं जबकि सर्वाधिक 78 प्रतिशत गृहणीं महिलायें हैं ।

उत्तरदाताओं के पतियों का व्यवसाय ज्ञात करने पर स्पष्ट हुआ कि 45 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पति निजी व्यवसाय कर रहे हैं, 40 प्रतिशत सरकारी कर्मचारी हैं तथा 15 प्रतिशत श्रमिक हैं ।

उक्त के अतिरिक्त, उत्तरदाताओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर का अध्ययन किया गया जिससे ज्ञात हुआ कि सर्वाधिक उत्तरदाता 45 प्रतिशत निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर के हैं, सबसे कम 21 प्रतिशत उत्तरदाता उच्च सामाजिक-आर्थिक स्तर से सम्बन्धित हैं इसी प्रकार, मध्यम सामाजिक-आर्थिक स्तर के उत्तरदाता 34 प्रतिशत हैं ।

उत्तरदाताओं के परिवार की मासिक आय का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि 34 प्रतिशत उत्तरदाता 1500 रूपये अथवा कम मासिक आय वाले वर्ग से सम्बन्धित हैं, सर्वाधिक 56 प्रतिशत उत्तरदाता 1500 रूपये से 3000 रूपये मासिक आय वाले वर्ग के अन्तर्गत हैं जबकि मात्र 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं की मासिक आय 3000 रूपये अथवा अधिक है ।

उत्तरदाताओं के बच्चों की संख्या ज्ञात करने पर स्पष्ट हुआ कि 19 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जिनके 3 अथवा कम बच्चे हैं, 31 प्रतिशत उत्तरदाताओं के 4 से 6 बच्चे हैं जबकि 50 प्रतिशत उत्तरदाता 7 से 9 बच्चों वाली हैं । इस प्रकार, अधिकांश उत्तरदाताओं के 4 या उससे भी अधिक बच्चे हैं ।

अध्याय चार में महिलाओं की विवाह की आयु एवं प्रजननता का अध्ययन किया गया । अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि महिलाओं के विवाह की आयु उनकी प्रजननता को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावी कारक है । समस्त निष्कर्ष इस तथ्य पर आधारित हैं कि विवाह की आयु कम होने पर प्रजननता अधिक होती है । इसके विपरीत, विवाह की आयु अधिक होने पर प्रजननता कम हो जाती है । निदर्श से सम्बन्धित कम आयु में विवाहित लगभग 84 प्रतिशत महिलाओं के तीन अथवा अधिक बच्चे हैं । विवाह की आयु एवं प्रजननता के बीच सम्बन्ध .01 सम्भाविता स्तर पर भी सार्थक है ।

महिलाओं के विवाह की आयु एवं प्रजननता के बीच सह-सम्बन्ध ज्ञात करने हेतु दो चरों के आधार पर भी अध्ययन किया गया है जिसके अन्तर्गत महिलाओं के विवाह की आयु एवं उनकी वर्तमान आयु, शिक्षा, व्यवसाय, जाति और परिवार की मासिक आय का मिश्रित प्रभाव ज्ञात किया गया ।

सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन करने से ज्ञात हुआ कि महिलाओं के विवाह की आयु एवं वर्तमान आयु का उनकी प्रजननता से गहरा सम्बन्ध है । कम आयु में विवाहित महिलायें जो इस समय युवा और प्रौढ़ावस्था की हैं उनके 5 या उससे भी अधिक बच्चे हैं

जबकि इसी आयु वर्ग की अधिक आयु में विवाहित महिलाओं के मात्र 2 या 3 बच्चे हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि कम आयु में विवाह उच्च प्रजननता को जन्म देता है । इसके विपरीत, विवाह की आयु बढ़ जाने पर प्रजननता घट जाती है । प्रसरण के विश्लेषण से भी इस निष्कर्ष की पुष्टि होती है ।

शैक्षिक स्तर का विवाह की आयु एवं प्रजननता पर प्रभाव पड़ता है । यह पाया गया है कि अशिक्षितों की तुलना में शिक्षितों के विवाह अधिक आयु में होते हैं तथा उनके बच्चे भी कम ही हाते हैं । इसी प्रकार, शिक्षा का उच्च स्तर होने पर विवाह की आयु बढ़ जाती है तथा प्रजननता औसतन कम पायी गई है । अगर पति-पत्नी दोनों शिक्षित हैं तो इसका प्रभाव अत्याधिक सार्थक देखा गया है ।

हमारे निष्कर्ष इस तथ्य की भी पुष्टि करते हैं कि महिलाओं की विवाह की आयु एवं प्रजननता पर उनके व्यवसाय का प्रभाव पड़ता है । लघु स्तरीय व्यवसाय में संलग्न महिलाओं में विवाह की आयु कम तथा प्रजननता अधिक पायी गई है, किन्तु उच्च स्तरीय व्यवसाय एवं मध्यम श्रेणी की नौकरी पेशा महिलाओं में विवाह की आयु अधिक तथा प्रजननता कम है । महिलाओं की प्रजननता एवं विवाह की आयु पर, जहाँ तक पति के व्यवसाय का ताल्लुक है, स्पष्ट तथा सुनिश्चित परिणाम नहीं प्राप्त हो सके ।

जातीय स्तर के आधार पर महिलाओं की प्रजननता एवं विवाह की आयु का आँकलन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकला कि उच्च जातीय स्तर की महिलाओं के विवाह अधिक आयु में होते हैं तथा उनमें प्रजननता भी कम पायी जाती है जबकि निम्न जातीय स्तर में विवाह कम आयु में होने के कारण प्रजननता अधिक है ।

महिलाओं की प्रजननता का अध्ययन उनके विवाह की आयु एवं परिवार की मासिक आय के आधार पर भी किया गया जिससे ज्ञात हुआ कि महिलाओं के विवाह की आयु परिवार की अधिक आय के कारण बढ़ जाती है क्योंकि अधिकांश महिलाओं के विवाह उनकी पूर्ण शिक्षा के उपरान्त होते हैं अतः विवाह की आयु अधिक होने पर उनमें प्रजननता कम पायी जाती है । जहाँ परिवार की आय कम हैं वहाँ लड़की के विवाह की आयु भी कम पायी गई तथा उनमें अधिक प्रजननता भी देखने को मिली है ।

पाँचवें अध्याय के अन्तर्गत महिलाओं की प्रजननता को प्रभावित करने वाले सामाजिक-आर्थिक कारकों का अध्ययन किया गया । प्राप्त परिणामों से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि प्रजननता एवं सामाजिक-आर्थिक कारकों के बीच नकारात्मक सह-सम्बन्ध है ।

अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षो के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुस्लिम महिलाओं में प्रजननता अधिक है जो कि वर्तमान जनसंख्या नीति के विपरीत है । इसका मुख्य कारण है कि अधिकांश महिलायें निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर का जीवन यापन कर रही हैं । इस शोध के अनतर्गत महिलाओं की प्रजननता को सामाजिक-आर्थिक कारकों यथा परिवार का प्रकार, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, परिवार की मासिक आय आदि चरों के आधार पर विश्लेषित किया गया है जिससे प्राप्त निष्कर्ष इस प्रकार हैं ।

महिलाओं में प्रजननता संयुक्त परिवार की अपेक्षा एकाकी परिवारों में कम पायी गई । मुस्लिम महिलाओं में जातीय स्तर भी उनकी प्रजननता को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण निर्धारक है । उच्च जातीय स्तर में औसत प्रजननता 3.35 बच्चे निम्न जातीय स्तर की औसत प्रजननता 6.00 बच्चों की अपेक्षा पर्याप्त कम है ।

शिक्षा महिलाओं की प्रजननता को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावी कारक है । प्रजननता के सन्दर्भ में महिलाओं की शिक्षा विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि उच्च शिक्षित महिलाओं में प्रजननता औसतन 3.63 बच्चे हैं जबकि निरक्षर महिलाओं में यह 6.15 है, जो कि अपेक्षाकृत अधिक है । इस प्रकार, स्पष्ट होता है कि यदि महिला शिक्षित है तो परिवार का आकार छोटा होता है । इसके विपरीत, अशिक्षित महिलायें अधिक बच्चों को जन्म देती हैं ।

प्रजननता के सन्दर्भ में महिलाओं के पति की शिक्षा का भी अवलोकन किया गया जिसके अनुसार जिन महिलाओं के पति निरक्षर हैं उनमे प्रजननता का औसत 5.74 बच्चे हैं । कम शिक्षितों में भी यह औसत 5.74 बच्चे एवं उच्च शिक्षितों में यह 4.74 बच्चे हैं । जो यह सिद्ध करता है कि पति की शिक्षा का स्तर भी प्रजननता को प्रभावित करने में सहायक है ।

महिलाओं के प्रजनन व्यवहार पर उनके व्यावसायिक स्तर के प्रभाव की भी पुष्टि होती है । अध्ययन से यह संकेत मिलता है कि गृहणी एवं छोटे व्यवसाय से सम्बन्धित महिलाओं की अपेक्षा उच्च व्यावसायिक एवं सरकारी पदों पर कार्यरत महिलाओं में प्रजननता कम होती है क्योंकि गृहणी महिलाओं के औसतन 5.85 बच्चे तथा सरकारी कर्मचारी महिलाओं के औसतन 3.10 बच्चे पैदा हुये । इस सन्दर्भ में पति के व्यवसाय के प्रभाव की पुष्टि नहीं हो सकी ।

जातीय स्तर का महिलाओं के प्रजनन व्यवहार पर सार्थक प्रभाव परिलक्षित होता है क्योंकि उच्च जातीय स्तर में प्रजननता औसतन 3.35 बच्चे, मध्यम में 5.45 बच्चे तथा निम्न में 6.00 बच्चे हैं जो कि यह दर्शाता है कि उच्च जातीय स्तर की महिलाओं में निम्न जातीय स्तर की तुलना में प्रजननता कम है ।

प्रजननता एवं आय के बीच सम्बन्ध का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हुआ कि आय का स्तर कम होने पर प्रजननता बढ़ जाती है क्योंकि जिन महिलाओं की मासिक आय 1500 रूपये अथवा कम है उनमें औसत प्रजननता 5.67 बच्चे हैं । आय का स्तर अधिक (3000 रूपये अथवा अधिक) होने पर प्रजननता घट कर औसतन 3.80 बच्चे रह गई, इस प्रकार, स्पष्ट होता है कि जैसे-जैसे परिवार की आय बढ़ती है प्रजननता में कमी आना शुरू हो जाती है ।

प्रजननता पर सामाजिक-आर्थिक कारकों के प्रभाव का सूक्ष्म स्तर पर विवेचन करने के उद्देश्य से एक साथ दो चरों के प्रभाव का आँकलन भी किया गया जिसके अनुसार शिक्षा एवं परिवार के प्रकार तथा प्रजननता के मध्य नकारात्मक सम्बन्ध देखने को मिलता है संयुक्त परिवार में ही निरक्षर महिलाओं की अपेक्षा शिक्षा का स्तर प्राइमरी एवं माध्यमिक तक बढ़ने पर प्रजननता माध्य 6.46 बच्चों से घटकर 5.93 बच्चे रह गया । उच्च शिक्षित स्तर पर प्रजननता माध्य और भी कम 4.20 बच्चे हो गया । इसी प्रकार, एकाकी परिवार एवं शिक्षा का उच्च स्तर होने पर महिलाओं की प्रजननता औसतन 3.73 बच्चे ही रह गई । इस सम्बन्ध में प्रसरण के विश्लेषण के निष्कर्ष भी शिक्षा के सार्थक प्रभाव की पुष्टि करते हैं ।

व्यावसायिक स्तर का प्रभाव पारिवारिक स्तर के साथ देखने पर भी यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि व्यवसाय का स्तर उच्च एवं एकाकी परिवार है तो संयुक्त परिवार की अपेक्षा प्रजननता कम होगी । महिला के व्यवसाय का प्रभाव तो इस सम्बन्ध में अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परिवार के प्रकार के प्रभाव को नगण्य कर देता है जिसकी पुष्टि प्रसरण के विश्लेषण से होती है । इसी प्रकार, परिवार के प्रकार एवं मासिक आय का प्रभाव प्रजननता पर देखने के उपरान्त यह स्पष्ट हुआ कि परिवार की मासिक आय इस सम्बन्ध में अधिक महत्वपूर्ण है ।

महिलाओं की प्रजननता पर जातीय स्तर एवं उनकी व उनके पति की शिक्षा का प्रभाव भी अधिक सार्थक प्रतीत होता है । जाति का उच्च स्तर एवं महिला की उच्च शिक्षा प्रजननता को कम करने का सबसे प्रभावी कारक है क्योंकि इससे सम्बद्ध श्रेणी में प्रजननता औसतन 3.00 बच्चे हैं जो कि सबसे कम है । इसी तरह, जातीय स्तर एवं आय का महिला की प्रजननता पर स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है क्योंकि उच्च जातीय स्तर एवं आय का स्तर भी उच्च होने पर औसत प्रजननता अपेक्षाकृत कम 3.41 बच्चे है ।

इसी प्रकार, महिला की वर्तमान आयु व उनकी तथा उनके पति की शिक्षा के आधार पर विश्लेषण करने के उपरान्त यह स्पष्ट हुआ कि आयु एवं शिक्षा दोनों ही प्रजननता को अत्याधिक प्रभावित करते हैं । वर्तमान आयु एवं आय का प्रभाव प्रजननता पर देखने के पश्चात यह संकेत मिलता है कि आय की अपेक्षा आयु प्रजनन व्यवहार को प्रभावित करने वाला अधिक सबल कारक है ।

छठवें अध्याय में पारिवारिक आकार के सम्बन्ध में महिलाओं के दृष्टिकोण को उनकी सामाजिक-साँस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर ज्ञात किया गया । पारिवारिक आकार के सम्बन्ध में महिलाओं का दृष्टिकोण ज्ञात करने के उद्देश्य से आठ प्रश्न पूँछे गये । प्रत्येक प्रश्न पर दृष्टिकोण चार चरों- शिक्षा, व्यवसाय, जाति एवं परिवार का प्रकार के आधार पर ज्ञात किया गया है ।

महिलाओं से पहला प्रश्न पूँछा गया था कि 'आपके विचार में किसी महिला के सम्पूर्ण जीवनकाल में कुल कितने बच्चे होने चाहिये ? इस प्रश्न से सम्बन्धित अधिकांश महिलाओं का दृष्टिकोण 3 अथवा उससे भी अधिक बच्चों को जन्म देने के पक्ष में हैं । ऐसा इसलिये है क्योंकि निदर्श में चयनित अधिकांश महिलायें अशिक्षित एवं पिछड़े हुये समुदाय की है । इस प्रश्न पर महिलाओं की शिक्षा के प्रभाव को जानने का प्रयास भी किया गया । प्राप्त निष्कर्षो के अनुसार उच्च शिक्षित महिलायें निरक्षर एवं कम शिक्षित महिलाओं की अपेक्षा कम बच्चों को जन्म देने की पक्षधर हैं । इस प्रकार, शिक्षा का उच्च स्तर प्रजनन-दर को कम करने में सहायक होता है । महिलाओं के इस दृष्टिकोण को जातीय स्तर के आधार पर विश्लेषित करने पर यह स्पष्ट हो सका कि महिलाओं की प्रजननता को नियंत्रित करने हेतु उच्च जातीय स्तर अधिक महत्वपूर्ण है । बच्चों की संख्या से सम्बन्धित महिलाओं के विचारों पर उनके उच्च स्तरीय व्यवसाय का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है । पारिवारिक स्तर के आधार पर यह परिलक्षित हुआ कि संयुक्त परिवारों की महिलायें एकाकी परिवारों की अपेक्षा अधिक बच्चों की चाह रखती हैं ।

महिलाओं से दूसरा प्रश्न पूँछा गया था कि 'आपके विचार में लड़की के विवाह की सर्वोत्तम आयु क्या है'? इस प्रश्न पर विचार करने का यह उद्देश्य है कि विवाह की आयु एवं प्रजननता के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध है । यदि विवाह की आयु कम हागी तो प्रजननता अधिक होगी तथा विवाह की आयु अधिक होने पर प्रजननता कम हो जाती है । अधिकांश महिलाओं का दृष्टिकोण इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय अधिनियम के प्रतिकूल 18 वर्ष से कम आयु में ही लड़की का विवाह करने के पक्ष में है । इसका मुख्य कारण है कि अधिकांश महिलायें निरक्षर, पिछड़ी हुई एवं पुरानी रूढ़िग्रस्त मान्यताओं की पोषक हैं । महिलाओं के इस दृष्टिकोण पर भी उनकी शिक्षा, जाति, व्यवसाय एवं परिवार के प्रकार का प्रभाव स्पष्ट किया गया है । अशिक्षित व कम शिक्षित महिलाओं की अपेक्षा उच्च शिक्षित महिलायें 18 वर्ष व उससे भी अधिक आयु में लड़की का विवाह करने की पक्षधर हैं । इसी प्रकार, उच्च जातीय स्तर की महिलायें लड़की का विवाह अधिक आयु में करना चाहती हैं ।

महिलाओं की आत्मनिर्भरता एवं उनके उच्च स्तरीय व्यवसाय का प्रभाव लड़की के विवाह सम्बन्धी दृष्टिकोण पर पड़ता है क्योंकि ऐसी महिलायें लड़की का विवाह अधिक आयु में करने की पक्षधर हैं । इसी तरह, संयुक्त परिवार की अपेक्षा एकाकी परिवार में रहने वाली महिलायें लड़की का विवाह 18 वर्ष या उससे भी अधिक आयु में करना चाहती हैं ।

महिलाओं से तीसरा प्रश्न पूँछा गया था कि 'आपके विचार में लड़के के विवाह की सर्वोत्तम आयु क्या है'? इस सम्बन्ध में अधिकांश मुस्लिम महिलायें लड़कों का विवाह कम आयु में ही करने के पक्ष में अपना मत व्यक्त करती है क्योंकि अधिकांश महिलायें निरक्षर हैं एवं निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर से सम्बद्ध हैं । लड़कों के विवाह की आयु से सम्बन्धित महिलाओं के विचार उनकी शिक्षा से प्रभावित हैं । जो महिलायें उच्च शिक्षित हैं वह लड़के का विवाह 21 वर्ष या उससे भी अधिक कआयु में करने की पक्षधर हैं जबकि अधिकांश अशिक्षित महिलाओं का दृष्टिकोण लड़के का विवाह कम आयु में ही करने का है । महिलाओं के इस दृष्टिकोण पर जातीय स्तर का प्रभाव भी देखा गया क्योंकि निम्न जातीय स्तर की महिलाओं की अपेक्षा उच्च जातीय स्तर की महिलाओं ने लड़के का विवाह अधिक आयु में करने के पक्ष में मत व्यक्त किया है । इसी प्रकार, सरकारी कर्मचारी एवं उच्च व्यावसायिक स्तर की महिलायें अधिक आयु में लड़के का विवाह करने की पक्षधर हैं । साथ ही, संयुक्त परिवार की महिलाओं की अपेक्षा एकाकी परिवार की महिलाओं का विचार लड़के का विवाह अधिक आयु में करने का है ।

महिलाओं से चौथा प्रश्न पूँछा गया था कि 'आपके विचार में विवाह और पहले बच्चे के जन्म के बीच कितना अन्तर होना चाहिये'? अधिकांश महिलायें विवाह और प्रथम जन्म के बीच 1 से 2 वर्ष का अन्तर ही उपयुक्त मानती हैं । उच्च शिक्षित महिलायें विवाह और पहले बच्चे के जन्म के बीच 3 से 4 वर्ष तक के अन्तर को महत्वपूर्ण समझती हैं । उच्च जातीय स्तर की महिलायें भी निम्न जातीय स्तर की अपेक्षा इस सम्बन्ध में अधिक अन्तर को उपयुक्त मानती है । आत्मनिर्भर सरकारी कर्मचारी महिलायें, गृहणी महिलाओं एवं लघु व्यवसाय में संलग्न महिलाओं की अपेक्षा विवाह एवं प्रथम जन्म के बीच 3 वर्ष के अन्तर की पक्षधर हैं । इस प्रकार, यह स्पष्ट होता है कि यदि यह अन्तर अधिक है तो

प्रजनन-दर कम करने में सहायता मिलेगी ।

महिलाओं से पाँचवाँ प्रश्न पूँछा गया था कि 'आपके विचार से विभिन्न बच्चों के जन्म के बीच कितना अन्तर होना चाहिये'? इस सम्बन्ध में आज भी अधिकांश महिलायें राष्ट्रीय माँग के प्रतिकूल विभिन्न बच्चों के जन्म के बीच कम अवधि के अन्तर को स्वीकार करती हैं । प्रायः ऐसी महिलायें अशिक्षित, पिछड़ी एवं प्राचीन धार्मिक मान्यताओं की पोषक हैं किन्तु कुछ महिलायें ऐसी भी हैं जो विभिन्न बच्चों के जन्म के बीच अधिक अवधि के अन्तर को स्वीकार करती हैं क्योंकि ये महिलायें उच्च शिक्षित एवं उच्च जातीय स्तर की हैं । कामकाजी महिलाओं का दृष्टिकोण भी इसी प्रकार का है । संयुक्त परिवार की महिलायें विभिन्न बच्चों के जन्म के बीच कम अन्तर की पक्षधर हैं जबकि एकाकी परिवार में रहने वाली महिलायें इस सम्बन्ध में अधिक अन्तर को स्वीकार करती हैं । महिलाओं द्वारा वांछित विभिन्न बच्चों के जन्म के बीच अधिक अन्तर प्रजनन-दर को कम करने में सहायक हो सकता है ।

महिलाओं से छठवाँ प्रश्न पूँछा गया था कि 'पहली बार आपने यह कब सोचना प्रारम्भ किया कि आपके कितने बच्चे होने चाहिये'? (अर्थात कितने बच्चे होने के बाद) पिछड़े हुये समुदाय में रहने एवं अशिक्षा तथा निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर से ग्रसित होने के कारण अधिकांश महिलाओं ने अधिक बच्चों को जन्म देने के पश्चात ही यह महसूस किया कि उनके कितने बच्चे होने चाहिये जबकि शिक्षित एवं स्वावलम्बी महिलाओं ने विवाह के बाद या एक बच्चे के जन्म के पश्चात ही बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में सोचना प्रारम्भ कर दिया । इसी प्रकार, उच्च जातीय स्तर की महिलायें भी एक या दो बच्चों को जन्म देने के बाद ही यह तय कर चुकी थी कि उनके कितने बच्चे होने चाहिये । संयुक्त परिवार की महिलाओं की अपेक्षा एकाकी परिवार की महिलाओं में भी इस सम्बन्ध में विवाह के बाद एक या दो बच्चों के जन्म के बाद से ही ऐसा सोचना प्रारम्भ कर दिया । महिला यदि जल्दी ही परिवार के आकार के सम्बन्ध में जागरूक हो जाती है तब प्रजनन-दर अपेक्षाकृत कम हो सकती है ।

महिलाओं से सातवाँ प्रश्न यह पूँछा गया था कि 'आप इस बात को कितना

महत्वपूर्ण समझती हैं कि वंश चलाने हेतु कम से कम एक लड़का होना चाहिये'? भारतीय समाज में आज भी पुत्रजन्म अत्याधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है । पुत्र के महत्व को आज भी नकारा नहीं जा सकता है । भारतीय मानस पटल पर अंकित यह ऐसी धारणा है जिसके महत्व को कोई भी कारक अधिक प्रभावित नहीं करता । लगभग सभी महिलायें चाहे वह उच्च शिक्षित हो अथवा उच्च जातीय स्तर की इसकी अनिवार्यता की पक्षधर हैं । प्रतिदर्श की मात्र कुछ प्रतिशत महिलायें ही, जो उच्च व्यावसायिक स्तर की हैं तथा शिक्षित भी हैं, इसकी महत्ता को स्वीकार नहीं करती । परिवार का प्रकार भी इस सम्बन्ध में कोई प्रभाव नहीं डालता । पुत्रजन्म की अनिवार्यता उच्च प्रजनन-दर के लिये उत्तरदायी है ।

महिलाओं से आठवाँ प्रश्न पूँछा गया था कि 'मान लीजिये आपके तीन लड़कियाँ हैं तो क्या अगला बच्चा इस आशा से चाहेंगी कि एक लड़का हो जाय'? अधिक पुत्रियों के पश्चात भी पुत्र की आशा से सन्तान को जन्म देने के सम्बन्ध में अधिकांश महिलाओं ने अपने मत व्यक्त किये हैं । मात्र कुछ उच्च शिक्षित अथवा उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर से सम्बद्ध महिलायें अवश्य इसकी पक्षधर नहीं है ।

उक्त निष्कर्षो के परिप्रेक्ष्य में मुस्लिम महिलाओं में उच्च प्रजननता को नियंत्रित करने हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत हैं ।

1- मुस्लिम समुदाय में अज्ञानता, निरक्षरता एवं कट्टरता को समाप्त कर महिलाओं को शिक्षित किया जाय ।

2- महिलाओं के प्रति उदासीनता और उपेक्षात्मक दृष्टिकोण समाप्त कर उन्हें विकास के उचित अवसर उपलब्ध करायें जायें ।

3- पर्दा-प्रथा का उन्मूलन कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाय ।

4- कम आयु में विवाह करने पर रोक लगाई जाय ।

5- महिलाओं को यौनशिक्षा भी प्रदान की जानी चाहिये ।

6- परिवार नियोजन की अपनाने हेतु लोगों को प्रोत्साहित किया जाये ।

7- पिछड़े हुये एवं कट्टरपंथी व रुढ़िवादी मुस्लिम समुदाय के लोगों को कुरान की सही शिक्षा देकर इस बात से परिचित कराने का प्रयास करना कि शरीयत, हदीस व कुरान में बच्चे के जन्म पर रोक लगाना पाप है, ऐसे किसी भी निषेध का विवरण नहीं मिलता ।

8- महिलाओं को वर्तमान जनसंख्या नीति का ज्ञान कराने हेतु जनसंख्या व जनांनकिकी की शिक्षा भी प्रदान की जानी चाहिये ।

9- लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिये व बेरोजगारी निवारण हेतु सरकार द्वारा उन्हें उचित आर्थिक सुविधायें प्रदान की जानी चाहिये ।

10- लोगों को प्रचार माध्यमों से वर्तमान भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखकर उन्हें राष्ट्रीय मांग से अवगत कराना चाहिये तथा साथ ही, सीमित आकार के परिवार के फायदों से परिचित करवाना चाहिये ।

11- पुत्रजन्म की अनिवार्यता एवं उससे सम्बन्धित समस्त भ्रान्त धारणाओं से लोगों को परिचित करवाना एवं पुत्र तथा पुत्री के बीच के अन्तर को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिये ।

12- उक्त प्रकार के क्षेत्रीय एवं सूक्ष्म स्तरीय अध्ययन भी वांछित हैं जिससे समय-समय पर वास्तविक तथ्यों का ज्ञात होता रहे ।

मुस्लिम महिलाओं में प्रजननता की विभिन्नताएं तथा पारिवारिक आकार के सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण

(उत्तर प्रदेश के जनपद बाँदा नगर की 400 मुस्लिम महिलाओं के अध्ययन पर आधारित)

1- उत्तरदाता की पृष्ठभूमि--

1- उत्तरदाता का नाम...

2- परिवार के मुखिया का नाम तथा उत्तरदाता से सम्बन्ध.........................

3- उत्तरदाता की आयु...

4- जाति/श्रेणी विभाजन में स्थिति...

5- उत्तरदाता की आय (स्वयं/परिवार की).......................................

6- शिक्षा..

शिक्षा	निरक्षर	हाईस्कूल से कम	हाईस्कूल से अधिक स्नातक से नीचे	स्नातक एवं उससे ऊपर
	1	2	3	4
1- स्वयं की				
2- पति की				

7- व्यवसाय..

व्यवसाय	निजी व्यवसाय उच्चस्तर/निम्नस्तर	कृषि उच्चस्तर/निम्नस्तर	नौकरी अधिकारी/कर्मचारी	श्रमिक दक्ष / अदक्ष
	1	2	3	4
1- स्वयं का				
2- पति का				

8- परिवार का स्वरूप.............................संयुक्त/एकाकी.......................

9- विवाह के समय आयु.............................विवाह का वर्ष........................

10- आपके बच्चों की कुल संख्या (पुत्र/पुत्री, जीवित/मृत)...............................

2- परिवार के जीवन स्तर से सम्बन्धित सूचनाएं--

11- मकान का स्वरूप- कच्चा/पक्का/मिश्रित/झोपड़ी-

11- (अ) मकान में कमरों की संख्या-

12- प्रकाश का साधन- बिजली/लालटेन/ढिब्बी/अन्य कोई-

13- पीने के पानी का साधन-

(1) नल- व्यक्तिगत/किसी दूसरे का/सार्वजनिक-

(2) कुआँ- व्यक्तिगत/किसी दूसरे का/सार्वजनिक-

13- (अ) क्या पर्याप्त पानी मिलता है ? यदि हाँ, तो कितने महीने पर्याप्त पानी मिलता है ?

14- शौचालय सुविधा- व्यक्तिगत/सार्वजनिक/सुविधा नहीं-

15- परिवार की कुल भूमि-

15- (अ) खेती योग्य भूमि- सिंचित/असिंचित-

16- खेती से आय-

16- (अ) अन्य स्त्रोतों से आय-

आपके परिवार में निम्न कोन-कोन सी वस्तुयें हैं ? (संख्या सहित)

1- चारपाई 2- मेज 3- कुर्सी 4- स्टूल

5- घड़ी 6- सिलाई मशीन 7- बिजली का पंखा 8- साईकेल

9- मोटर साइकिल 10- स्कूटर 11- कार या जीप 12- रेडियो/ट्राँजिस्टर

13- टेलीविजन 14- फ्रिज 15- वी0सी0आर0

उत्तरदाता (स्त्री) के सभी जन्मों का विस्तृत विवरण

जन्म का वर्ष, माह व तिथि	जन्म का स्वरूप जीवित/मृत/गर्भपात	प्रसव के समय माँ की आयु	जन्म स्थान घर/अस्पताल	बच्चे का लिंग लड़का/लड़की	जन्म के समय परिचारक डाक्टर/नर्स मिड-वाइफ प्रशिक्षित दाई अप्र-शिक्षित दाई सम्बन्धी/मित्र	नाल काटाने का यंत्र	वर्तमान में बच्चा जीवित/मृत (यदि जीवित हो तो आयु)	यदि मृत हो तो मृत्यु के समय आयु (यदि एक वर्ष से कम तो विवरण दिनों में)	मृत्यु का स्थान घर/अस्प-ताल	इलाज की अवधि	इलाज का प्रकार देशी/डाक्टरी/वैद्यकी/होम्यो-पैथी अन्यकोई	कुल खर्च	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

4- महिला का सांस्कृतिक दृष्टिकोण--

1- आपके विचार में लड़की के विवाह की सर्वोत्तम आयु क्या है ?

....

2- आपके विचार में लड़के के विवाह की सर्वोत्तम आयु क्या है ?

....

3- आपके विचार में विवाह और पहले बच्चे के जन्म के बीच कितना अन्तर होना चाहिये ?

....

4- आपके विचार में किसी महिला के सम्पूर्ण जीवनकाल में कुल कितने बच्चे होने चाहिये ?

....

5- क्या आपको स्मरण है- पहली बार आपने यह कब सोचना प्रारम्भ किया कि आपके कितने बच्चे होना चाहिये ? (अर्थात कितने बच्चे पैदा होने के बाद)

....

6- आपके विचार से बच्चों के जन्म के बीच में कितना अन्तर होना चाहिये ?

....

7- आप इस बात को कितना महत्वपूर्ण समझती हैं कि वंश चलाने के लिये कम से कम एक लड़का होना चाहिये-- अधिक महत्वपूर्ण/महत्वपूर्ण/कोई महत्व नहीं

....

8- मान लीजिये कि आपके 3 लड़कियाँ हैं तो क्या आप अगला बच्चा इस आशा से चाहेंगी कि एक लड़का हो जाय- हाँ/नहीं

....

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

-----अग्रवाल, एस0एल0: 'पापुलेशन' चैप्टर (VI), नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया आन डिफरेन्शियल फर्टिलिटी ।

-----अग्रवाल, एस0एन0, 1967, 'इन्फैक्ट आफ ए राइज इन फीमेल एज आन बर्थ रेट्स इन इण्डिया', प्रोसीडिंग्स आफ दि वर्ल्ड पापुलेशन कान्फ्रेन्स, 1965 न्यूयार्क यूनाइटेड नेशन्स, पेज नं0 172 ।

-----अशोक कुमार, 1978, "जनसंख्या एक समाज वैज्ञानिक अध्ययन" हिन्दी ग्रन्थ अकादमी प्रभागः लखनऊ ।

-----अशरफ, के0एम0, 1932 'लाइफ एण्ड कण्डीशन आफ दि पीपुल्स आफ हिन्दुस्तान' लन्दन, पेज- 107 ।

-----अंसारीः घौंस, 1960, 'मुस्लिम कास्ट इन उत्तर प्रदेश' ए स्टडी आफ कल्चर कान्टैक्ट, लखनऊ ।

-----अहमद, जरीनाः 1962, 'मुस्लिम कास्ट इन उत्तर प्रदेश दि इकोनामिक वीकली, फरवरी 17, पेज- 389 ।

-----अहमद इम्तियाज, 1966, 'दि इण्डियन इकोनामिक्स एण्ड सोशल हिस्ट्री रिव्यू' सितम्बरः वाल्यूम 3 नं0- 3, पृष्ठ- 268 ।

-----अग्रवाल, एस0एन0, 1985 'इण्डियाज पापुलेशन प्राब्लम' हिल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली ।

-----आन्द्रे बेते, "फेमिली एण्ड सोशल चेन्जः इन इण्डिया एण्ड अदर साउथ एशियन कण्ट्रीज" एकोनामिक वीकली एनुअल, (1964), पेज- 237-244 ।

-----भारत राष्ट्रीय विवरण, इन्टरनेशनल, कान्फ्रेन्स आन पापुलेशन मैक्सिको सिटी, अगस्त- 1984 ।

-----ब्लमबर्ग, आर0एल0 : 1976, फेयरीटेल्स एण्ड फैक्टस, इकानामी फेमिली, एडिटेड, टिकंर एण्ड ब्रामसेन, वाशिंगटन, डी0सी0 सोवरसीज डेवलपमेंट काउन्सिल पेज नं0- 12-21 ।

-----ब्लेक, ज्यूडिथः 1967, 'पैरेण्टल कण्ट्रोल, डिलेड मैरिज एण्ड पापुलेशन पालिसी' प्रोसीडिंग्स आफ दि वर्ल्ड पापुलेशन कान्फ्रेन्स हेल्ड एट ब्रेलग्रेड 1965, न्यूयार्क, यूनाइटेड नेशन्स, पेज-132 ।

-----बुशफील्ड, जान, 1972: ऐज एट मैरिज ऐज बैरियेबुल इन सोशियो इकोनॉमिक डिफरेन्शियल्स इन फर्टिलिटी, डेमोग्राफी, वाल्यूम- 6 नं0- 1, पेज- 172, 117, 134 ।

-----भाटिया, जे0सी0: 1983, 'ऐज ऐट मैरिज एण्ड फर्टिलिटी इन घाना' पेज नं0- 89 ।

-----बाल्डविन, स्टीफनः 1977, 'नटिसयल्टी एण्ड पापुलेशन पालिसी, न्यूयार्क, दि पापुलेशन काउन्सिल, पेज- 2 ।

-----भास्कर मिश्र, निर्मल साहनी, शंकरदत्त ओझा, टी0एस0मेहताः 'जनसंख्या शिक्षा सिद्धान्त एवं तत्व' पेज नं0- 43 ।

-----बाँदा गजेटियर, जिला सूचना विभाग, पेज नं0- 208 ।

-----ब्लण्टः इ0ए0आर0: 1931, 'दि कास्ट सिस्टम आफ नार्दन इण्डिया' आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस ।

-----बरनीयरः 'जनरल आफ रायल एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल' एलिफिन्सटन, ऐन एकाउण्ट आफ काबुल' पेज- 206 ।

-----बेनेडिक्ट, स्थः 1988, 'कान्टीन्यूटीज एण्ड डिसकान्टीन्यूटीज इन कल्चरल, कण्डीशनिंग, साइकिट्री, वाल्यूम ।

-----काल्डवेल, जे0सी0रेड्डीः 1984, काजेज आफ फर्टिलिटी डिक्लाइन इन इण्डिया, न्यूयार्क, पापुलेशन काउन्सिल, पेज नं0- 10 ।

-----चन्द्रशेखरन, एस0, 1957, 'इण्डियन पापुलेशन प्राब्लम पेपर प्रेजेण्टेड एट दि इनाग्रल कान्फ्रेन्स आफ दि यूनाइटेड नेशन्स डेमोग्राफिक टीचिंग एण्ड रिसर्च सेण्टर बाम्बे, 5 नवम्बर, पेज-9 ।

-----चौधरी, आर0एच0, 1983, 'दि इन्फ्लूएन्स आफ फैमिली एजूकेशन लेबरफोर्स पार्टीसिपेशन एण्ड ऐज एट मैरिज आन फर्टिलिटी बिहेवियर इन बंगलादेश, जनसंख्या वाल्यूम-1 नं0-2 पेज नं0- 143 ।

-----चैपिन, एफ0एस0 : 1947, एक्सपेरीमेन्टल डिजाइम इन सोशियोलाजिकल रिसर्चः' न्यूयार्क, हारपर एवं पब्लिशर्स, पेज- 39 ।

-----कार्ल, एन0, लेलबेलिन, 1953, 'लीगल ट्रेडीशन एण्ड सोशल साइंस मेथड': इन बुकिंग इन्स्टीट्यूशन कमेटी आन ट्रनिंग एसाइन रिसर्च मेथड इन दि सोशल साइंस, पेज- 113-114 ।

-----क्रुक, डब्लू: 1896, ट्राइवल्स एण्ड कास्टस आफ नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज आफ आगरा एण्ड अवध, लन्दन, 'इस्लाम इन इण्डिया', 1921: आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस ।

-----कर्वे, आई0, 1965, 'किंगशिप आर्गेनाइजेशन इन इण्डिया' बाम्बे, एशिया पब्लिशिंग हाउस, पेज- 130 ।

-----चीफ, ऐ0जे0जैफ, (कोलम्बिया विश्वविद्यालय) : 1976-77, एकोनामिक एण्ड सोशल फैक्टर्स ऐफेक्टिंग मार्टिलिटी, चैप्टर वर्ल्ड पापुलेशन एटलस ।

-----चन्द्रशेखरन, सी0: 1954 "फर्टिलिटी ट्रेडस इन इण्डिया" प्रोसीडिंग्स आफ दि वर्ल्ड पापुलेशन कान्फ्रेन्स, रोम, पेज 827-840 ।

-----दास, एन0 तथा पाण्डेय डी0, 1985, फर्टिलिटी डिफरेन्शियल बाई रिलीजन इन इण्डिया, बैनेडियल स्टडीज इन पापुलेशन, वाल्यूम- 12 पेज- 19-35 ।

-----डेविस, किंग्सले, "ह्यूमैन सोसाइटी" न्यूयार्क, 1949, पृष्ठ- 555-56 ।

-----डेविस, किंग्सले: 'डेमोग्राफिक फैक्ट एण्ड पालिसी इन इण्डिया' दि मिल बैंक ।

-----डा0 डेकर वी0एम0, तथा डा0 डेकर के0, 1953: पापुलेशन ग्रोथ एण्ड इकनॉमिक डेवलपमेंट इन लो इनकम कण्ट्रीज, प्रिंसटेन, एन0जे0: प्रिंसटेन यूनीवर्सिटी प्रेस ।

-----डोनलारो 1977, 'ए विलेज़ पर्सपेक्टिव फ्राम टू काण्टीनेन्टल सम इम्पलीकेशन्स फार डिफरेन्शियल फर्टिलिटी बिहेवियर, पेज 729 ।

-----डा0 आर0एन0 सक्सेना: भारतीय समाज तथा संस्थाएं, पेज- 45 ।

-----डा0 (कुमारी) आई0जेड0 हुसैन, 'फर्टिलिटी इन लखनऊ सिटी' डेमोग्राफिक रिसर्च सेन्टर, एकोनॉमिक्स डिपार्टमेन्ट, लखनऊ यूनीवर्सिटी, लखनऊ, पेज- 38-54 ।

-----डा0 प्रमिला कपूर : दि चेन्जिंग रोल एण्ड स्टेट्स आफ वोमेन, देखें पुस्तक 'आर्थिक व सामाजिक जनांनकिकी शास्त्र' लेखक डा0 ओ0एस0श्रीवास्तव ।

-----डा0 ओ0एस0श्रीवास्तव, 'विकास का अर्थशास्त्र एवं नियोजन' कैलाश पुस्तक सदन, ग्वालियर, पेज 24-25 ।

-----ड्यूमान्ट, अरसने,. 1870, 'दि पापुलेशन एट सिवीलाइजेशन' थ्योरी आफ सोशल कैपलरटी,' पेरिस- देखें किताब 'आर्थिक व सामाजिक जनांनकिकी शास्त्र' डा0 ओ0एस0श्रीवास्तव, रंजन प्रकाशन गृह दिल्ली, पेज- 79-118 ।

-----ई0एस0, बोगार्डसः 1957, 'सोशियोलाजी' पेज- 75 ।

-----फेमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इण्डिया, ईयर बुकः 1984-85, गवर्नमेंट आफ इण्डिया ।

-----फ्रीडमैन, आर0 एण्ड ब्लैलप्टन, पी0के0, "फर्टीलिटी प्लानिंग एण्ड फर्टिलिटी रेटस बाई रिलीजस इन्टरेस्ट एण्ड डिनामिनेशन, दि मिल बैंक मेमोरियल एण्ड क्वाटरली (यू0एस0ए0) वाल्यूम- ,नवम्बर 1, जनवरी 1952, पृष्ठ 61-90 ।

-----फिशर, आर0, 1951, 'दि डिजाइन आफ इक्सपेरीमेन्ट' हाफनर, पेज- 30 ।

-----फ्रैंक, फैटरः थ्योरी आफ वोयलंटरजिम, वर्षकिनर बर्लोकंगशिरः जेना, 1894, देखें पुस्तक 'आर्थिक व सामाजिक जनांनकिकी शास्त्र' ।

-----फाइल- बाँदा, टी0एक्स0टी0, डेट- शनि, मई 14-15, पेज 9-11- 1993 ।

-----गुरूमूर्थी, जी0, 1985, किन्शिप इण्टरएक्शन्स एण्ड फर्टिलिटी एमंग माण्डीज-ए-ट्राइवेल कम्यूनिटी इन साउथ इण्डिया, डेमोग्राफी इण्डिया, वाल्यूम- 14 नं0 2, पेज- 202 ।

-----गुडे, डब्लू0जे0 एण्ड हॉट, पी0एफ0, 1952, मेथड इन सोशल रिसर्च, न्यूयार्क मैकग्र- हिल पब्लिशिंग हाउस, पेज 69-132 ।

-----ग्रीनउड, अर्नेस्टः 1945: इक्सपेरीमेन्टल सोशियोलाजी ए स्टडी इन मेथडः न्यूयार्क कोलम्बिया यूनीवर्सिटी, प्रेस, पेज- 103 ।

-----गुहा, उमा, 1965, 'कास्ट एमंग रूरल बंगाल मुस्लिम मैन इन इण्डिया' राँची, पृष्ठ- 167

-----हुसैन, शेख अबरार, 1978, 'मैरिज कस्टमस एमंग मुस्लिम्स इन इण्डिया' नई दिल्ली, स्टर्लिंग पब्लिशर्स, प्रा0 लि0, पेज- 65, 186-87 ।

-----हुसैन, आई0जेड0, 1970, 'सोशल बायोलाजी' '17 (2), पेज नं0- 132-139 ।

-----कृष्णनन, पी0यंग, डब्लू, मे0, 1985 फर्टिलिटी डिफरेन्शियल बाई रिलीजियस इन इण्डिया: 1971 पापुलेशन रिप्रिजेंटस नं0- 73, डिपार्टमेंट आफ सोशियोलाजी, यूनीवर्सिटी आफ अलबर्टा, पेज-6 ।

-----कपाड़िया, के0एम0, 1963: 'भारतवर्ष में विवाह एवं परिवार' दिल्ली, मोतीलाल बनारसीदास, पेज- 146 ।

-----के0एल0शर्मा, 1964, 'दि चेन्जिंग रूरल स्ट्राटीफिकेशन सिस्टम, नई दिल्ली, आरिमेन्ट लागमैन लिमिटेड ।

-----के0 डाँडेकर, 1965, 'एफेक्ट आफ एजूकेशन आन फर्टिलिटी' वर्ल्ड पापुलेशन कान्फ्रेन्स, बैलग्रेड ।

-----लिण्ड क्वीस्ट, जी0, 1953, डिजाइन एण्ड एनालिसिज आफ एक्सपेरीमेन्ट इन साइकोलाजी एण्ड एजूकेशन, हंगसन, पेज- 16-18 ।

-----लीप्ले, एफ0, 1866, 'ल रिफारम सोशल इन फ्राँस डिंप्यूडाइट डीले' आबजरवेशन कम्पेरी डेस प्यूपिल यूरोपीस, वाल्यूम- ।   पेरिस ।

-----लिंबस्टीन, हार्वे: 1957, 'एकोनोमिक बैकवर्डनेस एण्ड इकोनामिक ग्रोथ' साइंस एडीशन जान वेली एण्ड सन्स, आई0एन0सी0एन0वाई0, पेज 151-52 ।

-----लूसी, मेयर, 'सामाजिक-नृ-विज्ञान की भूमिका' हिन्दी अनुवाद, पेज- 90 ।

-----मित्रा, ए0, 'फार ऐवरेज साइज फार डिफरेन्शियल फर्टिलिटी: पेज 73-74, देखें पुस्तक, "आर्थिक व सामाजिक जनांनकिकी शास्त्र" लेखक, ओ0एस0 श्रीवास्तव (रंजन प्रकाशन) पेज नं0- 320

-----ममदानी, महमूद, 1972, दि मिथ आफ पापुलेशन कण्ट्रोल फेमिली, कास्ट एण्ड क्लास इन इण्डियन विलेज, न्यूयार्क, मन्थ रिव्यू प्रेस ।

-----महादेवन, के0, 1982, सोशियोलाजी आफ पापुलेशन स्टडीज, इक्जिसिटंग गैप्स एण्ड इमर्जिंग ट्रेण्डस, इन सोशियोलाजी इन इण्डिया, एडिटेड, पी0के0 नायर, दिल्ली, पेज नं0- 34 ।

-----महादेवन, के0, 1986, 'फर्टिलिटी एण्ड मार्टिलिटी' नई दिल्ली, सेज प्रकाशन, पेज-119 ।

-----महादेवन, के0, 1979, 'सोशियोलाजी 'आफ फर्टिलिटी डिटरमिनेण्टस आफ फर्टिलिटी डिफरेन्शियल्स इन साउथ इण्डिया, स्टर्लिंग पब्लिशर्स, नई दिल्ली ।

-----मूर्ति, के0आर0 तथा राव, एन0यू0, 1983, 'मार्टिलिटी एण्ड फर्टिलिटी' डेमोग्राफी इण्डिया वाल्यूम 12, नं0 -1, पेज- 90 ।

-----मरॅटन, आर0के0, 1949, सोशल थ्योरी एण्ड सोशल स्ट्रक्चर टू वर्ड कोडिफकेशन आफ थ्योरी एण्ड रिसर्च, कोलम्बिया यूनीवर्सिटी प्रेस, पेज- 55 ।

-----मनोरमा ईयर बुक- 1993, मलयालम मनोरमा कोट्टयम केरल, पृष्ठ- 221 ।

-----मैक्डोमल एवं कीथ, 1935, वैदिक इण्डेक्स, वाल्यूम-1, लन्दन, अध्याय पृष्ठ-202

-----मेरियट, मैकिम, 1960, कास्ट रैकिंग एण्ड कम्युनिटी स्ट्रक्चर इन फाइव रीजन्स आफ इण्डिया एण्ड पाकिस्तानः पूना, पृष्ठ- 1 ।

-----मिश्रा, सतीश, 1961, मुस्लिम कम्युनिटीज इन गुजरात बाम्बे, पृष्ठ- 131 ।

-----महमूद, यासीन, 1988, 'इस्लामी भारत का सामाजिक इतिहास' अटलांटिक पब्लिशर्स, न्यू दिल्ली, पेज नं0- 120 ।

-----मजूमदार एवं मदान, रेसेज एण्ड कल्चर इन इण्डिया ।

-----मनुः 'मनुस्मृति' उद्वाहत्व- तेन मार्यात्व सम्पादकं ग्रहणं विवाहः 3/20 ।

-----मुकर्जी, आर0एन0, 'भारतीय सामाजिक संस्थाएं, विवेक प्रकाशन- 7 यू0ए0, जवाहर नगर, दिल्ली प्रेस- 347 ।

-----मैसूर, 1961, "दि मैसूर पापुलेशन स्टडी" न्यूयार्क यूनाइटेड नेशन्स, पेज नं0- 120 ।

-----नाग, मोनी, 1965, फेमिली टाइप एण्ड फर्टिलिटी, वर्ल्ड पापुलेशन कान्फ्रेन्स बेलग्रेड अगस्त-20, सितम्बर-10, नई दिल्ली, आफिस आफ दि रजिस्टार जनरल, पेज- 131-38 ।

-----नन्द किशोर गुप्ता, 1994-95, बाँदा जिले का आदर्श भूगोल, प्रकाशक विद्याकेन्द्र, बाँदा, पेज नं0- 7-8 ।

-----ओपलर, मोरिस, ई0, 1964, इन फैक्ट एण्ड थियरी इन सोशल साइंस, एडिटेड वाई0ई0डब्लू0 काउण्ट एण्ड गार्डन बाउल्स, पेज नं0- 218 ।

-----पापुलेशन रिफरेन्स ब्यूरो द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड पापुलेशन डाटा शीट- 1987 ।

-----पकरासी, के0 तथा हल्दर, ए0, 1981, 'फर्टिलिटी इन कन्टेमपोरेरी कलकत्ता- 37 (3-4) पेज 201-19 ।

-----पाठक, के0बी0, मूर्ति, पी0के0, 1985, सोशियो इकनामिक डिटरमेन्टस आफ फर्टिलिटी एण्ड मार्टिलिटी डिक्लाइन इन इण्डिया, डेमोग्राफी इण्डिया, वाल्यूम 14 नं0-1, पेज- 28 ।

-----पारसन्स, टाल्कट, 1942, ऐज एण्ड सेक्स इन दि सोशल स्ट्रक्चर आफ दि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिकन सोशियोलाजिकल रिव्यू, 7 अक्टूबर, 64-616 ।

-----परमार, एस0बी0सिंह, 1986, स्त्रियों में विवाह की आयु तथा प्रजनन-दर निर्धारण' मानव, वाल्यूम- 14 अंक- 2-3 ।

-----पी0एन0 प्रभु, 1985, हिन्दू सोशल आर्गनाइजेशन बाम्बे, पापुलर बुक डिपो, पेज- 217 ।

-----पटनायक, एम0एम0, 1985, 'सोशियो इकोनामिक कल्चरल एण्ड डेमोग्राफिक रेशनलटी आफ फर्टिलिटी बिहेवियर, पटना, जानकी प्रकाशन, पृष्ठ- 32-33 ।

पोली, एस0जे0 एण्ड दत्ता, 1960, 'पाइलट स्टडी आन सोशल मोबलिटी एण्ड डिफरेन्शियल फर्टिलिटी' स्टडीज इन फेमिली प्लानिंग, न्यू दिल्ली, पेज- 60-61 ।

-----पीटर, गुण्डे, वाल्यू-11 पेज-180 देखें पुस्तक- इस्लामी भारत का सामाजिक इतिहास ।

-----पी0डी0देवानन्दम एण्ड एम0एम0थामस, दि चेन्जिंग पैटर्न आफ फेमिली इन इण्डिया, बंगलौर, सी0आई0एस0आर0एस0 (1966) ।

-----न्यूजन्सकी, आर0आर0, 'दि बैलेंस आफ बर्थ एण्ड डेथ' वाल्यूम-1, न्यूयार्क- 1928, वाल्यूम-11, वाशिंग्टन, 1931 ।

-----क्यूजन्सकी, आर0आर0, 'दि इन्टरनेशनल डिक्लाइन आफ फर्टिलिटी' इन पालिटिकल अर्थमैटिक, लन्दन, 1938, पृष्ठ- 47-72 ।

-----राव, भास्कर, 1976, 'फेमिली प्लानिंग इन इण्डिया, नई दिल्ली विकास पब्लिशिंग हाउस, प्रा0 लि0, पेज-18 ।

-----रामकुमार, आर0, 1979, 'इन डेमोग्राफी इण्डिया' वाल्यूम- 8 नं0- 1 तथा 2, पेज- 66

-----राव, एम0ए0 तथा मैथेन, 1970, रूरल फील्ड स्टडी आफ पापुलेशन कण्ट्रोल, सिंगूर, 1957-69, कलकत्ता, नवाना प्रिंटिंग वर्क्स, प्रा0 लि0 ।

-----रियाज-उल-मोहब्बल: डोर्ल हिस्ट्री आफ दि अफगान्स, 11, टिप्पणी पृष्ठ- 64 ।

-----आर0के0 मुकर्जी, 1957, दि डायनामिक्स आफ रूरल सोसाइटी, बर्लिन ऐकडमिक बिरलाज

-----रॉस, ए0डी0, 1961, दि हिन्दू फेमिली इन इट्स अरबन सेटिंग, यू0एस0ए0, यूनीवर्सिटी आफ टोरन्टो प्रेस, पेज- 236 ।

-----श्रीवास्तव, ओ0एस0, 1981, आर्थिक व सामाजिक जनांनकिकी शास्त्र' रंजन प्रकाशन गृह, नई दिल्ली, पेज नं0- 161-65 ।

-----सिद्ध, के0के0, 1974, 'फेमिली प्लानिंग दि रिलीजियस फैक्टर, नई दिल्ली, अभिनव पब्लिकेशन्स, पेज-236 ।

-----सक्सेना, 1974, 'फेमिली प्लानिंग सर्वे इन उत्तर प्रदेश' डेमोग्राफी इण्डिया, 1985, वाल्यूम-14 नं0- 2, पेज- 50, 36, 39 ।

-----सिंह, एस0,एन0, सिंह, बी0एन0 तथा सिंह, आर0बी0, 1985 ''सम फर्टिलिटी, डेमोग्राफी इण्डिया, वाल्यूम- 14 नं0-2, पेज- 204-205 ।

-----संयुक्त राष्ट्र संघ, पापुलेशन डिवीजन रिपोर्ट, 1980, सम फैक्टर्स अफेक्टिंग इन डेवलपिंग कण्ट्रीज, पेज- 4 ।

-----सिंह, के0पी0, 1974 'वीमेन्स एज एट मैरिज' सोशियोलाजिकल बुलेटिन वाल्यूम-23 नं0- 2 ।

-----स्टाइकस, जे0एम0, ''फैमिली फर्टिलिटी इन प्यूर्टोरिको, नवम्बर 5, अक्टूबर, 1952, पृष्ठ-572-80 ।

-----संध्या, एस0, 1986, सोशियो कल्चरल एण्ड इकोनामिक कोरिलेट्स आफ इन्फेन्ट मार्टिलिटी, ए केस स्टडी आफ आन्ध्र प्रदेश, डेमोग्राफी इण्डिया, वाल्यूम- 15 नं0- 1, पेज-89 ।

-----सोलेमन, आर0, 1949, एन एक्सटेन्शन आफ कण्ट्रोल ग्रुप डिजाइन, साइक्लोजिकल बुलेटिन, पेज- 9। ।

-----सैय्यद, मोहम्मद इलियास मगरबी, 1978, तारीख-ए-बुन्देलखण्ड-मुस्नद-तारीख-ए-हालात नवावेन, बाँदा, प्रकाशन, उत्तर प्रदेश उर्दू एकादमी, पेज- 25-26 ।

-----एस0एन0, आइजेन स्टाट, फ्राम जनरेशन टू जनरेशन, एज ग्रुप एण्ड सोशल स्ट्रक्चर, न्यूयार्क, दि फ्री प्रेस, 1956 ।

-----सरहा इसराइल, 'फेमिली लाइफ एण्ड एजूकेशन' देखें पुस्तक- आर्थिक व सामाजिक जनांनकिकी शास्त्र, लेखक डा0 ओ0एस0 श्रीवास्तव ।

-----थाम्पसन, डब्लू0, एस, "पापुलेशन प्राब्लम्स" न्यूयार्क, चैप्टर ×, इन पालिटिकल अर्थमैटिक, लन्दन, 1938, पृष्ठ- 47-72 ।

-----'विकास दिग्दर्शिका', बाँदा, 1988, जिला सूचना विभाग, बाँदा, पेज- 8 ।

-----वेबन, जोन्स, बी0आर0 (1914) वीमेन इन इस्लाम, लखनऊ पब्लिशिंग हाउस ।

-----वे0स0ए0, 1912, 'इथनोग्राफी आफ इण्डिया' स्टावर्ग वर्लाग, कार्ल्ट्रूवनर ।

-----जिला सांख्यकीय पत्रिका- अष्टम पंचवर्षीय योजना ग्रन्थ, 1992-93, जिला बाँदा, पेज-3

-----जिला सांख्यकीय पत्रिका, (वार्षिक), 1993, जनपद-बाँदा, कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी, बाँदा ।